Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 10]　　चतुर्थ विधान सभा के दशम् सत्र का सत्रहवां दिवस　　[संख्या 14

बुधवार, दिनांक 31 मार्च, 1971

विधान सभा की बैठक म. पू. 8.01 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सार्वजनिक निर्माण, स्वायत्त शासन, राजस्व, विधि, समाज कल्याण, जन स्वास्थ्य, गृह, उद्योग, नगर आयोजना, जल प्रदाय विभाग]

प्रश्न संख्या 154

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री अमीलाल यादव।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 155

श्री हरिवल्लभ शर्मा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

एक माननीय सदस्य। 155।

श्री खेतसिंह (उप मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय प्रश्न कर्ता नहीं है। ये कोई दूसरे ही हरिवल्लभ शर्मा बोल रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न की जानकारी मुझे है। मामूली सा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : मैं पहले दूसरा ले लेता हूं। श्री दौलतराम सारण।

बाड़ियों का लगान

156. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिले में और विशेषतौर से सरदारशहर के पास उनाले में धोरों पर पीढ़ियों से मतीरा व काकड़ियों की बाड़ियों की जाती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि ये धोरे बेकार पड़े हैं और उनकी बालू रेत बेरोक टोक उड़ती रहती है, परन्तु बाड़ियों करने से उनके अन्तर्गत आया क्षेत्र उड़ने से रुक जाता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन बाड़ियों का लगान बारानी लगान दर से सदा से लिया जाता रहा है ?

(4) क्या यह सही है कि ये बाड़ियां प्राय: कुम्हार, माली, हरिजन आदि पिछड़े

Page No 2

(श्री दौलतराम सारण)
वर्ग के गरीब व्यक्ति ही करते हैं जिनकी रोजी का ये बाड़ी ही एकमात्र आधार है ?

(5) क्या राज्य सरकार के यह ध्यान में है कि इस वर्ष सरदारशहर के स्थानीय राजस्व अधिकारियों ने इस प्रकार की बाड़ियों के गरीब मालिकों पर हजारों रुपया जुर्माना किया है और उन्हें कुर्की से यह भारी जुर्माना वसूल करने के नोटिस दिये गये हैं ?

(6) यदि हां, तो कितनी बाड़ी वालों को जुर्माना वसूली के नोटिस दिये गये हैं ? क्या यह सही है कि ये बाड़ी वाले अधिकतर हरिजन व पिछड़ी जाति के भूमिहीन हैं ?

उप मंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां।

(2) कस्बे के चारों तरफ बालू रेत के टीले खाली पड़े हैं। बाड़ियां करने पर भी बालू रेत बेरोक टोक उडती रहती है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। परन्तु यह सही नहीं है कि उनकी जीविका उपार्जन का एक मात्र साधन बाड़ी ही है।

(5) जी हां। अवैध काश्त किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर इस वर्ष तावान आदि कायम किया गया है। वसूली के लिये अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(6) जी नहीं। किसी को भी नोटिस नहीं दिया गया है। बाड़ियां अधिकतर माली, कुम्हार व रंगर आदि जातियों द्वारा ही की गई है।

श्री दौलतराम सारण। तावान कायम किया गया है, नोटिस दिया गया है। यह मुझे नोटिस दिखाया गया है तभी तो यह प्रश्न मेरी जानकारी में आया और आप कहते हैं नोटिस नहीं दिया गया है।

श्री गंगाराम चौधरी : मेरी जानकारी के अनुसार वसूली का नोटिस नहीं दिया गया है। टेक्निकली कब्जा नाजायज है। धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, जब आप कहते हैं गाड़ियों से इस प्रकार की बाड़ी करते आये हैं। हरिजन, कुम्हार, माली आदि पिछड़ी जाति के लोग हैं फिर तावान का प्रश्न कैसे पैदा हुआ ?

श्री गंगाराम : अध्यक्ष महोदय वह भूमि गैर मुमकिन और मुमकिन दर्ज है और म्यूनिसिपल एरिया के दो मील के अन्दर दर्ज है इसलिये आवंटन के योग्य भूमि नहीं है। फ्लकचुएटिंग कल्टीवेशन होती है। हर आदमी एक जगह काश्त नहीं करता है। अलग अलग जगह काश्त करते हैं और उनको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं है। धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है।

श्री दौलतराम सारण : सवाल यह नहीं है अध्यक्ष महोदय, सवाल तो यह है बाड़ी हर वर्ष एक जगह नहीं होती है। हर वर्ष नई बाड़ी करनी पड़ती है। उन बाड़ियों से इसी सिस्टम से बाड़ी होती आई है और इसी से उनकी जीविका चलती है। शहर के लोगों को और कस्बे

(श्री दौलतराम सारण)
के लोगों को मतीरे, ककड़ी और साग सब्जी आवश्यक चीजें मिलती हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपको आपत्ति क्या है वे अपनी आजीविका चलाते हैं।

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : वे इजाजत लें फिर कोई दिक्कत नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : इजाजत आप देते नहीं हैं। उनके पास रोजगार का कोई दूसरा जरिया नहीं है। हर कस्बे में ऐसे आदमी हैं जिनको रोजगार मिलना चाहिये। आबादी के लिये न वहां जमीन है।

श्री रामकिशोर व्यास : इसको हमदर्दी के साथ विचार कर लेंगे।

श्री दौलतराम सारण : इसका मतलब है उन पर तावान पर फिर से विचार किया जायेगा।

श्री रामकिशोर व्यास : पास्ट से मेरा मतलब नहीं है प्रेजेन्ट में जो कुछ कर सकेंगे वह करेंगे।

श्री दौलतराम सारण : आपने प्रश्न के उत्तर में बताया है जी हां, इसका लगान बारानी दर से लिया जा रहा है फिर आपने जी हां कैसे कह दिया।

श्री गंगाराम : मुझे जानकारी ऐसी है।

श्री दौलतराम सारण : मैंने जो जानकारी दी है, उनका लगान बारानी दर से लिया जा रहा है फिर आपका उत्तर है वह गलत है।

श्री गंगाराम : उनको भूमि आवंटन के लिये कोई सुविधा प्रदान कर दी जायगी—ऐसी सुविधा कर दी जायगी कि उनको टेम्परेरी आवंटन किया जाय।

श्री दौलतराम सारण : परमानेन्ट सेटिल हो जाय और जमीन का सदुपयोग हो इसके लिये मैं अर्ज करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा राजस्व मंत्री से निवेदन है जब आपने नीति बना दी है तो उनको रेगूलराइज मान कर आवंटन कर देना चाहिये।

श्री रामकिशोर व्यास : रेगूलराइज का सवाल इसलिये नहीं है कि बदलती रहती है। एक आदमी एक जगह काश्त नहीं करता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री शंकरसिंह रावत।

अजमेर में पट्टी कातले आदि बेचने का स्थान

157. श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्रीनगर, बुबानी, खोड़ा ग्रामों में से पट्टी कातले बिक्री हेतु अजमेर शहर में आती है?

(2) क्या यह सही है कि ग्रामीण लोग जहां बैलगाड़ियों से पट्टी कातले लाकर बिक्री करते थे वह स्थान कंवर भक्त धर्मशाला पड़ाव अजमेर (पट्टी कटला) के नाम से प्रसिद्ध है?

(3) क्या यह भी सही है कि इन्हें इस स्थान से हटा कर अन्य स्थान दिया

(श्री शंकरसिंह रावत)
गया है जो बहुत ऊंचाई पर तेजाजी के चौक की तरफ है ?

(4) क्या यह भी सही है कि वह स्थान भी हरिजनों को मकान बनाने हेतु आवंटन कर दिया ?

(5) क्या सरकार पुनः पट्टी कटला में स्थान देने की मन्शा रखती है ?

(6) यदि नहीं, तो क्यों, और यदि हां, तो कब तक देगी ?

उप मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। स्थान टांगे स्टेशन के पास दिया गया है। गाड़ियां आसानी से पहुंचती हैं और स्थान बहुत ऊंचाई पर नहीं है।

(4) जी नहीं।

(5) प्रश्न नगर परिषद् के विचाराधीन नहीं है।

(6) उत्तर प्रश्न के खण्ड 5 में दे दिया गया है।

श्री शंकरसिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सैकड़ों वर्षों से इन गाड़ियों से पट्टी कातले ले जाते थे वहां से हटा कर अन्य स्थान पर जगह दी है। आप कह रहे हैं हरिजनों को भूमि आवंटन नहीं की है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं उस स्थान को मंत्री महोदय ने नहीं देखा है वहां पर हौज बना दिया गया है। बैलगाड़ी वहां चल सकती है। भारी ऊंचाई है तो कम से कम सब्जी मंडी बनाई जाय। कम से मार्केट दिवाल या कुछ खींच कर उनको स्थान दीजिये।

श्री खेतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्थान शहर के बीच में आ जाने के फलस्वरूप गाड़ी वाले आ जाते हैं और वहां बहुत भीड़ हो जाती है और एक्सीडेन्ट होते हैं। वहां पर आने जाने के साधन रुक जाते हैं इसलिये वहां के नगर परिषद् ने सोचा यहां से हटा कर टांगे के पास जगह दी है और वहां बगीचा बनाने के लिये रखा है और बगीचा बनाया भी है। वह स्थान पसन्द नहीं है तो और स्थान देख लें। दूसरे स्थान के लिये नगरप रिषद् विचार कर सकती है।

श्री शंकरसिंह : अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करूं वहां से बगीचे के नाम से हटाया गया है। आप कहते हैं एक्सीडेन्ट होते है कभी वहां एक्सीडेन्ट नहीं हुआ है। अच्छी तरह गाड़ियां वहां ...

श्री अध्यक्ष : बगीचा उन्नत हो गया है क्या ?

श्री शंकरसिंह : अध्यक्ष महोदय अभी कोई काम नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : कोट भी नहीं लगा है ?

श्री खेतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार और जांच करा लूंगा कि क्या परिस्थिति है और यदि उसके अनुसार बहुत ही ज्यादा कातले पट्टियों वालों को असुविधा है तो और स्थान देख लेंगे और जो उपयुक्त होगा वह कर देंगे।

श्री शंकरसिंह : अध्यक्ष महोदय, उनकी सुविधा के अनुसार कोई स्थान दिया जाय।

किसानों की आराजी पर खड़े पेड़

158. श्री शंकरलाल जाट (कपासन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिस भूमि पर वृक्ष खड़े हैं, वह वृक्ष उन्हीं व्यक्तियों के हैं कि जिस व्यक्ति की वह आराजी है ?

(2) क्या यह सही है कि तहसील बडी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ में गांव पीली खेन्या (संग्रामपुरा), जयसिंहपुरा, वारन्डी, सुखपुरा लछमीपुरा, ढीकाडेया खेड़ी में किसानों की आराजी पर खड़े महुवे व ढोल में का लाभ भूतपूर्व ठिकाना बडी सादड़ी के भूतपूर्व राजराणा ही उठा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों की आराजी पर महुवे के वृक्ष हैं उन्होंने वृक्षों के फल लिये तो उनके विरुद्ध भूतपूर्व राजराणा बड़ी सादड़ी ने मुकदमें दर्ज कराये थे ? सरकार इस सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है अतः स्थगित किये जाने हेतु निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया। नेक्स्ट, श्री मेघराज पंवार !

डीग में भूमि पर अनधिकृत कब्जा

159. श्री मेघराज पंवार (चूरू) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नीमघंटा मोहल्ला स्थित श्याम फ्लोर मिल, डीग ने नगरपालिका की भूमि पर अनधिकृत कब्जा एवं उस पर अवैध निर्माण कर अपनी सीमाओं को बढ़ा लिया है ?

(2) जिस भूमि पर उक्त मिल स्थापित है उसका क्षेत्रफल इस समय क्या है ?

(3) क्या यह सही है कि जिस भूमि पर उक्त मिल स्थापित है वह कभी कस्टोडियन विभाग द्वारा नीलाम में बेची गई थी ? यदि हां, तो कब ? कृपया उस जमीन का क्षेत्रफल बतावें।

(4) कृपया बतावें कि उक्त मिल ने कितने क्षेत्र में अनधिकृत कब्जा किया हुआ है एवं नगरपालिका की स्वीकृति के बिना कितना अवैध निर्माण किया हुआ है ?

(5) उक्त मिल मालिक व संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री खेतसिंह): (1) अध्यक्ष नगर पालिका, डींग से प्राप्त सूचनानुसार नगरपालिका के रेकार्ड में नीमघन्टा मोहल्ला में श्याम फ्लोर मिल का होना नहीं पाया जाता है।

(2) प्रश्न के खण्ड 1 के उत्तर के अनुसार प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(3) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(4) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(5) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

Page No 6

श्री दौलतराम सारण : तो यह कौनसी मिल होना पाया जाता है ? आप टेक्नीकली नाम से प्रश्न उत्पन्न नहीं होना कहते हैं तो फिर कौनसी मिल होना पाया जाता है ?

श्री खेतसिंह : जी हाँ, मैंने जैसा आपको निवेदन किया अध्यक्ष महोदय नगरपालिका, डीग ने हमारे पास उत्तर भेजा है उसके अनुसार इस नाम से कोई मिल नहीं है दूसरी कोई मिल हो तो उसकी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय यह अनियमितता और गैरवाजिब तरीके से जमीन का कब्जा करने की शिकायत है और इसका विवरण आपके पास जरूर आया होगा और उत्तर तो सेकेट्री ने या ए. ओ. ने भेजा होगा और चेयरमैन के हस्ताक्षर से नहीं आया होगा और उन्होंने जानकारी दी होगी कि यह फ्लोर मिल है या कौनसी मिल है। इस नाम से नहीं तो और नाम के साथ हेरफेर हो गयी होगी।

श्री अध्यक्ष : जानकारी नहीं, इस मिल के अलावा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : नहीं है तो स्थगित किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि फ्लोर मिल है या नहीं और आपने जवाब दिया कि नहीं है तो फिर समाप्त हो गया।

नेक्स्ट, श्री विट्ठलभाई।

घाटोल-प्रतापगढ़ सड़क निर्माण में आई भूमि का मुआवजा

160. श्री विट्ठलभाई (पीपलखूंट): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में तहसील घाटोल से प्रतापगढ़ जाने वाली सड़क में वहां के काश्तकारों की जमीन आई है ?

(2) यदि हां, तो किस किस गांव में और कितने काश्तकारों की जमीन सड़क में आई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त काश्तकारों की जमीन का मुआवजा अब तक नहीं चुकाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है इसलिये स्थगित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न स्थगित किया गया। नेक्स्ट, श्री रामप्रसाद बोहरा।

झालावाड़ नगर में भूमि की नीलामी

161. श्री रामप्रसाद बोहरा(झालरापाटन): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ नगर में मंगलपुरा चौक में या मोटर स्टेन्ड तथा और जगह भी छोटे छोटे दुकानदार जो नगरपालिका से जमीन किराये पर लेकर अपनी अपनी दुकानें वर्षों से लगाते रहे हैं इनकी जमीन नगरपालिका द्वारा नीलाम

(श्री रामप्रसाद बोहरा)
की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों तथा कितनी दुकानों की जमीनें नीलाम की जा रही हैं ?

(2) उक्त दुकानदार जब कि 12 साल पहले से बैठे हुए हैं इन्हें ही उक्त जमीन नगरपालिका द्वारा घोषित दर पर क्यों नहीं दी जाती ?

उप मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री खेतसिंह): (1) जी नहीं ।

(2) नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं है ।

श्री रामप्रसाद बोहरा : अध्यक्ष महोदय, जो 12 और 15 सालों से दुकान लगाये हुए हैं तो क्या यह सही है कि जिलाधीश ने या प्रशासक ने ऐसा नोटिस दिया कि इन दुकानों को नीलाम किया जावेगा ?

श्री खेतसिंह : जी हां । नियमानुसार ऐसा ही होता है । नियम यही है कि व्यवसाय के लिए दुकानें हैं उनको नीलामी से ही दिया जाना चाहिए लेकिन फिलहाल आपके यहां इस प्रकार की नीलामी नहीं हुई ।

श्री रामप्रसाद बोहरा : क्या यह सही है कि अभी कुछ दिन पहले प्रशासक नगरपालिका द्वारा श्री बद्रीलाल हलवाई की दुकान को नगरपालिका की जो अधिकृत रेट है उससे जमीन देकर रजिस्ट्री कराई गई है ।

श्री खेतसिंह : यों तो यह अलग से प्रश्न है लेकिन आपने जो जानकारी दी है मैं इसकी जानकारी कर लूंगा कि वास्तव में यह सही है या नहीं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या 162

श्री बिट्ठलप्रसाद शर्मा ।

(अनुपस्थिति, कृपया आगे देखिये ।)

नेक्स्ट, श्री कृष्णकुमार गोयल ।

इटावा व खातोली पुलिस स्टेशनों के मामलों की सुनवाई का अधिकार

163. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले में स्थित पुलिस स्टेशन इटावा व खातोली के मुकदमात की सुनवाई के अधिकार कोटा मुन्सिफ कोर्ट में निहित थे ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त मुकदमों की सुनवाई बारां मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को स्थानान्तरित कर दी गई है? अगर हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि वापिस मुकदमों की सुनवायी कोटा मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को ही स्थानान्तरित करने के लिए बार एसोसियेशन कोटा व पंचायत समिति इटावा ने राज्य सरकार से निवेदन किया है ? अगर हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

उप मन्त्री, विधि (श्रीमती प्रभा मिश्रा):

(1) जी हां ।

(2) जी हां, न्यायपालिका के पृथककरण योजना के कारण क्षेत्राधिकार बारां के साथ जोड़ा गया ।

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

(3) जी हां, मामला विचाराधीन है। यह मामला सम्मति के लिये उच्च न्यायालय को भेज दिया है। उनकी टिप्पणी आने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि पूर्व में स्वयं राज्य सरकार ने अपने आदेश के द्वारा इन केसेज का जुरिस्डिक्शन जो कि कोटा में था वह सरकार ने अपने नोटिस के द्वारा वहां से हटा कर बारां को दिया है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी हां।

श्री कृष्णकुमार गोयल : फिर राज्य सरकार को क्या आपत्ति है कि दुबारा इस प्रकार के जब हर जगह से पंचायत समिति से, बार एसोसियेशन, कोटा ने यह प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया गया है कि इन केसेज का स्थानान्तरण वापिस कोटा ही किया जाये।

श्री बरकतुल्ला खां (विधि मन्त्री) : बार बार जुरिस्डिक्शन चेन्ज करने से पहले राज्य सरकार यह मुनासिब समझती है कि हाई कोर्ट की राय ले लेनी चाहिये और इससे सेफसाइड में रहेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : किसकी राय से ये केसेज बदले थे?

श्री बरकतुल्ला खां : इनफार्मल कन्सलटेशन किया था।

श्री कृष्णकुमार गोयल : किन से?

श्री बरकतुल्ला खां : हाई कोर्ट से।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि हाई कोर्ट ने इस प्रकार की राय नहीं दी कि इन केसेज को कोटा से हटा कर बारां किया जाये।

श्री बरकतुल्ला खां : हाई कोर्ट की कन्सलटेशन से किया था तो उन्होंने कहा कि हमें ऐतराज नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरे पास डिस्ट्रिक्ट जज, कोटा का लेटर है। मैंने उनको पत्र लिखा था और उन्होंने कहा कि क्लाइन्ट्स जो वहां के रहने वाले हैं उनको बड़ी दिक्कतें हो रही हैं।

श्री अध्यक्ष : सेक्रेट्री ऑफ दी बार एसोसियेशन की हैसियत से लिखा था?

श्री कृष्णकुमार गोयल : नहीं, एज एम. एल. ए. लिखा है। इन्होंने हमेशा यही उत्तर दिया और पिछली बार सत्र में भी सवाल था, यही उत्तर दिया था। यह स्वयं राज्य सरकार ने अपनी इच्छा से इस प्रकार का किया है और अब राज्य सरकार स्वयं इसमें काम्पीटेन्ट है और लास्ट अथारिटी वही है। हाई कोर्ट भी डिस्ट्रिक्ट जज को कन्सलट करती है।

श्री अध्यक्ष : वह भी इनफार्मल थी, फार्मल नहीं थी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं यह निवेदन कर रहा था कि इन केसेज के ट्रान्सफर करने के कारण हालत यह है कि 107 की कार्यवाही कोटा में होती है और रेवेन्यू केसेज कोटा में होते हैं। केवल आई. पी. सी. की दृष्टि से यह केसेज बारां ट्रान्सफर कर दिये और बीच में नदियां पड़ती हैं, कच्चे रास्ते हैं और लोगों को तकलीफ होती है जाने में लेकिन....

श्री अध्यक्ष : अब तो कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री बरकतुल्ला खां : जी हां, हाई कोर्ट को लिखा है और उनका जवाब आने पर ही कुछ फैसला करूंगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री बालसिंह सोढ़ा !

ट्रकों की खरीद

164. श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीमा सड़क निर्माण विभाग में कितनी ट्रकें खरीदी गई और आज उसमें से कितनी ट्रकें काम में आने योग्य हैं? खरीद की कुल मूल्य की राशि कितनी है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त ट्रक ठेकेदारों को किराये पर दी गयी थी ? अगर हां, तो किस किस ठेकेदार से कितना किराया वसूल किया गया ? जिलावार व ठेकेदार वार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ट्रकों की मरम्मत भी करायी गई है। अगर हां, तो आज तक किस किस डिविजन में मरम्मत पर कितना खर्च हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त ट्रकों का कर का भुगतान भी किया गया है ? अगर हां, तो किस ठेकेदार ने कितना कर विभाग के माध्यम से दिया और किस ठेकेदार के लिये विभाग ने कर से छूट चाही ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उप मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री माधोसिंह) : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब प्राप्त नहीं हुआ है इसलिये स्थगित करने के लिए निवेदन है।

श्री दौलतराम सारण : आपके किसी प्रश्न का उत्तर आया भी है ?

श्री माधोसिंह : आया है, अभी दे दूंगा।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, इनको उठने बैठने में बड़ी तकलीफ होती है। $2\frac{1}{2}$ मन की लाश को बार बार उठना बैठना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री हंसराज आर्य !

हरिजन एवं आदिवासियों को नौकरियां

165. श्री हंसराज आर्य (भादरा): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 69 व 70 के दो सालों में राजस्थान में किस किस जिले में कुल कितने हरिजन और आदिवासियों को सरकारी, नौकरियां दी गई ? श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(2) राजस्थान में कितने हरिजन व आदिवासी कलेक्टर, एस. डी. एम., एस. पी. व डी. एस. पी. हैं ?

(3) क्या कोई हरिजन महिला गजेटेड ऑफिसर है। यदि हां, तो कौन से विभाग में है और क्या पद है ?

राज्य मंत्री समाज कल्याण (श्री बी. एन. जोशी) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में जो जानकारी चाही गयी है वह राजस्थान के सारे जिलों से संबंधित है और इसके लिए पहले ही याचिका की जा चुकी है कि इसको स्थगित किया जाये।

श्री हंसराज आर्य : अध्यक्ष महोदय, क्या राज्य सरकार जान बूझकर टाल रही है इसको ?

श्री बी. एन. जोशी : जी नहीं।

श्री हंसराज आर्य : कब तक इसका उत्तर मिल जायेगा।

श्री अध्यक्ष : ठहरें, माननीय सदस्य। मैं तो अभी स्थगित के लिए सोच ही रहा हूं और आप प्रश्न पूछ रहे हैं।

स्थगित किया गया।

नेक्स्ट, श्री हरजीराम बुरड़क।

हरिजनों की बस्तियों के लिये भूमि

166. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम पंचायत आसोटा, पंचायत समिति लाडनूं, जिला नागौर ने हरिजनों की बस्ती के लिये ग्राम आसोटा के पास आबादी भूमि प्राप्त की थी ? यदि हां, तो कितनी और उसका क्या उपयोग हुआ ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त आबादी भूमि के विक्रय में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार को जानकारी है। यदि हां, तो क्या क्या अनियमिततायें कब कब की गई और सरकार ने क्या एक्शन लिया ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

उप मन्त्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) जी हां, यह सत्य है कि ग्राम पंचायत आसोटा, पंचायत समिति लाडनूं, जिला नागौर में हरिजनों की बस्ती के लिये ग्राम आसोटा के पास 20)13 बीघा आबादी भूमि प्राप्त की थी। उक्त जमीन सरपंच ग्राम पंचायत आसोटा ने अपने कुटुम्बियों तथा अन्य व्यक्तियों को बेचान कर दी।

(2) जी हां, राज्य सरकार के ध्यान में अनियमिततायें आने पर दिनांक 17-11-70 को जिलाधीश नागौर को जांच कराने तथा अग्रिम आदेश तक भूमि के यथावत् स्थिति रखने यानि कोई निर्माण नहीं किये जाने के आदेश जारी किये गये। जिलाधीश ने ग्राम पंचायत का रेकार्ड हाल ही में प्राप्त किया है जिस पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

श्री हरजीराम बुरड़क : कुल कितने प्लाट्स काटे गये और दूसरों को कितने दिये और सरपंच ने अपने, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के नाम से कितने बेचान किये ?

श्री गंगाराम चौधरी : डिटेल्स तो नहीं हैं लेकिन मैंने निवेदन किया कि इसमें अनियमिततायें जरूर की हैं जिसकी जांच की जा रही है।

श्री हरजीराम बुरड़क : यह राज्य सरकार के ध्यान में कब आया और इसमें

(श्री हरजीराम बुरड़क)
आगे कार्यवाही रोकने के लिए आपने कहा है जब कि वहां पर लोग कब्जा कर रहे हैं और जिन्होंने 2 पैसे गज में जमीन खरीदी थी वह दूसरों को बेच रहे हैं। अगर बाद में सरकार उनको कैंसिल करेगी तो जमीन का कब्जा कैसे लेगी ?

श्री गंगाराम चौधरी : 17-11-70 को स्थगन आदेश जारी कर दिए थे उसके बाद में यथावत् स्थिति कायम रहनी चाहिए और इसमें कोई रद्दोबदल है तो उसकी जांच कर ली जायेगी।

किशनगंज–रामगढ़–मांगरोल सड़क

167. श्री नन्दलाल (किशनगंज) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) किशनगंज-रामगढ़-मांगरोल सड़क किस वर्ष में पक्की बनाने हेतु स्वीकृत की गई थी ?

(2) जितनी मील सड़क अब तक तैयार हो चुकी है उस पर कितनी धन-राशि खर्च हो चुकी है ?

(3) क्या यह सही है कि इस समय इस सड़क का कार्य बन्द पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो किस कारण बन्द है ?

(4) क्या सरकार इस सड़क को पूर्ण कराने का इरादा रखती है। यदि हां, तो यह कब तक पूर्ण हो जावेगी।

उप मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (1) तृतीय पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1963 में स्वीकृत की गई थी।

(2) 6 मील सड़क बन चुकी है, उस पर 1,44,832 रुपये व्यय हुआ है।

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : कितनी बनी ?

श्री माधोसिंह : 6 मील।

(3) जी हां, अर्थाभाव के कारण।

(4) जी हां, अर्थाभाव के कारण अवधि निश्चित् करना सम्भव नहीं है।

श्री नन्दलाल : यह सड़क कुल कितनी मील लम्बी है। 1963 से 1971 तक यह 6 मील सड़क बनी तो मेरा प्रश्न आगे यह है कि सड़क कब तक पूर्ण हो जायगी।

श्री माधोसिंह : अर्थाभाव के कारण अर्ज कर दिया।

श्री नन्दलाल : राज्य सरकार को जानकारी दे देना चाहता हूं कि यह सड़क पिछले टाइम में बनी थी उसके बाद में उसकी मरम्मत भी सरकार नहीं करवा पाई है। इस सड़क पर पार्वती नदी पर जो पुल है वह भी उस टाइम में तैयार हुआ था और वह अब टूटने जा रही है और बीच बीच में टूट चुकी है और जिसकी आज तक मरम्मत नहीं करवाई है। मैं आपकी मार्फत इस राज्य सरकार को बता देना चाहता हूं कि 1-2 साल के बीच में यदि सड़क की मरम्मत ......

श्री अध्यक्ष : क्या यह जानकारी ठीक है।

श्री माधोसिंह : माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी उसकी जानकारी मेरे पास

Page No 12

(श्री माधोसिंह)
नहीं है, पार्वती के पुल की क्षति होने की। जानकारी करके उसको ठीक करा दिया जायगा।

श्री नन्दलाल : क्या यह सही है कि यह डाकू ग्रस्त इलाका है।

श्री माधोसिंह : इसके बारे में गृह मंत्री जी से पूछिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : यह सड़क कुल कितनी लम्बी है जिसके लिए आपने बताया कि 6 मील बनी है और यह किस साल बनी थी ?

श्री माधोसिंह : मैंने निवेदन किया कि 6 मील लम्बी बनी है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कुल कितनी लम्बी है ?

श्री अध्यक्ष : 6 मील कहा है ना।

श्री देवीदत्त गाड़िया : 6 मील तो बनने का कहा है लेकिन कुल कितनी लम्बी है ?

श्री माधोसिंह : कुल 22 मील लम्बी बनने को थी और प्रावधान 1,76,000 रु. का किया था उसमें 6 मील लम्बी सड़क बनी और उसके बाद 65 में काम बन्द हो गया क्योंकि 65 में कोई प्रोवीजन नहीं था और 71-72 में इसका काम अब चालू किया गया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : 22 मील लम्बी सड़क बनने का प्रावधान उस समय हुआ था और उसका एस्टीमेट बना था, लेकिन उसमें से सिर्फ 6 मील सड़क बनी और बाकी 16 मील लम्बी सड़क क्यों नहीं बनी जब कि उसका प्रावधान था, उसका एस्टीमेट बन गया था ?

श्री माधोसिंह : तृतीय पंचवर्षीय योजना में पहले 1,70,000 रु. दिये गये थे। उसके बाद में कोई धनराशि नहीं दी गई। फिर 70-71 में कोई पैसा नही था। इस वर्ष इसके लिए पैसा रखने का तखमीना बनाया जा रहा है और कुछ राशि जरूर रखी जायगी।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इस सड़क को बनाने का प्रावधान आरक्षित नहीं किया इसलिए मन्जूर नहीं की गई ? विभाग ने बजट में इस सड़क को बनाने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तावित नहीं किया इसलिए सड़क के लिए धनराशि मन्जूर नहीं हुई, क्या यह सही है ?

श्री माधोसिंह : मैंने आपको निवेदन किया है कि इस वक्त प्रस्ताव किया गया है और धनराशि मिल जायगी।

श्री दौलतराम सारण : मैंने पूछा उसका उत्तर दें। विभाग ने बजट में रकम के प्रावधान के लिये प्रस्ताव ही नहीं किया इसलिए रकम मन्जूर नहीं हो सकी, क्या यह सही है ?

श्री माधोसिंह : मैं आपको निवेदन करूं कि हर वर्ष हम राशि विभाग के लिए प्रावधान करने की कोशिश करते हैं। जब पैसे की कमी होती है तो जरूरी काम के लिए ही पैसा दिया जाता है और उस काम के लिए पैसा नहीं दिया जा सकता है। मैंने अर्ज किया कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में

Page No 13

(श्री माधोसिंह)
इसके लिए 1,70,000 रुपया मन्जूर हुआ था। उसके बाद में उसके ऊपर पैसा नहीं दिया गया, क्योंकि धनाभाव था और बहुत जरूरी काम थे उनको करना था तो इसके लिए पैसा नहीं रखा गया था। तो इस वर्ष में पैसा देने का प्रावधान किया गया है।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि अर्थाभाव के कारण पूर्ण नहीं हो सकी तो क्या 63 के बाद में कोई नई सड़क का निर्माण नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री दिग्विजयसिंह : अर्थाभाव के कारण सड़क पूरी नहीं की जा सकी तो उसके बाद में कोई नई सड़क बनी है क्या ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री दौलतराम सारण : 63 के बाद में अनेकों नई सड़कें बनी हैं और एक तरफ जो सड़क चालू है उसके लिए अर्थाभाव है ?

श्री दिग्वजयसिंह : एक और निवेदन है कि क्या जालोर जिले के अन्दर अजगर रोड़ बनी है या इस प्रकार की कोई चीज है ?

श्री माधोसिंह : कोइ रोड नहीं बनी है। माननीय सदस्य गलत कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री दौलतराम सारण : मैंस रोड बनी है......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इसका स्पष्टीकरण आने दें।

श्री दिग्विजयसिंह : 62 के बाद में अर्थाभाव था तो नई सड़कें क्यों बनी ?

श्री रामचन्द्र आर्य : अर्थाभाव नहीं था अकलाभाव था।

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण हो जाय।

श्री नन्दलाल : क्या इसके अतिरिक्त और कोई दूसरी सड़कें नहीं बनी हैं ?

श्री दिग्विजयसिंह : क्या अजगर रोड जालोर में उस समय बनी ?

श्री अध्यक्ष : क्या कोई अजगर रोड़ नाम की सड़क माननीय सदस्य ने बताई है बनी है ?

श्री दिग्विजयसिंह : जालोर में यही नाम है इनका।

श्री माधोसिंह : यह रावराजा साहब ने बनाई होगी ठिकाने के टाइम में तो सोचेंगे। उनियारा जागीर के समय कोई टिड्डी रोड या अजगर रोड होगी....

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण आ रहा है।

श्री दिग्विजयसिंह : अभी तो मुझे क्वेश्चन करने का है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। उनका स्पष्टीकरण आने दें।

श्री माधोसिंह : इसके अलावा 63 के बाद में उन्हीं सड़कों का निर्माण हुआ है जो कि अत्यन्त आवश्यक समझी गई।

(श्री माधोसिंह)
तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद में जब अर्थाभाव था तो केवल उन सड़कों पर पहले काम किया गया जो कि राष्ट्रीय महत्व या स्टेट हैडक्वार्टर्स को जोड़ने वाली थीं। उन पर ज्यादा पैसा लगा है और उन पर काम किया गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या यह सही है कि मन्त्री महोदय के फार्म तक सड़क ले जाई गई है ?

श्री माधोसिंह : जी नहीं।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : इस सड़क को मुख्य मंत्री जी सुनें ··

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, श्री मेहता !

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह पूछना है कि 6 मील का टुकड़ा बना और उस पर 1,70 000 रुपये खर्च किया गया और उसके बाद में पैसा नहीं था इसलिए इस सड़क को पूरा नहीं बना सके तो यह 1,70,000 रुपया तो आपका व्यर्थ गया।

श्री माधोसिंह : तीसरे प्लान के अन्दर पैसा था उसके अनुसार पैसा खर्च किया गया और चौथे प्लान में पैसा नहीं था इसलिए नहीं किया गया। जैसे जैसे धनराशि उपलब्ध होगी यह कार्य हाथ में लिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

श्री जुझारसिंह (रामगंजमंडी) : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि सड़कों की प्रायोरिटी आप किस तरह से फिक्स करते हैं ? फर्स्ट फाइव इयर प्लान में नदारद, सेकण्ड फाइव इयर प्लान में नदारद, थर्ड फाइव इयर प्लान में नदारद उनको चौथे प्लान में डालने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : श्री गाड़िया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस वर्ष के अन्दर कितने मील लम्बी सड़क बनाये जाने का प्रावधान रखा है और कितने रुपये खर्च करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह।

श्री दिग्विजयसिंह : माननीय उप मंत्री जी ने मेरे प्रश्न को टालने की कोशिश की है। क्या 63 के बाद में अर्थाभाव के कारण और कई नई सड़कों का निर्माण किया है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : उत्तर दें।

श्री दिग्विजयसिंह : राव राजा साहब की आप बात करते हैं तो वे मंत्री नहीं थे।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह सड़क कितने वर्ष में कम्प्लीट हो जायगी। यह स्पष्ट कह दें।

श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय) : क्या नई सड़कें उन्हीं क्षेत्रों में बनी हैं जहां पर मंत्रियों के चुनाव क्षेत्र हैं ?

(विपक्ष से हियर, हियर)

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या यह सही है कि यह जब तक मन्जूर होगी और पैसा आयेगा और आगे सड़क बनेगा तब तक पीछे की सड़क पूरी बन जायगी।

Page No 15

श्री दौलतराम सारण : वह हो गई बरबाद।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, मंत्री महोदय।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप क्वेश्चन पूछ लेने दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज, माननीय श्री गाड़िया।

श्री देवीदत्त गाड़िया :

श्री नन्दलाल (किशनगंज) : मैं यह जानकारी चाहता हूं कि यह सड़क पूरी कब तक तैयार हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष : वह प्रश्न पूछ लिया गया।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या जब तक अर्थाभाव रहेगा तब तक आगामी वर्षों में दूसरी नई सड़कों का निर्माण कार्य नहीं किया जायगा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इतने प्रश्न हैं उन सब का उत्तर दे दें।

श्री माधोसिंह : माननीय सदस्यों ने इसके बारे में बड़ी उत्सुकता जाहिर की है। मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान में अर्थाभाव के कारण जितने जरूरी काम थे वे ही हाथ में लिये गये हैं। इसके अलावा धन की सुलभता और ज्यादा होगी तो और काम हाथ में लिये जायेंगे और पूरे किये जायेंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : प्रश्न यह है कि···

श्री दौलतराम सारण : यह कोई जवाब नहीं हुआ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या जो काम हाथ में लिये गये हैं वे पूरे किये गये हैं ? नहीं किये गये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री हंसराज : 23 वर्षों से वह सड़क अधूरी पड़ी हुई है।

श्री नंदलाल : अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। स्पष्टीकरण आ रहा है। स्थान ग्रहण करें।

माननीय मंत्री महोदय, इतने प्रश्न एक साथ आये हैं उनके स्पष्टीकरण में अर्थाभाव ही मत लगाइये। उनका स्पष्टीकरण करिये कि कम्पलीट हो सकती हैं या नहीं। आप इसको सम्पन्न नहीं करेंगे तो पीछे जो सड़क बनी है वह हवा में उड़ जावेगी।

श्री दौलतराम सारण : वह उड़ गयी है।

श्री अध्यक्ष : उनके स्पष्टीकरण से पूरा पता चल जायगा।

श्री माधोसिंह : इस पर राशि निर्धारित की जावेगी जिससे बनी हुई सड़क खत्म न हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप यह बतायें इस वर्ष कितने रुपये रखे हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय गाड़िया। अभी वे स्पष्टीकरण कर रहे हैं और आप व्यवधान डाल रहे हैं।

श्री माधोसिंह : मैं इस विषय में कोई आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हूं कि कितनी राशि दी जा सकेगी। और कितनी नहीं दी जा सकेगी।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, आपने भी इस को गम्भीरता से लिया और यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी है जो सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है। दिक्कत यह है अध्यक्ष महोदय कि प्रावधान तो रख दिया जाता है लेकिन उसको काम में नहीं लिया जाता है और इस कारण बने हुए काम बरबाद हो जाते हैं। धन को बेरहमी और अविवेक पूर्वक खर्च करने के भी कई उदाहरण दिये जा सकते हैं। इसलिये इसकी स्पष्ट सूचना दिलायी जाय और यदि इनके पास कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है तो इसको स्थगित किया जाय। धनाभाव में भी दूसरी सड़कें बनायी गई हैं क्या ? बनाई गई तो क्यों ? जब कि इस सड़क पर 1 लाख 70 हजार रुपया खर्च हो चुका है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। जन स्वास्थ्य मंत्री।

श्री नन्दलाल : यह कब बनी है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

ग्राम कात्यासनी की पेय जल समस्या

168. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कात्यासनी (मेड़ता तहसील) में इस समय भी पेय जल की समस्या है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्रीष्म ऋतु में यह समस्या भयंकर रूप धारण करेगी।

(3) सरकार वहां की पेय जल की समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठा रही है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

जन स्वास्थ्य मंत्री।

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा) : (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) इस ग्राम की व आसपास के अन्य 15 ग्रामों को मिला कर एक क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बनाई जा रही है। कात्यासनी ग्राम की जनसंख्या सन् 1961 की जनगणना के अनुसार 884 है अतः जन संख्या 2000 से कम होने के कारण यहां के लिये अलग से कोई नल योजना नहीं बनाई जा सकती।

श्री गोरधन सोनी : अध्यक्ष महोदय, 61 की जन संख्या बताई गई क्या वह आज के लिये उपयुक्त है। वहां पर दो हजार की जन संख्या है और हर साल भयंकर पेय जल की समस्या उत्पन्न होती है। कोई अब तक स्थायी योजना नहीं बनाई है। अब बनाई जा रही है तो 16 गांव हैं तो वे कौन कौन से हैं और कब तक इस पर अमल कर दिया जावेगा ?

श्रीमती सुमित्रा : 1971 की जन गणना की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं होगी तो 61 की तो बताऊंगी। गांवों के नाम हैं : पचासनी, पचलेरा, चनिया, चूड़िया, सोनपुरा, बरजटानी, कुचेरा, खाखा, बड़गांव ..

श्री रामकिशन (वैर) : यह कोई गांव बोल रही हैं या क्या बोल रही हैं ?

श्रीमती सुमित्रा : धनेरिया और सोडाई।

श्री गोरधन सोनी : इस योजना को कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा ?

श्रीमती सुमित्रा : योजना बनेगी तो पहिले फाइनेन्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन होगी तब बनेगी न ?

श्री गोरधन सोनी : गरमी में लोगों की क्या हालत होगी पानी के बिना उसके लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री गोरधन सोनी : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब भी नहीं आया है और पेय जल की समस्या है, तकलीफ है तो उसको कैसे हल करेंगे ? जवाब तो कोई आये ?

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है।

हथियारों का बेचान

169. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

पुलिस माल गोदामों से बेचे गये हथियारों के मामलों में जो रिपोर्ट सतर्कता आयोग ने प्रस्तुत की थी, उसके अनुसार किस किस राजपत्रित अधिकारी को नोटिस दिया गया है और उनके खिलाफ अन्य क्या कार्यवाही की गयी है ? जिन जिन राजपत्रित अधिकारियों को नोटिस दिये गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य गृह मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा): अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर नहीं आ पाया है इसलिये इसको आगे के लिये स्थगित किया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह कोई मध्यावधि चुनावों के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी करने का प्रश्न नहीं है। मैंने सवाल में स्पष्ट पूछा है कि पुलिस माल गोदामों से बेचे गये हथियारों के मामलों में जो रिपोर्ट सतर्कता आयोग ने प्रस्तुत की है, उसके अनुसार किस किस राजपत्रित अधिकारी को नोटिस दिया गया है और उनके खिलाफ अन्य क्या कार्यवाही की गई है ? जिन जिन राजपत्रित अधिकारियों को नोटिस दिये गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा कि यह प्रश्न 1966 में उठा था और उसके बाद इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री महोदय ने 11-4-66 को इसी सदन में यह आश्वासन दिया था कि हथियारों के घोटाले की जांच सतर्कता आयोग करेगा। सतर्कता आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। पांच वर्ष हो गया और उसके बाद अभी यह जानकारी ही चाही जा रही है कि सतर्कता आयोग की रिपोर्ट के बाद किन

Page No 18

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
किन अधिकारियों को नोटिस दिया गया है। यह प्रश्न मैंने पिछले साल मार्च में भेजा है। एक साल के बाद इस साल इसका नम्बर आया है। पिछले साल का बजट अधिवेशन निकल गया, मई, अक्तूबर और नवम्बर का निकल गया और आज इसका आखरी दिन है 12 अप्रेल को यह सेशन होगा या नहीं होगा यह भगवान जाने, तीन सेशन के बाद भी यह सरकार इसका उत्तर देने की स्थिति में नहीं है। स्थगित करना चाहिये यह प्रार्थना मंत्री महोदय ने की है वह केवल एक मात्र टालने की चाल है इसमें आई. ए. एस., आई. पी. एस. और कई अधिकारी फंसे हुये हैं, जिलाधीश और एस. पी. हैं। उन सबके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं, दोषी अधिकारियों को बचाने के लिये सतर्कता आयोग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसके अनुसार यह सरकार कोई एक्शन नहीं लेना चाहती है और उनको बचाना चाहती है।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति नहीं है। किसी भी अधिकारी को जो कि दोषी पाया जायगा उसको बचाने का कोई सवाल ही नहीं है। विभिन्न जिलों के कई जगह के जवाब आये और कुछ के नहीं आये हैं। सब की तफसील एकत्रित करने में थोड़ा समय लगेगा इसलिये इसका स्थगन चाहा है। जवाब देने में सरकार को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। ज्योंही सूचना मिलेगी सदन में इसका जवाब दे दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी यह प्रश्न इस सदन में कई बार आ गया है। अलग अलग रूप से आया है और कई बार चर्चायें भी हुई हैं। ऐसी स्थिति में पहले से इस प्रश्न पर तैयारी करनी चाहिये थी कि यह कभी भी आ सकता है।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय मुझे खेद है कि इसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : इसी विधान सभा के सत्र में ही उत्तर दे दिया जावेगा ?

श्री हीरालाल : जी हां, इसी सत्र में ही जवाब दे दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री शंकरलाल (जैतारण) !

कृषकों से सरचार्ज की वसूली

170. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पाली जिले के जैतारण सब-डिवीजन के किसानों की तरफ से सरचार्ज की अनुचित वसूली के सम्बन्ध में राज्य सरकार को शिकायतें पेश हुई थीं ? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व उप-मन्त्री (श्री गंगाराम चौधरी) : जी हां। जैतारण सब-डिवीजन के कुछ कृषकों द्वारा उप-खण्ड अधिकारी, जैतारण एवं तहसीलदार, रायपुर को कुछ शिकायती प्रार्थना-पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत किये थे

1.	बिरांटिया कलां	27-1-71
2.	धूलकोट	27-1-71

(श्री गंगाराम चोधरी)

3.	बिरांटिया कलां	1-2-71
4.	करमावास	1-2-71
5.	धूलकोट	1-2-71
6.	बिरांटियां कलां	22-2-71
7.	देवली कलां	18-3-71

इन प्रार्थना-पत्रों के निपटाने की कार्यवाही तहसीलदार, राय के स्तर पर चल रही है। शीघ्र निर्णय होने की संभावना है।

श्री शंकरलाल : प्रार्थना-पत्र जनवरी में पेश हुए थे। उसके बाद में उप मन्त्री जी को प्रार्थना-पत्र पेश किये गये। कलेक्टर को जांच के लिये भेजा क्योंकि यह आम शिकायत थी।

श्री गंगाराम चोधरी : जैसा मैंने निवेदन किया, ज़िलाधीश और तहसीलदार को हिदायत दे दी गई है कि वे इन प्रार्थना-पत्रों को जल्दी से निबटाएं। राज्य सरकार ने हाल ही में 25 फरवरी, 1971 को आदेश जारी किया है कि म्युटेशन तस्दीक न होने की वजह से यदि सरचार्ज बेशी बन गई है और म्युटेशन की दरख्वास्त पैंडिंग है, तो उसके निबटारे तक सरचार्ज की वसूली स्थगित कर दी जाये। इसलिये कृषकों को दिक्कत नहीं होगी।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि बहुत से गांवों में पुराने काश्तकार एक साथ रहते आ रहे हैं और वहां बन्दोबस्त खाते के अन्दर उनका नाम सम्मिलित है और सम्मिलित परिवार के रूप से नाम दर्ज है, लेकिन वास्तव में अलग अलग से काश्त कर रहे हैं, उन पर भी सरचार्ज ायम कर रहे हैं।

श्री गंगाराम चोधरी : यदि खाते सम्मिलित हैं, तो तहसील में सरचार्ज तो खाते के हिसाब से ही बनता है। यदि उन्होंने डिवीजन कर रखा है और इस प्रकार का ऐग्रीमेंट है, तो वे उस प्रकार की म्युटेशन के लिये दरख्वास्त दें, तो राज्य सरकार ने आदेश दे दिये हैं कि म्युटेशन तस्दीक कर दिया जाये और बाद में सरचार्ज कायम कर दिया जाये।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : म्युटेशन के अलावा भी खाते के अन्दर नाम तो अलग से लिखे हुए हैं, लेकिन हिस्से खोले हुए नहीं हैं, तो ऐसी हालत में क्या हिस्से बराबर माने जायेंगे? मौके पर तो हिस्से बांटे हुए हैं, लेकिन रेवेन्यू रेकार्ड में हिस्से खोले हुए नहीं हैं, तो ऐसी हालत में हिस्से बराबर माने जायें, क्या सरकार इस पर विचार करेगी?

श्री गंगाराम चोधरी : अध्यक्ष महोदय, 22 जनवरी, 1971 को रेवेन्यू डिपार्टमेंट से सभी कलेक्टर्स को आदेश जारी किया गया है कि जहां पर हिस्से खोले हुए नहीं हों पर कृषकों का कहना हो कि हमारे हिस्से अलग अलग हैं, तो उनकी दरख्वास्तों पर, कि हमारे हिस्से इस प्रकार हैं, म्युटेशन कायम कर दिया जाये और उसके बाद ही सरचार्ज कायम कर दिया जाये।

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : यह भी होना चाहिये कि यदि रेवेन्यू रेकार्ड में नाम दर्ज हों तो हिस्से बराबर माने जायें।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : यह जो सरचार्ज है, वह म्युटेशन की तारीख से माफ कर दिया जायेगा या दरख्वास्त देने की तारीख से?

Page No 20

श्री गंगाराम चौधरी : म्युटेशन तस्दीक होने की तारीख से ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री देवीदत्त गाड़िया !

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय यह बहुत इम्पोर्टेन्ट विषय है ।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : यह जो किसानों की तरफ से दरख्वास्त आने के लिये माननीय उप मन्त्री जी ने बात कही है, तो आम तौर से किसानों को जानकारी नहीं होती है, और जब सरचार्ज की वसूली होती है तब जाकर उन्हें मालूम होता है, तो क्या यह रेवेन्यू डिपार्टमेंट की रेस्पॉन्सीबिलिटी नहीं है कि तहसीलदारों और पटवारियों को हिदायत दें कि यदि नाम अलग अलग हों तो सरचार्ज वसूल नहीं किया जाये ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है ।

श्री शंकरलाल : जब तक जांच हो रही है, तब तक सरचार्ज वसूल नहीं किया जाये, क्या सरकार ऐसा आदेश नहीं देगी ?

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने पहले ही निवेदन किया कि सरकार ने हाल ही में 25 फरवरी, 1971 को सभी कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि जिन लोगों की म्युटेशन्स पेंडिंग हैं, उनकी तस्दीक होने तक सरचार्ज वसूल नहीं किया जाये ।

श्री पृथ्वीसिंह : आप कह रहे हैं कि म्युटेशन तस्दीक होने की तारीख से सरचार्ज वसूल नहीं किया जायेगा, लेकिन जिन लोगों ने पांच पांच और छः छः साल से दरख्वास्तें दे रखी हैं और उनकी एप्लीकेशन्स पेंडिंग हैं, उनके लिये आप क्या आदेश दे रहे हैं । क्या आप इसके लिये दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ? जिन अधिकारियों ने पांच और छः साल एप्लीकेशन्स पेंडिंग रखीं उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री रतनलाल रौत (चौरासी) : यह जो मन्त्री महोदय ने बताया कि आदेश जारी कर दिया गया है, उसका पालन नहीं हो रहा है । तो क्या मन्त्री महोदय ऐसा कोई आदेश निकालेंगे कि इसका सख्ती से पालन हो ।

श्री शंकरलाल : वसूली हो रही है ।

श्री गंगाराम चौधरी : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि सरचार्ज और म्युटेशन के बारे में सरकार ने हाल ही में आदेश निकाले हैं और उनमें हिदायत दी गई है कि यदि किसी कारण से म्युटेशन नहीं हुई हो और सरचार्ज वेशी कायम होती हो, तो म्युटेशन जल्दी से जल्दी तस्दीक किया जाये । उसके बाद 25 फरवरी, 1971 को दूसरा आदेश भी जारी किया गया है कि अगर म्युटेशन पेंडिंग हो तो सरचार्ज की वसूली नहीं की जाये ।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

(शोरगुल)

ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, सब एक साथ नहीं ।

श्री रतनलाल रौत : कोई म्युटेशन नहीं खोला जा रहा है । नियमों का कोई पालन नहीं हो रहा है ।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : जो अधिकारी इन आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे या नहीं? आपने तो आदेश भेज दिये होंगे, लेकिन ये आपके अधिकारी उनका पालन नहीं कर रहे हैं।

श्री रामसिंह कुड़ी : म्युटेशन कराये बिना ही सरचार्ज की वसूली की कार्यवाही हो रही है, कोर्ट से फैसले हो गये उसके बावजूद भी यह हो रहा है। यह कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी आता है, लेकिन तहसीलदार म्युटेशन मन्जूर नहीं करते।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है।

श्री पृथ्वीसिंह : मेरे प्रश्न का स्पष्टीकरण नहीं हुआ। पांच छः साल से जो एप्लीकेशन्स पेंडिंग हैं और तस्दीक होने में ढिले हुआ है, उसमें क्या एक्शन लेंगे।

श्री अध्यक्ष : यस, मंत्री जी।

राजस्व मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): जैसा अभी उप मंत्री जी ने निवेदन किया, इस प्रकार के आदेश जारी किये गये हैं, और इसमें और सख्ती कर दी जायेगी। जो केसेज पेंडिंग हैं और उनमें कठिनाई जरूर थी, उसके लिये आदेश भी जारी किये हैं और आर्डिनेन्स भी निकाला है। आदेश बहुत स्पष्ट है, और आर्डिनेन्स भी हाउस के अन्दर आया हुआ है। जहां पर ठीक तरह से पालन नहीं हो रहा है, वहां और सख्ती से लागू कर दिया जायेगा।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, नेक्स्ट।

श्री देवीदत्त गाड़िया !

अप्रोच रोड के कार्य का ठेका

171. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बारां क्षेत्र की अप्रोच रोड, कोयला फतेहपुर रोड को डामर रोड बनाने का ठेका हो गया था ? यदि हां, तो किस किस ठेकेदार को किन किन टर्म्स व कन्डीशन्स पर कितने कितने रुपयों का ठेका कब कब दिया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या उक्त ठेकेदारों ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है ? यदि हां, तो अब तक कितना कितना कार्य हो गया है ? और पूरा कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

उप मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : अध्यक्ष महोदय, इसमें और जानकारी कर रहे हैं, इसलिये इसको स्थगित करने की कृपा करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न केवल यह था कि बारां क्षेत्र की अप्रोच रोड, कोयला फतेहपुर रोड की डामर रोड बनाने का ठेका हो गया था ? यदि हां, तो किस किस ठेकेदार को किन किन टर्म्स व कन्डीशन्स पर कितने कितने रुपयों का ठेका कब कब दिया यह सारा ही रेकार्ड राज्य सरकार के पास रहता है। मेरी समझ में नहीं आता इसमें ऐसी कौनसी जानकारी की बात रह गई। दूसरा प्रश्न यह था कि उक्त ठेकेदारों ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है या नहीं, यदि हां, तो अब तक कितना कितना कार्य हो गया है और पूरा कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा।

श्री माधोसिंह : इसका उत्तर आया था लेकिन वह कम्प्लीट नहीं था । मैं माननीय सदस्य से वाकिफ हूं कि उनके कितने जवाब देने पड़ते हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप जानते हैं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इसका उत्तर कब तक दे देंगे ? मेरी जानकारी के अनुसार ठेकेदार यहां पर आये थे....

श्री अध्यक्ष : अगले टर्न पर ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ठेकेदार यहां आये थे और माननीय उप मंत्री जी से मिले थे ।

श्री माधोसिंह : यह गलत है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह सही है ।

प्रश्न संख्या 172

श्री अध्यक्ष : श्री भगवानदास शास्त्री ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 173

श्री रघुनाथ विश्नोई ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री आईदानसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 173 का उत्तर दिलवाया जाये । इसका उत्तर भी है या इसको भी पोस्टपोन करवायेंगे ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री आईदानसिंह : अध्यक्ष महोदय, इनके सभी प्रश्न पोस्टपोन होते जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री आईदानसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि 173 का भी उत्तर आया है कि नहीं । इसका उत्तर दिलवाया जाय ।

प्रश्न संख्या 174

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, यह सार्वजनिक हित का प्रश्न है, इसका उत्तर दिलवाया जाये ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री दुर्गालाल बाड़दार !

नीम का थाना तहसील में सड़क निर्माण कार्य

175. श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवा-महल, जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान निर्माण के बाद नीम का थाना तहसील में कितनी लम्बी सड़कों का निर्माण हुआ ?

(2) क्या इस तहसील के मध्य में शाहपुरा से रामपुरा चीपलाटा व गणेश्वर होते हुए सड़क बन जाने से इस अति अविकसित व पिछड़े क्षेत्र के विकास की सम्भावनायें बढ़ जायेंगी ?

(3) क्या इस प्रस्तावित सड़क के निर्माण हेतु जनता ने सरकार को अपने प्रार्थना-पत्र प्रेषित किये हैं ? यदि हां, तो

Page No 23

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
उन पर क्या कार्यवाही हुई और नहीं, तो क्यों नहीं हुई ?

(4) क्या सरकार ने चौथी पंच-वर्षीय योजना में इस सड़क निर्माण कार्य को हाथ में लेने हेतु सर्वेक्षण करवा कर योजना में शामिल किया है ?

(5) इस सड़क को गांवड़ी से शाहपुरा तक कब तक जोड़ दिया जावेगा ताकि इस क्षेत्र की आवागमन और पिछड़ेपन की गम्भीर समस्या दूर हो सके ?

(6) क्या सरकार इस सड़क निर्माण के लिये कोई निश्चित आश्वासन देने को तैयार है ? यदि हां, तो क्या ?

उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (1) सड़कों का तहसील वार ब्यौरा विभाग में नहीं रखा जाता है।

(2) जी हां।

(3) प्रार्थना-पत्र के बारे में इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(4) नीम का थाना से भूडोल शाहपुरा की ओर गणेश्वर के आगे सड़क निर्माण की योजना प्रारूप चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शामिल है।

(5) गांवड़ी से शाहपुरा रोड़ का कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

(6) जी नहीं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरा प्रश्न यह तो नहीं था कि तहसीलवार राज्य सरकार सड़क निर्माण करती है या नहीं। प्रश्न साधारण है, सिम्पल सा है, अमुक तहसील में कितनी बड़ी सड़क का निर्माण हुआ ? यह सवाल नहीं है कि फलां फलां तहसील में कितनी कितनी सड़क का निर्माण हुआ।

श्री माधोसिंह : माननीय सदस्य चाहेंगे तो इसकी जानकारी दे दूंगा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : चाहने का क्या सवाल है। यह मैंने पूछा है।

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न पूछ लीजिये, इसको रोक लीजिये। मैं इस पर निर्णय दे दूंगा। दूसरा प्रश्न पूछ लीजिये, इस पर अड़ने से क्या फायदा ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि जो सड़क का निर्माण करते हैं उसके लिये कोई स्पेसिफिक क्राइ-टेरिया आपने बना रखा है कि इस जिले में इतनी सड़क का निर्माण किया जायगा एक वर्ष में, इसमें इतनी इस प्रकार का कोई क्राइटेरिया है क्या ?

श्री माधोसिंह : इसके लिए पहले से निश्चित करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे जैसे जरूरत होती है, जिन्हें राज्य सरकार जरूरी समझती है, जो जनता की सुविधा के लिए ज्यादा जरूरी है उनको लेती है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : राज्य सरकार अपने स्वविवेक किस आधार पर काम में लेती है ?

श्री माधोसिंह : पंचायतों की ओर से प्रस्ताव आते हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : पंचायतों की ओर से प्रस्ताव जाते हैं, मैं यही पूछ रहा हूं कि किसकी मांग को किस आधार पर स्वीकार करते हैं और किसकी मांग को किस आधार पर अस्वीकार करते हैं ? आपका क्या क्राइटेरिया है - यह मैं जानना चाहता हूं। क्या कोई क्राइटेरिया नहीं है, जो जैसी मर्जी में आये वैसे कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समझ लिया है।

श्री माधोसिंह : सड़क के निर्माण में यह बात देखी जाती है कि जिला मुख्यालय या सब-डिवीजनल मुख्यालय या तहसील मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क है, ऐसी सड़क को लेने की कोशिश की जाती है। उसके बाद बड़े बड़े क्षेत्र हैं, यह कृषि प्रधान क्षेत्र है जहां से माल बाहर जाने का जरिया हो या औद्योगिक क्षेत्र है—उसको मद्देनजर रखते हुए की जाती है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या यह सही है, प्रश्न नम्बर 2 में पूछा है उसमें बड़े बड़े गांवों के नाम दिये हैं और वह सब-डिवीजनल हैड क्वार्टर और तहसील को जोड़ने वाले हैं, वहां व्यापार होता है, कारोबार भी होता है। क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी ने इस दृष्टिकोण से विचार किया है ?

श्री माधोसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सड़क के पास में चार मील पर एक सड़क और बनी हुई है, इसलिए आवश्यकता नहीं है कि सड़क के चार मील के फासले पर दूसरी सड़क बनाई जाय। वह सड़क नीम का थाना, शाहपुरा, गोविन्द रामपुरा से जाती है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इस चार मील की दूरी पर बनी सड़क पर कौन कौन से बड़े बड़े गांव पड़ते हैं, किन किन बड़े बड़े गांवों को जोड़ती है ?

श्री माधोसिंह : वह मैटल रोड बनी हुई है, वह पहले से बनी हुई है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : पहले से बनी है या बाद में बनी है—यह प्रश्न नहीं है, उस पर कौन कौन से गांव पड़ते हैं ?

श्री माधोसिंह : गांवों के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री केसरीसिंह !

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : एक प्रश्न ! क्या यह सही है, माननीय मन्त्री जी ने यह कहा कि सड़क बनी हुई है तो वह सड़क गणेश्वर होकर भी जाती है ?

श्री माधोसिंह : वह सड़क ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : गणेश्वर होकर जाती है ?

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : मन्त्री जी वहां कभी गये हैं ?

श्री अध्यक्ष : गणेश्वर क्या है ?

श्री भैरोंसिंह : वह कह रहे हैं कि यह सड़क बनी हुई है···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गोबर गणेश का गांव है।

श्री भैरोंसिंह : तो वह बतायें कि गणेश्वर होकर जाती है ?

श्री माधोसिंह : गोविन्द रामपुरा होकर जाती है....

श्री भैरोंसिंह : इस गांव में होकर जाती है ?

श्री माधोसिंह : गोई होकर जाती है, श्यामपुर होकर जाती है....

श्री अध्यक्ष : गणेश्वर है या नहीं ?

श्री माधोसिंह : गणेशन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री केसरीसिंह हाड़ा !

प्राचीन चित्र व मूर्तियों की चोरी

176. श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में गत दो वर्षों में प्राचीन चित्र व मूर्तियों की चोरी का दौर रहा है ?

(2) गत दो वर्षों में राज्य में कुल कितनी मूर्तियां कहां कहां से चोरी गई और कितने चित्रों तथा मूर्तियों को क्या पुलिस बरामद कर सकी ?

(3) ग्राम हिन्डोली व देवभर से चोरी गई मूर्तियों को क्या पुलिस बरामद कर सकी ?

(4) क्या यह सत्य है कि फरवरी, 1970 में पुलिस द्वारा भीलवाड़ा में एक जैन मूर्ति चोरी करने वाले को पकड़ा गया ? क्या पुलिस उससे और भी मूर्तियों को बरामद कर सकी ?

(5) क्या यह सत्य है कि मूर्तियां व चित्रों की चोरी करने वालों का कोई गिरोह है जिसे विदेशी सहायता प्राप्त होती है ? यदि हां, तो क्या उसकी भी पुलिस ने जांच की है ?

राज्य मन्त्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है इसलिए इसको स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

प्रश्न संख्या 177

नेक्स्ट ! श्री लादूराम सुलानिया !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री दिग्विजयसिंह !

सीलिंग कानून के अन्तर्गत वकीलों की नियुक्ति

178. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि सीलिंग कानून के तहत अधिकतम जोत तय कराने के सम्बन्ध में हर जिले में राज्य सरकार ने सरकारी पैरवी हेतु वकील नियुक्त किए हैं ? यदि हां, तो किन किन जिलों में किस किस को नियुक्त किया गया है ? तालिका जिलेवार सदन की मेज पर रखें। इन्हें कितनी तनख्वाह पर नियुक्त किया है ?

(2) यह नियुक्तियां किस कार्य को ध्यान में रख कर की गई हैं ?

(श्री दिग्विजयसिंह)

(3) क्या यह सत्य है कि अधिकतर जो सरकारी वकील नियुक्त किये गए हैं वे कांग्रेस (नई) के सदस्य हैं ?

(4) अब तक अधिकतम जोत के कितने केस तय कर दिये गए हैं ?

उप मंत्री, विधि (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के सम्बन्ध में सारी सूचना एकत्रित करने में समय लगेगा, इसलिए इसको स्थगित किया जाय।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसका आप मुलाहिजा करें, इसमें क्या सूचना एकत्रित करनी है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : खण्ड चार की सूचना एकत्रित करने के लिए समय चाहिए।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया ! नेक्स्ट !

श्री दिग्विजयसिंह : अगले टर्न पर इसका जवाब दिला दिया जाय।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : ऐसा प्रयत्न किया जायेगा।

प्रश्न संख्या 179

श्री अध्यक्ष : श्री हरलालसिंह खर्रा !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री केसरीसिंह हाड़ा !

नामांकन कार्य

180. श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील केशोरायपाटन में सरकार ने किस तारीख के आदेश द्वारा काश्तकारों के नामांकन बन्द किये ? आदेश की एक प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा नामांकन बन्द कर देने के कारण काश्तकारों को आर्थिक हानि हुई है ?

(3) क्या यह सत्य है कि पिता की मृत्यु के बाद पुत्रों के नाम भी नामांकन नहीं किया जाता इसके कारण काश्तकारों को सरचार्ज चुकाना होता है ?

(4) क्या यह सत्य है कि तहसीलदार अदालती फैसलों के आधार पर नामांकन करता है अन्यथा नहीं ?

(5) सरकार पुनः इस तहसील में नामांकन कार्य कब से शुरू करेगी और यह कब तक पूरा हो सकेगा ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की सूचना हाल ही में प्राप्त हुई है, इसलिए इसका जवाब अगले टर्न पर दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री केसरीसिंह : लास्ट सेशन में यह दे दिया था, अध्यक्ष महोदय, फिर भी अभी तक सूचना नहीं आई है।

प्रश्न संख्या 181

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री लादूराम सुलानिया !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री गंगासहाय !

गैर मुमकिन शोर के खातेदारी अधिकार

182. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गैर मुमकिन शोर के खातेदारी अधिकार किसी को भी नहीं दिये जा सकते ?

(2) क्या यह भी सही है कि गैर मुमकिन शोर खसरा नम्बर 568 व 569 पटवार सर्किल भोजपुर, जिला अलवर के खातेदारी अधिकार किसी व्यक्ति को दिये गये हैं ? यदि हां, तो वह व्यक्ति कौन है और उसे किस आधार पर उक्त अधिकार दिये गये हैं ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां, यह सही है। गैर मुमकिन शोर पर खातेदारी देने के नियम नहीं हैं।

(2) यह सही नहीं है, क्योंकि खसरा नं. 568 व 569 ग्राम भोजपुर गैर मुमकिन शोर नहीं है बल्कि चिकनोट शहरी है जो पूर्व से ही बिस्वेदारी व खातेदारी के नम्बर हैं चालू रेकर्ड में श्री हरीशचन्द्र पुत्र भोलानाथ ज्योतिषी की खातेदारी के हैं जो कर्नल अमरसिंह की खुदकाश्त में से खरीदे हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

गृह निर्माण के लिये ऋण

183. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर नगर में गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत दिये गये ऋण के दुरुपयोग व उपयोग के झूठे सर्टिफिकेट देने के मामले कितने हैं ? इनकी पूर्ण विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें, जिसमें प्रमाण-पत्र देने वाले व्यक्ति का नाम भी दर्ज किया जावे।

(2) क्या यह सही है कि जिलाधीश द्वारा इन व्यक्तियों को इस बाबत नोटिस भी दिये गये थे ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही की गई है ?

उप मंत्री, नगर आयोजना (श्री खेतसिंह): (1) झूठे सर्टिफिकेट देने के चार मामले अब तक पाये गये हैं। जिनकी सूची मय विवरण के सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या है सूची, जरा बता दीजिये।

श्री खेतसिंह : (2) जी हां। इन चारों व्यक्तियों को नोटिस दिये गये थे, दी हुई रकम मय ब्याज के वसूल करने के लिए पी. डी. आर. एक्ट के तहत व विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : सूची क्या है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : झूंठे सर्टिफिकेट व प्रमाण-पत्र देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री खेतसिंह : झूंठे सर्टिफिकेट देने वालों में से तीन तो राजकीय कर्मचारी नहीं हैं, एक राजकीय कर्मचारी है, उसके सम्बन्ध में डिपार्टमेंट को लिख दिया गया है और तीन के खिलाफ पी. डी. आर. के अन्तर्गत कार्यवाही हो रही है, प्लॉटों की नीलामी की जा रही है और वसूली की कार्यवाही की जा रही है। जिन्होंने झूंठे सर्टिफिकेट दिये वह ओवरसियर हैं, जिनके सम्बन्ध में पी. डब्ल्यू. डी. को लिख दिया गया है कि इन्होंने झूंठे सर्टिफिकेट दिये हैं, इस कारण लोन उठाया है, लिहाजा विभागीय कार्यवाही की जाय और इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कब लिखा गया है ?

श्री खेतसिंह : अलग अलग केसेज में अलग अलग तारीख को लिखा गया है। पहले केस के अन्दर जो सर्टिफिकेट श्री नारायणस्वरूप माथुर, दुर्गापुरा ने दिया वह महेशनारायण ओवरसियर ने सर्टिफिकेट दिया था। इसके सम्बन्ध में 9-3-70 को लिख दिया गया है कि इनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। विभाग को सूचित कर दिया गया है।

दूसरा केस है, श्री सत्येन्द्रकुमार पारीक ब्रह्मपुरी, सर्टिफिकेट देने वाले हैं ओवरसियर रवीन्द्रनाथ, इसके सम्बन्ध में 19-8-70 को लिख दिया गया है कि इनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

तीसरा व्यक्ति है श्री राजबहादुर सक्सेना आमेर रोड, सर्टिफिकेट देने वाले ओवरसियर है वह रोडवेज के कर्मचारी हैं। उनको भी लिख दिया गया है, 12-3-70 को लिख दिया गया है कि इनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

चौथा है, मालीराम ब्रह्मपुरी, सर्टिफिकेट देने वाले ओवरसियर हैं महेश नारायण, दो केस हैं जिनमें इन्होंने सर्टिफिकेट दिया है, लिहाजा दोनों केसेज को रेफर कर दिया गया है, पी. डब्ल्यू. डी. को लिख दिया गया है विभागीय कार्यवाही के लिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिन लोगों ने सरकार को धोखा देकर गलत आधार पर ऋण प्राप्त किया है, उनके खिलाफ प्रासीक्यूशन की कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री खेतसिंह : नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं है कि इस तरह से किसी ने कोई पैसा लिया है तो उनके खिलाफ प्रॉसीक्यूशन की कार्यवाही की जाय, उनमें यह है कि मय ब्याज के, पैनल इन्ट्रेस्ट के रकम वसूल की जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार का नियमों में संशोधन करने का विचार है, क्या संशोधन क्या है ?

श्री खेतसिंह : आपका सुझाव बहुत माकूल है, इस पर विचार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! स्थगित प्रश्न ! श्री फूलचन्द बाफना !

स्थगित प्रश्न

(23-3-71)

ग्राम चाणोंद के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के लिये पानी की सुविधा

65. **श्री फूलचन्द बाफणा** (सुमेरपुर) : क्या जल प्रदाय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चाणोंद ग्राम, (जिला पाली) पिछले कुछ वर्षों से अकाल पीड़ित रहा है ?

(2) इस वर्ष इस ग्राम में अच्छी वर्षा हुई परन्तु क्या यह सही है कि इस ग्राम के अनुसूचित जन जाति (विशेषतया मीणा व भील जाति) तथा अनुसूचित जाति (विशेषतया मेघवाल) के परिवार इस अच्छी वर्षा का लाभ नहीं उठा सके क्योंकि इनके पास बैल नहीं होने से ये खरीफ फसल बो भी नहीं सके और रबी की फसल भी पूरी नहीं बो सके ?

(3) क्या यह सही है कि प्रति वर्ष चाणोंद में पीने के पानी का भारी कष्ट रहता आया है और बाबा गांव के ट्यूब वैल से (स्थाई नल योजना द्वारा) पानी लाकर चाणोंद की पानी समस्या का हल स्थायी तौर से किया जा सकता है ? यदि हां, तो यह कार्य सरकार द्वारा कब तक किया जायेगा ?

राज्य मन्त्री, जल प्रदाय (श्रीमती सुमित्रा) : (1) हां, चाणोंद ग्राम 5-6 वर्षों से अकाल पीड़ित रहा है।

(2) हां, यह सही है कि चाणोंद ग्राम में अच्छी वर्षा होने के बावजूद भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के परिवार बिना बैलों के वर्षा होने के बावजूद भी खेती से वंचित रह गये। कुल इस गांव में 60 मीणा जाति, 60 भांबी तथा 120 मेघवाल तथा जटिया जाति के व्यक्ति इस प्रकार कुल 250 परिवार हैं।

(3) जी हां, चाणोंद ग्राम की स्वीकृत जल प्रदाय योजना का कार्य निर्माणाधीन है और इस समय विभाग द्वारा खोदे गये कुए से उपलब्ध लगभग 3,000 गैलन पानी प्रति-दिन जनता को 6 टूंटियां वाले एक स्थाई सार्वजनिक नल द्वारा वितरण किया जा रहा है, जो मौजूदा जन संख्या के लिये अपर्याप्त है। अतः बाबा गांव के नलकूप से ग्राम चाणोद एवं आसपास के लगभग 7 और अन्य गांवों के लिए पेय जल उपलब्ध करने हेतु एक प्रारम्भिक क्षेत्र योजना बनाई गई है। विस्तृत योजना बनाये जाने के बाद ही आगे कार्यवाही की जा सकेगी।

श्रीमती सुमित्रा : अध्यक्ष महोदय....

श्री फूलचन्द बाफणा : इस उत्तर के लिये धन्यवाद। पर उस का जवाब नहीं आया जिसमे 250 परिवार बिना बलों के रह गये और खेती नहीं कर पाये। इसमें सरकार सावधान क्यों नहीं रही ?

श्रीमती सुमित्रा : इस प्रश्न का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध ही नहीं था। अब मैंने तो यों ही इसका जवाब दे दिया।

श्री अध्यक्ष ; प्रश्न समाप्त हुए।

दो स्थगित प्रश्न भी स्थगित किये गये

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

मौढ़न-काठूवास रेल्वे स्टेशन तक सड़क निर्माण कार्य

154. श्री अमीलाल यादव (बहरोड़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।—

(1) क्या राज्य सरकार की नीति हरियाणा की राजस्थान से लगी हुई सड़क से लिंक सड़क बनाने की है ?

(2) क्या काठूवास, तहसील बहरोड़ रेल्वे स्टेशन है और वह मौढ़न कस्बा से लगभग 2½ मील की दूरी पर सीधा है ?

(3) क्या राज्य सरकार मौढ़न से काठूवास रेल्वे स्टेशन तक लिंक रोड़ वित्तीय वर्ष 1971-72 में धनराशि स्वीकृत करके कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) अभी कोई योजना नहीं है।

(2) जी हां।

(3) विचाराधीन है।

नोटीफाइड एरिया कमेटी, सवाई माधोपुर

155. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई-माधोपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नोटीफाइड एरिया कमेटी सवाई-माधोपुर की स्थापना राज्य सरकार ने कब की और इसके क्षेत्र मे किन किन पंचायतों के क्षेत्र सम्मिलित किये गये ?

(2) क्या यह सही है कि नोटीफाइड एरिया में सम्मिलित पंचायत क्षेत्रों की ग्राम पंचायतें तो राज्य सरकार ने भंग कर दी किन्तु इनके सम्बन्धित रिकार्ड का चार्ज नोटीफाइड एरिया कमेटी को अब तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(3) इन पंचायतों का रिकार्ड नोटीफाइड एरिया कमेटी के कब तक सुपुर्द कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने विज्ञप्ति दि. 27-9-65 द्वारा नोटिफाइड एरिया कमेटी की स्थापना की थी।

नोटिफाइड एरिया कमेटी में ग्राम पंचायत आलनपुर, जटवाड़ा, शेरपुर व जीनापुर के क्षेत्र सम्मिलित किये गये।

(2) ग्राम पंचायत आलनपुर व जटवाड़ा को भंग कर दिया गया है।

ग्राम पंचायत शेरपुर व जीनापुर व शेरपुर के कुछ ग्राम ही लिये गये हैं। लिहाजा इन पंचायतों को भंग नहीं की गई है।

नोटिफाइड एरिया कमेटी को रिकार्ड का चार्ज दिये जाने की कार्यवाही दिनांक 11-1-71 से चालू है।

(3) यह उम्मीद है कि माह अप्रेल, 1971 में कार्यवाही पुरी हो जावेगी।

अकलेरा तहसील में भूमि पर अतिक्रमण के मामले

162. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अकलेरा तहसील में ऐसे कितने कृषक हैं जिन्होंने अनुचित रूप से राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है ?

(2) उक्त अतिक्रमण के कितने अभियोग तहसील में कितने अर्से से विचाराधीन हैं ?

(3) गत 4 वर्षों में जुर्माने अथवा पेनेल्टी के रूप में कितनी राशि किस किस वर्ष वसूल की गई? आंकड़े देने की कृपा करें।

(4) गत 4 वर्षों में कितने व्यक्तियों के मामले फैसले किये जा चुके हैं ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

हैण्डलूम उद्योग

172. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सूत के अभाव में राज्य में हैण्डलूम उद्योग बंद हो चुका है ? यदि हां, तो अभाव के क्या कारण हैं ?

(2) 1970 के वर्ष में राज्य में कितने हैण्डलूम उद्योग थे और अभी कितने चल रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) इस विभाग से सन् 1962 में हैण्डलूम उद्योग का कार्य सहकारी विभाग को हस्तानान्तरित कर देने के कारण विभाग यह सूचना उपलब्ध करने में असमर्थ है।

रूरल कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के अन्तर्गत निर्माण विभाग के खण्ड का हैडक्वार्टर

173. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर में अकाल सहायता कार्यों के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक खण्ड पिछले दो सालों से था ?

(2) क्या यह सही है कि अब जिला जालोर रूरल कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के तहत लिया गया है ? अगर हां, तो क्या जिला जालोर में इस प्रोग्राम के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग का खण्ड एडहॉक बेसिस पर रखा गया है ?

(3) क्या सरकार रूरल कन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग के परमानेन्ट खण्ड का हैडक्वार्टर रखना उपयुक्त समझेगी ? अगर हां, तो उपरोक्त खण्ड को स्थाई कब तक बना दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

(3) अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अतः खण्ड के अस्थाईकरण का प्रश्न नहीं उठता।

नगर विकास न्यास जयपुर में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के व्यक्ति का प्रतिनिधित्व

174. **श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के किस किस नगर विकास न्यास द्वारा अब तक कौनसी नगर विकास की जो स्कीमें बना कर चालू की गई हैं, उनमें अनुसूचित व जन जातियों के कितने व्यक्तियों को प्लॉटों पर कब्जा कराया गया है ?

(2) राज्य के किन किन नगर विकास न्यासों में अनुसूचित जातियों के सदस्य नामजद किये गये हैं ?

(3) क्या यह भी सच है कि नगर विकास न्यास, जयपुर का सरकार द्वारा पुनर्गठन करके अध्यक्ष व कुछ नये सदस्यों का नामजद किया गया है ? यदि हां, तो कब व उनमें अनुसूचित जाति का सदस्य नामजद नहीं किये जाने का क्या कारण है ?

(4) क्या सरकार पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों तथा नगर-पालिकाओं की भांति नगर विकास न्यासों मे भी अनुसूचित जातियों व जन जातियों का एक एक सदस्य नामजद करने की नीति तय करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सच है कि नगर विकास न्यास, जयपुर ने अब तक जिन स्कीमों से अनुसूचित जाति के लोगों को प्लॉट दिये हैं उनमे से अधिक का कब्जा नहीं दिया गया है ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

भवन निर्माण आदि की स्वीकृति में विलम्ब

177. **श्री लादूराम सुलानिया (फागी)**: क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि नगर विकास न्यास व नगर परिषद्, जयपुर द्वारा भवन निर्माण संबंधी आवश्यक स्वीकृति दिये जाने संबंधी कोई अवधि निर्धारित की हुई है ? यदि हां, तो कितनी अवधि में स्वीकृति मिल जानी चाहिये ?

(2) क्या यह सत्य है कि भवन निर्माण सम्बन्धी स्वीकृतियों के सैंकड़ों मामले वर्षों से नगर विकास न्यास व नगर परिषद जयपुर में पेंडिंग हैं ? यदि हां, तो कितने कितने और कितने वर्षों से ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(3) उपरोक्त मामले किन कारणों से वर्षों से अनिर्णित पड़े हैं ?

(4) इन मामलों को पेन्डिंग रखने के लिये कौन कौन व्यक्ति दोषी रहे हैं ?

(5) क्या सरकार की जानकारी में है कि इस प्रकार की स्वीकृति में विलम्ब किये जाने के कारण अवैध तामीरात की संख्या बढ़ती जा रही है ? इस संबंध में

(श्री लादूराम सुलानिया)
अवैध तामीरात के कितने मामले नगर-परिषद् व नगर विकास न्यास में चल रहे हैं ?

(6) जिन अधिकारियों द्वारा विलम्ब किये जाने के कारण अवैध तामीरात को प्रोत्साहन मिला है, क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये कोई कदम उठाने का विचार रखती है तथा इस सम्बन्धी आवश्यक आदेश शीघ्रातिशीघ्र देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

सूचना मिलने से एक माह में नगर-विकास न्यास द्वारा एवं इस ही प्रकार एक माह में नगरपरिषद् द्वारा निर्माण की स्वीकृति /अस्वीकृति का निर्णय ले लिया जाना चाहिए बशर्ते कि मानचित्र बाईलॉज के अनुसार हों तथा प्रार्थी द्वारा अन्य आवश्यक सूचना आदि अपनी मिल्कियत के सबूत प्रेषित कर दी गई हो।

(2) यह सही है कि कुछ मामले काफी समय से अनिर्णित पड़े हुए हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) अलग अलग कारणों से अनिर्णित पड़े हैं जैसे:—

(1) मानचित्र बाईलॉज के अनुसार प्रेषित नहीं किया जाना।

(2) मिल्कियत का सबूत पेश नहीं किया जाना।

(3) भूमि का उपयोग बदल दिया जाना।

(4) निर्माण कार्य योजनानुसार निश्चित स्टेट बैंक से नहीं किया जाना।

(5) सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण आदि।

(4) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(5) जी नहीं।

अवैध तामीरात स्वार्थ वश की जाती है।

इस समय नगरपरिषद्, जयपुर में अवैध तामीरात के 9279 मामले चल रहे हैं। अधिकांश मामले सार्वजनिक भूमि पर दबाव के हैं।

(6) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

नवलगढ़-झाझड़ सड़क पर डामर कार्य

179. श्री हरलालसिंह खर्रा (श्री माधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नवलगढ़ से झाझड़ ग्राम तक की सड़क पर डामर डालने का कार्य करने का ठेका किस ठेकेदार का व कितने रुपयों का किस तारीख को मंजूर हुआ ?

(2) उपरोक्त कार्य कब पूर्ण हुआ व क्या कार्य सही हुआ है ?

(श्री हरलालसिंह खर्रा)

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त कार्य के लिये जो रोड़ियां (पत्थर) लगाई गई वो ठीक नहीं थीं व उनको ए. ई. एन. झुंझुनूं द्वारा रिजेक्ट कर दी गई थी यदि हां, तो उन रोड़ियों का क्या हुआ और क्या पेमेन्ट उसके बाद भी पूरा कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों व किस आधार पर ?

उत्तर

(1) डामर कार्य का ठेका श्री नथमल मोदी को 48,600 रुपये दिनांक 13-8-68 को दिया गया था।

(2) उक्त कार्य दिनांक 20-1-71 को पूर्ण हुआ है। थोड़ा कार्य त्रुटिपूर्ण रहा है।

(3) जी नहीं, सहायक अभियन्ता ने (Ballast) रिजेक्ट नहीं किया है।

नगर क्षेत्र में गिरफ्तारियां

181. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार को विदित है कि टोंक जिले की पंचायत नगर पंचायत समिति, देवली के सरपंच श्री रतनलाल जैन ने नकली पुलिस फोर्स बना कर इस क्षेत्र के किसानों से करीब 3,000) रुपये ठग लिये ? यदि हां तो कैसे ?

(2) क्या यह सच है कि पैसे नहीं देने पर गरीब किसान श्री चन्दा की खड़ी फसल उखड़वा दी ?

(3) क्या यह भी सच है कि इस सिलसिले में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं पर सरपंच को गिरफ्तार नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं, राज्य सरकार के पास इस तरह की कोई रिपोर्ट या सूचना नहीं है।

(2) दिनांक 6-3-70 को श्री दुर्गा पुत्र चन्दा ढोली निवासी नगर की गेहूं की खड़ी फसल को छीतर आदि 12 मुल्जिमान ग्राम लच्छिमपुरा ने 11 अनजान व्यक्तियों की मौजूदगी में काट ली। लेकिन यह 11 अनजान व्यक्ति पुलिस की वर्दी में नहीं थे। इन व्यक्तियों का पता नहीं लग सका।

(3) श्री दुर्गा की फसल काट ले जाने के मु.नं. 8/69 धारा 147, 447, 323, 379, आई. पी. सी., पी.एस. उनियारा में पूरे 12 मुल्जिमानों को गिरफ्तार कर उनसे लूटी हुई गेहूं की फसल तथा उनके गाड़ी बैल आदि बरामद कर लिये तथा उनका अदालत में चालान भी ता. 30-12-69 को कर दिया। श्री रतनलाल सरपंच के खिलाफ इस मामले में किसी तरह की कोई शिकायत या सबूत नहीं था। अतः उनको गिरफ्तार करने या उनके खिलाफ दीगर कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

वृद्धावस्था पेंशन

152. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन नियम, 1964 के अन्तर्गत प्रति वर्ष राज्य भर में

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
कुल कितने व्यक्तियों को कितनी धनराशि सहायता के रूप में दी गई ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) जयपुर नगर में जिन लोगों को यह पेन्शन दी जा रही है उनके नाम व पते सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

राज्य खनिज निगम

153. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्थान राज्य खनिज निगम ने अब तक क्या क्या योजनायें हाथ में ली हैं और उनमें क्या क्या कार्य किये गये हैं ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) निगम ने विभिन्न प्रवृत्तियों में कितना कितना धन लगाया है जो कहां कहां से प्राप्त किया गया ?

(3) निगम की हिस्सा पूंजी कितनी है और किन किन से प्राप्त की गई है और कार्यशील पूंजी कितनी है ?

(4) शुरू से लेकर अब तक निगम को नफा या नुकसान क्या रहा ? वर्षवार विवरण प्रस्तुत करें ।

उत्तर

(1) पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । (परिशिष्ट 1)

(2) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है । (परिशिष्ट 2) ।

(3) निगम की हिस्सा पूंजी 5 करोड़ है और कार्यशील पूंजी 92.33 लाख है वह पूंजी राज्य सरकार द्वारा लगाई गई है ।

(4) प्रथम वर्ष जो कि मार्च 31, 1970 को समाप्त होता है उसमें निगम को 19,519 रु. का लाभ रहा, 1969-70 की वार्षिक रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है । द्वितीय वर्ष 31 मार्च, 1971 को समाप्त होगा तभी इस वर्ष के लाभ अथवा हानि का विवरण प्राप्त हो सकेगा ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई) ।

पुलिस चौकी हरमाड़ा

154. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पुलिस चौकी हरमाड़ा, थाना आमेर में दिनांक 11-8-1969 को गांव नीदड़ में भगवान सहाय रैगर के साथ टेवाराम मीना, स्वास्थ्य सहायक, केन्द्र जाहोता, परिवार नियोजन केन्द्र के द्वारा छुआ-छूत करने की रिपोर्ट श्री भगवान सहाय ने की थी ? यदि हां, तो उसके बारे क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सच है कि श्री भगवान सहाय ने इसकी सूचना राज्य मंत्री, समाज कल्याण को भी दी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(श्री जयनारायण खाबोदिया)

(3) क्या यह भी सच है कि पुलिस चौकी हरमाड़ा में श्री भगवान सहाय को बुला कर डराया धमकाया गया व रिपोर्ट वापिस लेने पर जोर दिया गया और बाद में वापिस नहीं लेने पर गवाहों के बयान बदल कर लिखे गये? यदि हां, तो हरमाड़ा चौकी के इन्चार्ज के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। ऐसी शिकायत दिनांक 13-8-69 को श्री भगवानसहाय, श्री हनुमानसहाय वर्मा मीना स्वास्थ्य सहायक परिवार नियोजन केन्द्र, जाहोता, पचायत समिति आमेर नि. ग्राम नीदड़ के विरुद्ध छुआछूत करने की चौकी हरमाड़ा में की थी इस पर अभियोग संख्या 47, दिनांक 13-8-69की धारा 3/4 छूआछूत एक्ट थाना आमेर में पंजीबद्ध किया गया था जिसमें अनुसंधान पर सबूत प्राप्त ना होने पर अदम सबूत में दिनांक 3-9-69 को एफ. आर. दी गई।

(2) इसका पुलिस विभाग से सम्बन्ध नहीं है।

(3) अब इसकी दुबारा तफतीश सी. आई. डी. के डीवाई. एस. पी. के रैंक के अफसर से कराने के आदेश दिये जा रहे हैं। क्योंकि गवाहों को डराने धमकाने का आरोप लगाया गया है।

ग्राम बामला में पुलिस चौकी

155. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बारां तहसील के ग्राम बामला में पुलिस चौकी स्थापित किए जाने संबंधित आदेश हो चुके हैं?

(2) यदि हां, तो ये आदेश कब हुए और पुलिस चौकी अब तक क्यों नहीं खुली और अब कब तक कायम हो जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है।

(2) बामला में पुलिस चौकी स्थापित करने के आदेश दिनांक 8-12-70 को हुए थे। चौकी शीघ्र ही चालू की जा रही है।

पुलिस थाना सांचोर व सरवाना में जीपों की व्यवस्था

156. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि पुलिस थाना सांचोर व सरवाना, जिला जालोर में जुर्म संख्या काफी अधिक हैं एवं थानों का हलका भी बहुत बड़ा है? अगर हां, तो क्या सरकार कानून व व्यवस्था ठीक तरह से चलाने की दृष्टि से उपरोक्त थानों में जीपें दिलाने का विचार रखती है? अगर हां, तो कब तक? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

(2) क्या सरकार उपरोक्त दोनों थानों के लिए अभी फिलहाल कम से कम एक जीप शीघ्र देने का विचार रखती है? अगर हां, तो कब तक? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

(3) क्या यह सत्य है कि जिला पुलिस अधीक्षक, जालोर ने कुछ जगह विशेष आर. ए. सी. की पोस्टें कानून व व्यवस्था की

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)
दृष्टि से कायम करने की सिफारिश की है ? अगर हां, तो कब ? ऐसी व्यवस्था कब तक करदी जावेगी ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि जिला जालोर में अस्थाई समय के लिए कानून व व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस का चलता फिरता विशेष दस्ता लगाने की सिफारिश पुलिस अधीक्षक, जालोर ने की है ? अगर हां, तो कब ? ऐसी व्यवस्था कब तक करदी जावेगी ?

(5) खेजड़ियाली पुलिस आउट पोस्ट का पुख्ता आउट पोस्ट कब तक कर दिया जायेगा ? क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में पहले भी आश्वासन दिया गया था ? अगर हां, तो कब ? अब तक इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

भ्रष्टाचार के मामलों की जांच

157. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा अब तक कुल कितने मामलों में जांच की गई है ?

(2) इनमें से कितने मामलों में चालान अदालत में पेश किया गया है ? सूची मय नाम, पद एवं आरोप के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

सेवा निवृत्त कर्मचारियों की पेंशन

158. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) सी. आई. डी. पुलिस, राजस्थान के स्पेशल ब्रांच के कर्मचारी 1970-71 में कितने रिटायर हुए हैं ?

(ख) उनमें कितने ऐसे केसेज हैं जिनकी पेंशन अभी तक नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1970-71 में पुलिस विभाग सी. आई. डी. (आई. बी.) के 15 अधिकारी एवं कर्मचारीगण राज्य सेवा से निवृत्त हुए हैं।

(2) इनमें से 12 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पेन्शन के मामले उनकी सेवा पुस्तिकायें अपूर्ण होने के कारण अभी तक तय नहीं हुए हैं।

नगरपालिकाओं के अधीनस्थ कर्मचारी

159. श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिकाओं में 24-11-63 के पूर्व नियुक्त सभी अधीनस्थ व लिपिक वर्गीय कर्मचारी राजस्थान नगरपालिका अधीनस्थ व लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1963 के सेवा के सदस्य हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और किस प्रावधान के तहत से सेवा में सदस्य नहीं हैं ?

Page No 38

(श्री रामचन्द्र वैद)

(2) क्या यह सही है कि इन सेवा नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इन सेवा नियमों में निर्धारित वेतन शृंखलायें कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अनुसार हो दी जावेगी? यदि नहीं, तो ऐसा कौनसा नियम है जिसके तहत सरकार शर्त अथवा प्रतिबन्ध लगा सकती है ?

(3) क्या यह सही है कि इन नियमों के तहत जिस अधिसूचना द्वारा 1-4-64 से वेतन शृंखलायें निर्धारित की गई हैं उस सूचना में सरकार ने वेतन शृंखलाओं को पुराने कर्मचारियों पर लागू करने के लिये कुछ शर्तें व प्रतिबन्ध लगाये हैं ? यदि हां, तो ये शर्तें व प्रतिबन्ध इन नियमों के किस प्रावधान के तहत लगाये हैं ?

(4) क्या यह सही है कि नगरपालिका रायसिंहनगर, सुजानगढ़ व चूरू ने दिनांक 1-4-64 से अपने अपने उन एसेसरों को इन नियमों में निर्धारित वेतन शृंखलायें देने के आदेश दिये थे जो कि इन नियमों के प्रभावशील होने से पहले ही नियुक्त थे ?

(5) क्या यह सही है कि इन उपरोक्त नगरपालिकाओं में से किसी नगरपालिका के ऐसे आदेश को सरकार ने स्थगित कर रखा है ? यदि हां, तो वह कौनसी नगरपालिका है ? और किस नियम के तहत ? स्थगित करने के बाद क्या उस आदेश पर आज तक कोई निर्णय लिया गया है ?

(6) क्या यह सही है कि इन उपरोक्त नगरपालिकाओं के इन एसेसरों को सरकार ने भी इन सेवा नियमों का सदस्य स्वीकार किया है ? यदि हां, तो किस तारीख और सन् से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

सरदारशहर में पक्का खुर्रा बनाने की व्यवस्था

160. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सरदारशहर के वार्ड नं० 6, 7, 9, 18, 3 और कुछ अन्य में वर्षा के पानी से बड़े बड़े खाल पड़े हुए हैं और इससे नागरिकों को बड़ी परेशानी है ? यदि हां, तो इन गड्ढों को कब तक भरवा कर ठीक करवा दिया जायगा ? आगे ऐसे गड्ढ न पड़ें, इसके लिये क्या पक्का खुर्रा बनाने की व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो कब तक यह काम हो जायगा? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

सरदारशहर कस्बा एक प्याले के आकार में बसा हुआ है चारों तरफ रेतीले टीबे है । हर बरसात में पानी से खाले माटी बहकर पड़ते है जिन्हें वापस भरवा रेत डलवा कर ठीक करा दिया जाता है इस समय ऐसे बड़े गड्डे नहीं पड़े हुए है जिससे आवागमन में नागरिकों को बड़ी परेशानी हो रही है ।

पालिका की आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं है कि खुर्रे बनवा सके तमाम कस्बे के खुर्रे बनाने में 5-6 लाख रुपये खर्च हो जाने का अनुमान है ।

चित्तौड़गढ़ जिले की शहरी व ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं

161. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में कहां कहां ग्रामीण क्षेत्रों में व शहरी क्षेत्रों में जल प्रदाय योजनायें चल रही हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जिन ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति सन् 1966-67 से लेकर 1970-71 तक के वित्तीय वर्षों में मिल चुकी है उनमें से कितनी योजनायें चालू होने के लायक हो चुकी हैं और जो नहीं हुई हैं उनका कारण बताया जाये और वे कब तक पूरी हो जायेंगी।

(3) उक्त जिले के किन किन ग्रामों द्वारा जल प्रदाय योजना के लिये 1970-71 में रकम जन सहयोग के रूप में जमा कराई गई है? और क्या उनकी स्वीकृति इस वर्ष में हो जावेगी? यदि नहीं तो कब तक स्वीकृति की आशा है?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) निम्न योजनाएं 1966-67 से 1970-71 के वित्तीय वर्षों में स्वीकृत हुई है:—

1. घोसुन्डा 2. बस्सी, 3. बेगूं, 4. सावा, 5. भादसोड़ा, 6. कनेर, 7. विजयपुर, 8. निकुम्भ, 9. अरनोदा

उपरोक्त योजनाओं में से क्रम संख्या एक से छः तक की योजनाओं का कार्य करीब करीब पूर्ण हो चुका है एवं वहां पर जल वितरण भी शुरू कर दिया गया है इसी तरह क्रम संख्या सात व आठ तक की योजनाओं का कार्य पूर्ण प्रगति पर है और आशा है कि इन स्थानों पर भी जल वितरण का कार्य जुलाई, 1971 तक शुरू किये जाने की सम्भावना है। जल योजना अरनोद की स्वीकृति अभी हाल ही में की गई है, तथा अगले दो वर्षों में निर्माण कार्य पूर्ण किया जा सकेगा।

(3) निम्न ग्रामों द्वारा जल प्रदाय योजना के लिए रकम जन सहयोग के रूप में जमा कराई गई है:—

1.	आकोला	3000/-
2.	मदेश्वर	5000/-
3.	सिंहपुर	5000/-
4.	गंगसर	6000/-
5.	बयाना	1000/-
6.	बम्बोरी	5000/-
7.	मण्डपिया	5000/-
8.	बसाहू	5000/-
9.	कामली	5000/
10.	सेती	4000/-

जी नहीं, स्वीकृति इस वर्ष में नहीं की जावेगी, योजनाएं बनाई जा रही हैं। उनको अन्तिम रूप दिया जाना अभी बाकी है। स्वीकृति के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

हाड़ेचा क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना

162. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि हाड़ेचा क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना की पानी की नई टंकी अब तक पूरी नहीं बनी है ? अगर हां, तो सीमेन्ट की नई टंकी कब तक बन कर तैयार हो सकेगी ?

(2) क्या यह सत्य है कि नई सीमेन्ट की टंकी का सिर्फ साढ़े चार सौ बोरी सीमेन्ट उपलब्ध नहीं होने से पिछले एक माह से काम बन्द पड़ा है ? अगर हां, तो क्यों ? वह सीमेन्ट विभाग द्वारा कब तक उपलब्ध करा दिया जावेगा ताकि टंका शीघ्र बन सके ?

(3) क्या जन स्वास्थ्य विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अकाल सहायता खंड जालोर से सीमेन्ट लेकर शीघ्र टंकी का कार्य पूरा कराने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं तो क्यों ?

(4) उपरोक्त टंकी पूर्ण होने पर सांचोर ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित सांचोर की ढ़ाणी की जनता को नल योजना द्वारा पीने का पानी कब तक उपलब्ध करा दिया जावेगा ? क्या यह सत्य है कि नल योजना से सांचोर की ढ़ाणी की जनता को पानी पिलाने का प्रस्ताव भेजा है यदि हां, तो कब ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही, की गई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, दिनांक 17-3-71 को टंकी पूरी हो चुकी है।

(2) जी हीं, प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) सांचोर की ढाणी को इस योजना से सम्बन्धित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम कीरवासी की रीजनल वाटर सप्लाई योजना

163. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम कीरवासी, तहसील लाडनूं, जिला नागौर की रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम में कौन कौन से गांव आते हैं और इसकी योजना कितने रुपयों की है तथा कितने रुपये खर्च हो गये तथा और कितना रुपया खर्च होगा ? पूर्ण विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस योजना से कब तक पानी देना चालू कर दिया जावेगा ?

(3) इस योजना में पड़ौस के और गांव योजना में शामिल किये जाने के लिये क्या प्रतिक्रिया अपनाई जायेगी तथा कितने गांव इसमें शामिल किये जायेंगे ?

उत्तर

(1) कुल 9 गांव आते हैं, योजना की लागत 10.45 लाख रुपये हैं। माह सितम्बर, 70 तक 8.64 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं और स्वीकृत योजना के अनुसार 1.90 लाख रु० और व्यय किये

(जन स्वास्थ्य मंत्री)
जायेंगे । पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) इस योजना से वित्तीय वर्ष 71-72 में पानी दिये जाने की सम्भावना है ।

(3) इस योजना में पड़ोस के और 6 गांवों को शामिल किये जाने के लिये प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है और ये भी आवश्यक धन राशि की उपलब्धि पर शामिल किये जा सकेंगे ।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

रामपुरा जागीर बस्ती में स्थित कुए

164. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रामपुरा जागीर, तहसील नीम का थाना में बस्ती के मध्य पेय जल के कितने कुएं हैं और उनका पानी क्या पीने के योग्य है और इनमें से कितने कुओं में वर्ष भर पानी रहता है ?

(2) राजस्थान निर्माण के बाद उक्त बस्ती में क्या मीठे पेय जल की समस्या के समाधान हेतु सरकार ने कोई कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि इस गांव के सम्पन्न और शिक्षित मिश्र परिवार के लोग विशाल हवेलियां और जायदाद छोड़ कर इस लिये अन्यत्र चले गये कि उन्हें पीने और अन्य उपयोग के लिये पर्याप्त पानी नहीं मिलता ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस परिवार में मृत होने वाली महिलाओं की संख्या अधिक है जिसका कारण बहुत कुछ जल समस्या व अभाव है ?

(5) क्या यह भी सही है कि पानी की कठिनाई के कारण नई पीढ़ी के लोग इस गांव में आना ही छोड़ते जा रहे हैं ?

(6) क्या राजस्थान निर्माण के बाद इस परिवार के लोगों ने अनेक अधिकारियों को मौके पर लाकर निरीक्षण करवाया और इस दिक्कत को दूर करने की प्रार्थना की ? यदि हां, तो कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

(7) क्या मिश्रों के मौहल्ले में स्थित कुए में पानी की व्यवस्था करवाने हेतु सरकार कारगर कदम उठाकर इस ग्राम की आधी बस्ती की पानी की समस्या को दूर करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विदित नहीं ।

(2) रायपुर जागीर (रामपुर जागीर नहीं) ग्राम की जन संख्या सन् 19 । की जनगणना के अनुसार 1701 है 2000 से कम जन संख्या होने के कारण इस विभाग द्वारा योजना बनाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

(3) ऐसी कोई जानकारी इस विभाग को नहीं है ।

(4) ऐसी कोई जानकारी इस विभाग को नहीं है ।

Page No 42

(जनस्वास्थ्य मंत्री)

(5) ऐसी कोई जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(6) ऐसी कोई जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(7) इसके लिए आवश्यक कार्यवाही पंचायत समितियां विकास विभाग द्वारा की जा सकती है, जिनके द्वारा गांवों में जिनकी जन संख्या 2000 से कम है कुआ बनाने का कार्य किया जाता है।

नगरपालिका कोष से स्वागत सत्कार

165. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: –

(1) क्या यह सत्य है कि नगरपालिका लाडनूं, जिला नागौर के एक सदस्य ने सरकार के पास यह शिकायत की थी कि नगरपालिका कोष से स्वागत सत्कार के लिये 2000) रु. की राशि पालिका कोष से खर्च की गई वह गैर कानूनी है ? यदि हां, तो कब और इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि नगरपालिका कानून में नगरपालिका कोष को खर्च करने के सम्बन्ध में कोई प्राथमिकतायें निर्धारित की हुई हैं ? यदि हां, तो किस प्रकार से ?

(3) क्या यह भी सही है कि स्वीकृत बजट से इस प्रकार का खर्चा करने का कोई प्रावधान नहीं था ? यदि हां, तो यह राशि कैसे खर्च की गई ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि जिस रोज यह राशि पालिका कोष से निकाली गई उस रोज हरिजन कर्मचारियों की तनख्वाह बकाया थी ? यदि हां, तो किन किन की कितनी और कब कब से ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(5) क्या सरकार यह महसूस करती है कि यह खर्चा गलत हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

झाड़ोल–सोम सड़क में आई भूमि का मुआवजा

166. श्री नाथूदास (फलासिया): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

झाड़ोल से सोम सड़क में किन किन किसानों की कितनी कितनी जमीन आई है और सरकार ने किन किन को मुआवजा चुकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

झाड़ोल से सोम सड़क पर 1967 से पूर्व ओरीजनल वर्क नहीं कराया गया है, वर्ष 67 से 70 तक उक्त सड़क पर भूमि अवाप्त नहीं की गई है और न मुआवजा चुकाया गया है।

जसनगर (नागौर) के पास नदी पर रपट का निर्माण

167. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जसनगर, जिला नागौर के पास नदी पर जो रपट बनी है उसका कार्य अपूर्ण है ?

(श्री गोरधन सोनी)

(2) क्या यह सही है कि इस अपूर्ण कार्य के कारण इस रपट का कोई उपयोग नहीं होता है ?

(3) सरकार इस रपट का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिये तैयार है।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

कोटा-बारां-शिवपुरी सड़क पर मरम्मत का कार्य

168. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा-बारां कस्बा थाना व शिवपुरी सड़क स्थान स्थान पर टूटी हुई है व खराब हालत में पड़ी हुई है ? यदि हां, तो किस किस स्थान पर सड़क की हालत कितने कितने समय से खराब पड़ी है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ? यह सड़क कब तक ठीक हो जायेगी ?

(2) क्या यह सही है कि कोटा-बारां-शिवपुरी सड़क एक महत्वपूर्ण सड़क है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त मार्गों में ग्राम पलायथा के पास काली सिन्ध नदी की एक लम्बी पुलिया है जिस पर एक स्थान पर अधिकतम पानी भरा हुआ है ? यदि हां, तो उक्त भरे पानी पर पक्की पुलिया कब तक बन जावेगी ?

उत्तर

(1) कोटा-बारां सड़क का जो भाग कोटा खण्ड के अन्तर्गत है, उसके मील 3, 19, 21, 22, व 23 तथा झालावाड़ खण्ड में आने वाले कोटा-बारां कस्बा थाना व शिवपुरी रोड के मील भंवरगढ़ से आगे मील 65 से 91 तक मील 92 से 108 तक की दशा अधिक अच्छी नहीं है मील 65 से 75 तक 46,000) रुपये का ठेका दिया हुआ है। अर्थाभाव के कारण शेष सड़क की मरम्मत कब तक पूर्ण हो सकेगी, निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(2) जी हां।

(3) यातायात को थोड़ी कठिनाई होती है। पुलिया पर कुछ कार्य कराया जाना विचाराधीन है।

सरदारशहर स्टेशन से डिफेन्स रोड तक डामर का कार्य

169. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरदारशहर स्टेशन से डिफेंस रोड तक घांघड़े पत्थर से एक सड़क का टुकड़ा बना हुआ है जो बहुत ही टूटा फूटा पड़ा है और इस से काफी गाड़ियां आती जाती हैं ?

(2) सड़क के इस टुकड़े की लम्बाई क्या है और इस पर डामर करने की लागत का अनुमान क्या है ?

(3) सड़क के इस, इतने महत्वपूर्ण टुकड़े पर अब तक डामर न करने के क्या कारण हैं ? अब कब तक इसका काम पूरा हो जायगा ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

अलवर स्थित सरकारी भवन

170. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर में कुल कितने सरकारी भवन हैं ?

(2) प्रत्येक भवन के संधारण पर कितना रुपया प्रतिवर्ष खर्च होता है ?

(3) इन भवनों के संधारण पर गत पांच वर्षों में कितना खर्चा हुआ, तथा इनसे किराये की प्रति वर्ष कितनी आमदनी हुई है ?

उत्तर

(1) अलवर में कुल 57 सरकारी रिहायशी भवन हैं।

(2) अलवर के समस्त रिहायशी भवनों के संधारण पर प्रतिवर्ष भवन की कीमत का 1% रुपया व्यय किया जाता है ?

(3) इन रिहायशी भवनों की मरम्मत पर गत पांच वर्षों में 1,00,585/- रुपये खर्च हुआ है तथा इन भवनों से प्रति वर्ष 39,986.04/- रुपया की आमदनी होती है।

गवर्नमेन्ट डिस्पेन्सरी, डीग का भवन

171. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गवर्नमेन्ट डिस्पेन्सरी, डीग की इमारत सरकारी सम्पत्ति है ?

(2) क्या यह सही है कि इस डिस्पेन्सरी की चार दीवारी का उपयोग कई दुकानदारों ने अपनी दुकान की पिछली दीवार के रूप में कर रखा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस इमारत की एक दीवाल का उपयोग एक निजी मेडिकल स्टोर ने भी अपनी दुकान की दीवार के रूप में कर रखा है ?

(4) क्या डिस्पेन्सरी की दीवार का उपयोग करने की अनुमति उक्त मेडिकल स्टोर द्वारा प्राप्त की हुई है ?

(5) यदि नहीं, तो सरकार ने उक्त स्टोर तथा अन्य दुकानदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह सही नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

(5) प्रश्न नहीं उठता।

तहसील छीपाबड़ौद की काबिल काश्त जमीन पर आबादी हेतु बनाये गये मकान आदि

172. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छाबड़ा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील छीपाबड़ौद के पटवार सर्किल छीपाबड़ौद के अधीन आने वाले राजस्व एरिये में से

(श्री प्रेमसिंह सिवची)

कितनी ही काबिल काश्त बाड़ियां, खेतों आदि में आबादी हेतु मकानात, फेक्ट्रीयां बन गई हैं ? यदि हां, तो कितनी ऐसी काबिल काश्त जमीनें हैं जहां आबादी के लिये मकानात बने हैं तथा कितनी बाड़ियों या खेतों में फैक्ट्रियां चल रही हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही हो रही है या हो चुकी है ?

(2) क्या सरकार इस प्रकार की जमीनों में बनी हुई इमारतों व फैक्ट्रियों की जमीनों के मामलों का नियमन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि तहसील छिपाबड़ौद के पटवार क्षेत्र छीपावड़ौद के अन्तर्गत 9 बीघा 5 बिस्वा खातेदारी कृषि भूमि में 32 रिहायसी भवन, 2 फैक्ट्री एवं एक चक्की अनाधिकृत रूप से बना लिये गये हैं। इनके मामले तहसील में विचाराधीन है। इस क्षेत्र में राजकीय सिवाय चक भूमि में 2 बीघा 8 बिस्वा क्षेत्रफल पर 18 व्यक्तियों ने अनाधिकृत रूप से कच्चे मकान निर्माण किये हैं जिनके मामले तहसील में विचाराधीन हैं। इनके अतिरिक्त 13 व्यक्तियों ने 1 बीघा 15 बिस्वा राजकीय सिवाय चक भूमि में भवन निर्माण कर लिये थे जिनकी बेदखली के आदेश दिये जा चुके हैं।

(2) निजी कृषि भूमि पर बनाये गये निर्माणों का नियमन राजस्थान भू-राजस्व ग्रामीण क्षेत्रों में कृषी भूमि का रिहायसी या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये परिवर्तन नियम, 1971 के अनुसार किया जावेगा।

अतिक्रमण करने वाले काश्तकारों के कब्जे की भूमि का नियमन

173. श्री राम चन्द्र आर्य (नोहर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया कि 31 दिसम्बर, 1967 तक के अतिक्रमण करने वाले 2 लाख काश्तकारों के कब्जे की भूमि को रेगुलराइज कर दिया जावे ? यदि हां, तो कितने काश्तकारों के कब्जे नाजायज करार दिये गये और उन काश्तकारों में से कितने के रेगुलराइज किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रकार के अतिक्रमी काश्तकारों की भूमि बारानी क्षत्र में ही है ? यदि हां, तो नहरी क्षेत्र के काश्तकारों के साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया जा रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि नहरी क्षेत्र में जिन काश्तकारों को अतिक्रमी घोषित किया गया है, उनके कब्जे की भूमि उनके पुराने कब्जे की है ? यदि हां तो उनके साथ ऐसा बर्ताव किस कारण से किया जा रहा है ?

(4) क्या यह सही है कि जिला श्री गंगानगर में भूमिहीन व कम जमीन वाले काश्तकारों के कब्जे में सरकारी भूमि काफी सालों से है और उन काश्तकारों पर अनाप सनाप तावान भी कायम किया हुआ है ? यदि हां, तो इस प्रकार के कुल कितने काश्तकार हैं और उनके कब्जों में कुल कितने एकड़ भूमि है ?

(5) क्या यह सही है कि काफी तादाद में इस प्रकार के नाजायज कब्जों के बारे मे

Page No 46

(श्री रामचन्द्र आर्य)

मुकदमे चल रहे हैं ? यदि हां, तो कितने काश्तकारों के विरुद्ध मुकदमें राज्य सरकार व संबंधित तहसीलदारों व ए. डी. ओ. की अदालतों में चल रहे हैं ? क्या राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार के मुकदमों को समाप्त कर उनके कब्जों को रेगुलराइजेशन करने का विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो किस रूप में और नहीं, तो क्यों ? समस्त चल रहे मुकदमों की तहसील-वाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

ज्वाइन्ट खातेदारान से सरचार्ज की वसूली के संबंध में स्पष्टीकरण

174. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या कलेक्टर, नागौर ने ज्वईंट खातेदारान से सरचार्ज (ऑन लैंड रेवेन्यू) की वसूली के सम्बन्ध में राज्य सरकार से माह जनवरी, 1971 में कोई स्पष्टीकरण हेतु पत्र दिया ? यदि हां, तो उस पर विभाग ने क्या निर्णय लिया ?

उत्तर

जी हां, जिलाधीश, नागौर से माह फरवरी, 1971 में इस विषय का पत्र प्राप्त हुआ वह सरकार के विचाराधीन है और जल्दी ही निर्णय लिया जाकर जिलाधीश को सूचना भिजवा दी जावेगी।

पटवारियों के स्थानान्तरण

175. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि प्रशासन के हित में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एक राज्य कर्मचारी को एक स्थान पर तीन साल से अधिक नहीं रखा जाय ? अगर हां, तो इस प्रकार के कितने राज्य कर्मचारी जिला जालोर में तीन साल से अधिक एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं ?

(2) क्या सरकार जिला जालोर में तीन साल या इससे अधिक जो राज्य कर्मचारी एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, उनका शीघ्र स्थानान्तरण करना उपयुक्त समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं तो क्यों ?

(3) जिला जालोर में तीन साल या इससे अधिक सालों तक कितने पटवारी एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं ? ऐसे पटवारियों का स्थानान्तरण ऐसे स्थानों से कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। किसी एक राज्य कर्मचारी को साधारणतया एक स्थान पर कम से कम तीन साल तक रखे जाने के आदेश हैं जिला जालोर में तीन साल से अधिक एक ही स्थान पर जो राज्य कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनकी संख्या निम्न प्रकार है:—

1. शीघ्र लिपिक 1
2. वरिष्ठ लिपिक 5

Page No 47

(राजस्व मंत्री)

3. कनिष्ठ लिपिक 16

4. पटवारी 40

(2) जन गणना 71 एवम् मध्यावधि संसदीय चुनाव के कारण स्थानान्तर पर प्रतिबन्ध लगा हुआ था । अब चुनाव समाप्त हो चुके हैं, परन्तु जनगणना का कार्य शुरू है जो समाप्त होते ही माह अप्रेल अथवा मई, 71 में स्थानान्तरण किया जाना सम्भव होगा ।

(3) इस जिले में कुल 40 पटवारी ऐसे है जो तीन वर्ष तथा इससे अधिक अवधि तक एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं इनके स्थानान्तरण माह अप्रेल व मई, 71 में किये जाना संभव होगा ।

राजस्व निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची

176. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्व निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची में शामिल कई व्यक्ति मर गए हैं एवं अब भी उन्हें सूची से नहीं हटाया गया है ?

(2) क्या राजस्व निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची में शामिल व्यक्तियों में से कुछ व्यक्ति नायब तहसीलदार या सदर कानूनगो या सदर मुन्सरिमों के पदों पर पदोन्नत किये गये हैं ? यदि हां, तो कौन कौन व कब कब से ?

(3) क्या राजस्व निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची में सेटिलमेन्ट व कोलोनाइजेशन विभागों के व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है ?

(4) क्या राजस्व निरीक्षकों को वरिष्ठता सूची में शामिल व्यक्ति आज दिन तक तहसीलदार के पद पर पदोन्नत हैं ? यदि हां, तो कौन कौन ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जो व्यक्ति मर गये हैं उन मृतक व्यक्तियों का नाम सूची से हटा दिया गया है ।

(2) जी हां । सूची संलग्न है ।

(3) राजस्व निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची में सेटिलमेन्ट व कोलोनाइजेशन विभाग के जो निरीक्षक सम्मिलित होने योग्य हैं उन व्यक्तियों को सम्मिलित कर लिया गया हैं ।

(4) जिन व्यक्तियों को कार्यवाहक रूप से तहसीलदार के पद पर पदोन्नत किये गये हैं उनकी सूची संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कोटा में लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत चल रहे मामले

177. श्री नन्दलाल (किशनगंज): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला कोटा में राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत कितने कितने मामले चल रहे हैं ? तहसीलवार

(श्री नन्दलाल)
सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन मुकद्दमों में कितने कितने मुकद्दमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति व सवर्णों के हैं ? अलग अलग तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) इन मुकद्दमों में सन् 68-69 व 69-70 में कितने कितने जुर्माने तहसीलवार किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जिला कोटा की तहसीलों में 1:016 मुकद्दमें राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत चल रहे हैं, सूची संलग्न है।

(2) सूची संलग्न है।

( ) सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

कृषि भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तन

178. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जयपुर तहसील द्वारा किन किन व्यक्तियों की कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में अब तक नोटिस जारी किये गये और उनमें क्या प्रगति हुई ? सूची मय नाम, पते एवं नोटिस देने की तारीख व भूमि का क्षेत्रफल आदि सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

काश्तकारों को भूमि पर खातेदारी अधिकार

179. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 व 16 के अन्तर्गत तहसील उनियारा व देवली, जिला टोंक में कितने काश्तकारों को खातेदारी दी गई है ?

(2) क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व उनियारा ठिकाने के रिजम्पशन होने के साथ कई काश्तकार ऐसे थे जो उस समय 2011 में ही सिवाय चक भूमि पर काबिज थे ? यदि हां, तो उनकी कितनी संख्या थी ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि सम्वत् 2011 में जो भी काश्तकार सवाई चक भूमि पर यदि काबिज था तो उसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 व 16 के अन्तर्गत खातेदारी देनी चाहिये थी ? यदि उस समय दी गई, तो कुल कितनों को ?

(4) क्या इस सम्बन्ध में राजस्व मन्त्री जी को भी वहां के काश्तकारों ने यह निवेदन किया है कि जो लोग सम्वत् 2011

(श्री दिग्विजयसिंह)

से ही सवाई चक भूमि पर काश्त कर रहे हैं उनको खातेदारी नहीं दी गई है बल्कि उन पर 35 गुना पेनल्टी लगाई जाकर वसूली की जा रही है ?

(5) क्या सरकार इस विषय में दुबारा से सम्बन्धित तहसीलदारों को आदेश प्रदान करने का विचार रखती है कि जो काश्तकार 2011 से सवाई चक भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं उनकी अलग से सूची तैयार करा उन पर पेनल्टी की कार्यवाही रद्द की जाय और उन्हें धारा 15 व 16 के अन्तर्गत खातेदारी प्रदान की जाय।

उत्तर

(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 व 16 के तहत उनियारा तथा देवली में निम्न प्रकार खातेदारी दी गई है : धारा 15 के तहत—

उनियारा में 2104

देवली में 2415

धारा 19 के तहत उनियारा में 1405 देवली में 522 को खातेदारी दी गई है। धारा 16 के अन्तर्गत दोनों तहसीलों में किसी व्यक्ति को खातेदारी नहीं दी गई है।

(2) ठिकाना उनियारा के रिजम्पशन के समय तहसील उनियारा में 1450 ऐसे काश्तकार थे जो सम्वत् 2011 के पहले के काबिज थे। तहसील देवली में सम्वत् 2011 के पहले के सिवाय चक काश्त करने वाले 2415 काश्तकार पाये गये हैं।

(3) जी हां, यह सही है कि सम्वत् 2011 से लगातार अब तक सिवाय चक काश्त करने वालों को खातेदारी दे दी गई है। उक्त तहसीलों में अब तक 1927 व 4519 किसानों को खातेदारी दी जा चुकी है।

(4) उनियारा ठिकाना के काश्तकारों से राजस्व मंत्री को इस सम्बन्ध में निवेदन किया हो, ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र उपलब्ध नहीं है। सम्वत् 2011 के काश्त कर रहे सिवाय चक रकबे पर 35 गुना पेनल्टी तहसील उनियारा में वसूल नहीं की गई है। तहसील देवली में 1 सितम्बर, 1962 के पश्चात् अतिक्रमण करने वालों से 35 गुना पेनल्टी वसूल की गई हैं। सम्वत् 2011 से पहले सिवाय चक काश्त करने वाले काश्तकारों पर 35 गुना पेनल्टी नहीं लगाई है।

(5) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी किये परिपत्रों के अनुसार कार्यवाही होती है।

स्थगित प्रश्न

(17-3-71)

गंगानगर में ड्रेनेज का कार्य

15. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कस्बा गंगानगर में बनने वाले ड्रेनेज में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

(2) ड्रेनेज का कितना कार्य हो चुका है और कितना बाकी है ?

(3) शेष कार्य कितने समय में पूरा हो जायेगा।

(4) इस ड्रेनेज में कुल कितनी धनराशि खर्च होगी।

(श्री हंसराज आर्य)

(5) ड्रेनेज किस इन्जीनियर की देख-रेख में बन रही हैं ?

(6) क्या यह सही है कि इन ड्रेनेज निर्माण की कुछ शिकायतें वहां के नागरिक कर रहे हैं ?

(7) यदि हां, तो किस प्रकार की शिकायतें हैं।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न
(24-3-71)

बाड़मेर नगर में आबादी में परिवर्तित भूमि

70. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर नगर में श्री चतुर्भुज पुत्र बंशीधर अग्रवाल (अर्जीनवीस) की सन् 67 में भूतपूर्व एस. डी. ओ. श्री, जवानसिंह ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज सरकारी भूमि को कानून के विरुद्ध उनकी मान कर आबादी में परिवर्तित कर दी ? कृपया सम्बन्धित कागजात जिसमें पटवारी की रिपोर्ट एवं एस. डी. ओ. द्वारा किये गये फंसले आदि की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह मालिकाना हक मानना व भूमि को आबादी में परिवर्तन करने के आदेश कथित एस. डी. ओ. ने अपने स्थानान्तरण आदेश पारित होने के पश्चात् जारी किये हैं ? यदि हां, तो किस तिथि को ? कृपया दोनों तिथियों को बतलाई जाये ?

(3) क्या यह सही है कि इस भूमि के कुछ भाग में चूने के भट्टे बने हुए हैं जिन्हें जिलाधीश ने सन् 67 से कई वर्ष पूर्व सरकारी भूमि मान कर लीज पर दे दिया था ? यदि हां, तो किस तारीख को किन किन को लीज पर दी गई व कब कब का किराया वसूल किया।

(4) क्या यह सही है कि उक्त पार्टी ने जिलाधीश, बाड़मेर व राज्य सरकार को सन् 67 से पूर्व भूमि उसकी मानने का नोटिस दिया था व जिलाधीश ने उसे न मान कर हिदायत की थी कि वह अपना हक दीवानी अदालत से तय करावे ? उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) यदि यह सही है, तो श्री जवानसिंह, एस. डी. ओ. ने कथित भू-खण्ड को जिसकी कीमत लाखों की मानी जाती है। किस प्रकार उसी व्यक्ति श्री चतुर्भुज की मान कर आबादी में परिवर्तित किया ?

(6) क्या यह सही है कि बाड़मेर कस्बे का सैटलमैंट सन् 1955-56 के पूर्व हो चुका था व उस समय क्या उक्त पार्टी ने कानून में निहित अवधि में भूमि उसकी होने या आबादी होने का ऐतराज किया था ? यदि हां, तो उसका निर्णय क्या रहा ? यदि ऐतराज नहीं किया, तो अब तक इतने वर्षों के पश्चात् विशेष कर जिलाधीश द्वारा जब उसका पहले ही क्लेम खारिज कर दिया था व उसने दीवानी दावा नहीं किया तो एक अधीनस्थ एस. डी. ओ., श्री जवानसिंह ने किस प्रकार से ये आदेश पारित किये ?

(7) क्या यह सही है कि श्री जवानसिंह ने उक्त मालिकाना व आबादी में

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
परिवर्तित करने के आदेश पारित करने के पश्चात् श्री चतुर्भुज की गोठी ली थी ? जांच करा कर सही तथ्य सदन के समक्ष रखने की कृपा करें।

(8) जब भूमि राजस्व रेकार्ड में सरकारी गैर आबादी की दर्ज थी तो क्या केवल एस. डी. ओ. को यह अधिकार था कि वह इतना बड़ा क्षेत्र किसी प्राईवेट पार्टी को आबादी में बगैर राज्य सरकार की अनुमति किये परिवर्तित करें ?

(9) क्या उक्त अवैधानिक कार्यवाही करने के लिए जिम्मेवार अधिकारी के विरुद्ध राज्य सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

(10) क्या इस अवैधानिक कार्यवाही की राज्य सरकार को पूरी जानकारी है ? यदि हां, तो इस पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ? पूरी जानकारी दें।

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि बाड़मेर नगर में श्री चतुर्भुज पुत्र वंशीधर अग्रवाल को वर्ष 1967 में भूतपूर्व एस. डी. ओ. श्री जवानसिंह ने खसरा नं. 1514 में से 12)4 बीघा खसरा नं. 1510 में से 2।।) बीघा व खसरा नं. 1499 में से 16।)2 बीघा व खसरा नं. 1401/1 में से 10 बीघा कुल 41)1 बीघा भूमि आबादी की मानकर जरिये आदेश सं. 1827, दिनांक 16-6-67 से आबादी में परिवर्तित की थी। मामले में राजस्व मण्डल से जांच कराई जा रही है।

(2) भूतपूर्व एस. डी. ओ. श्री जवानसिंह ने उक्त आदेश 16-6-67 को जारी किया गया था। श्री जवानसिंह के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 5-7-67 को पारित हुए थे।

(3) जी हां यह सही है कि इस भूमि के कुछ भाग में भट्टे बने हुए हैं जो वर्ष 1967 से पूर्व से लीज पर दिये गये थे, लीज पर निम्नलिखित व्यक्तियों को दिया गया था। मूलचन्द, खैराजमल को खसरा नं. 1499 व 1501 में से भूमि दिनांक 28-6-66 से 5 वर्ष के लिये दी गई थी। इस भूमि का दो वर्ष का किराया वसूल हो चुका है। तत्पश्चात किराया वसूल नहीं किया जाता क्योंकि भूमि चतुर्भुज के नाम घोषित की गई।

(4) उपलब्ध रेकार्ड में ऐसा आदेश उपलब्ध नहीं है जिसमें यह वर्णन हो कि पार्टी चतुर्भुज ने उक्त भूमि को उसकी मानने के लिये जिलाधीश को प्रार्थना-पत्र दिया हो और जिलाधीश ने आदेश दीवानी अदालत में जाने के लिये दिया हो।

(5) ऐसा प्रतीत होता है कि श्री जवानसिंह एस. डी. ओ. द्वारा कथित भू-खण्ड को उसी व्यक्ति श्री चतुर्भुज का मानने का कारण यह हो सकता है कि उक्त पार्टी के पास जागीरदार का पट्टा था।

(6) यह सही है कि बाड़मेर कस्बे का सैटलमेन्ट 55-56 से पूर्व ही चुका था परन्तु उस पार्टी ने ऐसा ऐतराज नहीं किया कि उक्त भूमि उसकी है और आबादी में है। बाद सैटलमैन्ट की इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं चली। इतने वर्षों के पश्चात

Page No 52

(राजस्व मंत्री)

एस. डी. ओ. ने भूमि को परिवर्तित किया इसका हवाला एस. डी. ओ. के आदेश में दिया है कि धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू (आर. एस. आर.) एक्ट के अन्तर्गत जरिये नोटिफिकेशन एफ. 62 (183) रेवे/बी/56, दिनांक 17-9-56 के अधिकार एस. डी. ओ. को है तथा राज्य आदेश सं. एफ. 6 (2) रेवे./बी./आर. / 1/ 60, दिनांक 20-4-61 के अनुसार राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट से पहले की आबादी हेतु दी गई जमीन पर इस आदेश का प्रभाव नहीं पड़ता है। रिकार्ड से यह पता नहीं चलता कि जिलाधीश ने उसका क्लेम अस्वीकार किया था। और उसको दीवानी दावा करने के लिए हिदायत की थी। मामले की राजस्व मण्डल द्वारा जांच की जा रही है।

(7) ऐसा कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

(8) मामले की राजस्व मण्डल जांच कर रहा है।

(9) मामले में राजस्व मण्डल द्वारा जांच करायी जा रही है।

(10) मामले में राजस्व मण्डल द्वारा जांच की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न
(24-3-71)

पलायथा सड़क की मरम्मत

75. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि कोटा से अन्ता तक जो पक्की सड़क बनी हुई है उस सड़क पर पलायथा के पास कालीसिंध नदी के पुल व पलायथा ग्राम के बीच में जो सड़क है उस पर पानी भरा रहता है जिसकी वजह से यातायात को भारी असुविधा होती है ? यदि हां, तो सड़क की मरम्मत कब तक करवा दी जावेगी ?

उत्तर

जी हां, यातायात को थोड़ी असुविधा होती है। कच्चा मार्ग निर्माण करा दिया गया है जिससे यातायात गुजरता है। इस सड़क की मरम्मत का कार्य विचाराधीन है।

स्थगित-प्रश्न
(24-3-71)

झोटवाड़ा कस्बे में सार्वजनिक स्थान

76. श्री लादूराम सुलानिया (फागी): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर की तहसील जयपुर के झोटवाड़ा कस्बे में जो कि नगर परिषद् सीमा जयपुर का एक अंग है, कोई सार्वजनिक स्थान है ? यदि हां, तो क्या उनका उपयोग सार्वजनिक हित के लिये ही हो रहा है ? यदि हां, तो उन सार्वजनिक स्थानों के नाम, मोहल्ले का नाम, वर्तमान स्थिति आदि पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि इस कस्बे के सार्वजनिक स्थानों के निर्माण एवं मरम्मत आदि के लिये सम्बन्धित

(श्री लादूराम सुलानिया)

पंचायत समिति, पंचायत अथवा अन्य किसी संस्था, विभाग या जनता द्वारा अनुदान व चन्दा दिया गया है ? यदि हां, तो किस किस संस्था द्वारा कितना कितना व कब कब ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) वर्तमान में इन स्थानों पर किसका कब्जा है तथा क्या इन कब्जों के हटवाने के सम्बन्ध में स्थानीय जनता की ओर से सम्बन्धित विभागों से कोई कार्यवाही चलाई गई है ? यदि हां, तो क्या जनता की शिकायत पर अवैध कब्जे हटा दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार निकट भविष्य में झोटवाड़े कस्बे के सार्वजनिक स्थानों का ट्रस्ट बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

*(5) क्या सार्वजनिक स्थान में कुओं, धर्मशाला व स्कूल वगैरा भी शामिल हैं ? यदि हां, तो क्या उन पर तहसील जयपुर द्वारा किसी व्यक्ति को कब्जा देने के आदेश दिये गये हैं, जिनका जनता द्वारा विरोध लिखित रूप में किया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय दिया गया ? शिकायत पत्र की प्रति व उस पर की गई कार्यवाही की सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। क्या उक्त स्थानों को नीलाम करने हेतु तहसील जयपुर ने नोटिस भी जारी किया है ? यदि हां, तो किन किन निर्णयों के आधार पर ?

उत्तर

(1) झोटवाड़ा ग्राम पहले पंचायत के अधीन था। मास अक्टूबर, 1965 के पश्चात् नगर परिषद्, जयपुर की सीमा बढ़ाने के फलस्वरूप नगर परिषद् सीमा में आ गया है। परन्तु पंचायत ने अभी तक सम्बन्धित रिकार्ड परिषद् को नहीं सम्भलाया है। अतः निश्चित जानकारी देने में विवशता है। फिर भी नगर परिषद् के क्षेत्र में जो बन्शीधर व्यास के घर की गई जानकारी के आधार पर झोटवाडा ग्राम में 8 सार्वजनिक स्थान हैं। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

सूची सदन की मेज पर रखे जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(3) सूचनाएं प्रश्न के खण्ड (1) के उत्तर में दे दी गई है।

सार्वजनिक स्थानों पर किये गये कब्जों को हटाने के लिये नगर परिषद्, जयपुर के पास जनता की ओर से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(4) जी नहीं।

(5) इसका सम्बन्ध इस विभाग से नहीं होने से जानकारी नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

स्थगित प्रश्न
(24-3-71)

डाक बंगलों एवं रेस्ट हाउसों का निर्माण

79. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या वर्ष 1969-70 में विभाग द्वारा कोई नए डाक बंगले या रेस्ट हाउस बनाए गए हैं ? यदि हां, तो कहां कहां ?

(2) क्या यह सही है कि "कोट ग्राम के बांध" पर विभाग द्वारा कोई नया डाक बंगला बनाया गया है ? यदि हां, तो इस पर कुल कितनी लागत आई है ?

(3) क्या यह सही है कि इस भवन के निर्माण में किसी सेठ ने या किसी संस्था ने पैसे दिये हैं ? यदि हां, तो, उसके द्वारा कुल कितनी धन राशि दी गई और उसका क्या नाम है ?

(4) इस भवन के निर्माण करवाने का क्या कारण है ? क्या यह राष्ट्रीय मार्ग पर पड़ता है ?

(5) क्या यह सही है कि इस भवन का निर्माण करने से पूर्व दूसरी 'साइट' देखी गई थी और उस डूंगरी पर सड़क बनाई गई थी ? यदि हां, तो उस कार्य पर कितना खर्च हुआ ?

(6) क्या यह सही है कि जिस स्थान पर इस भवन का निर्माण किया गया है वहां पर एक "शिवालय" पहिले से ही बना हुआ है ?

(7) क्या यह सही है कि इसके वहां निर्माण पर वहां के लोगों ने ऐतराज किए थे ? यदि हां, तो उस पर विभाग ने ध्यान क्यों नहीं दिया ?

(8) क्या यह सही है कि इस भवन का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह सिंचाई विभाग के अधीन है ?

(9) क्या यह सही है कि इस डाक बंगले के निर्माण पर करीब 50,000 रु. खर्च हुए हैं ?

(10) क्या यह सही है कि इसके निर्माण हेतु मुख्य मन्त्री ने विशेष रूप से स्वीकृति प्रदान की थी ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:—

(1) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा, ने राजस्थान दिवस के उपलक्ष में राजधानी में किसी प्रकार के समारोह आयोजन न कर बम्बई एवं दिल्ली में समारोह किए जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी हैं।

(2) श्री भैरोंसिंह शेखावत, सदस्य विधान सभा, ने छोटी खाटू काण्ड के सम्बन्ध में अपराधियों को पुलिस द्वारा

(श्री अध्यक्ष)
गिरफ्तार न किए जाने तथा अपराधियों द्वारा गवाहान को डरा धमकाकर बयान बदलवाने आदि के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(3) श्री भैरोंसिह शेखावत, सदस्य विधान सभा, ने एक और स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें कहा गया है कि थाना डीग, जिला भरतपुर में डीग से कार्मा के रास्ते पर सरदार प्रीतमसिंह नाम के एक व्यक्ति की हत्या की गई।

(4) श्री रामचन्द्र आर्य व श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा, ने जिला गंगानगर में लोक सभा के मध्यावधि चुनाव के बाद विरोधी पक्ष की जनता को भयभीत करने के लिए उनके विरुद्ध झूठे मुकदमें बनाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त सभी मामलों में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिये जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा।

इनके अतिरिक्त दो और स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो इस प्रकार हैं:—

(1) श्री मेघराज पंवार व श्री लालचन्द वैद, सदस्य विधान सभा, ने कस्बा चूरू में दिनांक 31-3-71 को एक मृत स्त्री के शव पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किए जाने तथा मुलाजिमान के स्थान पर उक्त मृत महिला के सम्बन्धियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्यवाही करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) श्री भैरोंसिह शेखावत, सदस्य, विधान सभा, ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है कि जिसमें 22-3-71 को नाथद्वारा में कुछ व्यक्तियों के आपसी संघर्ष के कारण धारा 144 लगाने तथा जनसंघ कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार करने का उल्लेख किया है।

उपरोक्त दोनों मामलों में राज्य सरकार से जानकारी मो प्राप्त हो गई है जिसको देखते हुए ये मामले अविलम्बनीय लोकमहत्व के नहीं हैं। अतः मैं इन्हें सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

निम्नांकित पेन्डिग स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में भी राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गई है:—

(1) श्री रामकिशन, श्री नत्थीसिंह व श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा, द्वारा राजस्थान विधान सभा को अगले माह भंग कर मध्यावधि चुनाव करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा कल सदन में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है।

(2) कस्बा तारानगर में जनता को पीने का पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रूपसिंह, सदस्य विधान सभा, द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(3) जोधपुर के सफाई कर्मचारियों की हडताल के सम्बन्ध में श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा, द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

उपरोक्त तीनों स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोकमहत्व के नहीं हैं कि सदन की

(श्री अध्यक्ष)
पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित किया जावे। अतः मैं इनको सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री सुरेन्द्र व्यास, श्री केदारनाथ, श्री कृष्ण-कुमार गोयल व श्री वृद्धिचन्द्र जैन, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई थी जिसमें राज-स्थान विश्वविद्यालय के उप कुलपति द्वारा दिये गये त्याग-पत्र की स्वीकृति तथा राज-स्थान विश्वविद्यालय में व्याप्त दलगत राजनीति से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है। इसी आशय के एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा, से भी प्राप्त हुई है।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह चाहूंगा कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी इस सम्बन्ध में स्थिति को स्पष्ट करते हुये शीघ्र वक्तव्य देने की कृपा करें। मैं इस स्थगन को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): दो मिनट, अध्यक्ष महोदय, मैंने जो गंगानगर की स्थिति के बारे में प्रस्ताव पेश किया है मध्यावधि चुनावों के दौरान में करीब पांच लाख रुपया अधिकारियों और कर्मचारियों से वसूल किया गया और वे पैसे आज जनता से वसूल करने के लिए उन पर झूठे मुकदमें बनाये जा रहे हैं और वहां के कांग्रेसी कार्य-कर्त्ता अल्पसंख्यकों के नाम लेकर झूठे इश्तहार लगा कर साम्प्रदायिक स्थिति को भड़काना चाहते हैं इसके लिए कार्यवाही कर रहे हैं और जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने चन्दा नहीं दिया उनके लिए धमकाया जा रहा है! झूठी शिकायत की जा रही हैं। इस प्रकार की कार्यवाही आम लोगों के साथ में, जो कांग्रेस के खिलाफ हैं, उन जनता के खिलाफ आज दिन कार्यवाही हो रही है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले की गम्भीरता पर विचार करते हुए राज्य सरकार से निवेदन किया जाकर इस में एक्शन लिया जाय। इस प्रकार की प्रवृत्तियों को रोका जाय। नहीं तो हिन्दू मुसलमानों में वैमनष्य होगा और काफी नुकसान हो सकता है। इस स्थिति को तुरन्त रोका जाय।

श्री अध्यक्ष: दो मिनिट समाप्त हो गये।

श्री रामचन्द्र आर्य: इसलिये, अध्यक्ष महोदय, दोनों में पूरी जानकारी करके दी जाय।

श्री अध्यक्ष: इकरारनामा तोड़ रहे हैं आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास (टौंक): अध्यक्ष महोदय मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय के बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया है। कल भी इस बारे में मैंने निवेदन किया था। ऐसे वक्त जबकि वाइस चान्स-लर ने स्तीफा दे दिया है, स्तीफा स्वीकार भी हो चुका है...

श्री अध्यक्ष: आप क्या चाहते हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास: मैं चाहता हूं इस पर आज ही स्टेटमैन्ट होकर चर्चा हो। मैं इस समय विशद रूप से चर्चा करना नहीं चाहता।

Page No 57

श्री अध्यक्ष : इस पर जब वक्तव्य आ रहा है तो विषद् विवेचन न करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कब आ रहा है अध्यक्ष महोदय ? आज आ रहा है ?

श्री अध्यक्ष : आज आ रहा है या कब यह अभी नहीं कह सकता।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं। वाइस चान्सलर जाने वाले हैं। नये आने वाले हैं। 10 दिन तक सदन मिलेगा नहीं। नया सिलेक्शन यूनिवर्सिटी में अधिकारियों का करने के लिये कमेटी बनाली गई है। और इसके मार्फत तमाम नये पोस्टिंग कर लिये जावेंगे इससे आने वाले वाइस-चान्सलर के लिए कठिनाई पैदा होगी और बड़ा असन्तोष की स्थिति बन जावेगी। इसलिये इस बात पर रोक लगाई जावे कि यथास्थिति बनी रहने दी जावे। नये अपॉइन्टमेन्ट्स आने वाले वाइस चान्सलर को करने दिये जावें। उसे काफी काम करना है उसकी स्थिति को संकट में न डाला जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सरकार आज वक्तव्य देने की स्थिति में है।

श्री शिवचरण माथुर (शिक्षा मन्त्री) : माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि उप कुलपति का स्तीफा होने के बाद और नये उप कुलपति के आने तक नई नियुक्तियां न की जायं ताकि आने वाले उप कुलपति के लिये कठिनाई खड़ी न हो। यह चिन्ता उनकी मालूम पड़ती है। पर मैं निवेदन कर दूं कि नियुक्तियां वाइस चान्सलर अकेला नहीं करता। उसके लिये अलग अलग कमेटियां बनी हुई हैं और वे यह सारा काम करती हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्री जो, आप वक्तव्य अभी दे रहे हैं क्या ? इसको मैं वक्तव्य मान लूं क्या ?

श्री शिवचरण माथुर : इसको वक्तव्य न माना जावे।

श्री अध्यक्ष : तो फिर इसके लिये आगे समय दे दूंगा। आज लिया जावे या कल लिया जावे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : कल वक्तव्य दिलाने के लिये शिक्षा मंत्री जी ही मिले क्या ? कल का मतलब फर्स्ट एप्रेल।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह नीति की बात है। उनको कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना चाहिये। अगर लेते हैं तो आने वाला वाइस चान्सलर क्या करेगा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आज की तारीख तय हुई या नहीं।

श्री अध्यक्ष : स्टेटमेन्ट आज देने की स्थिति में हैं शिक्षा मन्त्री ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर): जी हां।

श्री अध्यक्ष : तो फिर शिक्षा मंत्री जी सदन की समाप्ति तक या उससे पूर्व यदि समय बच जावे तो वक्तव्य दे दें।

श्री शिवचरण माथुर : दे दूंगा साहब।

श्री अध्यक्ष : देट्स ऑल राइट। अब समय बचाने का प्रयत्न किया जावे।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : कल सरदार प्रीतमसिंह के मारे जाने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : आज निर्णय दूंगा।

श्री नत्थीसिंह : वहां बड़ा तनाव है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुकुटजी, आप क्या फरमा रहे थे ?

श्री नत्थीसिंह : चेम्बर की बात का यहां उल्लेख करने से आप मना करते हैं। अब आप स्वयं ही कहते हैं।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने तथ्यों पर कुछ कहा। अगर आप यहां कुछ अपनी भावनायें व्यक्त कर दें तो।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : यह तो सत्य है कि जानबूझ कर व्यवस्था में गड़बड़ी कराई जाने की बात है।

यह तो सच है अध्यक्ष महोदय कि वहां पर साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। यह तथ्य है और बात छोटी सी भी है और बड़ी भी कि अधिकारियों ने जान बूझकर कार्यवाही नहीं की है और पहले से प्रिकॉशन लिया होता तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती।

श्री अध्यक्ष : तो वक्तव्य के लिये दे दिया जाय। मैं इस पर निर्णय ले लूंगा।

श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जो घटना घटी है वह विशेष महत्व की है ? शव के प्रति इस तरह का असम्मान और वह भी जानबूझ कर किया जाय और पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हो यह बहुत ही बेहूदा चीज है।

श्री अध्यक्ष : अस्वीकार किया गया।

श्री लाभचन्द वैद : वहां पर तनाव पैदा हो रहा है और साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री वैद !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह दूसरी घटना है। हरिजन महिला के शव को किसी व्यक्ति ने ठोकर दी है। एक छोटी खादू की घटना है ही। हरिजनों के साथ जो अत्याचार हुआ है वह आपने अखबारों में पढा होगा। जो हरिजन महिला मर गई थी उसका शव जो ले जाया जा रहा था उसको बाजार में कुछ व्यक्तियों ने रोक कर ठोकर मारी, यह बहुत ही शर्म की बात है और मुलजिमों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है, यह और भी शर्म की बात है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय !

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, चूरू की घटना के सम्बन्ध में यहां पर यह कहा गया है कि मुलजिमों पर कार्यवाही नहीं की गई है। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि मुलजिमों पर मुकदमा चलाने के लिये कार्यवाही कर दी गई है। माननीय सदस्य को यह जानकारी कि कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं की गई है, यह गलत है। कार्यवाही की गई है और अदालत में चालान किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह शेखावत।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो छोटीखाटू का स्थगन प्रस्ताव मैंने दिया था, वह कई दिनों से चल रहा था और सरकार की ओर से इस बात का आश्वासन मिलता रहा है कि इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही होगी। मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस ने जिस व्यक्ति से सोना और चांदी के जेवर महिलाओं से छीन लिये थे बरामद किये हैं, उस व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही की है। पुलिस को जिन व्यक्तियों ने गवाह के रूप में अपने बयान दिये हैं वे व्यक्ति दबाव में आकर जो हलफिया बयान उन्होंने पहले तस्दीक कराये हैं, जो स्टेटमैन्ट दफा 164 में कोर्ट में कलमबन्द किया गया है, उसके विपरीत बयान अब हो रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : कल के जो स्थगन प्रस्ताव हैं, उसके बारे में तो मैंने जानकारी मांगी है।

श्री भैरोंसिंह : वह जानकारी कब आयेगी ? यह जानकारी जब तक आयेगी उसके पहले ही इस केस का परपज खतम हो रहा है और हो जायेगा। एक तरफ लोग डरते डरते पुलिस को गवाह के रूप में बयान दे रहे हैं और दूसरी तरफ उन पर फिर आन्तक का वातावरण पैदा किया जा रहा है और वे लोग किसी भी प्रकार इन लोगों के आतंक से बच कर सुरक्षित नहीं रह सकते हैं और जिन लोगों ने अपने बयान कलमबन्द कराये हैं और जिस व्यक्ति से पुलिस ने सोना चांदी बरामद किया है उससे ये लोग आतंकित हैं, उसको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और आतंकित होकर अपने बयान के विपरीत बयान दे रहे हैं जिससे कि पहले के बयान झूठे हो जायेंगे। मैं चाहता हूं कि गृह मन्त्री इसका स्पष्टीकरण करें कि वे इन मुलजिमों को गिरफ्तार करना चाहते हैं या नहीं ? अगर नहीं करना चाहें तो फिर ज्यादा हेरफार करने की क्या आवश्यकता है। केस में ज्यादा हेरफार करने से तो यह अच्छा है कि राज्य सरकार यह स्पष्ट रूप से कह दे कि हम इन व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं करना चाहते हैं, इस सीमा तक इनको छूट दे सकते हैं कि जब तक सारे गवाहों के बयान और शहादतें खतम न हो जायें। राज्य सरकार को बहाना मिल जाये कि हम अपराधियों पर इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। राज्य सरकार यह स्पष्ट करे कि इन अपराधियों को पकड़ने की ताकत इस राज्य की सरकार और पुलिस में नहीं है और राजस्थान सरकार इस प्रकार के अपराधियों को प्रोत्साहन देने की आदी है। इस प्रकार के अपराधियों को संरक्षण देकर वह काम करती रहेगी और जनता को इसी प्रकार से उत्पीड़ित रहना होगा ताकि जनता का यह भ्रम निकल जाये अब उन्हें इस पुलिस के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है और अब उन्हें अपने मान, सम्मान और सम्पत्ति की रक्षा अपने आप ही करना होगा, यह भ्रम जनता का दूर करने के लिये, इसके निराकरण के लिये यह उचित होगा कि इस सम्बन्ध में जो स्थगन प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है...

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक छोटीखाटू के मुकदमे का प्रश्न है सी. आई. डी. के दो वरिष्ठ अधिकारी इसकी तफतीश कर रहे हैं और वे मौके पर हैं। गवाहों के बयानात

(श्री दामोदरलाल व्यास)
कलमबन्द कर रहे हैं। कुछ गवाहों के बयानात 164 में कलमबन्द कराये हैं और कुछ के कराये जा रहे हैं। माल बरामद किया है और मुलजिमान का पता लगाया गया है और कुछ अपने मकान, निवास स्थान पर नहीं हैं। दूसरी जगह चले गये हैं, उनकी तलाश की जा रही है बाकी जहां तक प्रश्न है गिरफ्तारी का है, अगर उस मुलजिम के खिलाफ कानूनी सबूत होगा, जिसके खिलाफ इस्तगाही जुर्म होगा उसके साथ रियायत करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। जहां तक छोटीखाटू में रहने वाले लोगों की आत्मरक्षा का प्रश्न है वहां पर पुलिस की एक चौकी कायम कर दी गई है ताकि वहां के लोगों के अन्दर किसी प्रकार का डर पैदा न हो सके और पुलिस वहां पर बराबर मौजूद है।

श्री भैरोंसिंह : एक जानकारी करना चाहूंगा। गृह मन्त्री ने यहां पर अभी कहा है कि मुलजिमानों की तलाश की जा रही है। अगर वास्तव में ही गिरफ्तारी करने के लिये आप गम्भीर हैं, तो कृपया उनके नाम बता दें। मैं भी उनको गिरफ्तार कराने में सहयोग दे सकता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : इस वक्त मेरे पास में नाम नहीं हैं। सहयोग की आवश्यकता होगी तो जरूर लूंगा आपसे।

श्री भैरोंसिंह : यही तो समस्या है। कौन कौन मुलजिमान हैं एक, दो के नाम तो बता दीजिये।

श्री दुर्गालाल बादड़दार (हवामहल, जयपुर) : किन किन के खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया है यह तो आपको मालूम होगा?

श्री दामोदरलाल व्यास : कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है। यह सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि इसके बारे में कोई केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ हैं। डीवाई. एस. पी. ने मौके पर मालूमात करके अपनी तरफ से रिपोर्ट की। इसलिये केस रजिस्टर्ड किसी के खिलाफ है या नहीं यह सवाल ही पैदा नहीं होता है।

श्री भैरोंसिंह : यह सही नहीं है। केस कान्स्टेबल की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह भी ठीक है। कान्स्टेबुल भी था और डीवाई. एस. पी. भी।

श्री भैरोंसिंह : एक जानकारी मिल जाये। कितने तो मुलजिम हैं? उनकी संख्या बता दें और उनमें से एक-दो प्रमुख के नाम भी बता दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : इनके नाम की पूरी जानकारी मेरे पास में नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जब कोई मुलजिम फरार होता है तो उसकी जानकारी आम जनता को दी जाती है जिससे कि लोग मदद कर सकें और उनकी गिरफ्तारी करा सकें। आम जनता को आप जानकारी नहीं देना चाहते। जो प्रोक्लेम्ड ऑफेन्डर होते हैं उनके बारे में इश्तिहार निकाला जाता हैं, अखबारों में छपाया कराया जाता है, कोर्ट से नोटिस दिया जाता है और जो उसकी प्रोपर्टी है उसको कुर्क कर लिया जाता है। यह सारी कार्यवाही हो सकती है। फिर क्या परेशानी हैं उनके बारे में कहने से, उनके नाम कहने से। जब उनके बारे में आमतौर पर जनता

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
को बता सकते हैं तो इस सदन को जानकारी देने में आपको क्या आपत्ति है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने यह नहीं कहा है कि वे प्रोक्लेम्ड ऑफेन्डर्स हैं। यह कहा है कि जिन लोगों के खिलाफ शहादतें हैं उनकी उनके निवास स्थान पर तलाश की जा रही है इन्ट्रेक्शन के लिये। मैंने यह नहीं कहा है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेन्डर्स है। अगर ऑफेन्डर्स घोषित कर दिये जायेंगे कि 87/88 की हुक्ज जाब्ता कार्यवाही की जायेगी। मैं आपसे यह निवेदन कर दूं कि जो मुलजिमान हैं और जो लोग मुस्तगी हैं, जिनके खिलाफ शहादतें हैं, उनके नाम बताने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है परन्तु अभी मेरे पास में नाम नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप नाम बता दें कम से कम। हम उन्हें गिरफ्तार कराने में आपको सहयोग दगे। कोई मुलजिम तो ऐसा नहीं है जो हमारे वित्त मन्त्री महोदय के साथ हो। उनको भी पता लग जायें और अपने घर पर उसको वे न ठहरायें वरना मुलजिम को ठहराने पर उन पर भी मुकदमा चल सकता है। इसलिये आप नाम बता दें ताकि इन पर तो कोई आंच नहीं आवे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जैसा कि मैंने सदन को सूचित किया था जा स्थगन प्रस्ताव आया है, उसको जानकारी के लिये रख दिया था और अब माननीय सदस्य ने उसी स्थगन प्रस्ताव पर यहां पर प्रश्न उठा लिये हैं और जानकारी के प्रश्न पर माननीय गृह मन्त्री महोदय ने जितनी जानकारी उनके पास में थी, स्पष्टीकरण कर दिया। लेकिन मेरी व्यवस्था के अनुकूल ये दोनों ही स्थितियां नहीं थी, फिर भी मैंने नियमों का रिलेक्स किया, व्यवस्था देने के बाद भी। इसलिये गृह मन्त्री जी स्पष्टीकरण के लिये यहां पर यह कहें कि उनको जानकारी है या नहीं ? जानकारी उनको नहीं हो सकती है क्योंकि यकायक ही यह प्रश्न यहां पर उठा लिया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : प्रश्न तो इस बात का है गृह मंत्री जी ने यह कही कि मुलजिम अपने निवास स्थान पर नहीं मिला। पुलिस उसको गिरफ्तार करना चाहती है, पकड़ना चाहती है किन्तु वे फरार है…—

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मन्त्री) : इन्ट्रोगेट करना चाहते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं पूछना चाहता हूं आप उसको छोटीखाटू में क्यों ढुंढवा रहे हैं वे राजधानी में घूम रहे हैं। अदालत में ऐफिडेविट करवा रहे हैं। मैं समझता हूं माननीय गृह मन्त्री जी से भी वे मिले होंगे और अभी भी किसी न किसी मिनिस्टर के घर पर बैठे होंगे। कोई आदमी मिनिस्टरों के बंगलों के चक्कर लगाये और आप कहें वह फरार है। आखिर जयपुर में मुलजिम आ जाय और आपको जानकारी नहीं है ? जयपुर की अदालत में आकर हलफनामा तस्दीक कराया जाय। मैं पूछना चाहता हूं मन्त्री महोदय से क्या डीडवाना में अदालत नहीं है, क्या नागौर में अदालत नहीं है जो जयपुर में आकर हलफनामा तस्दीक कराया जाता है। क्या आप इसको फेब्रिकेटेड ऐविडेन्स, मैनिपुलेटेड ऐवि-

Page No 62

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

डेन्स और डेस्ट्रिक्ट एविडेन्स नहीं मानते है और यह सब कुछ होते हुये आपकी नाक के नीचे, जयपुर शहर के अन्दर और मिनिस्टरों के बंगलों में जो आदमी घूमता फिरे उसको आप पकड़ नहीं सकते हैं और फिर हाउस में खड़े होकर कहते हैं मुल्जिम अपने निवास स्थान पर नहीं मिलता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, हाउस बडे असमंजस में पड़ गया है—दोनों तरफ की वार्तालाप को सुन कर। जोधपुर को अदालत को छोड़ कर जयपुर की अदालत में हलफनामा कराया गया है, यह एक अजीब बात है। मालूम नहीं चल रहा है वह किस प्रकार का मुलजिम है। इधर माननीय गृह मन्त्री जी चुप हैं इसलिये जरूरी है उनको जानकारी हो। इसलिये दोनों ओर से चोंचे लड़ रही हैं। सारा सदन असमंजस में है।

श्री अध्यक्ष : ये दोनों ही प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं। चोंचों की जानकारी तो आपको ही है।

श्री दौलतराम सारण : दोनों, अध्यक्ष महोदय, अपने अपने विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें अन्धेरे में रखा जा रहा है। हम बड़े असमंजस की स्थिति में हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : यह स्पष्टीकरण के लिये यहां प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। जानकारी के लिये मैंने स्थगन प्रस्ताव....

श्री दौलतराम सारण : कौनसे मन्त्री महोदय को मुलजिम माने ? माननीय मुख्य मन्त्री जी को माने, वित्त मन्त्री जी को माने, गृह मन्त्री जी को माने या राजस्व मन्त्री जी को माने किसको किस दृष्टि से देखा जाय।

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं होगी। मैंने कोई निर्णय नहीं दिया।

श्री दौलतराम सारण : मुलजिम कौन है, कौन हलफनामा तस्दीक करवा रहा है किन मंत्री महोदय के पास वह ठहरा हुआ है

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : इसकी जानकारी आज कराई जाय, अध्यक्ष महोदय।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा) : हमने प्रस्ताव दिया था और आज चार रोज हो गये। अब तक जानकारी क्यों नहीं की गई अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी अजीब बात है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसी लापरवाही के कारण राजस्थान की पुलिस इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि मामला सी. बी. आई. को दिया जाय। हमारी लोक सभा और राज्य सभा में इसकी चर्चा हुई और कहा गया कि राज्य सरकार इन्वेस्टीगेशन कर रही है, वे मदद मांगे तो हम देने को तैयार हैं लेकिन राजस्थान सरकार की इस मामले में घोर लापरवाही है। इसलिये यह मांग की गई है कि इसकी जांच सी. बी. आई. से करवाई जाय क्योंकि हमें आशंका है कि

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
राज्य सरकार इस जांच को ठीक प्रकार नहीं करा पायेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव जोधपुर म्युनिसिपल कमेटी के सफाई कर्मचारियों के पिछले दिनों से चल रही हड़ताल के सम्बन्ध में दिया था। आपने जो जानकारी दी है कि आप जानकारी कर के फिर अपनी व्यवस्था देंगे। मेरा निवेदन है सदन आज 11 दिन के लिये स्थगित हो रहा है। पहले ही हड़ताल काफी दिनों से चल रही है। शहर की सफाई के बारे में गंभीर स्थिति हो गई है। यह स्थगन प्रस्ताव मैंने कल दिया था और मैंने माननीय मंत्री जी से भी बात की थी और उन्होंने कहा था कि प्रशासक को यहां बुलायेंगे। मेरा निवेदन है गवर्नमेंट की तरफ से आज किसी भी टाइम इसका उत्तर दिलवाया जाय और इसकी समस्या का हल निकाला जाय। अध्यक्ष महोदय, एक एग्रीमेंट यूनियन और प्रशासक के बीच हुआ है कि 20 रु० पहले के भुगतान कर दिये जाय और 61 में जो वेतन स्तर मंजूर किया है वह और जितना लागू किया है वह सब म्युनिसिपेलिटियों में मिल गया है लेकिन जोधपुर के म्यूनिसिपल कर्मचारियों को अभी नहीं मिला है—वह मिल जाय और पहले का ऐरियर मिल जाय यह मुख्य मुद्दा है। एग्रीमेंट जो पहले हो चुका है उसको प्रशासक महोदय ने लागू नहीं किया है। दुबारा एक महीने का नोटिस देकर यह हड़ताल हुई है। मेरा निवेदन है ऐसी हालत में खास तौर से हरिजन लोग, मेहतर लोग जिनको 61 से 30-1-45 का वेतन स्तर मिल रहा है जबकि नये वेतन स्तर 45-1-60 की मिलनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आपने मंत्री महोदय से इस सम्बन्ध में बातचीत की है न ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने बातचीत की और उन्होंने कहा था उनसे बात करेंगे. अब की या नहीं की उन्होंने बात, उन्होंने प्रशासक को बुलाया या नहीं बुलाया इस बात को साफ तौर से सदन में कह दें....

श्री अध्यक्ष : फिर इस सम्बन्ध में आप बातचीत कर लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरी बात का सवाल नहीं है अध्यक्ष महोदय, सारा कन्सर्न हाउस से है।

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है, इसको अस्वीकार किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने शायद सूचना मांगी है। अध्यक्ष महोदय, इस पर गवर्नमेंट का स्टेटमेंट भी नहीं करवाया। इसके औचित्य पर पुनः विचार करें। यह मामला सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से सम्बन्धित है और शहर में गन्दगी बढ़ती जा रही है।

श्री अध्यक्ष : अच्छा यह हो माननीय मंत्री महोदय और आप इस पर पहले प्राथमिक रूप से बात कर लें। कोई हल निकलता हो तो निकाल लें जैसा आपने फरमाया कुछ बातें तो की है और कुछ सूचनायें अवशेष हैं प्राप्त करने के लिये। यह आपस में बात करने के बाद —

Page No 64

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, वे तो राजी हो गये थे। वित्त मंत्री जी जो वहां के स्थानीय नेता है उनको जिद्द है कि पहले मेहतरों की हड़ताल समाप्त होनी चाहिये फिर विचार करेंगे। कुछ उनका रुख इस प्रकार का दिखाई देता है कि उनको हड़ताल वापिस ले लेनी चाहिये। उन्होंने हड़ताल क्यों की। मेरा निवेदन यह है कि पहले एक एग्रीमेंट हुआ है, उसको क्रियान्वित नहीं किया गया। कर्मचारियों ने दुबारा नोटिस दे दिया उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया आखिर मजबूर होकर कर्मचारियों को हड़ताल करनी पड़ी। अब माननीय वित्त मंत्री जी की यह जिद्द है कि पहले हड़ताल समाप्त की जाय तभी कोई विचार करेंगे तो मैं समझता हूं यह एक सही दृष्टिकोण नहीं है और माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा वे इस बात पर राजी भी हो गये कि श्रम मंत्री जी को बुला लें उन्होंने कहा हड़ताल वापिस हो जाती तो बात की जा सकती थी इस तरह की बात कह कर ऐसा आभास दिया है कि कोई न कोई निगोसियेशन्स की जाय तो मैं समझता हूं श्रम मंत्री जी भी कुछ एक्शन नहीं ले सकते जब तक कि वित्त मंत्री जी का क्लियरेन्स सर्टिफिकेट नहीं मिल जाय।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे खेद है अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने ख्वामख्वाह मुझे घसीटने की कोशिश की है। मेहतरों की हड़ताल के सम्बन्ध में वे मुझ से मिले थे चूंकि उनके फिक्सेशन का सवाल था। फिक्सेशन के सवाल के अन्दर कुछ मुद्दे उठ गये थे। मैंने तो निवेदन किया है यहां आकर फाइनेन्स डिपार्टमेंट के साथ बैठ कर किसी तरह फिक्सेशन करवा दिया जाय इतनी बात मैंने कही थी और इसके लिये....

श्री भैरोंसिह : आपका भाषण है।

श्री मथुरादास माथुर : उसके बाद मेरे पास नहीं आये। जब आपने कल पूछा तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। उस वक्त कहा ऐडमिनिस्ट्रेटर बुला लिया जाय। मैंने निवेदन किया जोधपुर में 5-7 रोज से हड़ताल कर रहे हैं और हड़ताल तोड़ दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मन्त्री महोदय ने कहा वे मुझ से एग्री हो गये। मैं उनको बुला लेता हूं किन्तु आपने कहा हड़ताल खतम होनी चाहिये....

श्री मथुरादास माथुर : बुलाने से कोई सम्बन्ध नहीं है। जब फिक्सेशन करवाना है तो बुलाना है, बुलाने के अलावा कोई बात नहीं हैं आप कह रहे हैं हड़ताल तोड़ने के बारे में कोई बात कही है वह गलत है। यह फिक्सशन का सवाल है यहां बैठ कर तय हो जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गवर्नमेंट का यह स्टेप है कि पहले हड़ताल तोड़ दें तब निगोसियेशन्स करेंगे। श्रम मन्त्रीजी प्रशासक को बुलाने को तैयार है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं इस पक्ष में हूं कि प्रशासक को बुलाया जाय। फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट के साथ बैठ कर फिक्सेशन करवाया जाय। मैं भी इसी पक्ष में हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह आश्वासन दिलायें कि उनको बुलाया जायेगा और प्रतिनिधियों को बुला कर फिर बातचीत की जाये।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर! यह प्रश्न अभी उपस्थित नहीं होता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, दूसरे स्थगन प्रस्ताव की ओर मैं आपका ध्यान और दिलाऊंगा। आपके उदयपुर डिवीजन का जो केसरिया जी का मन्दिर है उसकी जो संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं वे आमरण अनशन पर बैठे हैं...

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न पर जब स्थगन प्रस्ताव आया था तब मैंने उसे अस्वीकार किया था बाद में माननीय सदस्यों का आग्रह था कि इस सम्बन्ध में कुछ स्थिति को संभाला जाये। उस सन्दर्भ में माननीय सदस्य जो स्थगन प्रस्ताव से सम्बन्धित थे और माननीय देवस्थान मन्त्री जी, माननीय सारण साहब इनकी आपस में बातचीत उस प्रश्न पर करा दी गई। प्रश्न पर बातचीत पर आपस में विचार विनिमय भी हुआ अतः वह मसला वहीं समाप्त हो जाता है क्योंकि मैंने उसको अस्वीकार कर दिया था। अस्वीकार करने के बाद मन्त्री महोदय से इसके सम्बन्ध में बातचीत हो गयी। मैंने विश्वास दिया था कि मैं इसके सम्बन्ध में बात करा दूंगा वह करा दी। उस प्रश्न पर अब कोई सवाल नहीं उठेगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं याचिक उपस्थापित करने की आज्ञा चाहता हूं...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आगे का बिजनेस लें उससे पहले निवेदन करना चाहता हूं। मेरा उसके सम्बन्ध में आग्रह नहीं है कि मेरे स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाये और सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित किया जाये। माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए था। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में पहले भी चर्चा सदन में आ चुकी है एक या दो बार कि राजस्थान दिवस के सम्बन्ध में जो आयोजन किये जाते हैं वह राजस्थान की राजधानी में कभी भी आयोजित नहीं किये जाते हैं। या तो राज्य सरकार यह फैसला करे कि हमको राजस्थान दिवस का कोई आयोजन नहीं करना है और यदि आयोजन करना है तो मुझे सम्भवतः स्मरण है कि उद्योग मन्त्रीजी ने या राज्य सरकार की ओर से किसी वरिष्ठ मन्त्री ने आश्वासन दिया था सदन में कि यह भावना राज्य सरकार और मुख्य मन्त्री जी तक पहुंचा दी जायेगी लेकिन मुझे खेद है कि इस सदन में भावनायें व्यक्त करने के बावजूद और राज्य सरकार के द्वारा आश्वासन दिये जाने के बावजूद राजस्थान दिवस का आयोजन किया गया है वह न तो हमारे राजस्थान की राजधानी में किया गया और न राजस्थान के अन्य भाग में कोई समारोह ही मनाया गया। यहां राजस्थान की वर्षगांठ तो मनाई ही नहीं गयी लेकिन बम्बई या दिल्ली में इस प्रकार के समारोहों का कहीं आयोजन किया जावे और उसमें किस प्रकार की धनराशि खर्च की जाये—मैं नहीं समझता कि उसकी कोई उपयोगिता हो सकती है। यदि सरकार को कोई आयोजन करना है तो वैधानिक ढंग से, नियमित ढंग

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

और किसी व्यापक पैमाने पर योजनाबद्ध ढंग से राजस्थान की राजधानी में या राजस्थान के अन्य नगरों में ऐसे आयोजन किये जायें या फिर इस राजस्थान दिवस को इस ढंग से मनाया जाये जिससे कि राजस्थान का पिछड़ापन है या जो कार्यक्रम है उनको हम संकल्प के रूप में लें तो अच्छा होगा। मुझे खेद है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी अपनी वर्षगांठ तो बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और 53 हजार की थैलिया भी ले लेते हैं लेकिन राजस्थान राज्य की वर्षगांठ के सम्बन्ध में कोई सामारोह राजधानी में नहीं होना और बम्बई में होना और उद्योग मंत्री जी का बम्बई जाना और समारोह में खर्च करना मैं नहीं समझता कि सामारोह किस तरह से मनाते होंगे और उनकी क्या उपयोगिता होती होगी। इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर दें और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या नीति है वह बता दें ताकि आइन्दा के लिए यह प्रश्न बारबार यहां विधान सभा में न आये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं कि राजस्थान दिवस सरकार की तरफ से मनाने के बारे में हमने कुछ वर्षों से इस कार्यक्रम को बन्द कर दिया है। इस सम्बन्ध में जो राजस्थान दिवस दिल्ली में मनाया जा रहा है तो दिल्ली में राजस्थान कला केन्द्र द्वारा आयोजित किया गया है और केवल इस संस्था द्वारा वहां पर प्रदर्शनी की गयी है जिससे कि वहां के लोग हैण्डीक्राफ्ट वगैरह के बारे में जानकारी ले सकें और उसकी पब्लिसिटी हो सके। जो बम्बई में किया गया है वह भी लघु उद्योग कारपोरेशन द्वारा किया जा रहा है और मुख्यतः उसमें जो हमारे यहां के गृह उद्योग वगैरह की चीजें हैं उनको प्रदर्शनी में रखा जाता है कि जिससे हमारे गृह उद्योगों को प्रोत्साहन मिल सके और जैसा मैंने कहा कि राजस्थान की सरकार की तरफ से आयोजन इन दोनों जगहों पर किया गया है, न हमारे राजस्थान दिवस के लिए अलग से शुरू करने का इरादा है। दरअसल 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही हम मुख्यतः रखते हैं।

याचिका का उपस्थापन

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): अध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम कोलेरी जिला भरतपुर स्थित पुलिस थाने को कायम रखे जाने के सम्बन्ध में दो याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं—

(1) राजस्थान राज्य के विनियोग लेखे, 1969-70,

(2) राजस्थान राज्य के वित्त लेखे 1969-70, तथा

(3) वर्ष 1969-70 के लेखाओं पर अंकेक्षा प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: यह 1969-70 की ऑडिट रिपोर्ट कब मिली ?

श्री मथुरादास माथुर: यह तो मुझे मालूम नहीं कि किस तारीख को प्राप्त हुई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किस महीने में प्राप्त हुई ?

श्री मथुरादास माथुर : दो-तीन महीने पहले हुई होगी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तीन महीने पहले जो आडिट रिपोर्ट आपको प्राप्त हो गयी उस आडिट रिपोर्ट को बजट अधिवेशन के प्रारम्भ में रखने में आपको क्या ऐतराज था ।

श्री मथुरादास माथुर : उसको छपवाया भी जाता है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): मैं निवेदन कर दूं पहले भी आपने प्रश्न खड़ा किया था उसके बाद में इसकी जानकारी मैंने की थी तो इस रिपोर्ट के आने के बाद ए. जी. के पास जाती है, उसमें समय लगता है । उसके बाद में प्रिन्टिंग के लिए जाती है और इसी बीच में दिसम्बर में बैलट पेपर्स का प्रिन्टिंग भी हुआ, इसलिए इसमें विलम्ब हुआ और इस वजह से देरी हुई ।

श्री अध्यक्ष : वित्त मन्त्री जी विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे ।

विधायी कार्य

राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1971 का पुरःस्थापन एवं विचार

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1971 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी ।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1971 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : वित्त मन्त्री जी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाये ।

श्री मथुरादास माथुर: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनयोग (संख्या 1) विधेयक, 1971 को विचारार्थ लिया जाये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पाइन्ट आफ आर्डर । अध्यक्ष महोदय, पहले इसके कि यह विधेयक विचारार्थ लिया जाये गवर्नमैन्ट की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि विश्वविद्यालय में वाइस चान्सलर के त्याग-पत्र के सम्बन्ध में इस हाउस में एक बयान दिया जायेगा तो मेरा यह निवेदन है कि उससे पहले कि यह विधेयक लिया जाये‥‥

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बाहर से आये हैं । इस प्रश्न पर चर्चा हो चुकी है वह टाइम मैं फिक्स अप करूंगा ।

श्री दौलतराम सारण: अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का सवाल और है वह

(श्री चौलराम सारण)
रामकिशन जी के बारे में है। उनको बहुत ठंड लग रही है और उनको एक रजाई की व्यवस्था कर दी जाये""

श्री अध्यक्ष : जरूर, मेरे वातानुकूलित कमरे में वे बैठ जायें और उससे संतुलित हो जायें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हां, वहां चले जायें। वहां आपका टिफन भी रखा है।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको इजाजत देता हूं कम्बल लाने की अगर वाकई ठंड लग रही हो तो।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि और भी सदस्य ठंड महसूस कर रहे हैं और इसका थोड़ा प्रबन्ध कराया जावे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह चुनावों के परिणामों की ठंड है।

श्री नत्थासिंह : उससे आप भी बचे हुए नहीं हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के माध्यम से सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट्स से राज्य सरकार 187 करोड़ 24 लाख रुपये लेने का अधिकार तो चाहती है, वैसे इस मांग को या इस राशि को यह कहना केवल मात्र कि यह एक सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट है मैं समझता हूं, अनुचित होगा। अगर राज्य सरकार की जिस प्रकार की व्यवस्था और प्रगति चल रही है और इसी को स्वीकार किया गया तो बजट की सैंक्टिटि या बजट के पीछे जो मन्शा और धारणाएं होती हैं वे अपने आप में समाप्त होती चली जायेंगी। राज्य सरकार ने कुल अपने 70-71 के बजट के लिए 234 करोड़ 44 लाख रुपये का प्रावधान रखा था, और 234 करोड़ 44 लाख के बजट के पश्चात राज्य सरकार इस बिल के पहले एक एप्रोप्रियेशन बिल के माध्यम से और सप्लीमेन्ट्री बजट के द्वारा 1 करोड़ 15 लाख 71 हजार ले चुकी है और आज इस वर्ष के अन्त में राज्य सरकार 187 करोड़ 25 लाख का अधिकार और मांग रही है जो कि कुल बजट का लगभग तीन-चौथाई राशि अपने आप में हो जाती है, तो इस सम्बन्ध में अधिक न कह कर केवल राज्य सरकार को और वित्त मन्त्री जी को यह कहना चाहूंगा कि फिर बजट जैसी चीज रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बजट कितना होना चाहिए, कितना संतुलित होना चाहिए, बजट के लिए सोर्सेज किस प्रकार से दिखाये जायेंगे और उन्हीं सोर्सेज के अन्दर ही अन्दर""

(9.42 म० पू०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

खर्च किस प्रकार से किया जायगा, और जो आज तक बजट के बारे में इस प्रकार की मन्शाएं हैं वे इस बिल को देखते हुए और सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट को लेकर राज्य सरकार आई है तो अपने आप में समाप्त हो जाती है।

185 करोड़ 25 लाख की मांग की है। हो सकता है कि राज्य सरकार जो राज्य कर्मचारियों का वेतन-मान बदला है, उनको जो इन्टेरिम ग्रान्ट दी है उसको लेकर किस प्रकार से कहती है कि यह राज्य सरकार पर अधिक बोझा आया है,

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

या अकाल के प्रश्न को लेकर भी राज्य सरकार किसी हद तक कह सकती है कि यह हम पर अधिक बोझा आया है और इस कारण से यह सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट और यह बिल लेकर सदन के बीच में आना पड़ा। लेकिन, उपाध्यक्ष जी, जो 185 करोड़ 25 लाख की राशि है यह सारी राशि केवल राज्य कर्मचारियों के माथे अथवा अकाल के माथे माण्ड दी जाय, तो मैं समझता हूं कि इस सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट या इस बिल की 1/30 राशि सरकारी कर्मचारियों के लिए अथवा अकाल के लिए खर्च नहीं की गई है। लगभग 5-6 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को अधिक देना पड़ा और 19-20 करोड़ रुपया अकाल के नाम से यह राशि अकाल के लिए खर्च की गई है तो वह 25-30 करोड़ की राशि है उसके नाम से 185 करोड़ 25 लाख की जो मांग सरकार इस तरह से कर रहा हूं इस विधेयक के माध्यम से तो मैं कहना चाहूंगा कि यह बिल्कुल अनुचित है।

जहां तक राज्य कर्मचारियों का सवाल है मैं वित्त मंत्री जी से और राज्य सरकार से यह कहना चाहूंगा कि राज्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर भिन्न भिन्न अवसरों पर सरकार से मांग करते चले आ रहे हैं। राज्य कर्मचारियों ने अपनी मांगों की पूर्ति के लिए समय समय पर आन्दोलनों का सहारा लिया है, और यह बड़े खेद का विषय है कि राज्य कर्मचारी स्वयं इस राज्य सरकार की भाषा को पहचान गये हैं। राज्य कर्मचारी इस बात को जान कर चलने लगे हैं कि राज्य सरकार और उसके मुख्य मंत्री जी उनकी—कर्मचारियों की मांगों को लेकर उनकी उपेक्षा करते चले जा रहे हैं, उनको झूंठा दिलासा देते हुए चले जा रहे हैं कि तुम्हारी मांगों पर विचार किया जायेगा, तुम्हारी मांगे मन्जूर की जायेंगी, और आखिर में मैं समझता हूं कि यह शुभ चिन्ह नहीं है और मुख्य मंत्री जी भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि जब राज्य कर्मचारियों की मांगे उचित हैं, उन मांगों को मानना आवश्यक है तो राज्य सरकार उनको दम-दिलासा देती चली जाय और राज्य कर्मचारी अपनी मांगों के बारे में उद्वेलित होकर अथवा अपनी मांगों को उठाते चले जायें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपकी पार्टी की सरकार यू. पी. में थी और बिहार में भी आपकी पार्टी है तो उन्होंने क्या किया ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : उन्होंने नहीं किया तो मैं उनकी प्रशंसा नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं उनकी आलोचना करूंगा। मैं अपना नजरिया बतला रहा हूं। जो कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आन्दोलन करने का समय तय करते हैं आप अनुमान लगाइये कि यह क्या शुभ चिन्ह है ? नगरपालिकाओं के चुनाव हुए राजस्थान के अन्दर तो नगरपालिकाओं के चुनावों के अवसर पर कर्मचारियों ने एक अल्टीमेटम दिया तो राज्य सरकार चुनावों के परिणामों की गम्भीरता को देख कर उस अवसर पर कर्मचारियों के सामने जाकर सरकार नत-मस्तक होती है। इस प्रकार से वे ही राजस्थान के कर्मचारी अपनी मांगों को मनवाने के लिए उनको मन्जूर करवाने के लिए और राज्य सरकार के काले कानून से मुक्त रखने के लिए उपयुक्त अवसर देखते हैं और वह उपयुक्त अवसर यही

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)
होता है कि अभी हिन्दुस्तान में मध्यावधि चुनाव होने वाले थे और राजस्थान में भी मध्यावधि चुनाव होने को थे तो सरकार को इन मध्यावधि चुनाव जीतने के लिए झुकना पड़ा। इस तरह से अपनी इन्टेरिम रिलीफ की मांग को लेकर राज्य कर्मचारी राज्य सरकार के सामने आगये और राज्य सरकार को झुकना पड़ गया और इन्टेरिम रिलीफ ग्रान्ट करना पड़ा। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों के प्रश्न पर उनकी मांगों को लेकर चाहे ग्रेड का सवाल हो, चाहे महंगाई का सवाल हो तो अगर वे आवश्यक हों तो राज्य कर्मचारियों की मांगों को मानना चाहिए। बार बार राज्य सरकार कहती चली जाय कि अर्थाभाव है, पैसे का बोझ इतना अधिक है कि एडहॉक भी हम बरदाश्त नहीं कर सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं माननीय सदस्य के विचार जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जानना चाहूँगा कि जो मांग राज्य सरकार ने मन्जूर की है क्या वह ठीक है? आप इससे सहमत हैं या इसके विरोध में हैं?

श्री कृष्णकुमार गोयल : सहमत हूँ लेकिन राज्य सरकार को सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान मानना चाहिए...

श्री मथुरादास माथुर : महंगाई भत्ता तो केन्द्रीय सरकार के समान ही है। जो गजेन्द्र गड़कर कमीशन की रिपोर्ट के बाद वही है। इस सदन में कई दफा पहले भी मुख्य मंत्री जी ने कह दिया है कि वही फार्मूला है। जहाँ तक डियरनेस एलाउन्स का सवाल है वह सेन्ट्रल के बेसिस पर ही दे रहे हैं और इसमें कोई मतभेद नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अभी 15 रु. ही दे रहे हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जब आप यह मानते हैं और मानते कब हैं जब कि राज्य कर्मचारी आन्दोलन का सहारा लेते हैं........

श्री मथुरादास माथुर : इस वक्त नहीं माना है। डियरनेस एलाउन्स का क्वेश्चन अलग है और इन्टेरिम रिलीफ और एडहॉक ग्रान्ट का अलग क्वेश्चन है। आप दोनों को कन्फ्यूज कर रहे हैं। आप जो कहना चाहते हैं वह मैं नहीं समझ पाया हूँ। इन्टेरिम रिलीफ का प्रश्न अलग है। डियरनेस एलाउन्स के बारे में बहुत पहले ही मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में कह दिया था कि 10 पॉइन्ट इन्डेक्स बढ़ने पर वह देते रहेंगे उस हिसाब से। वह तो भारत सरकार के बेसिस पर चला आ रहा है। भारत सरकार ने इन्टेरिम रिलीफ के लिए जो कुछ भी दिया है उसके बारे में उनकी मांग है डियरनेस एलाउन्स से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। उसके सिलसिले में वह प्रश्न चल रहा है। डियरनेस एलाउन्स जो है वह एट पार है गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के।

श्री भैरोंसिंह : केवल प्रश्न डियरनेस एलाउन्स का ही नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : आप थे नहीं वही प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : आप जो डियरनेस एलाउन्स के बारे में सरकार की नीति बता रहे हैं तो मामला वहीं तक सीमित नहीं है। सरकारी कर्मचारियों को इन्टेरिम रिलीफ देने का प्रश्न है....

श्री मथुरादास माथुर : मैं एलाउन्स के लिए बात कर रहा हूं और आप इन्टेरिम रिलीफ का कह रहे हैं तो और दूसरे सवाल हो सकते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आज भी राज्य कर्मचारियों की मांगें राज्य सरकार के सामने हैं आज भी राज्य सरकार ने उन मांगों को ठुकराया नहीं है, आज भी राज्य सरकार कहती है कि इन प्रश्नों के ऊपर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं, आज भी राज्य सरकार के पास विभिन्न स्थानों का प्रोजेक्ट एलाउन्स का प्रश्न विचाराधीन है, आज भी राज्य सरकार के सामने कर्मचारियों के सिटी एलाउन्स का प्रश्न विचाराधीन है। यह भिन्न भिन्न प्रश्न राज्य कर्मचारियों के हैं, जिन पर राज्य सरकार इन्स्टालमेन्ट्स के अन्दर विचार कर रही है। हम कहना चाहेंगे, राज्य सरकार को चाहिये कि इन सारे प्रश्नों के ऊपर एक साथ बैठ कर विचार करें कि कितना भार राज्य सरकार के ऊपर और आता है, और कितना भार जनता के ऊपर पड़ेगा, और एक बार में ही इन सारे प्रश्नों को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिये। हमारी मांग है कि जो राज्य कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता अलग है, वेतन अलग है-मंहगाई और वेतन—यह दोनों अलग अलग चीज हैं, क्या केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या हिन्दुस्तान की कोई और सरकार यह विचार करके चल सकती है कि यह जो मंहगाई एलाउन्स आज मंहगाई के कारण दिया जा रहा है, किसी समय पर यह प्राइस इन्डेक्स गिर जायेगा, कहीं पर जाकर यह मंहगाई भत्ता जो इन पिछले वर्षों में प्रारम्भ किया गया है, यह कीमतें गिरने से उस स्तर पर गिरेगा। मेरा निवेदन है कि मंहगाई कभी गिरने वाली नहीं है। मैं समझता हूं कि आज के समय जिस प्रश्न पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है वह सबसे ज्यादा जोर दिया जाने वाला प्रश्न मूल्यों को गिराने का नहीं है, वह यह होता है कि मूल्यों का स्थिरीकरण किया जाय, प्राइस स्टेबल की जायं। जो चीज जितनी मंहगी हो गई है, उसकी जो प्राइस है वह बनी रहे, इससे ज्यादा नहीं हो। आज यह मांग की जाती है। इसलिए मंहगाई भत्ता और वेतन एक साथ राज्य सरकार को जोड़ देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके उपरान्त जहां तक अकाल का प्रश्न है, कल कटौती प्रस्तावों के द्वारा इस अकाल के बारे में काफी कहा जा चुका है और अकाल राहत मन्त्री जी ने भी अपने विचार व्यक्त किये हैं। लेकिन मैं केवल एक प्रश्न पर राज्य सरकार को यह कहना चाहूंगा कि यह अकाल राजस्थान के लिए अभिशाप है लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी राजस्थान सरकार इसी अभिशाप को राजनैतिक कारणों से वरदान मानती चली आ रही है। आज यह समझ में आ सकता है कि राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू यह जो मरुस्थली इलाके हैं, यहां पर अकाल की छाया है और सरकार उसके लिए दोषी है। इसका दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता है क्योंकि आज विकास का नारा लगाने के बाद भी,

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

आजादी के 23 साल के बाद भी इन क्षेत्रों के किसान और इन क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति यदि इन्द्र भगवान की ओर देखते रहें—तो यह समाजवाद का नारा, यह विकास का नारा और यह प्रगति का नारा नितान्त ढोंग है। आज तक राज्य सरकार को किसने मना किया कि जगह जगह पर ट्यूब वैल खोदे जायं, जगह जगह पर पानी मुहैया किया जाय। 157 करोड़ रुपये जो राजस्थान सरकार ने इस अकाल पर खर्च कर दिये हैं, अगर यह 157 करोड़ रुपये राजस्थान कैनाल पर खर्च होते और उसका काम होता तो उस क्षेत्र के अन्दर आज लहलहाती हुई खेती नजर आती। लेकिन राज्य सरकार ने इन सारे क्षेत्रों में न बिजली पहुंचायी और न इन इलाकों के अन्दर पानी पहुंचाया, और न ही इन इलाकों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। इसके कारण आज भी इन इलाकों के आदमी, तेईस साल की आजादी के बाद इस प्रकार से इन्द्र भगवान पर निर्भर करें तो यह विकास की स्थिति नहीं है। कल ही मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा, और रेडियो पर भी सुना कि राजस्थान नहर को नेशनल प्रोजेक्ट स्वीकार कर लिया गया है। मैं इसके लिये राज्य सरकार को और केन्द्रीय सरकार को बधाई दूंगा। लेकिन केवल घोषणाओं से किसी प्रकार का परिणाम नहीं निकलेगा। आज आवश्यकता इस बात की है, जैसे ही केन्द्रीय सरकार राजस्थान कैनाल के काम को हाथ में लेने के लिए तैयार हो एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट मान कर, वैसे ही हर तरह से द्रुत गति देकर इस राजस्थान नहर को जल्दी से जल्दी पूरा कराने की कोशिश की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, दुःख तभी होता है, जब अकाल का सहारा इन क्षेत्रों के अलावा भीलवाड़ा में लिया जाय, चित्तौड़ में लिया जाय, अजमेर में लिया जाय, और भी सीकर में भी लिया जाय, और वह भी इसलिये कि उप चुनाव आ गये, या नगरपालिका के चुनाव आ गये, या मध्यावधि चुनाव आ गये इन अवसरों के ऊपर रोजाना गजट के अन्दर गांवों की लिस्ट आये, जिनके अन्दर अकाल की घोषणा की जाय, ऐसे एक नहीं, पचास, सौ, दो सौ, पांच सौ गांव एक साथ अकालग्रस्त घोषित किये गये और अकाल ग्रस्त घोषित करने के लिये फेमीन कोड के तहत जो फार्मेलिटीज पूरी को जाना आवश्यक है, कलेक्टर की रिपोर्ट आना आवश्यक है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं समझी जाय और उप चुनाव लड़ना है, नगरपालिका का चुनाव लड़ना है, मध्यावधि चुनाव लड़ना है—इसलिए गांवों को अकाल ग्रस्त घोषित कर दिया जाय और इस प्रकार अकाल ग्रस्त घोषित करके राजस्थान की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा अकाल के नाम पर भ्रष्टाचार में लुटाया जाय, अकाल के नाम पर पैसा पानी की तरह बहाया जाय—मैं सोचता हूं, यह स्थिति उचित नहीं है। आज राजस्थान सरकार को इन सारे प्रश्नों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां इस बजट के अन्दर, इस सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट में आपने अन्य मांगें दिखाई हैं, वहां पर आपको आश्चर्य होगा कि राजस्थान सरकार ने मन्त्रिमण्डल के सदस्यों के लिए 8 लाख 88 हजार की अतिरिक्त मांग की है। मैं

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

वित्त मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि यह 8 लाख 88 हजार किस बात का मांगा गया है, यह इतना भार इस प्रकार से राजस्थान की जनता के ऊपर मन्त्रिमण्डल के लिए डाला गया है—क्या यह वही खर्चा है, जो इन मध्यावधि चुनावों के अवसर पर इन मन्त्रियों ने सरकारी धन का दुरुपयोग भत्ते के नाम पर, सरकारी साधनों के उपयोग के नाम पर किया है? क्या यह वही पैसा है, क्या यह उसी के चुकारे का पैसा है, जो टेलीफोन के बिल हैं, जो रोजाना जयपुर में बैठ कर या अन्य स्थानों पर बैठे हुए इन्होंने टेलीफोन से चुनाव की व्यवस्था की है या चुनाव के लिए सारे साधन जुटाये हैं। इसके बाद में 8 लाख 88 हजार रुपया राजस्थान की जनता से मांगा जा रहा है। आज जो प्रिवी पर्स को समाप्त करने का नारा देते हैं, मैं मानता हूं कि इसके पीछे औचित्य है। जहां एक ओर लोगों का कहना है कि हम आगू्मेन्ट से बंधे हुए हैं, उनके तर्क में बल हो सकता है, लेकिन इस तर्क में भी भार है कि प्रिवी पर्स समाप्त होना चाहिए। लेकिन इस पांच करोड़ या पौने पॉच करोड़ से किसी प्रकार गरीबी मिटने वाली नहीं है, कोई समाजवाद आने वाला नहीं है, लेकिन यह एक भावना है और इस भावना का क्रियान्वयन होना चाहिए। यह तर्क हम स्वीकार करते हैं। लेकिन राज्य सरकार का जो भारी भरकम खर्चा है, मन्त्रिमण्डल, जिसके अन्दर सैंतोस मन्त्री हैं, कुछ पद मिला कर चालीस हैं, जिन पर मन्त्री स्तर का खर्चा किया जाता है—क्या इससे यह राज्य सरकार समाजवाद लाने में पहल करेगी? आज यह चालीस-चालीस को फौज किस काम में आ रही है? इनके पास कोई काम नहीं है. सचिवालय में बैठने की कोई जगह नहीं है सिवाय इसके कि यह दौरा करें और दौरे के दौरान, कहीं पर डाक बंगले में बैठ जायं, कहीं पर रेस्ट हाउस में बैठ जायं या कहीं पर सर्किट हाउस में बैठ जायं। और जनता के हित की परवाह न करके अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले करें। मैं समझता हूं कि इससे बड़े दुःख की बात नहीं हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, रोजाना इस प्रकार के समाचार हमें मिलते हैं। तो इस प्रकार जिन उप मन्त्री और राज्य मन्त्रियों के पास कोई काम नहीं है, वह केवल एक काम करते हैं तबादले करने का और उनके इलाके के अन्दर कोई भी कर्मचारी को नौकरी पर लगाते हैं, चाहे वह सब-इन्स-पेक्टर हो, चाहे एस. डी. ओ. हो, सब से माहवारी तनख्वाह बंधी हुई है, वेतन हर माह चुकाते हैं, हर थानेदार, हर सर्किल इन्सपेक्टर, हर डो. एस. पी., इन्सपेक्टर द्वारा माहवारी वेतन चुकाया जाता है। क्या यह जो भारी भरकम मन्त्रिमण्डल राजस्थान की गरीब जनता के ऊपर थोपा जा रहा है, इससे आप गरीब अमीर का भेद मिटायेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि मन्त्रिमण्डल का आकार छोटा किया जाय, आवश्यकता इस बात की है कि जो मन्त्रिमण्डल पर खर्च किया जाता है, उसमें कमी की जाय और मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि राजस्थान की विधान सभा के सदस्यों को जिस प्रकार की फैसे-लिटी दी जा रही है, उसके अन्दर भी कमी की जाय। वास्तव में यदि आप गरीब और अमीर का भेद मिटाना चाहते हैं तो आज आवश्यकता इस बात की है कि आप इसमें,

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

प्रकार का दृष्टान्त जनता के सामने रखें कि वास्तव में हमें उनकी स्थिति से वेदना है, पीड़ा है समाज की स्थिति को देख कर। आज हमें एअर कन्डीशन चाहिए, आज हर एक को कूलर चाहिए, आज हर एक को हर प्रकार की सुविधा चाहिए, आज हर एक को बढ़िया से बढ़िया बंगला चाहिए, आज हर एक को बंगले में एक्सटेंशन चाहिए—यह जो सारा तौर-तरीका हम अपना रहे हैं, क्या इन तौर तरीकों से हम देश के अन्दर समाज को यह बता सकेंगे कि हम निश्चित रूप से गरीब और अमीर का भेद मिटाना चाहते हैं। इसके बारे में हमारा कोई चिन्तन नहीं है, कोई विचार नहीं है। प्रश्न केवल नारों का है, जो गले से मुंह तक तो निकलते हैं लेकिन गले से नीचे के भाग से उनका सम्बन्ध नहीं रहता है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि नारों से काम नहीं चलने वाला है, इससे देश की स्थिति के अन्दर कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। मध्यावधि चुनाव में जो नारा दिया गया, वह एक जादू था, जो चल गया। लेकिन यह नारे आपको मंहगे पडेंगे क्योंकि अब आप कौनसा नारा देंगे। इस दफा तो आपने गरीबी मिटाने का नारा दिया, मैं यह मान सकता हूं कि गरीबी मिटाने के नारे के कारण जनता ने आपका साथ दिया लेकिन आप गरीबी नहीं मिटा पायेंगे, गरीबी मिटाना तो दूर रहा, आप गरीब और अमीर के भेद को भी नहीं मिटा पायेंगे, तो इसके बाद में आप कौनसा नारा देश की जनता को देने वाले हैं? आप कौनसा नारा देंगे? देश की जनता के लिए आपका यह नारा एक भ्रांति साबित होने वाला है। अब आपके पास कोई नारा नहीं बचा है इस नारे के बाद। अगर आप देश की जनता को कुछ नहीं दे पाये, जैसी कि मुझे आशा है कि आप नहीं दे पायेंगे, न तो आपसे यह बेकारी की समस्या मिटने वाली है, न गरीबी मिटने वाली है। तो फिर कौनसा नारा रह जायेगा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस नारे के बाद देश में खूनी क्रांति आयेगी, जो नहीं आनी चाहिए। लेकिन इन कोरे नारों पर जो भूखे, नंगे और बेकार हैं, वह फिलहाल विश्वास नहीं कर सकते। आज तक इन नारों की पूर्ति नहीं हुई है, और जिस ढंग से चल रहे हैं उससे यह पूरा भी नहीं कर पायेंगे। आज तक जिस तरफ चलने के लिए रास्ता चाहिए, वह रास्ता साफ नहीं है। आज बेकारी को मिटाने के लिए बजट में प्रावधान लेकर आये हैं, इसके बाद जब जनरल बजट आयेगा और उस पर बहस होगी तब मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। फिलहाल मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, साल दो साल के लिए जो लोग पांच सौ रुपये, से एक हजार रुपये तक के अधिकारी हैं उन्हें आप डेढ़ सौ रुपये, दो सौ रुपये दे देंगे तो साल दो साल के लिए बोझ रख सकते हैं सरकारी खजाने के ऊपर और बेकारी एलाउन्स के रूप में, दान के रूप में उन्हें दे सकते हैं, लेकिन इससे उनका काम नहीं चल सकता है जब तक आप राजस्थान में उद्योगों का जाल नहीं बिछायेंगे, जब तक राजस्थान में रोजगार के साधन नहीं जुटाये जायेंगे, जब तक रोजगार के साधन लोगों को मुहैय्या नहीं किये जायेंगे तब तक बेकारी नहीं मिट सकती है और यह बेकारी और बढ़ती जायेगी। इसलिए मैं

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

राजस्थान सरकार को कहना चाहूंगा कि वह केवल नारों पर निर्भर नहीं रहे, नारों के अतिरिक्त वास्तविकता को देख कर भी हम गरीब और अमीर के भेद को मिटा पायेंगे। ऐसे दृष्टान्त हो सकते हैं, ऐसे दृष्टान्त कि जिसके अन्दर हम केवल बात ही न कहें, केवल बहुमत के आधार पर बजट पास न करें, बल्कि ऐसा दृष्टान्त कायम करें कि साधारण से साधारण रह कर अपने खर्च में कमी करें, मंत्रिमण्डल में कटौती करें, भारी भरकम मंत्रिमण्डल में कटौती करें। यह आवश्यक भी है।

आज इसमें राष्ट्रीय व्यक्तियों के लिए आपने खर्च मांगा है। इस बजट में भी मांगा है, तो क्या यह राष्ट्रीय व्यक्तियों के लिए खर्च मांगा है, वह वही खर्च तो नहीं है जो कि चुनाव के दौरान में खर्च किया गया है। इन्दिरा गांधी के पन्द्रह बीस मिनिट के भाषण के लिए लाखों रुपया खर्च कर दिया गया। क्या व्यवस्था थी, भारी भरकम व्यवस्था, पुलिस के आधार पर सारी व्यवस्था की जा रही थी। हो सकता है, यह सुरक्षा की दृष्टि से हो, कुछ आवश्यक भी है लेकिन वित्त मंत्री जी, आपने भी देखा होगा कि इस सारे ढंग से जितनी सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है, यह फिजूल है। आप कोई सुरक्षा नहीं करते हैं, सिवाय इसके कि शहर के अन्दर आतंक का वातावरण बना कर चलते हैं। यह कोई व्यवस्था नहीं है। यह खर्च आपको करना है तो यह पार्टी को बर्दाश्त करना होगा। सीक्योरिटी मेजर के सिवाय और जो व्यवस्था की जाये, मंच की व्यवस्था करें, वह सारी व्यवस्था पी. डब्लू. डी. करें, हजारों पी. डब्लू. डी. के आदमी वह व्यवस्था करें, राज्य का सारा अमला, सारे आदमी वहां लग जायें, हजारों पुलिस कर्मचारी उस क्षेत्र में भेजे जायें और उन पर खर्च किया जाए—तो यह राष्ट्रीय व्यक्तियों पर ढ़ाई लाख रुपये खर्च बताया है यह क्या वही नहीं है। यह शायद चुनाव के अवसर पर किया गया चुनाव में प्रधान मंत्री और दूसरे नेताओं ने जो राजस्थान का दौरा किया उसके खर्च को मीट करने के लिए। इसकी व्यवस्था कांग्रेस पार्टी को स्वयं को करनी चाहिये। यह राजस्थान की जनता के ऊपर खर्च डाला गया है यह उचित नहीं है। यह ठीक है कि आज राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों सरकार कांग्रेस के हाथ में है, लेकिन राज्य सरकार ने कभी विचार किया जिस प्रकार अन्य राज्यों में हुआ, जहां राज्य सरकार और दलों के हाथ में है, वहां पर केन्द्रीय नेताओं का दौरा होता है तो वहां मांग की गई कि हम यह खर्च बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। चुनाव के अवसर पर दौरा होता है तो चाहे प्रधान मंत्री का हो, चाहे केन्द्रीय मंत्री का हो, चाहे राजस्थान के मंत्रियों का हो—यह सारा का सारा खर्चा पार्टी को बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन पार्टी के चुनाव और पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए जो खर्चा होता है, उसके लिए यह सरकार सदन के सामने आती है और उस सारे खर्च को जनता द्वारा बर्दाश्त करने के लिए कहा जाता है।

अन्त में मैं आपका ध्यान एक प्रश्न की ओर खींचना चाहूंगा और वह है खादी उद्योग। गांधी जयन्ति के अवसर

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

पर खादी उद्योग के लिए आपने 11 लाख 50 हजार रुपये स्वीकृत किये थे और इस बजट में उसकी मांग की है। आज, उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के 23 साल के बाद में कांग्रेस पार्टी को और उसकी सरकार को इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए, केवल लकीर के फकीर होने से काम नहीं चलेगा। मैं खादी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आपको इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना होगा कि महात्मा गांधी ने जो चर्खे का प्रचलन किया था और खादी का प्रसार किया था, उसके पीछे भावना क्या थी? क्या उसके पीछे स्वावलम्बन की भावना है? क्या उसके पीछे कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों को पनपाने की भावना थी? और अगर यह भावना थी तो क्या इस भावना को और पीछे आप ले गये हैं या इस भावना को और पनपा रहे हैं। जो खादी उद्योग आज जिस तरह का है, क्या इससे उस भावना की पूर्ति होती है? क्या आज जो खादी को धारण करते हैं, खादी को पहनते हैं, वह चौबीस घण्टों के अन्दर से पांच मिनिट भी घर पर चर्खा कातते हैं? कोई नहीं कातता है। कोई नही कातता है। वहां के बारे में नाम को भी नहीं जानते हैं। लेकिन आज फैशन बन गया है खादी पहनने का, चाहे खादी डी. सी. एम के सूत की पहने, कारखाने के सूत की लेकिन उसको भी खादी कहेंगे। आज खादी भंडारों के अन्दर मिल का कपड़ा आता है, खादी भंडारों में आज वह कपड़ा नहीं आता है जो कुटीर उद्योगों में जुलाहे बनाते हैं। जो मिल के सूत से बनी खादी आज खादी भंडारों में बेची जाती है, इसमें इस क्षेत्र के स्वावलम्बन की भावना नहीं है। आज आप खादी पहनते हैं लेकिन आपके पास इतना समय नहीं है कि उसको हाथ से धो लें, वह ड्राई क्लीनर्स के पास जायेंगे, या धोबी के पास से धुल कर आयेंगे, चौबीस घंटे की सर्विस में धुलवायेंगे और आठ आने उसकी धुलाई का देंगे। आपको अच्छे कपड़े चाहिए, टिनापोल से चमकते हुए कपड़े चाहिए। इसमें कहां है स्वावलम्बन की भावना? यह तो एक फैशन बन गया है। मंत्रिमण्डल में जो मंत्री बैठे हैं, जो खादी के प्रसार के लिए उत्तरदायी हैं, जो इसके लिए जिम्मेवार हैं कि स्वावलम्बन की भावना से वह आज कितना चल रहे हैं? कोई नहीं चल रहा है। केवल एक फैशन है कि खादी भंडार से कपड़ा खरीदा जाय, चाहे वह किसी भी भाव, बाबा के भाव दे रहा है। खादी बाबा के भाव से मिलती है, उतने में बढ़िया से बढ़िया कपड़ा मिल का मिल जायगा। वित्त मंत्री जी खादी पहनते हैं, मुझे उनसे ईर्ष्या नहीं है, लेकिन क्या यह खादी कहे जाने लायक है, क्या इसको आप खादी का कपड़ा कह सकते हैं? खादी के पीछे जो भावना थी, वह खादी आज समाप्त हो गई है। आज इसलिए देखने की आवश्यकता है, उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारे कुटीर उद्योग है, वह आज के कम्पीटीशन में जीवित नहीं रह पा रहे हैं। जहां पर बड़े बड़े कारखानों में धागा तैयार होता है, बड़े बड़े कारखानों से कपड़ा तैयार होता है उस कपड़े की ड्यूरेबिलिटी को देखते हुए, आज उसके सौन्दर्य को देखते हुए, हमारा यह कुटीर उद्योग उसके कम्पीटीशन में खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए जो बड़े अच्छे अच्छे धन्धे थे वह आज ठप्प हो गये है, और इनमें काम करने वाले

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
व्यक्ति बेरोजगार पड़े हैं । इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि केवल खादी उद्योग का नारा लेकर मत चलें । आवश्यकता इस बात की है कि यह कपड़ा कम्पीटीशन में खड़ा हो सके इसके लिए कुटीर उद्योग की दशा सुधारें । आज जुलाहे हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं, जो पीढ़ियों से इस धन्धे को करते आ रहे हैं, वे इस धन्धे को कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके हाथ से कता हुआ सूत और बनाया हुआ कपड़ा बाजार में नहीं चल सकता है । केवल फैशन के लिए इसे पहनते हैं, वैसे इसकी भावना तक खत्म हो गई है, स्वावलम्बन की भावना तक खत्म हो गई है कि कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देंगे । फिर खादी से किस बात के लिए आप चिपके हुए चल रहे हैं । अगर कुटीर उद्योग की बात करते हैं और आप हाथ से बना हुआ कपड़ा धारण करना चाहते हैं तो धारण कीजिये रेजी, तो गांव में बैठे हुए जुलाहे ने स्वयं मिल के सूत से तैयार की हैं और जो रेजी के नाम पर बाजार में बिकती है, उस कपड़े को आप प्रोत्साहित करें और उस कपड़े को बनाने वालों को, जो सैंकड़ों और हजारों की संख्या में इस रेजी के काम में लगे हुए हैं उनको प्रोत्साहित करें ।

महात्मा गांधी ने तो कई नारे दिये थे, उन्होंने शराबबन्दी का नारा भी दिया था । लेकिन क्या किया आपने । आज पैसा चाहिए राजस्थान सरकार को । अगर आज आप शराबबन्दी कर दें तो राजस्थान सरकार घाटे में चली जाय, केन्द्रीय सरकार की आमदनी खत्म हो जाय । इसलिए शराब का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है । आज नेता नारा देने लग गये हैं कांग्रेस के ही नहीं बल्कि दूसरे भी That it was a Political Stunt. वह महात्मा गांधी का राजनैतिक स्टन्ट था, जो शराब बन्दी का नारा दिया, उसको आज गांधी के बेटे कहना चाहते हैं, यह राजनैतिक स्टन्ट था । इस नारे से आज तक आप जीते हैं, और आज तक जिसके बल पर खा रहे हैं, उसको स्टन्ट मत कहिये । उसके पीछे भावना थी । आज शराब बन्दी नहीं कर सकते हैं । इसी प्रकार खादी के नाम पर लाडले पल रहे हैं, जिनको मैं शरणार्थी कहूंगा, जिनका कोई नाम नजर नहीं आता है वह आज खादी भण्डार खोले बैठे हैं । मैं कहता हूं कि आप एक खतरे को पोषित कर रहे हैं. पनपा रहे हैं खादी भण्डार खोल कर । उनको पनपाना बन्द करिये और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, कुटीर उद्योग जो खड़े हैं, बेकार पड़े हैं, उनका पुनरुद्धार हो । उस ओर आप बढ़िये । लेकिन आप यहां तो यही नारा देते चले जायेंगे कि कुटीर उद्योग इस देश में प्रोत्साहित हो लेकिन उस ओर आपका ध्यान नहीं है । कल मैं बात कर रहा था कि जिस क्षेत्र में जहां अकाल पड़ता है उसके लिए क्या रास्ता ढूंढा ? मुझे बताया गया कि अगर राज्य सरकार गंभीरता से विचार करे तो घर घर में कुटीर उद्योग खोले जा सकते हैं, ऊन का धंधा खोला जा सकता हैं । हो सकता है कि रुपए में से 4 आने का नुकसान हो लेकिन 12 आने का तो काम पहुंचाया जा सकता है, पर्दा नशीन महिलायें कर सकती हैं । राज्य सरकार ऐसे कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करे और कम्पीटीशन में खड़े हो

Page No 78

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

जाए लेकिन राज्य सरकार ध्यान नहीं देगी। गांधी जयन्ति के नाम पर ग्रामोद्योगों के लिए 11½ लाख रुपए की सब्सिडो आप देना चाहेंगे लेकिन नारों से काम नहीं चलेगा। राज्य सरकार को सारे प्रश्न पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसलिए इतना ही कहता हुआ जो विधेयक पेश किया गया है, मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्षः श्री जुझारसिंह।

श्री जुझारसिंह (रामगंजमंडी) : मैं भी इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। राज्य सरकार ने, जैसा मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने निवेदन किया, नारों से इस राज्य को चलाने की कोशिश की है....

श्री उपाध्यक्ष : चल भी रही है।

श्री जुझारसिंह : हां चल भी रही है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : लेकिन उघड़ भी रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसका मतलब आप भी महसूस करते हैं कि केवल नारों से चल रही है? जनसंघ वाले शिकायत कर रहे थे कि उनकी गाय छीन गए।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप तो पिठ गए। मिले भी....

श्री रामानन्द अग्रवाल : अफसोस की बात है कि जहां तक मिलने का ताल्लुक है कि तिरंगा झंडा आप उठा कर चले हम तो केवल अपना झंडा लेकर चले, आप तो तिरंगा झंडा लेकर चले।

श्री जुझारसिंह : यदि इन नारों के बजाय राज्य सरकार सच्चाई के साथ उनका इम्पलीमेंटेशन किन्हीं अंशों तक भी करे तो जनता को बहुत कुछ राहत मिल सकती है। राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास का नारा दिया है। और उसको पूरा करने के लिए बहुत सी योजनायें भी बनाई हैं। यहां के करीब करीब सब सदस्यों ने नारे सुने हैं और उनका अनुभव है कि राज्य सरकार अब तक करीब 700 करोड़ से ऊपर का ऋण भारत सरकार से और दूसरी एजेन्सीज से प्राप्त कर चुकी है और उनका जो ब्याज बनता है, वह भी करीब 40 करोड़ के ऊपर आता है। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि आर्थिक विकास के नाम पर आपने यह रुपया लगाया उस पर जो ब्याज देना पड़ता है इसके द्वारा जो इकोनोमी डवलप की जा रही है क्या उसका ब्याज राज्य सरकार दे पाती है? यदि वह ब्याज भी नहीं दे पाती है, डेवलपमेन्ट लोन्स से तैयार किए हुए कामों से अगर वह ब्याज भी नहीं दे पाती तो यह कहां का आर्थिक विकास है और इससे जनता को क्या राहत मिल सकती है?

मेरे पास इतना समय तो नहीं होगा कि मैं इनके अलग अलग विकास कार्यों के बारे में कुछ कह सकूं लेकिन जो मुख्य बातें हैं, उन पर सदन में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगा। जहां तक मेरा अनुमान है करीब 100 करोड़ रुपये हमने सिंचाई योजनाओं पर विकास के लिए ऋण लिया है और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट्स हैं या समय समय पर राज्य सरकार के सामने जो रिपोर्ट्स पेश हुई हैं और इनके प्रश्नों के

(श्री जुझारसिंह)
जवाब में उत्तर आए हैं, उन्हीं के माध्यम से निवेदन करूं कि 100 करोड़ रु. के इन्वेस्टमेंट के बाद उन सिंचाई योजनाओं से जो डेवलपमेंट की योजनायें हैं और जो आपको रिटर्न देने वाली योजनायें हैं, उनसे इनके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स न आकर इन पर जो खर्चा किया जा रहा है, उनको भी वे पूरा नहीं कर पाते हैं।

जितनी भी मेजर, मीडियम और माइनर इर्रीगेशन की योजनायें हैं, उनमें से करीब करीब गंग कैनाल को छोड़कर सारी योजनायें नुक्सान में चल रही हैं। कल ही मैंने एक प्रश्न किया था कि महाराजा हरिशचन्द्र बांध जो पहले काली सिंध के नाम से था, वह 18.84 लाख की लागत से बनने वाला था और वह बांध 1958 में बन कर तैयार हो जाना चाहिए था और उस बांध से इनके अनुमानों के अनुसार करीब दो लाख रुपए साल की आमदनी होनी चाहिए थी और इस तरह से इन पिछले 12 वर्षों में अगर इनके प्रोग्राम के अनुसार, योजना के अनुसार रिटर्न देता रहता तो आज तक करीब उस 18 लाख की लागत से बने हुये बांध से 24 लाख रुपये की आमदनी राज्य सरकार को होती मुझे कल ही जवाब मिला है। उस बांध पर अब तक करीब 55 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं और उस बांध से जो टार्गेट्स सिंचाई के थे 33 हजार एकड़्स के याने 75 हजार बीघा सिंचाई की जाने वाली थी उसके अगेन्स्ट पिछले दो साल से एक बीघा भी सिंचाई नहीं हो रही है और पीक पीरियड़ में 5 हजार से ज्यादा कभी सिंचाई नहीं हुई तो जो खर्चे के टारगेट्स थे वह 18 लाख रुपए के बजाए 55 लाख हो चुका है शायद 15 लाख और खर्च होंगे तब बांध बन कर तैयार होगा। तो खर्चे के टार्गेट्स 5 टाइम्स ज्यादा हो चुके हैं और सिंचाई के टार्गेट्स थे आज तक 33,000 एकड़ के अगेन्स्ट मैक्सिमम पीक पीरियड में 5,000 एकड़ के बन पाए हैं 1/6 से भी कम है या 7.5 प्रतिशत रिटर्न देने वाली योजना तो आज नुकसान में चल रही है। न काश्तकार को फायदा हुआ है न राज्य सरकार को रिटर्न मिला है। इसी तरह से भीम सागर बांध 16 लाख की लागत से बनने वाला था और वह करीब करीब 1958 में खतम होने वाला था। आज उस बांध को बनाना तो दूर जो असवासर गांव डूब में आएगा उसका मुआवजा जो आज के दिन 30 लाख होगा और बांध और नहरों पर खर्चा कुल मिला कर 16 लाख के बांध पर 80 लाख का खर्चा योजना पर और होगा और सिंचाई के टार्गेट्स हैं और भी ज्यादा कम होंगे। तो मेरा निवेदन है कि इस तरह से जितनी सिंचाई की योजनायें हैं, उन पर खर्चा ज्यादा, सिंचाई कम। टार्गेट्स के मुकाबले में अचीवमेंट नहीं हुआ और पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार इनका कहना यह है कि जितना कर्जे का ब्याज इनको देना पड़ा है, उनके लिये........

श्री उपाध्यक्ष : जिन इन्जीनियर्स ने एस्टीमेट्स बनाए हैं उनको तनख्वाह निकलती है ?

श्री जुझारसिंह : तनख्वाह नहीं निकलती। नहरों के मरम्मत का खर्चा नहीं निकलता मेन्टीनेन्स का खर्चा नहीं निकलता। मैं मंत्री महोदय से सीरियसली

Page No 80

(श्री जुझारसिंह)
निवेदन करना चाहता हूं कि क्योंकि राज्य सरकार की यह हालत हो गई है कि कोई भी बात सदन में कही जाए उसको ब्रश असाइड करने की कोशिश करते हैं और ध्यान नहीं देते और जिस तरह का रवैया है इनका, उससे वे अमल करने वाले नहीं हैं। आप आर्थिक विकास का जो नारा लगाते हैं और सामाजिक न्याय का लगाते हैं, सामाजिक न्याय तब होगा जब आर्थिक विकास होगा। केपीटलिज्म और सोशलिज्म में मेन डिफरेन्स यह है कि कैपिटेलिज्म"""

श्री उपाध्यक्ष : इसकी व्याख्या मध्यावधि चुनाव में काफी कर चुके हैं।

श्री जुझारसिंह : जब तक उत्पादन नहीं होगा, वितरण तो बाद में आता है। मुख्य बात यह है कि इन्वेस्टमेंट्स से इतना उत्पादन कर लें कि वह जनता में वितरण कर सकें, सबको सामाजिक न्याय दे सकें। यदि इन्वेस्टमेंट्स प्रोफिटेबल नहीं हैं तो किस तरह से समाजिक न्याय लायेंगे ?

मैं अलग अलग सिचाई योजनाओं के बारे में नहीं कहना चाहता क्योंकि उसमें बहुत समय लग जाएगा लेकिन हमारे क्षेत्र में बहुत सी सिचाई योजनायें चलती हैं सब करीब करीब नुकसान में हैं। जहां तक आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय का प्रश्न उठता है, वह मंत्रियों के अपने क्षेत्र के सम्बन्धित इलाके से ताल्लुक रखता है। अगर वह मेरे अधिकार में आ गया तो वहां सामाजिक न्याय उनको जरूर दिलाने की कोशिश करेंगे लेकिन उस समय वे भूल जायेंगे कि कहां पर कोटा का इलाका है या झालावाड़ का इलाका है या भरतपुर का इलाका है। जिन इलाकों में इनका पोलिटिकल इन्टरेस्ट नहीं होता उन इलाकों के लिए सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास वाला नारा कोरा नारा है।

इस विषय में पहले भी मैं कह चुका हूं और फिर निवेदन करता हूं कि जितनी सिचाई योजनायें हैं तालाबों से और कुओं से और जो माइनर इर्रीगेशन स्कीम्स हैं उनको इन अकाल राहत कार्यों के तहत और सामान्य ग्रान्ट्स के तहत वार्षिक बजट में भी करीब 7 करोड़ का एक आइटम और 8-9 करोड़, कुल 16 करोड़ रुपए खर्च किया उनमें भी अगर आप मुलाहिजा फरमायेंगे तो जितनी माइनर इर्रीगेशन्स की स्कीम्स हैं वे मोस्टली उदयपुर डिवीजन को दे दी गयी हैं और चार करोड़ रुपया खर्च करने के बाद जो इलाका सिंचित कर पाये हैं वह 40 हजार का था। अकाल चलता रहा है और उनके क्षेत्र में कोई साल ऐसा नहीं चलता हो कि अकाल न हो और अकाल नहीं हुआ तो पोलिटिकल अकाल हो जावेगा। अकाल के नाम पर अपने इलाके को डेवलप करने का एक माध्यम बना दिया। दो चार साल की जो फीगर्स हैं मेरे पास उनके आधार पर निवेदन करना चाहता हूं कि चार करोड रुपया खर्च करने के बावजूद 40 हजार एकड़ सिंचित कर पाये हैं और कोटा क्षेत्र में 16 लाख रुपया खर्च करने पर इतना हो रकबा इर्रीगेट कर पाये हैं भरतपुर में तो 16 लाख खर्च करने पर 67 हजार एकड़ इर्रीगेट किया है। जहां 16 लाख रुपया खर्च करने पर 67 हजार एकड़ इर्रीगेट होता हो और चार करोड़ रुपया खर्च करने पर 40 हजार ही हो तो यह राजस्थान सरकार के सोचने की बात है। हमारे इलाके में कम खर्च करने

(श्री जुझारसिंह)
पर अधिक जमीन इर्रीगेट कर सकते हैं तो उस तरह की व्यवहारिक पेटर्न बनाते तो राजस्थान का आर्थिक विकास हो सकता है। आर्थिक विकास के नाम पर इम्बेलेन्स क्रियेट किया गया है, जानबूझ कर अपने इलाकों को बढ़ाने की कोशिश की है और दूसरों को नैग्लेक्ट किया है। यह सब ही जिलों में देखने को मिलता है।

आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की हालत भी देखियेगा। आपने राजस्थान रोडवेज चलायी, उपाध्यक्ष महोदय। अब कहने लगे हैं कि प्रोफिट लाने लग गयी है। एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा कि रोडवेज की डेली इनकम 168 हजार की है। 1 लाख 68 हजार की आमदनी जिस दिन से होती हो और 365 दिन होती हो तो उन्हीं के फीगर्स से पाँच छः करोड़ रुपया सालाना का कमाते हैं। पिछले दस वर्षों से यही रोडवेज दस लाख का घाटा बताती चली आ रही है और केवल पिछले वर्ष ही प्रोफिट बताया है। 6 करोड़ कमाने के बाद कम से कम करोड़ डेढ़ करोड़ का प्रोफिट बता सकते हैं लेकिन तमाम खर्च हो जाता है मेन्टीनेन्स ऑफ स्टाफ, डीजल में खर्च हो जाता है और बसेज के मेन्टीनेन्स में। उपाध्यक्ष महोदय, आपको तो कभी यह मौका नहीं आया होगा रोडवेज की बसेज में चलने का और न ही मन्त्री महोदय को जो स्कीम को चलाते हैं, उनको अनुभव है कि किस प्रकार की बसेज की मेन्टीनेन्स है और किस प्रकार की क्या व्यवस्था है। 6 करोड़ रुपया जहां प्रति वर्ष की आमदनी हो और 6 करोड़ का खर्चा मेन्टीनेन्स का हो और उसके उपरान्त भी जो दुर्दशा है उसका हमको अनुभव होता है जो इन बसेज में सफर करते हैं कि किस प्रकार का तो मेन्टीनेन्स हैं और क्या व्यवस्था है? 6 करोड़ का खर्चा करते हैं, न तो एफिशियेन्ट स्टाफ है, न टाइम का मेन्टीनेन्स होता है, न गुड बिहेवियर है और न क्लीनलीनेस है और आमदनी भी नहीं है। इस प्रकार की स्कीम चला कर कहें कि सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के लिये खर्च कर रहे हैं। मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह कहां तक जस्टिफाइड है और इस तरह की बात करके सिर्फ नारों से राजस्थान की जनता को गुमराह करना चाहते हैं और दुर्भाग्य से जनता को गुमराह करने में किसी हद तक सक्सेसफुल भी हुए हैं। यह करिश्मा कामयाब हो जाता है इसलिये यह और ज्यादा अपनाया जाय......

श्री शंकरलाल : यह कहना जनता का अपमान है कि गुमराह हो गयी है।

श्री जुझारसिंह : ठीक है। आप तशरीफ रखिये।

श्री शंकरलाल : आप गुमराह हो गये हैं जनता गुमराह नहीं हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : इनकी शिकायत यह है कि यह गुमराह नहीं कर सके हैं।

श्री जुझारसिंह : इतने से ही उनको सेटिस्फेक्शन हो जाता हो तो दूसरी बात है। जैसा उपाध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया। हर चीज को ये लोग इस प्रकार से लाइटली लेते हैं चाहे भ्रष्टाचार के मामले हों, चाहे आर्थिक विकास के मामले हों। कई उधर के महानुभाव जिसमें सदस्य महोदय भी हैं कोई न कोई चीज पैदा करके

Page No 82

(श्री जुझारसिंह)
अनड्यू बातें, पॉइन्ट उठा कर के उस विषय को, जो कि बहुत ही सोच विचार का विषय होता है, लाइटली लेकर साइड ट्रैक करने का प्रयत्न करते हैं।

श्री शंकरलाल : आपके अनुकूल फैसला हो जनता का तो जब तो ठीक है और खिलाफ हो तो बुरा है। आपके जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी कह दिया है कि जनता ने फैसला किया है वह सही है। जनता का फैसला होता है वह सही होता है। मूल सिद्धान्त को ही नहीं मानते हैं इसका ताज्जुब होता है।

श्री रामकिशन : विधान सभा के सदस्य न होकर मास्टर हो जाइये और वहां जाकर डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाइये।

श्री मुकुटबिहारीलाल : उनको पाकिस्तान भेज दिया जाय।

श्री जुझारसिंह : इस प्रकार से आर्थिक विकास के नाम पर मन माने ढंग से पब्लिक फन्ड्स को वेस्ट किया जा रहा है।

दुर्भिक्ष के बारे में भी कहना चाहूंगा। वैसे तो यह अमूमन बात हो गयी है उपाध्यक्ष महोदय। सम्बन्धित मन्त्री महोदय को, पी. डब्ल्यू. डी. और अकाल सहायता मन्त्री महोदय को पिछले दिनों मैंने एक दर्जन फैक्ट्स एन्ड फीगर्स के साथ पत्र लिखें हैं कि आपके विभाग में किस प्रकार भ्रष्टाचार हो रहा है। वित्त मन्त्री महोदय आप सुन लें। झालावाड़ जिले में 69-70 में फैमीन रीलीफ के तहत 87 लाख खर्च हुये बताये। उनमें से वह ही चीज मैं रिपीट कर चुका हूं कि जिनके बारे में कम से कम एक दर्जन बार आपके मन्त्रियों को पत्र लिख चुका हूं। पिड़ावा-कोटड़ो सड़क तीन मील है उस पर 1.70 लाख रुपया खर्च हुआ बताया। यह निवेदन करूंगा कि आपको मैं कहूं उसको मानने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं ही उस सड़क पर तशरीफ ले जाइये। तीन टोकली भी गिट्टी नहीं पड़ी है, उसका पेमेन्ट हो चुका है और उसके बारे में कम से कम एक दर्जन पत्र पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर और आकाल राहत मन्त्री परसराम जी को लिख चुका हूं।

श्री मथुरादास माथुर : फैमीन में बनी है।

श्री जुझारसिंह : फैमीन में पिछले साल बनी है।

दूसरी बात अर्ज करता हूं कि झालावाड़—पिड़ावा तक जाने की आवश्यकता नहीं है। 25 मन्त्री डाक बंगलो में ठहरे हैं। डाक बंगलो की पीछे की सड़क पर 60 हजार रुपया खर्च हुआ है और वहां पर एक कंकर भी नहीं डाला गया है। और उसके बाद भी पेमेन्ट हुआ है। ये फैक्ट्स भी मैं लिख चुका हूं। आप यह कहें कि फैमीन को अच्छी तरह से फेस किया है वेस्टर्न एरियाज में फैमीन हुआ होगा और क्या किया और क्या नहीं किया उसकी मुझे जानकारी नहीं है। किन्तु जिसके बारे में मैं लिख चुका हूं और आपके विभाग को लिख चुका हूं आप पब्लिक फन्ड्स पर इस प्रकार इन्डिफरेन्स रहें कि जवाब भी न दें उन पत्रों का आपको लिखकर ही नहीं दिया। परसनल रिक्वेस्ट भी की कि आप स्वयं चलकर देख लें। मन्त्री महोदय

(श्री जुझारसिंह)
कहते हैं कि गड़बड़ी हो गई होगी। पर आंखों से जाकर देखने में हिचकिचाते हैं। देखकर एक्शन लेना नहीं चाहते।

एक दो मील की सड़क और है रायपुर सादड़ी रोड। दो मील का टुकड़ा। सीमेंट नहीं पड़ा, डामर भी नहीं पड़ा, पर फिर भी इस पर एक लाख 58 हजार का खर्चा बताया गया है। ये कुछ ग्लेयरिंग इन्स्टान्स हैं। आप देखें इनको और जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो इस तरह से बह रहा है, उसे बचावें। इतने ही पैसे में कई मील की सड़कें बन सकती हैं।

पानी का ठेका देने में तीन लाख खर्चा बताया गया। उस इलाके में यह खर्चा बताया जा रहा है जहां दो-दो मील पर नदियां बहती हैं। इसके बारे में आपने भी कोई फिक्र नहीं की।

ये जो आपके उपमन्त्री है, जिन की क्वालिफिकेशन यह है कि आपका राज्य बचाने के लिए इधर से उधर जा मिले कन्हैयालाल जी।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री के लिये कोई क्वालिफिकेशन नहीं निर्धारित है।

श्री जुझारसिंह : उनकी तो क्वालिफिकेशन यह है कि इधर से उधर बैठे। तो उनके लिए निवेदन कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय, कि आप भी रोज कुर्सी पर बिराजते हैं उनको कभी क्वेश्चन ऑवर में आपने भी यहां सदन में उपस्थित देखा है क्या? ऑड टाइम में भी देखा है क्या? आज विधान सभा चल रही है और वे झालावाड़ में बैठे हैं। अमूमन, उनका यह रवैया है कि झालावाड़ जाकर बैठ जाते हैं। माननीय उन उपमन्त्री महोदय के गांव में सड़क बनी है सलोंदिया से पांच मील का फासला है। वैसे फेमीन के अन्दर यह काम होता तो मैं समझ सकता था कि अधिक खर्चा हो गया होगा, क्योंकि उस समय आप काम नहीं देखते आप तो फेमीन अफेक्टेड लोगों को काम देने का मुख्य ध्येय उस वक्त लेकर चलते हैं। बैठें बैठे भी दिया है पैसा लोगों को फेमीन के समय। पर यह पांच मील का टुकड़ा है। इस पर 6½ लाख का खर्चा बताया है। अब इसके लिये सरकार यह कहे कि हम तो विरोधी हैं हमारा तो काम ही नुक्स निकालने का है।

श्री मथुरादास माथुर : हम तो यह नहीं कहते।

श्री जुझारसिंह : ऊपर से भले ही न कहें। पर आपके एक्शन ऐसे ही हैं। हमारे पत्रों का जवाब न दें।

श्री शंकरलाल : आप न कहें, ये मानकर चलते हैं।

श्री जुझारसिंह : डॉन्ट मेक साइड ट्रेक।

यह सूक्ष्म चीज है। लम्बा चौड़ा मामला नहीं है। पर आप जाकर ऑन दी स्पाट देखें तो सही। मालूम तो आपको भी तुरन्त हो जावेगा। अपने सेटिसफेक्शन के लिए जाकर देख तो लिया करें। क्या यह आप अपनी ड्यूटी नहीं समझते? त्रिपाठी इन्जीनियर को आप जानते होगें। हमारी शिकायत पर आपने उनके खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश की। पर पार

(श्री जुझारसिंह)

नहीं पड़ सकी। उनका तबादला कर दिया जब उनकी बात आई तो यह कहा गया कि वे तो हमारी यूनिट के सबसे अच्छे आदमी हैं। अच्छे हैं क्योंकि पब्लिक फण्ड का पैसा इस तरह से नष्ट होने देते हैं। एक मिस्टर नाग हैं। उनको वहां पोस्ट कर दिया। एक सप्ताह रखा गया और इसके बाद मे इस आदमी को जो फण्ड को वेस्ट कर रहा है, फिर जाकर झालावाड़ में पोस्ट कर दिया और इस तरह से इस सारे मामले पर लीपापोती कर दी।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई अच्छी चीज नहीं है। इससे न तो सामाजिक न्याय मिलने वाला है और न किसी तरह से जनता का विकास होने वाला है।

देश में बेरोजगारी है, भुखमरी है, और भी बहुत बड़े-बड़े प्रॉब्लम हैं। समाजवाद का नारा लगाया जाता है। बहुत अच्छा नारा है। पर कोरे नारेबाजी से समस्याएं हल नहीं होंगी। ईमानदारी से और मेहनत से इनको इम्पलीमेन्ट करना होगा। प्रोडक्शन को कड़ी मेहनत करके ईमानदारी से पहले बढ़ाना होगा और फिर डिस्ट्रिब्यूशन होगा। अगर इस तरह के कारनामे आप बर्दाश्त करते हैं तो फिर वह समाजवाद नहीं आने वाला है। कुछ और ही आवेगा। एक तरह से अराजकता ही इससे फैलेगी और इसका दायित्व इसी समाजवादी सरकार पर होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, शायद आपको भी अनुभव होगा, मैं नहीं कह सकता कि आपके इलाके में क्या परिस्थिति है, पर हमारे इलाके मे ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें जमीनों पर झगड़े नहीं हो रहे हों। एक आदमी रास्ते पर ट्रेस पास हो गया। मार्जिनल लैंड पर ट्रेस पास कर लिया। हमारे यहां भूमिहीन हरिजनों की सीरियस प्रोब्लम है। उनको जमीन नहीं मिलती। पर पब्लिक लैंड पर ट्रेस पासिंग तेजी से होता जा रहा है। राज्य सरकार एक नारे बाजी में फंसकर उन ट्रेस पासिंग्स को बराबर रेगुलेराइज करती जा रही है। अभी 1-1-71 तक रेगुलेराइज कर दिया। यह प्रोसेस 61 में शुरू हुआ। एक साल के लिये प्रारम्भ हुआ। पर बाद में 62 निकला। इसमें वही रिपीट हुआ। इसके बाद 63-64 आया और आज वह 71 तक पहुंच गया है।

सही बात यह है कि आप सरकम्स्टेन्सेज में दबकर ऐसे आदमियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं जो गांवों में मनमानी करते हैं। आप शायद यह सेटिसफेक्शन लेते होंगे कि आपने इस तरह के ट्रेस पासिंग को रेगुलेराइज करके किन्हीं हरिजनों या शिड्यूल ट्राइब्स या शिड्यूल कास्ट के लोगों को जमीनें दे रहे हैं और वे कोई इस तरह के ट्रेस पासर्स होंगे। कमजोर आदमी कभी भी ट्रेस पासर्स नहीं हो सकते। वे तो दादागिरी करने वाले बदमाश आदमी ही हिम्मत करते हैं ट्रेस पासिंग करने की। वास्तविकता भी यही है। तो आज जिनको आप रेगुलेराइज कर रहे हैं जान या अनजान में ऐसे लोगों को ही कर रहे हैं और इन्हीं का हौसला बढ़ाते जा रहे हैं। इससे किसी हरिजन या पिछड़ी जाति के लोगों को कोई राहत नहीं मिल रही है। ऑन दी कॉन्ट्रेरी तो यह हो रहा है कि इस तरह के अलॉटमेन्ट के तहत जो जमीन रेगुलरली अलॉटमेन्ट होता तो उस रेगुलर

(श्री जुझारसिंह)
अलॉटमेन्ट में आनी और उस भूमि को आप डिर्जविंग परसन्स को अलॉट कर सकते थे वह नहीं हो रहा है, आज आपकी यह रेगुलेराइज करने की पॉलिसी गलत दिशा में जा रही है और इस गलत पॉलिसी की वजह से सही आदमियों को आप जमीन से वंचित करते जा रहे हैं और दादाओं को आप रेगुलेराइज करते जा रहे हैं। अब इन सब बातों को आप बर्दाश्त कर रहे हैं तो या तो जानबूझकर बरदाश्त कर रहे हैं या अनजान में यह सब कर रहे हैं अज्ञानी हैं फिर आप। ट्रेस पासिंग की आपने पेनल्टी भी लगाई है। आपने गांवों में चार फेज बनाई हैं। मैं अपने क्षेत्र की अर्ज करूं कि आपकी इन गलत नीतियों के कारण गांवों में झगड़े पैदा हुए हैं। एक तरह से एक्सप्लॉइटेशन भी हुआ है। पेनल्टीज इतनी सीरियस लगाई हैं कि लोगों में बडा असन्तोष है। इसे आप प्रोग्रेसिव नीति का नाम देते हैं यह ठीक नहीं है।

आपकी पॉलिसी फर्म होनी चाहिये। ढिलमिल नहीं। बेसलेस नहीं। जनता के हक में गरीब तबके के हक में सोचकर करें। पर फ़िकल माइन्डेड पॉलिसी इनडिसीजिव नेचर से राज्य का प्रशासन बिगड़ता है। और इसके लिये जो बिगड़ा है आप जिम्मेदार है।

बजट पर बहस नहीं हो रही है, इसलिये उस पर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा इस समय पर आपने कुछ पुराने डेट को राइट ऑफ किया है म्यूनिसिपेलिटीज के। पर आप दबकर क्यों करते हैं। बरसों तक पहले इन्तजार करते रहे। तीन करोड़ आपने राइट ऑफ किया। पर अब आगे के लिये करेंगे तो किस स्थिति में माफ करेंगे। आपकी वेवरिंग पॉलिसी है। न आपके प्रशासन में ताकत है और न आप में स्वयं में। आप गलत तत्वों को गलत बातें करने के लिये प्रोत्साहन देते आ रहे हैं वित्त मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बातें हैं, फैक्ट्स हैं और जिन के बारे में मैंने अभी निवेदन किया है, रोजनल इबैम्लेन्स और वेस्ट ऑफ पब्लिक फण्ड्स और राज्य सरकार द्वारा किस विधायक के द्वारा सही बात बताने के बावजूद भी उसकी तलाश न की जाये, उस पर गौर न किया जाये, यह प्रवृत्ति डेमोक्रेटिक प्रवृत्ति नहीं है। आपके मन में डेमोक्रेटिक स्पिरिट नहीं है तो आप कौनसा न्याय करेंगे ? आप डिक्टेटर बनते जा रहे हैं। आपकी कथनी और करनी में अन्तर है। आपके चाल चलन और रहन सहन में अन्तर है। पब्लिक में और आप में बहुत फर्क हो गया है, दूरी हो गई है कल तक जो हमारे साथ में बैठते थे आज उनके रवैये, तौर तरीके में और बातचीत में फर्क आ गया है। अकल में, बुद्धिमानी का उनमें इजाफा हो गया हो ऐसी बात नहीं है। यह फर्क सिर्फ इसलिए उनमें आया है कि उनको पोजीशन मिल गई है। आप चाहें समाजवाद का नारा देकर चलें, लेकिन आपके व्यवहार में समाजवाद नहीं है। इसलिए आप से निवेदन करना चाहता हूं कि नारा देने के बजाय आप एक्शन के ऊपर ध्यान दिलावें। आपके एक्शन से, आपके नारे यदि एक बटा भी पूरा हो जायें तो जनता का कुछ राहत मिलेगी और इसी तरह से बात करते रहे तो जनता को थोड़े दिनों तक और गुमराह कर सकते

(श्री जुझारसिंह)
हैं और यह जो बिल है उसका विरोध करता हुआ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी बजट को बनाते वक्त उसमें निहित उद्देश्य होता है और उनका पालन जरूरी होता है। अच्छे बजट को बनाने में अनुमान ठीक तरह से लगाये जाने चाहिए और उन अनुमानों के अनुसार ही काम हो वही एक अच्छा बजट का सिद्धांत माना गया है। उपाध्यक्ष महोदय 187 करोड़ रुपये की सप्लीमेन्टरी ग्रान्टस रख कर के हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने यह ऐसी परम्परा कायम की है जो मूल बजट का 50 प्रतिशत के आस पास जाकर के बैठती है. उन्होंने पिछले मास में हमारे से जो विधेयक पास करवाया था वह करीब 4 अरब का था, 4 अरब 18 करोड़ और 90 हजार का था। उसके बाद में वित्त मन्त्री महोदय ने नवम्बर के महीने में एक और अनुपूरक बजट पास करवाया और उसके बाद इस सत्र में 31 मार्च के पहले 187 करोड़ रुपये का एक और विनियोग विधेयक हमारे सामने रखा है, जो बजट के किसी भी सिद्धान्तों के अनुसार कसने पर ठीक नहीं उतरता है। वित्त मन्त्री महोदय ने जो बजट स्पीच इस सदन के अन्दर दी है उसमें और इनमें, उनकी कथनी और इम्पलीमेन्टेशन में बड़ा अन्तर आता है। 50 प्रतिशत के करीब रकम जिसका कि बजट में कोई प्रावधान नहीं था, उसको सप्लीमेन्टरी के जरिये यहां पर पास कराया जा रहा है। यह किसी भी सिद्धान्त के अनुसार नहीं है। किसी भी देश के अन्दर उसके बजट के अन्दर सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट का अनुदान 50 प्रतिशत नहीं मांगा जाता है। आपने इसके लिये कई कारण बताये हैं कि इस इस प्रकार से खर्चा अधिक हुआ। होने वाले खर्च का अनुमान सही तरीके से लगाया जाये, इसीलिये सरकार की तरफ से होने वाले खर्चे का पहले ही अनुमान लगाया जाता है और जो खर्चा आने वाला है उनको इन्क्लूड कर के बजट बनाया जाता है और उसी आधार पर उसको अच्छा, बुरा बजट कहा जाता है। इस मायने में यह नहीं कह सकते हैं कि हमारा बजट अच्छा है। उसके अनुमान गलत निकले हैं और गलत अनुमानों पर वह आधारित था।

राज्य सरकार ने अभी अपने कर्मचारियों को राहत दी है, एडहॉक रूप से उन्हें भत्ता दिया है। मैं सरकार के इस सिद्धान्त से सहमत नहीं हूं। शुरू में सरकार ने 100/- रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 10/- रुपये का इन्क्रीमैन्ट, बढ़ोतरी दी थी तो मुझे यह बात समझ में आई थी कि हमारी सरकार की यह नीति है कि समाजवादी सिद्धान्त के आधार पर जिसको कम मिलता है, उसका जीवनयापन ठीक प्रकार से हो उसको राहत दी जानी चाहिये। लो पेड कर्मचारियों को 10/- रुपया देकर सरकार ने एक आदर्श स्थापित किया था और उसका अनुसरण सारे देश में किया जाना चाहिये था लेकिन उसके बाद में 100/- रुपये से ऊपर 1250/- रुपये तक पाने वाले कर्मचारियों के वेतन में 15/- रुपये की बढ़ोतरी एडहॉक रूप से की गई है। यह किसी भी सिद्धान्त पर सही नहीं उतरता है कि 100/- से 1250/- रुपये तक

(श्री रामनारायण चौधरी)
माहवार वेतन पाने वालों को आप 15 रुपयों की इन्क्रीमैन्ट दें। आपको एक लिमिट तय करनी चाहिये कि इतने रुपयों तक मन्थली इन्कम की जो आमदनी है वह एक कर्मचारी के लिये सफीशियेन्ट है। वहाँ तक आपको इन्क्रीमैन्ट, बढ़ोतरी नहीं देनी चाहिये। 1250/- रुपये तक पाने वालों को 15/- रुपये और 100/- रुपये तक पाने वालों को 10/- रुपया आपने दिया है यह किस सिद्धान्त के ऊपर है। यह किसी भी सिद्धान्त के ऊपर ठीक तरह से नहीं उतरता है। यह हमारे सिद्धान्तों के विपरीत है। मैं निवेदन करूंगा कि जो अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं उनके लिये एक निश्चय किया जाना चाहिये कि वे अपने जीवन का ठीक प्रकार से निर्वाह कर सकें और उसके लिये कितना माहवारी दिया जाना चाहिये, यह हमारी राज्य की सरकार को तय करना चाहिये, उसके बाद यह एडहॉक ग्रान्ट, इन्क्रीमैन्ट वेतन के अन्दर दिया जाना चाहिये।

अभी हमने यह भी सुना है कि रिटायर्ड सेवा से निवृत्त व्यक्तियों को पेन्शनर्स को आपने मैडिकल सुविधायें दी है, मैं इसका स्वागत करता हूं परन्तु इसके साथ ही साथ यह सुविधा आई. ए. एस, आर. ए. एस. अधिकारियों को ही प्राप्त होगी। आई.ए.एस. और आर. ए. एस अधिकारी जब सेवा में थे, ऊंचे पदों पर थे और जान पहचान थी और वैसे ही उनको सुविधा प्राप्त है। बड़े-बड़े अस्पतालों में जो क्यूबिकल्स, कॉटेज वार्डस् की सुविधा उपलब्ध है वह पुराने नियमों के अनुसार उन्हें पेन्शन के बाद नहीं मिलती है। समाप्त हो जाती है और अब इन बड़े-बड़े अधिकारियों ने अपने महज स्वार्थ के लिए राज्य सरकार से बातचीत कर के अपने अधिकार सुरक्षित रहे और यह सुविधा मिलती रहे यह राज्य सरकार से घोषणा करवायी है। इसके सिवाय और कुछ यह घोषणा नहीं है। यह जो लाभ इस घोषणा से होगा, सिर्फ बड़े अधिकारियों को मिलेगा जिन्होंने अपने नौकरी के जमाने में भी काफी पैसा बटोर लिया है और उनके पास में सेविंग भी है। छोटे कर्मचारियों को इस घोषणा से कोई लाभ नहीं मिलेगा अत: इसके लिये मेरा निवेदन है कि छोटे 2 कर्मचारियों के लिये, जो लो पेड एम्पलॉइज हैं, उनको पेन्शन में आपको मेडिकल अलाउन्स बढ़ाना चाहिए जो माहवारी रूप से उनको मिले। बड़े अधिकारियों की चिन्ता हमें कम करनी चाहिये वे तो वैसे ही अच्छी तरह से है, पेन्शन भी उनको अच्छी मिलती है, सेविंग भी उनके पास में अच्छी है।

श्री रामचन्द्र आर्य : समाजवाद में सब को दवाइयां मुफ्त मिलनी चाहिये। समाजवाद का आप बात करते हैं।

श्री विजयसिंह (मकराना): चूहे मारने वाली दवाई भी मुफ्त नहीं मिलती हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने मंहगाई भत्ते के रूप में काफी कम रकम रखी है। मंहगाई भत्ता, डी. ए. राज्य कर्मचारियों को आप पिछले 25 साल से देते आ रहे हैं और प्रति वर्ष आपको डी. ए. बढाना पड़ रहा है डी. ए., मंहगाई भत्ते का सिद्धांत इस बात पर होता है कि मंहगाई बढने पर यह दिया जाता है और जब मंहगाई समाप्त हो जायेगी तो इसको समाप्त

(श्री रामनारायण चौधरी)

कर दिया जाये लेकिन किसी भी विकासशील देश में, जहां पर विकास हो रहा है, डेवलपमेन्ट जिस देश का होना बाकी रहा हो वहां पर मंहगाई दिन प्रति दिन बढ़ती जायेगी तब मंहगाई के साथ साथ हमें भत्ता भी बढ़ाना पड़ता है और इस प्रकार हम हमारे यहां पर मंहगाई भत्ता समाप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिये आप इसको मूल वेतन में, कर्मचारियों के मूल वेतन में मिला देना चाहिए और जब-जब जरूरत पड़े तब तब आवश्यकतानुसार उनके वेतन में सुधार करते रहें। इसलिये मेरी राय में इस मंहगाई भत्ते को अलग से रखने की आवश्यकता नहीं है और मूल वेतन में इसको मिला देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैडिकल रीएम्बर्समेन्ट सरकार अपने कर्मचारियों को देती है, यह सिद्धांत के रूप में उचित है। जितना इलाज के अन्दर खर्च होता है वह कर्मचारियों को दे देना चाहिये लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। आपके चिकित्सा के, मैडिकल रीएम्बर्समेन्ट के जो बिल्स हैं वह सारे आम चर्चा का विषय हैं और यह तथ्य है कि मैडिकल रीएम्बर्समेन्ट का अधिकांश भाग टोटल अमाउन्ट का 75% बड़े अधिकारियों, आई. ए. एस., आर. ए. एस. आई. पी. एस. और दूसरे जो गजेटेड अधिकारी हैं उनके पास में जाता है और जो बड़ा भारी समूह छोटे कर्मचारियों का है उन सारे को मिलाकर चौथाई हिस्सा ही मिल पाता है। आप वित्त मन्त्री महोदय हैं, आपके पास में साधन हैं। आप चाहें तो इसका केलकुलेशन निकलवा सकते हैं। कुल टोटल निकलवा कर देखें गजेटेड ऑफिसर्स का मैडिकल रीएम्बर्समेन्ट कितना होता है और बाकी जो आपके सबोर्डिनेट्स हैं, छोटे कर्मचारी हैं, उनको कितना मिलता है और वे कितनी संख्या में हैं और कितना उनका अनुपात बनता है। मैडिकल रीएम्बर्समेन्ट छोटे कर्मचारियों के साथ में एक विडम्बना है उपाध्यक्ष महोदय। मेरे नजर में ऐसे केस भी हैं जहां पर कि उनके मैडिकल रीएम्बर्समेन्ट के बिल का भुगतान दो-तीन वर्षों तक नहीं हुआ है, दो-तीन साल तक पेण्डिंग पड़े रहते हैं। जो मैडिकल रीएम्बर्समेन्ट के बिल अधिकारी लेते हैं, उसमें दवाई बेचने वाला कमीशन लेता है और दवाई रिकमण्ड करने वाला डॉक्टर अपना कमीशन लेता है और इस प्रकार इन तीनों के बीच में कितनी गफलत है और कितनी बेईमानी होती है उसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रकार का रास्ता निकाला जाना चाहिये या तो हॉस्पिटल्स में इन्तजाम हो कि सरकारी कर्मचारी को पूरे के पूरे खर्चे मिले हॉस्पिटल्स में जो सुविधायें सुलभ हो उनको पूरी की पूरी मिलनी चाहिये। बाहर से खरीदने की जरूरत पड़े तो वह खरीदी जाय और या कोई रास्ता ईजाद होना चाहिये डॉक्टर और केमिस्ट मिले हुये हैं। बिना दवा खरीदे लोग पैसे उठा रहे हैं और सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। इस व्यवस्था को चैक किया जाना चाहिये, रोका जाना चाहिये और छोटे कर्मचारियों की चिकित्सा व्यवस्था किस प्रकार ठीक ढंग से कर सकते हैं, उनको पैसे टाइम पर कैसे दिलवा सकते हैं, इसकी ठीक ठीक व्यवस्था करें। मैंने काफी कर्मचारियों से बातचीत की है, यूनियन के नेताओं से बातचीत की है। उनकी आम राय यह है कि यदि

(श्री रामनारायण चौधरी)
छोटे कर्मचारियों को मासिक रूप से तय करें तो ठीक रहेगा। यह आम कर्मचारियों की राय है। माहवारी वेतन के साथ मेडिकल अलाउन्स भी दिया जाना चाहिये इसमें डॉक्टर का, केमिस्ट का सब झगड़ा खतम हो जायगा और जितना कर्मचारियों को मिलना चाहिये वह मिल जायगा। यह मेरा सुझाव है। इस पर विचार करें।

(विराम)

अकाल के सम्बन्ध में काफी बड़ी सप्ली-मेन्टरी ग्रान्ट एप्रोप्रियेशन बिल में शामिल की है। आज 20 साल के बाद भी हम अकाल का स्थायी रूप से हल नहीं कर सके हैं, अकाल पर किस प्रकार काबू पाया जाय, इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। आज अकाल-घोषित गांवों में पानी की समस्या है, रोजगार की समस्या है, पीने तक के पानी का समाधान हम 20 वर्ष में नहीं कर सके यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। राजस्थान के काफी बड़े हिस्से में खारा पानी है। पब्लिक हैल्थ की डिमाण्ड के वक्त इस बात की चर्चा हुई थी कि जिन गांवों में खारा पानी है रीजनल स्कीम बनाकर मीठे पानी की व्यवस्था की जाय। लोगों को पीने के लिये मीठे पानी की शीघ्र से शीघ्र व्यवस्था कराई जावे। मेरे क्षेत्र में 50 गांवों में खारा पानी है। 1964 में मुख्य मंत्री जी वहां गये थे उन्होंने एक रीजनल स्कीम बनाने के लिये तत्कालीन होम मिनिस्टर साहब को कहा था। होम मिनिस्टर साहब को आदेश दिये थे लेकिन आज तक वह तैयार नहीं हुई। 7 साल तक मुख्य मन्त्री जी के आदेशों के बावजद कोई स्कीम तैयार नहीं हो, उसका प्रिलिमिनरी सर्वे और इन्वेस्टीगेशन न हो इससे ज्यादा सरकार में लाल फीता शाही और क्या मिल सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से बहुत संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं कि सप्लीमेन्टरी बजट कम से कम रकम का होना चाहिये। जितने हमें खर्च करना है उसका अनुमान पहले ठीक प्रकार से लगाना चाहिये। हम जितना अनुमान तय करें उससे 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिये। सही आंकड़े तैयार होने चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो सप्लीमेन्टरी बजट वित्त मन्त्री जी की ओर से प्रस्तुत किया गया है यह उस पीरियड की अनुपूरक मांग है और उसके आधार पर यह विनियोग विधेयक है जब कि सत्ता धारी दल की ओर से केन्द्र में भी और राज्यों मे भी इस बात की घोषणा की जाती रही है कि वे अब अपनी पहले की उन नीतियों को छोड़ कर जिसके द्वारा इस देश में पूंजीपतियों की एकाधिकार की स्थिति पैदा हुई है, गरीबी पैदा हुई है और पूंजी का कन्सन्ट्रेशन कुछ हाथों में हुआ है उन नीति में परिवर्तन करके और एक नई दिशा की ओर संकेत है। उन्होंने घोषणा भी की अपने दल के अधिवेशन के बाद कि खास तौर से राज्य सरकारें भूमि सुधार करेंगी और इस प्रकार का कोई कदम उठायेंगी जिससे वास्तव में गरीब लोगों को राहत मिल सके और राज्य के विकास के साधन बढाने के लिये या पूंजी के नियोजन के लिये राज्य सरकार के खर्चों में इस प्रकार

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

का संकेत मिल सके जिससे इस नई नीति का सूत्रपात हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, इस दृष्टि से सरकार ने भूमि सुधार करने की दृष्टि से इस सदन में कुछ बिल भी प्रस्तुत किये परन्तु सारी सप्लीमेंटरी डिमान्ड्स को देखकर और सारे खर्च को देखकर जिनकी मांग की गई है, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है इन तमाम मांगों में, मुझे एक भी मांग, एक भी सप्लीमेंटरी मांग या बढ़ा हुआ खर्चा इस प्रकार का नहीं लगा जो उस नीति का द्योतक हो जिस पर सरकार गरीबों की गरीबी दूर करने की बात करती है या भूमि सुधार की तेजी से बात करती है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने पिछले बजट अधिवेशन में यह घोषणा भी की थी कि हम अब सीलिंग को तेजी से लागू करेंगे और उसके लिये अगर सरकारी मशीनरी को बढ़ाने की आवश्यकता हुई, उसमें मजबूती लाने की आवश्यकता हुई तो वह कार्य भी करेंगे। मुझे खुशी होती अगर उस मद में वित्त मन्त्री जी अधिक मांग लेकर आते इसलिये कि उन्होंने सीलिंग लागू करने के लिए, तेजी से कदम बढ़ाने के लिए कुछ अफसरों की नियुक्ति की है जो उस काम को तेजी से अमल करेंगे। सरप्लस जमीनों पर कब्जा करने की कार्यवाही करेंगे या रिटर्नस जिन्होंने दाखिल नहीं की है उस पर एक्शन लेंगे या इस प्रकार के दूसरे कार्य जो गरीबी दूर करने के हैं वे कार्यवाही करेंगे उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है इस सप्लीमेन्टरी डिमान्ड में इस प्रकार का कोई मद, इस प्रकार के कोई खर्चे सरकार की ओर से नहीं किये तो कुल मिला कर सारा जो दृष्टिकोण है या जिन चीजों के लिए अतिरिक्त खर्चा मांगने की बात कही जा रही है उनकी दिशा वही पुरानी क्षेत्रीय भावनायें और योजनाओं में खर्च करना, उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, समाज के लिए उपयोगिता कितनी है उसका दृष्टिकोण सामने नहीं। चाहे वह अकाल राहत कार्यों में खर्चा हो यह दृष्टिकोण नहीं कि इस प्रकार के कार्य, इस प्रकार के क्षेत्र में खर्च किये जायें, इस प्रकार के कार्यों में खर्चा किया जाये जिनका एक स्थाई स्वरूप हो सके और वास्तव में अकाल पीड़ितों को राहत मिल सके। अब उसमें भी दृष्टिकोण वही है कि उससे कुछ चुनावों में लाभ हो जाये, उसमें किन्हीं लोगों को खुश किया जाये, किन्हीं लोगों की जेबें भरी जायें इस प्रकार का दृष्टिकोण इसमें रखा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस दुरुपयोग से उस मामले में केन्द्रीय सरकार के सामने जब राज्य सरकार की इस प्रकार की नीति बार बार सामने आयी, अखबारों में मैंने पढ़ा कि उन्होंने अपना एक अध्ययन दल भी भेजा और उसने अपनी रिपोर्ट भी भारत सरकार को दी। अच्छा होता अगर राज्य सरकार उस रिपोर्ट को इस सदन के सामने लाती। मैं समझता हूं कि उस रिपोर्ट के अन्दर उस अध्ययय दल ने इस सरकार का बड़े से बड़ा सेन्शोर किया है इस सरकार की नीति का कि जो उन्होंने क्षेत्र छांटे हैं या समय समय पर उनकी घोषणायें की हैं या स्थान का चुनाव किया है वास्तव में अकाल के लिए इस प्रकार का दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए और वह अकाल की दृष्टि से नहीं किया जाकर दूसरे दृष्टिकोण

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

से किया गया है। मैं चाहूंगा कि अन्य समय में भी जब बजट पर बहस करने का मौका मिलेगा उससे पूर्व ही उस अध्ययन दल की रिपोर्ट इस सदन में माननीय सदस्यों को आप देंगे ताकि उसके ऊपर भी हमें बहस करने का मौका मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इस दौरान में और पहले से भी बेरोजगारी की समस्या जबरदस्त सामने रही है। सरकार ने इस दौरान में उस कार्य के लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था करने के लिए इस अनुपूरक मांगों में कोई खर्चा या उसकी विशेष मांग की हो या किया गया है जिसका स्थाई संकेत उसके अन्दर मिलता हो उसका उसमें दृष्टिकोण नहीं है। मैं यह समझता हूं कि यह राज्य सरकार की या केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे हर एक नागरिक को रोजगार मिले। यह विचारधारा कि रोजगार की समस्या किसी की निजी समस्या है, यह विचारधारा पुराने शोषित वर्गों की विचारधारा है, यह समाजवाद की विचारधारा नहीं है। समाजवाद की विचारधारा यह विचारधारा है कि जिसमें राज्य की सबसे पहली जिम्मेदारी अपने नागरिकों को रोजगार देने की है।

(11.15 म. पू.)

(सभापति, श्री रामनारायण चौधरी, पदासीन)

और वह जिम्मेदारी राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार को निभानी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि कितनी भी घोषणायें करें लेकिन इस दिशा में स्थाई तौर से योजनाबद्ध तरीके से कदम नहीं उठाया जायेगा तो उसका हल नहीं होगा और सप्लीमेन्टरी बजट जो सामने पेश किया गया इस दौरान में जब कि सरकार मध्यावधि चुनावों के लिए जा रही थी और मसला क्योंकि इस दौरान में बहस-तलब था, राजस्थान सरकार का जहां तक ताल्लुक है, इस दिशा में कोई योजनाबद्ध तरीके से कदम नहीं उठाया गया और आज भी ऐसी दिशा दिखाई नहीं देती। उसके बारे में जब हम बजट पर बहस करेंगे तब अपने विचार रखूंगा।

अभी यहां पर जनसंघ के माननीय सदस्य ने यह बात कही कि सरकार इस प्रकार के कुछ भत्ते और पेन्शन दे दे। यह कोई तरीका नहीं है समस्याओं को हल करने का। यह बात सत्य है। तो मैं भी इस बात को मानूंगा कि केवल भत्ता इस समस्या का हल नहीं है लेकिन वह कहें कि जब तक सरकार रोजगार नहीं दे सके तो सरकार को इस प्रकार की सरकार को व्यवस्था करनी नहीं चाहिए तो मैं समझता हूं कि यह दिशा गलत है। यह वही विचारधारा है जो कि पूंजीपतियों की विचारधारा है कि राज्य का दायित्व लोगों को रोजगार देने का नहीं है। रोजगार देने का राज्य का दायित्व है और जब तक रोजगार नहीं देती तब तक लोगों के भरण-पोषण करने का और उनके स्टेन्डर्ड कायम करने की और निर्वाह देने की सरकार की जिम्मेदारी है और इस दिशा में सरकार को कदम उठाना चाहिए था। कुछ पर्टीकुलर अपनी कान्सटीटुएन्सी में ऐसा कर दें वह समस्या का हल नहीं है एक क्षेत्रीय या स्वार्थपूर्ण नजरिया वह हो सकता है कि आप पर्टीकुलर जगह इसको कर दें लेकिन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जरूरत इस बात की है कि योजनाबद्ध तरीके से इस तरफ कोई कदम उठाया जाता।

सभापति महोदय, सरकारी कर्मचारियों के संबंध में अन्तरिम राहत का सवाल आया। मैं समझता हूं कि सरकार अपने कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों को जितनी अन्तरिम राहत मिली उतनी अन्तरिम राहत राज्य सरकार भी देगी इस बात के लिए वचनबद्ध थी और मैं समझता हूं कि जो सरकारी कर्मचारियों की तरफ से आन्दोलन चलाया गया था उस आन्दोलन के समझौते के फलस्वरूप भी मुख्य मंत्री जी ने इस बात को माना था कि उनको नीयत अन्तरिम राहत देने की है और उनके अनुसार देना चाहते हैं और वह इस बात का इन्तजार कर रहे हैं कि भारत सरकार की घोषणा होने से पहले नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा करने से प्रिजुडिस करना होगा और इसलिए केन्द्रीय सरकार की घोषणा हो जाने के बाद ही ऐसा किया जायेगा। सभापति महोदय, केन्द्रीय सरकार की घोषणा हो गई और उसके बाद इस सदन में सवाल उठाया गया पिछले नवम्बर के सत्र में लेकिन गवर्नमेन्ट ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। बाद में सरकार ने मन्जूर किया है बहुत थोड़ी मात्रा में, कोई उसका साइन्टिफिक बेस नहीं है। मैं समझता हूं कि यह गलत है और इसका रेक्टीफिकेशन होना चाहिए और उसी आधार पर यहां राजस्थान के अन्दर भी घोषणा इसी प्रकार से होनी ही चाहिए।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इतना ही नहीं सरकार की नीति बावजूद इन तमाम घोषणाओं के इस दौरान में भी और पिछले दौरान में जब कि सरकार चुनाव लड़ती रही वही बड़े बड़े उद्योगपतियों से उसने गठबन्धन किया और मजदूरों के हितों के खिलाफ बराबर चलती रही है यह सरकार। सभापति महोदय न्यूनतम वेतनों को रिवाइज करने का प्रश्न राज्य सरकार के सामने कितने ही सालों से पड़ा हुआ है। आप आश्चर्य करेंगे सभापति महोदय कि आज भी राजस्थान के अन्दर अभी तक प्रचलित जो न्यूनतम वेतन है अनस्किल्ड लेबर का वह अभी भी 2 रुपये 31 पैसे प्रति दिन है जब कि ट्रेड यूनियन की तरफ से 125 रुपया माहवार उस वेतन की मांग की जा रही है और सरकार अभी तक उसी को दबाये बैठी है। कमेटी बनी हुई है और उनकी सिफारिशें भी आ चुकी हैं लेकिन उसको दबाये बैठी है सरकार और आज मजदूर पिस रहा है। वही 2 रुपये 31 पैसा लेने के लिए मजदूर मजबूर है और सरकार इस तरह से पूंजीपतियों को इनडाइरेक्ट तरीके से पूरी की पूरी हैल्प सरसरकार की तरफ से दी जा रही है।

सभापति महोदय, ब्यावर के अन्दर एडवर्ड मिल बन्द है। उसको डेढ़ साल हो गया और 1,500 मजदूर बेकार हो गये। सरकार बात करती है नये नियोजन की नये लोगों को रोजगार देने की और देहातों के अन्दर इस प्रकार की स्कीमें खोलने की, लेकिन राजस्थान के अन्दर जो मिलें बन्द हैं और 1,500 मजदूर उसके अन्दर बेकार हैं और सरकार उसको चालू नहीं कर सकी अभी तक या केन्द्रीय सरकार से उसको चालू नहीं करवा सकी। सभापति मोहदय,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यहां पर उस एडवर्ड मिल की क्या स्थिति है उसकी जानकारी के लिए एक कमेटी की नियुक्ति सरकार की तरफ से हुई है। साल भर से ज्यादा हो गया, सभापति महोदय, लेकिन अभी तक उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है। भारत सरकार को इस बात के लिए कहा जाय, मजबूर किया जाय कि इस कारखाने को स्वयं लेकर चालू करे। अगर राज्य सरकार के पास अपने साधन नहीं हैं तो केन्द्रीय सरकार से कहे कि जो टेक्स्टाइल कॉरपोरेशन बना हुआ है उसके तहत इसको लेकर के इस कारखाने को चलाया जाय। लेकिन दूसरे अन्य कारखाने खोलने की बात तो दूर लेकिन जो आज की तारीख में चले हुए हैं, जिनके अन्दर पूंजी लगी हुई है, जिसमें मशीनें लगी हुई हैं उसको भी करने के लिये तैयार नहीं है। सरकार ने पूंजी नियोजन के द्वारा काम चालू करने के लिए, किसी उद्योग, कारखाने के रिनोवेकशन के लिए, नई मशीनें लगाने के लिए ताकि उसको ज्यादा उत्पादक बनाया जा सके, उसके लिए मांग नहीं की, अगर वित्त मंत्रीजी उसके लिए मांग करते तो मुझे खुशी होती कि सरकार उद्योग खोलने की दिशा में कदम उठा रही है जो कि एक स्थाई आधार होता उसके लिये कोई प्रयत्न नहीं है।

सभापति महोदय, उसी ब्यावर के अन्दर महालक्ष्मी मिल चल रही है। उसको सरकार ने टेकओवर कर रखा है, लेकिन उस मिल के संचालन में तमाम मजदूर कानूनों को स्थगित किया हुआ है और कोई लागू नहीं होता है। जो मजदूरों को वेज बोर्ड के अनुसार मंहगाई भत्ता, या वेतनमान या वेतन के अन्दर सालाना तरक्की के जो प्रावधान किये गये हैं और जो कि राजस्थान के और कारखानों के मजदूरों को मिल रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार जिन कारखाने को स्वयं चला रही है, इनडाइरेक्टली जो कि एक पब्लिक सैक्टर है, उस कारखाने के अन्दर, उस महालक्ष्मी मिल के अन्दर वित्त मण्डल की सिफारिशों को लागू नहीं किया जाता है, उन कानूनों को लागू नहीं किया जाता है जो कि सामान्य तौर से और मजदूरों पर लागू होते हैं। सरकार यह बहाना ले लेती है, कि इस कारखानों में तो घाटा है, इस कारखाने के अन्दर तो नुकसान है, और इस तरह से हम मजदूरों को दें तो इस कारखाने के अन्दर और खर्चा बढ़ेगा और यह कारखाना बन्द हो जायगा। लेकिन, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार का यह तरीका दुरुस्त नहीं है। वास्तविक रूप से अगर देखें तो उस कारखाने में मैनेजमेंट का खर्चा अनाप-शनाप होता है उसको बन्द किया जाय, खरीद-फरोख्त में जो घोटाले होते हैं जिनको बार बार इस सदन के सामने लाया गया है, ट्रेड यूनियन की तरफ से सरकार को लिख कर दिया गया है कि मैनेजमेंट कपास की खरीद में, मशीनों को खरीद में रॉमेटेरियल की खरीद में और माल को बेचने में जितने घोटाले होते हैं उन घोटालों को खत्म किया जाय, उनकी एनक्वायरी की जाय तो वास्तविक स्थिति सामने आ जायेगी। मुख्य मंत्रीजी से एक डेप्यूटेशन मिला तो उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा अफसर की एनक्वायरी करा लेंगे तो और कोई दूसरा अफसर नहीं मिलेगा इस मिल

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

को देखभाल करने के लिए तो एन्क्वायरी नहीं कराते हैं। नये नारों की सरकार का यही मापदण्ड मालूम पड़ता है कि अगर किसी के भ्रष्टाचार की, अगर किसी की इर्रेग्युलेरिटी की, गबन की आप जांच करायेंगे तो असहयोग कर देगा वह ऑफिसर और इस बिना पर हम डरें और कोई गबन अनियमितता, भ्रष्टाचार की जांच नहीं करायें। आज इस प्रान्त में कई नौजवान फर्स्ट क्लास और फर्स्ट डिवीजन बेकार बैठे हैं, इन्जीनियर्स बेकार बैठे हैं, फर्स्ट क्लास एम. एज हैं, इस तरह से सब तरह के लोग हैं जो कि काम मांगते हैं और दूसरी तरफ हमारी सरकार के मुख्य मंत्री जी यह कहें कि जांच करायेंगे तो यह हो जायगा कि हमें ऑफिसर नहीं मिलेंगे, मैं समझता हूं कि इस बात से उसका कोई ताल्लुक नहीं है।

सभापति महोदय, सरकार ने अस्पतालों के सम्बन्ध में कुछ मांग की है, परन्तु मुझे खेद है कि जो दवाइयों की अव्यवस्था है. दवाइयों की कमी, छोटी-छोटी चीजों की, पट्टियों की, रूई की—इन चीजों की जो कमी अस्पतालों में देखने में मिल रही तो इस कमी की पूर्ति के लिए यह मांग वित्त मन्त्री जी ने रखी है.......

श्री रामकिशन (वैर) : अस्पताल है, हस्पताल नहीं है। हिन्दी का सत्यानाश तो मत करिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय एस. एस. पी. के नेता को इस शब्द पर आपत्ति है क्योंकि यह शब्द अंग्रेजी का "हॉस्पिटल" है।

सभापति महोदय, मुझे आश्चर्य हुआ है कि अलवर के अस्पताल में कि ए.टी.एस. के इन्जेक्शन्स वहां पर नहीं हैं। ए.टी.एस. के इन्जेक्शन्स के लिए डॉक्टर्स कहते हैं कि बाजार से लेकर आओ। वैसे इसकी कीमत 15 रुपये है लेकिन बाजार में 25 रुपये से कम में नहीं मिलेगा और वे कहते हैं कि फलां जगह मिलेगा और उस दुकान से लाना। मैं एक मरीज के साथ गया जो कि एक मामूली खेत का मजदूर था। अब वह 25 रुपये का इन्जेक्शन खरीद सकता है आप खुद अन्दाज लगा सकते हैं सभापति महोदय, इस प्रकार की स्थिति आज अस्पतालों की है। डॉक्टर को जब मैंने पूछा कि क्या बात है तो वे कहने लगे कि हमें ऊपर से मिलता ही नहीं। वे कहते हैं कि एवेलेबल नहीं है। जो केन्द्रीय स्टोर से सरकार सप्लाई करती है उसके लिए वे कहते हैं कि एवेलेबल नहीं है और वहां पर सरकार की तरफ से मार्केट में जाकर खरीद नहीं सकते जब कि उनको मालूम है कि यह एवेलेबल है और लाकर देते हैं और डॉक्टर अपनी ही सुई से इन्जेक्शन्स लगाते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उसको वे खरीद नहीं सकते। यह एक बड़ी अजीब स्थिति है, सभापति महोदय। मैं समझता हूं कि इस तरीके से कितनी ही जानें जा रही हैं वहां एक टिटेनिस का मरीज था और उस रोज मैं गया तो सब के सब टिटेनिस के मरीज थे उस वार्ड में तो सब की यही हालत थी। उन सबको लिखा है वह इन्जेक्शन और वे बाजार से ले आयें। वे कहते हैं कि हमारे पास तो नहीं है। मैं समझता हूं कि यह दयनीय स्थिति सरकार को बन्द करनी चाहिए, और इन मदों के अन्दर और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
खास तौर से इन बीमारियों के लिए गरीब लोगों से यह कहा जाय कि तुम बाजार से लाओ उनको यही कहना है कि हम कुछ नहीं कर सकते तुम अपनी मौत के रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता चले जाओ, क्योंकि हम खरीद नहीं सकते और तुम ला नहीं सकते। इस स्थिति का फौरन एण्ड किया जाना चाहिए। यह स्थिति एस. एम. एस. अस्पताल के अन्दर भी मौजूद है। कल ही मैं अपने बच्चे के एक्सरे के लिए गया था तो वहां डॉक्टरों के अन्दर ही बात न जाने कौनसी दवाई के बारे में हो रही थी कि किसी मरीज के लिए चाहिए क्या करें, है ही नहीं और यह बहुत जरूरी है उसकी जिन्दगी के लिए। वह चीज एवेलेबिल नहीं है। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से खास तौर से डिस्ट्रिक्ट्स में छोटे अस्पताल और डिस्पेन्सरीज हैं उनके अन्दर तो बहुत भयानक स्थिति है। इस बात के लिए लोगों को आश्वस्त करें न केवल घोषणा से कि वहां पर इलाज फ्री मिलेगा, दवाई फ्री मिलेंगी। रीएम्बर्समेंट के लिए बिना दवाई खरीदे ही बिल बना लिया जैसा कि आज एक माननीय सदस्य ने कहा, सभापति महोदय, यह आम बात है। डॉक्टर, दवाई विक्रेता और जो मरीज बनता है वे मिले हुए हैं। डॉक्टर से पर्चा बनवाया उसका कैश मीमो बनवाया और रीएम्बर्समेंट की तैयारी हुई और दवाई लेकर वापिस उसको दे दी। कम कीमत में लेकर वह उसको बेच देता है और रीएम्बर्समेंट का बिल मन्जूर होता रहता है। यह तरीका चला जा रहा है और जिसकी दुरुस्ती के लिए कितनी ही बार जिक्र किया जा चुका है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : टाइम की लिमिट करें। टाइम बहुत हो गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर नहीं बोला था, माननीय सदस्य इस बात का थोड़ा ख्याल रखें।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : नहीं बोले तो अपनी इच्छा से नहीं बोले।

श्री रामकिशन : बोलने से रोका नहीं था लेकिन चुनाव की थकान थी इसलिए नहीं बोले।

श्री रघुनाथ विश्नोई : काफी बोल लिये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुझे समय थोड़ा और चाहिए।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापति महोदय, हमारे वक्त पर कहेंगे कि समय नहीं देंगे। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा समय दीजिये।

श्री रामकिशन : आपकी आपत्ति अमान्य है, आप सर्वोदयी हैं।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : यह एक पार्टी के एक सम्माननीय सदस्य हैं, इसलिए बोलने दिया जाय।

श्री सभापति : आरम्भ रखें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं, राज्य सरकार की तरफ से मांगों के लिए, ज्यादा खर्च के लिए वित्त मंत्री जी आ गये हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज यह जो चोरी आपके टैक्सों की हो रही है, यह जो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इसको रोकने के लिए आप क्या कदम उठा रहे है....

श्री रघुनाथ विश्नोई : पकड़ायें चोरों को।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, अलवर के अन्दर, पिछला सेशन जब चल रहा था ...

श्री रघुनाथ विश्नोई : अलवर में चोर ज्यादा हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : राजेन्द्र सक्सेना, जो जिला आबकारी अधिकारी है, वह रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए अपने दफ्तर में पकड़े गये, एन्टी-करप्शन पुलिस के द्वारा सौ रुपये का नोट उनसे बरामद हुआ, लेकिन इस सदन के अन्दर इस बार कहा गया, मैंने एक एडजोर्नमेंट मोशन रखा था, कि उसको तरफ से कई शराब के ठेकेदार जिस आदमी ने एन्टी-करप्शन को शिकायत की, गुंमान मल सिन्धी ने, उस व्यक्ति को हरेस कर रहे हैं, डर दिखा रहे हैं और केस को छिन्न भिन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसको पुलिस से प्रोटेक्शन नहीं मिला इसलिए उसको जबर्दस्ती उठा कर ले गये और जबर्दस्ती उससे हलफनामा दिलवाया गया, बयान दिलवाया गया कि यह सही बात नहीं है। इसलिए एन्टी-करप्शन ने जिसको रिश्वत लेते हुए पकड़ा, उससे रिकवर किया गया सौ रुपये का नोट, और उसके बयान पर यह सारा केस रजिस्टर हुआ था, लेकिन यह राजेन्द्र सक्सेना, सभापति महोदय, न तो सस्पेन्ड हुआ, न उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया। और वह अलवर के अन्दर उसी पद पर मौजूद है। मुझे पता लगा है, वित्त मन्त्री जी के जो पी० ए० हैं, वह उनका साला बताया जाता है। मैं यह अखबार की बिना पर कह रहा हूं, मुझे निजी जानकारी नहीं है, आम तौर पर यह सामान्य प्रथा है, सभापति महोदय...

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ! अखबार के आधार पर कोई बात न कहें जब तक कि निजी जानकारी न कर लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आखिर उसकी बहिन भी होगी और वह किसी से ब्याही भी गई होगी। ऐसी कोई बात नहीं है, न कोई बात है क्योंकि हर एक व्यक्ति साला होता है और बहनोई भी होता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपने वित्त मन्त्री के पी. ए. के लिए कहा है कि वह उससे सम्बन्धित है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर गलत हो तो रिफ्यूट करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : हर एक बात रिफ्यूट नहीं की जा सकती।

श्री सभापति : रिफ्यूट क्या करें, आपका स्वयं का विश्वास नहीं, है आप स्वयं अखबार के आधार पर कह रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह अखबार है, यह मैं सदन की मेज पर रख सकता हूं। इसके आधार पर ...

श्री रघुनाथ विश्नोई : अखबार आथेंटिक नहीं होता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इधर बैठने वाले माननीय सदस्य मानेंगे कि यह एन्टी-करप्शन द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया, ऐसे व्यक्ति सामान्यतः सस्पेन्ड होते हैं लेकिन इसे सस्पेन्ड नहीं किया गया । वह मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है । उसे उसी जगह पर रखा गया है जहां उसके खिलाफ एक्शन हुआ क्योंकि वहां लाखों रुपये का ठेका नीलाम होने वाला है। उसने साफ कहा था ठेकेदारों को, जिन्होंने गुमानमल सिन्धी से वह स्टेटमेन्ट दिलवाया था, अब उनको ओब्लाइज करने के लिए उसे वहीं रखा जा रहा है। इस तरीके को अपना कर आप भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं। आप आबकारी से आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, इसलिये मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, यह सम्भव नहीं है ।

दूसरी बात मैं और बताऊं, सभापति महोदय, जब से आपने यह घोषणा कर दी कि आप अर्बन प्रापर्टी पर सीलिंग लगायेंगे, जब से यह चर्चा की है, तो राजा महा-राजाओं ने अपनी जायदाद को बेचना शुरू कर दिया है, बेच रहे हैं ब्लेक में बेच रहे हैं और कम कीमत की बतला कर रजिस्ट्री करवा रहे हैं । एक तरफ तो आपकी स्टाम्प ड्यूटी की चोरी, दूसरी तरफ इन्कम टैक्स की चोरी हो रही है । सभापति महोदय, मैं चाहूंगा, सरकार इसकी इन्क्वा-यरी करे। मैं आपके सामने एक कान्क्रीट केस बीकानेर के महाराजा डॉक्टर करणीसिंह का रख रहा हूं। सभापति महोदय…

श्री रामकिशन : जोशी जी बड़ी तत्प-रता से लिख रहे हैं, शायद कार्यवाही करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो…

श्री रामकिशन : यह सदन के माननीय सदस्यों को बच्चा नहीं समझें, लिख लिख कर बहकायें नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जयपुर में सांगानेरी गेट पर टाकीज है. जिसका नाम आज कल मिनर्वा टाकीज है, पहले यह गंगा टाकीज था, शुरू में भवानी टाकीज था। सभापति महोदय, 9-12-50 को यह भवानी टाकीज राजपूताना टाकीज लि० से श्रीमान् महाराजा डॉक्टर करणीसिंह जी ने और उनके चचेरे भाई अमरसिंह ने 9-12-50 को छः लाख रुपये से कुछ ज्यादा में खरीदा, यह जयपुर स्टेट का था, जो अभी मौजूदा भवानीसिंह जी हैं, मौजूदा सो-काल्ड रूलर, उन्होंने बेचा और इन्होंने खरीदा । सभापति महोदय, इसको सन् 1968 में महाराजा बीकानेर ने, इस टाकीज को बेचने का इरादा किया और उसके लिये टैन्डर मंगवाये । उसके लिए आफर्स मंगवाये। चार आफर, पांच आफर इस सिनेमा के लिए आई । एक आई मेसर्स भारतीय फिल्म्स इन्दौर, एम. पी., यह 9 लाख 82 हजार रुपये की थी, दूसरी श्री व्यासदेव शर्मा, महावीर सिनेमा जयपुर, 10 लाख 15 हजार रुपये, तीसरी आई मिनर्वा सिनेमा, स्टेशन रोड़, जोधपुर की तरफ से, जिसमें पहली आफर उनकी नौ लाख रुपये की थी और दूसरी आफर उन्होंने नेगोसियेशन करके उनसे बढ़वाई, वह दस लाख 18 हजार रुपये की थी । चौथी आफर उनके पास आई, एक श्री भूरे खां की जो शराब के ठेकेदार हैं बीकानेर के, उनकी 10 लाख 34 लाख रुपये की आफर आई। और पांचवी आफर माउन्ट आबू के टाकीज की आई, यह 15 लाख रुपये की आई।

(श्री राधानन्द अग्रवाल)

इन आफर्स में अलग अलग कन्डीशन्स थीं और इनसे इन्होंने नेगोसियेशन किये और नेगोसियेशन करके अन्त में जो यह जोधपुर के मिनर्वा टाकीज की थी, उससे 10 लाख 18 हजार रुपये में इन्होंने सौदा किया, जिसमें जो बिल्डिंग थी, उसके 9 लाख 25 हजार और बाकी जो असैट्स उसका बाकी में सौदा इन्होंने तय किया। अब, सभापति महोदय, वह टाकीज, जिसका सौदा इतने में हुआ है, महाराजा बीकानेर यह चाहते थे कि मई फाइनल डीड में मेरा नाम नहीं आवे तो पहले उन्होंने अपना हिस्सा, महाराजा बीकानेर का खुद का इसमें हिस्सा था, 59 पर्सेंट और अमरसिंह जो हिस्सा था 418, तो अपना हिस्सा महाराजा करणीसिंह अपनी मां राजमाता सुदर्शन कुमारी और अपने लड़के नरेन्द्रसिंह के नाम में 1 लाख 40 हजार 473 रुपये में ट्रान्सफर किया, उनका हिस्सा 59, पर्सेन्ट, सौ पर्सेन्ट का करीब सवा दो लाख पड़ेगा, उसका वैल्यूएशन सवा दो लाख 2 लाख 30 हजार के करीब तो अपना 59 पर्सेन्ट शेयर 1 लाख 40 हजार 473 रुपये में उन्होंने ट्रान्सफर किया, डीड एग्जीक्यूट किया 1-2-68 को और रजिस्ट्रेशन कराया 20-2-68 को जयपुर में। फाइनल डील मिनर्वा टाकीज जोधपुर से हुआ था। उस डील के हो जाने के बाद 9.25 लाख में बिल्डिंग की कीमत तय हो जाने के बाद 10.18 लाख सारे डील की कीमत हो जाने के बाद और फिर वह बात 1968 की है और यह 1-2-68 में, वह तो जनवरी की बातें हैं जो डील जनवरी में पूरी हो गई तो 1-2-68 को महाराजा करणीसिंह जी अपने लड़के और मां के नाम ट्रान्सफर करते हैं, जिसकी डील कर चुके हैं उससे पहले जनवरी में। उसी प्रोपर्टी को जिसका 9.25 लाख में बिल्डिंग इम्मूवेबल प्रोपर्टी जिसका रजिस्ट्रेशन होना है, उसको श्री करणीसिंह जी ने अपना नाम हटाने के लिए और उनकी सेल अपने बच्चों का दिखाने के लिए, उन्होंने केवल 2.30 लाख रुपया उसका वैल्यूएशन करके 1,40,473) में ट्रान्सफर किया और इस डीड को रजिस्टर कराया। वही प्रोपर्टी 10 तारीख को 10-2-68 को 1-2-68 को डीड एग्जीक्यूट करते हैं, रजिस्ट्रेशन अभी हुआ नहीं है, डीड कम्प्लीट नहीं है लेकिन 10-2-68 को यही महाराज कुमार नरेन्द्रसिंह जी, राजमाता सुदर्शनकुमारी जी और अमरसिंह जी इस सिनेमा को बेचते हैं प्रतापसिंह और राजेन्द्रसिंह मिनर्वा सिनेमा जोधपुर वालों को 10-2-68 को। इस डीड का रजिस्ट्रेशन होता है 8-3-68 को। इस डील से उनकी नीयत बिल्कुल साफ है। जब एग्जीक्यूशन महाराजा करणीसिंह ने किया अपने लड़के और मां के नाम से, वह एक फरवरी को किया और उसका रजिस्ट्रेशन 20 को होता है। रजिस्ट्रेशन होने से पहले सेल कम्पलीट नहीं हुई, उससे पहले ही 10 तारीख को वही संपत्ति जिसका वैल्यूएशन उन्होने 2.30 लाख में किया था उससे पहले 3 लाख तो उन्होंने खुद मान लिया। तो 70 हजार का फर्क तो इन दोनों डीड्स में है। अगर मान लिया जाए कि महाराजा करणीसिंह ने जो डील किया है 3 लाख में किया है यह एक दूसरे के काम्पलीमेंटरी और सप्लीमेंटरी डीड है पहले डीड के मुकाबले दूसरे में 70 हजार कम वैल्यूएशन है।

आप सभी जानते हैं कि जिस प्रोपर्टी की कीमत जयपुर में सन् 1950 में एक

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

थी अब 1970 में उसकी 4-4, 5-5 गुना कीमत हो गई। 6 लाख और कुछ हजारों में जो भवानी टाकीज श्री करणीसिंह ने खरीदा वह भवानी टाकीज 1968 में 3 लाख में बेचा जिस पर 1.80 लाख रेनोवेशन का खर्च किया। अभी भी इस सिनेमा से क्या आमदनी होती है ? सन् 1963-64 से लेकर 1966-67 तक तीन वर्ष में मनोरंजन कर वगैरह को काट कर 22,93,824.77 इस सिनेमा संचालन से महाराजा करणीसिंह और उनके भाई अमरसिंह को तीन साल में आमदनी हुई जिसकी औसत आमदनी हर साल 5.73 लाख आती है। जिस सिनेमा का खर्चा टैक्स वगैरह काटकर 5.73 लाख रिसीप्ट हो, उस सिनेमा की बिल्डिंग, उसके साथ कोठी, लिकुइड असैट्स, उनको तीन लाख में बेचे, यह क्लीयर कट टैक्स का इवेजन, क्लीयर कट स्टैम्प ड्यूटी का इवेजन है और यह मैं समझता हूं राज्य सरकार की नॉलेज में है। राज्य सरकार अपनी नीति के जरिए ऊपर से कहे कि हम राजा और रानियों को खतम करके, हम सामन्तवाद को खतम करके, प्रिवीपर्सेज को खतम करके और पीछे से अपने इलैक्टोरल एडजस्टमेंट के लिए नेगोसिएशन्स करती है। अपने पोलिटिकल हित के लिए कांग्रेस नेता जनता को धोखा देकर असलियत को छिपाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वित्त मन्त्री ने इस सम्बन्ध में क्या किया आज तक ?

तीन लाख का रजिस्ट्रेशन है। 9 लाख का रजिस्ट्रेशन होता तो 14 हजार रजिस्ट्रेशन का लगता और 11 गुना पेनल्टी याने 1.54 लाख पेनल्टी राजस्थान स्टेम्प ड्यूटी के तहत हो गया। अगर यह सरकार भारत सरकार के टैक्स को अपना समझे, इन्कम टैक्स में समझे कि इसको हिस्सा नहीं मिलता है, भारत सरकार को मिलता है, तो आमदनी की इन्होंने जितनी चोरी की है वह प्रापर्टी 6.25 लाख को चोरी डॉक्टर करणीसिंह के भाई अमरसिंह और इतनी चोरी खरीदने वाले मिनर्वा टाकीज जोधपुर वालों ने की। इस पर उसकी सेल से जितनी आमदनी होती है, स्टेम्प ड्यूटी लगती, इन्कम दिखाते ...

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले एक तरफ राजाओं के प्रिवीपर्सेज बंद करते हैं और दूसरी तरफ राजाओं का साथ देते हैं मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह की शिकायतें सरकार के सामने हुई हैं या नहीं ? अगर हुई हैं तो आपने मुख्य मंत्री या वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ? क्योंकि यह इतना गम्भीर मामला है कांग्रेस पार्टी के लिए कि इस तरह राजा-महाराजा घोटाला करें और माननीय सदस्य डाइरेक्ट कांग्रेस को इन्वाल्व करें कि कांग्रेस वाले करते हैं, यह इतने दिन तक क्यों नहीं कहा ? माननीय सदस्य को पहले इस मामले को उठाना चाहिए था।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): माननीय रामानन्द जी को नोटिस देना चाहिए ताकि इस प्रकार के गंभीर मसलों पर जवाब दे सकें। इस संबंध में अब तक लिखा पढ़ी की कार्यवाही करनी चाहिए।

राजवी श्री रूपसिंह (सरदार शहर) : अगर माननीय सदस्य को यह नॉलेज में था और उनको कहना था, तो सरकार को

(राजवी श्री रूपसिंह)
बताना चाहिए था। अचानक सदन में इस तरह की बात करना, जो आदमी मौजूद नहीं है, उसको इस तरह क्रिटीसाइज करना उचित नहीं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मौजूद होने का सवाल नही हैं ।

श्री रोशनलाल शर्मा : यह तो सदन का अधिकार है·····

(शोरगुल)

आपको सरकार को नोटिस देना चाहिये था।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : आप सदन के सामने इस मामले को लाए हैं, इसको बुरा नहीं कहा जा सकता, लाना चाहिये। प्रश्न यह है कि पूरे डिटेल्स दें। आपने मन्त्रियों पर आरोप लगाया, कांग्रेस पर आरोप लगाया, उसका स्पष्टीकरण करें। कांग्रेस स्वयं चाहती है कि राजा-महाराजा संपत्ति का दुरुपयोग···

श्री रामकिशन : इस मामले में गोकुल प्रसादजी को ज्यादा जानकारी है, उनको कहना चाहिये।

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री गिरधारीलाल व्यास : पूरे डिटेल्स देने चाहिये कि क्या बात हुई, सरकार के सामने यह मामला कब आया और क्या कार्यवाही हुई। सारी परिस्थितियां सरकार के सामने रखते।

श्री सभापति (श्री रामानन्द अग्रवाल) : कृपा करके समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उनको स्पष्टीकरण देना चाहिये।

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुझे आश्चर्य है कि इस सदन में कुछ माननीय सदस्य ऐसे भी हैं जो कि इस राज्य की टैक्स की चोरी हो रही है, वह नोटिस में आए, उस पर चिंता व्यक्त करने के बजाय, उन टैक्स चोरों को डिफेंड करने का प्रयत्न करें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : शेम शेम।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आज वह चाहते हैं कि बिड़ला टाटा मौजूद हों फिर उनकी चोरियों बात कहें, राजा रानी अपनी प्रोपर्टी बेच रहे हैं, टैक्सों की चोरियां कर रहे हैं, वह जब यहां आए तब कहा जाए।

सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों को इस बात से तकलीफ है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपके पड़ौसी को क्यों तकलीफ हो रही है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय रामकिशनजी भी उस तरफ नहीं गये होते तो मेरी बात का ही समर्थन करते लेकिन अपनी नीतियों के सम्बन्ध में पुनर्विचार कर रहे हैं। पूना में मीटिंग हो रही है। 12 तारीख तक दुबारा जब सदन मिलेगा तो वे दूसरा दृष्टिकोण लेकर आयेंगे तब उनका कदम भी इस ओर ही होगा। व्यक्तिगत तौर पर तो मैं समझता हूं कि रामकिशन जी इस बात के समर्थक नहीं हो सकते हैं कि राजा लोग इस तरह से टैक्सों की चोरी करें चाहे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
उनके गुट में हों। उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिये यही कहेंगे चाहे उनके दल की यह नीति न हो।

श्री रामकिशन : कहां से कहां ले जा रहे हैं। नये क्रान्तिकारी हो सकते है उस तरफ। इसके लिये आप नोटिस दे दें। 12 को अधिवेशन हो रहा है। महाराजा करणी सिंह ने टैक्स की चोरी की 12 तारीख तक आपको जानकारी हो सो दे दें। नकली क्रान्तिकारी हैं आप लोग।

श्री गिरधारीलाल व्यास : रामानन्द जी ने कहा कि पूना अधिवेशन हो रहा है उसके बाद सही रास्ते पर आ जायं तो अच्छी बात है।

राजवी श्री रूपसिंह : इस प्रकार के झूठे आरोप नहीं लगाना चाहिये। किसी व्यक्ति के खिलाफ आपको कुछ कहना है तो लिख कर दें उसकी सूचना।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं माननीय सदस्य के संतोष के लिये कहना चाहता हूं...

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसके लिये मुझे इतना ही कहना है कि यह रजिस्ट्रेशन 1968 में हुआ है। 71 में आप से चुनावों के समय टसल में आये बीकानेर के महाराजा। इससे पहले आपकी आवाज क्यों नहीं खुली और अब क्यों खुली है?

श्री रामानन्द अग्रवाल : सवाल सर्टिफिकेट देने का नहीं है। सरकार के नोटिस में है या नहीं?

श्री कृष्णकुमार गोयल : अब वे लोग नहीं बोलेंगे।

श्री रोशनलाल शर्मा : खुद...

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : जनसंघ के माननीय नेता से पूछना चाहता हूं कि उनका क्या दृष्टिकोण है? उनको पकड़ा जाना चाहिये या नहीं चाहे राजा हों?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आर्डर।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : सैन्ट्रल के मिनिस्टर खुद कर रहे हैं। वे कौन से डाकू नहीं हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपने तो चुनाव में महाराजा को जिताने के लिये अपने आदमियों को खड़ा किया है? आप अपने कर्तव्य को खूब निभा रहे हो।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : आपके व्यक्ति खुद थे।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : जगजीवनराम जी ने दस वर्ष तक टैक्स नहीं दिया। उनके लिये क्या करना चाहते हो?

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसको भी गिरफ्तार किया जाय। करणीसिंह को भी गिरफ्तार किया जाय।

श्री देवीदत्त गाड़िया : चीन और रूस से पैसा लेकर के चुनाव लड़ते हैं उनके लिये क्या कर रहे हो?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अपने भाई बन्धुओं से कहलाओ। जगजीवनराम जी के लिये क्या कर रहे हो? तैयार हो उनको गिरफ्तार करने के लिए? जो आदमी सदन में नहीं है उसके लिये कहना गलत बात और गलत परम्परा होगी।

मैं पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज करता हूं। मेरा पॉइन्ट ऑफ आर्डर यह है कि जो आदमी सदन में मौजूद नहीं है उसके विरुद्ध किसी प्रकार का एलीगेशन लगाना नहीं चाहिये। बिना लिख कर दिये मर्जी चाहे जिस प्रकार के एलीगेशन लगाना यह कतई उचित नहीं है। हिम्मत है तो कांग्रेस वाले यही बात जगजीवनराम जी के लिये कहें। हमें इसमें किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है कि जो गलती करे उसको दंड दिया जाय। सैन्टर के मिनिस्टर पकड़े गये टैक्स की चोरी में जब कि आज तक कोई राजा नहीं पकड़ा गया।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपने अपने आदमी को खड़ा करके बीकानेर के महाराजा को जिताया। एक तरफ गरीबों की बात करते हो और दूसरी तरफ राजा-महाराजा की गोद में बैठते हो। डूब मरो।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ये नवाब लुहारू बैठे हैं इनको निकलवाइये। इन्होंने कांग्रेसियों को ही गोली से भून डाला था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बद्रीप्रसाद जी आपकी शिकायत वाजिब है। जहां तक यह सवाल है आपके दल में भी बहुत राजा-महाराजा नवाब हैं····

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। चूंकि महाराजा सदन में नहीं है और सदन के बाहर के व्यक्तियों पर आरोप नहीं लगाया जावे, किन्तु यह व्यक्तिगत आरोप···

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री रामानन्द अग्रवाल ! आप कृपया समाप्त करें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तुम्हारी हिम्मत नहीं कि राजाओं पर हाथ लगाते। तुम हाथ जोड़ते फिरे हो।

श्री गिरधारीलाल व्यास : शंकरलाल जी ने कहा कि सरकार को जांच करानी चाहिये कि टैक्सों की कितनी की चोरी की ···

(शोरगुल)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कराओ न जगजीवनराम जी की जांच।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल व्यास : राजाओं की गोद में बैठने के बाद आपकी बात की कोई कीमत नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : करो न नवाब लुहारू के खिलाफ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपकी हिम्मत नहीं है।

(11.50 म. पू.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : भूल गये कांग्रेसियों के ऊपर जिन्होंने गोलियां चलाई और मार दिया उन लोगों को उन्हीं को गले लगा रहे हो।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

राजवी श्री रूपसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय बद्रीप्रसादजी ने पॉइन्ट ऑफ आर्डर उठाया है कि जो व्यक्ति सदन में नहीं है उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है। पर्टिकुलर आदमी का नाम लिया व कहा कि उन्होंने टैक्स की चोरी की। वास्तव में टैक्स की चोरी की है या नहीं इसकी जांच हो हमें ऐतराज नहीं है। जो गलत काम करे उसे जरूर सजा मिलनी चाहिये। लेकिन हाउस में बिना जांच किये ही इस प्रकार का चार्ज लगाना अच्छा नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोग राजाओं के खिलाफ हैं। जब तक बीकानेर के महाराजा और उदयपुर के महाराणा कांग्रेस के साथ थे तब तक उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी. और अब खिलाफ होकर सामने आये तो उससे कांग्रेस के लोगों को बड़ी नाराजगी हो गयी इसलिये 68 की कोई शिकायत आज उठायी जा रही है। आज वे हमारे साथ हैं तो कहते हैं कि राजा लोग बुरे हैं, बदमाश हैं और जब उनके साथ बैठे थे तो कहते थे कि बड़े अच्छे हैं।

आपका फर्ज हो जाता है।

श्री अध्यक्ष : मैं आपके पॉइन्ट ऑफ आर्डर को समझ गया हूं।

राजवी श्री रूपसिंह : उनकी एबसेन्स में इन चीजों का उल्लेख नहीं करना चाहिये था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार की परम्परा हो जावे कि इस सदन में जो मौजूद नहीं हैं उनका जिक्र ही नहीं हो तो फिर सदन के सदस्यों के अलावा हम किसी अन्य व्यक्ति की बात कह ही नहीं सकते। यह अवश्य है कि किसी अधिकारी के बारे में या अन्य व्यक्ति के बारे में निराधार बात कही जाय तो वह नहीं कही जानी चाहिये और इसकी जिम्मेदारी जो माननीय सदस्य कहे उस पर होती है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य ने जो पॉइन्ट ऑफ आर्डर उठाया है वह बिलकुल निराधार है। इसके आधार पर तो यहां कोई बात कभी डिसकस ही नहीं हो सकती।

यहां कितने ही लोगों के बारे में कितनी ही बातें उठाई गई हैं सरकार ने जांच भी करवाई है। ऑफीशियल्स के बारे में भी बातें उठाई हैं। नेताओं और व्यापारियों के बारे भी कई बातें उठाई गई हैं। कितनी ही बातें बिड़ला, साहू जैन आदि के बारे में उठाई गई हैं।

श्री अध्यक्ष : ट्रेजरी बैंचेज कुछ कहना चाहती हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यू आर इन्टरेस्टेड इन ट्रेजरी बैन्चेज।

श्री अध्यक्ष : आन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर पर जो आरोप लगाये गये हैं विशिष्ट जन के विरुद्ध....

श्री रामकिशन : विशिष्ट जन नहीं, सामान्य जन।

श्री अध्यक्ष : सामान्य जन कह दीजिये। जो सदन में नहीं हैं उनके विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आइन्दा के लिये यह साफ हो जाना चाहिये कि ट्रेजरी बैंचेज को इसमें कोई ऐतराज नहीं है तो हमें भी ऐतराज नहीं है फिर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय किसी सदस्य के खिलाफ आरोप लगाया जावे तो नोटिस दिया जाना चाहिये। वरना तो कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री रामकिशन : यह क्या पॉइन्ट ऑफ आर्डर है, समझ में नहीं आता। वर्तमान नियम है कि सदन के किसी सदस्य या किसी सरकारी अधिकारी के लिये नोटिस देना जरूरी होता है। जो सामान्य नागरिक हैं, टैक्स चोर हैं, कानून भंग करने वाले हैं तो उनकी तो आलोचना होगी। अब ये आरोप सही हैं या नहीं यह जांच करना सरकार का काम है।

श्री अध्यक्ष : आपके दृष्टिकोण को समझ गये।

श्री रामकिशन : असल तो जवाब यह आना चाहिये कि अब सरकार क्रान्तिकारी बन गई है। समाजवाद का नारा लगाने लग गई है और अधिक नहीं तो पिछले दो-तीन मास से तो बन ही गई है।

श्री शंकरलाल : यह नियम 273 है। इसके अन्दर किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाने के लिये पूर्व सूचना मन्त्री को देने का प्रावधान है। पर रामानन्द जी ने जो बात कही है वह सार्वजनिक हित की है और तथ्यों पर आधारित है। इसमें पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर की कोई बात नहीं है। इन आरोपों की जांच की जानी चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अब अगर आज से ऐसी परम्परा कायम होती है तो मुझे इसमें भी कोई ऐतराज नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : रामानन्द जी ने जो बात कही उस पर आपत्ति उठाई गई। मेरा ऐसा मानना है कि रामानन्दजी ने जो आरोप लगाये हैं वे किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं लगाये हैं। भाषण के दौरान बीकानेर के महाराजा के इन्कम टैक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसमें टैक्स की चोरी हुई है यह तथ्यों से जाहिर है। तथ्य सदन में रखना अगर सदस्य चाहे तो रखने का उसको अधिकार है। यह कोई व्यक्तिगत चरित्र पर लांछन लगाने जैसा आरोप नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया।

श्री मथुरादास माथुर : मुझे इतना ही निवेदन करना है कि इस सिलसिले में रूल्स ऑफ बिजनेस साफ हैं और इनको इन्टरप्रीट करना, अध्यक्ष महोदय, आपका काम है। रहा प्रश्न सदन की परम्परा का तो किसी स्ट्रेन्जर के पर्सनल करेक्टर का असेसिनेशन अगर किसी ऐसे आरोप से होता हो तो उसे अवोइड करते हैं। मगर अगर कोई ऐसा सवाल आ जावे जिसमें टैक्स की चोरी का ऐसा मामला हो तो सरकार का ध्यान अगर कोई माननीय सदस्य उस तरफ दिलाना चाहे तो इसका तो अधिकार है। सरकार जांच करे।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज। व्यवस्था का प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया

(श्री अध्यक्ष)

है। जहां तक सिद्धान्तों का प्रश्न है वहां तक तो ठीक है वह प्रश्न। कोई भी एली-गेशन ऑफ डिफेमैटरी कैरेक्टर, सदन के प्रांगण पर यदि उठाया जावे तो प्रीवियस नोटिस देना आवश्यक है। आवश्यक इसलिये माना गया है कि उसका उत्तर दिया जा सके और दूसरा अध्यक्षीय आसन उस पर अपना निर्णय दे सके कि यह उठाया जा सकता है या नहीं। इसलिये प्रीवियस नोटिस आवश्यक समझा गया है।

उसमें जो दूसरा व्यवस्था का प्रश्न है स्ट्रेन्जर, जो सदन में नहीं है, उसके सम्बन्ध में यहां कुछ कहा जा सकता है या नहीं। मेरी यह व्यवस्था है कि स्ट्रेन्जर यहां नहीं हो तो उसके खिलाफ पर जवाब कौन दे? स्पष्टीकरण के लिये देंगे। इसमें जहां तक रूल्स का प्रश्न है किसी बाहर के व्यक्ति के सम्बन्ध में कोई आरोप जो डिफेमैटरी कैरेक्टर का हो, नहीं लगाया जाना चाहिये।

और जो डिफेमैटरी कैरेक्टर का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में प्रीवियस नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

अब इस सन्दर्भ में प्रीवियस नोटिस नहीं दिया गया। यह भी सत्य है जिनके विरुद्ध आरोप लगाया जा रहा है वे भी स्ट्रेन्जर हैं।

पर जो प्रश्न यहां पर विवाद का बन गया है वह फैक्चुअल तथ्यों के आधार पर रख रहे हैं माननीय सदस्य। ऐसी स्थिति में मैं उन रूल्स को स्ट्रिक्टली एप्लाई करने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि माननीय सदस्य ने मांग की है कि इसकी एन्क्वायरी की जावे और एन्क्वायरी के प्रश्न पर जो माननीय सदस्य ऐसे आरोप लगाते हैं तो सदन कुछ अपना निर्णय आरोपों के सत्यासत्य पर दे सकता है। इसमें खतरा जरूर है जहां तक सदन का प्रश्न है। इसलिये जो प्रश्न उठाया गया है उसका स्पष्टीकरण अगर स्ट्रेन्जर यहां नहीं है किन्तु राज्य सरकार का कर्त्तव्य है कि उसका स्पष्टीकरण यद्यपि करे क्योंकि फैक्ट्स के आधार पर प्रशासन से सम्बन्धित ये सारे आरोप हैं। इस सम्बन्ध में यही कहा जा सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो भी माननीय सदस्य यहां पर हैं सभी जिम्मेदार हैं और जो बातें मैंने कही हैं वे पूरी जिम्मेदारी के साथ कही हैं।

श्री अध्यक्ष : आपने बहुत समय ले लिया है। आप जल्दी समाप्त करें।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, ये अपनी पार्टी के एक ही आदमी हैं। हमारी पार्टी का एक भी नहीं बोला है। इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : उनकी पार्टी बाहर बहुत व्यापक रहती है। माननीय सदस्य, जल्दी समापन करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी पार्टी से तो तीन गुना हैं पार्लियामेन्ट में हमारी पार्टी के लोग। आठ तिया चोईस।

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी समाप्त करिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह बात बिलकुल ठीक है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस बात को पहले नोटिस में क्यों नहीं लाया गया? सभापति महोदय, मैं महसूस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

करता हूं कि यह बहुत ही गम्भीर मामला है। जितनी जल्दी यह मामला मेरे नोटिस में आया मैंने जल्दी से जल्दी एक जिम्मेदार से जिम्मेदार जगह पर इसको गवर्नमेन्ट के नोटिस में लाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, 22 फरवरी, 1971 को कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स की अदालत में इस आरोप के आधार पर दरख्वास्त दी गई है जिसमें कि इस प्रकार के जांच की मांग की गई है। जो मेरी इन्फार्मेशन का बेस है। एक तो वह है जिसके आधार पर मैंने कहा है बाकायदा इन्कम टेक्स डिपार्टमैंट में है। दूसरा राजस्थान सरकार ने नोटिस देने के बाद जानकारी मिली है कि सन् 68 से यह बात उसके नोटिस में थी और अलवर की कलेक्टरी में इसकी इन्क्वायरी चल रही है लेकिन उसको दबाया जा रहा है और मुझे सूचना मिली है कि यह कोशिश चल रही है कि इसको इर्द-खुर्द कर दिया जाये। तहस-नहस कर दिया जाये। कुछ सरकारी अधिकारी और फ्यूडल एलीमेन्ट इस प्रकार का प्रयत्न कर रहे हैं। तो मैं यह जानना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत कि वित्त मंत्री महोदय इस बात को बतावें कि इस सरकार के नोटिस में यह बात पहले से है या नहीं है? क्या कलेक्टरी ने इस प्रकार का नोटिस दिया है और वहां पर इसकी इन्क्वायरी चल रही है और क्या यह रजिस्टर्ड इन्क्वायरी है? इन्कम टैक्स डिपार्टमेन्ट में इस प्रकार की कोई दरख्वास्त लगी है या नहीं लगी है? अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार अपने टैक्स की चोरी रोकने के लिये क्या कर रही है? मेरा यह आरोप है कि यह सरकार राजा, महाराजाओं और करोड़पतियों का जहां पर सवाल आता है उनको तो संरक्षण देती है और छोटी छोटी बातों पर गरीबों के मकान की कुर्कियां करती है। ये राजा-महाराजा, करोड़पति करोड़ों रुपयों के टैक्स का गोलमाल करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर वित्त मन्त्री महोदय आज इसका उत्तर देने की स्थिति में नहीं हों तो फिर कभी कह दें और न देंगे तो यह दूसरी बात है। आपके टैक्सेशन लॉ में तीन पेनल प्राविजन हैं। उसको सजा देने का अधिकार आपको है, जुर्माना भी आप कर सकते हैं, उसको अरेस्ट कर प्रोसीक्यूशन करने का भी आपको अधिकार है। मन्त्री महोदय मुझे इस बात का आश्वासन दिलावें कि प्रोलिमीनरी इन्क्वायरी में यह बात कहां तक सच पाई गई है और सच पाई गई है तो मैं यह मांग करूंगा कि डा. करणीसिंह को गिरफ्तार किया जाय और मुकदमा चलाया जाय और साथ ही साथ जो लोग इसके लिये जिम्मेदार हैं उन सबके खिलाफ भी मुकदमा चलाया जाय। यह मैं मांग करूंगा और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं कुछ बातें कहना उचित समझूंगा, अध्यक्ष महोदय। जिला जालोर के बारे में पिछले कई सालों से मैं बराबर मांग करता आ रहा हूं हजारों कुओं पर पम्पिंग सेट्स लगे हुए पड़े हैं किन्तु वहां पर कोई बिजली की लाइन नहीं पहुंचाई गई है...

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि साढ़े बारह बजे वित्त मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : एक सदस्य एक घंटा 20 मिनिट तक बोल जाय यह नहीं हो सकता। हमे भी मौका मिलना चाहिये वरना हम इसको पास नहीं होने देंगे। एक घंटा 20 मिनिट केवल मात्र एक सदस्य को मिल जाय !

श्री अध्यक्ष : इतने उत्तेजित न हों। मैं आपकी भावनाओं को समझ गया हूं माननीय सदस्य ! आप स्थान ग्रहण करें।

श्री विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जालोर जिले की समस्याओं के बारे में मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना उचित समझूंगा क्योंकि इस जिले की तरफ पिछले कई वर्षों से वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है हालांकि वे भलिभांति जानते हैं कि जिला जालोर में करीब 200 गांव ऐसे हैं जिनमें ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, वहां पर खारा पानी है। इस जिले में एक रीजनल स्कीम शुरू की गई है और जिसका काम अधूरा ही है और कई गांवों को इस स्कीम के अन्तर्गत लाया जाना था वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इन गांवों का पानी खारा है और इसलिये इन गांवों को पानी दूर से उपलब्ध कराने का सवाल है। आपकी मार्फत, अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कुछ दिनों पहले उन्होंने इस बारे में आश्वासन दिया था कि वहां के लोगों को पीने का पानी मिलेगा। उस ओर मैं उनका ध्यान आकर्षित कर निवेदन करूंगा कि वहां के लोग आतुर हैं। वहां के लोगों को पीने के पानी की एक बूंद भी उपलब्ध नहीं है और टांके का पानी खारा है। ऐसी स्थिति में इस समस्या का शीघ्र ही हल करना जरूरी हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, जिला जालोर को माही नदी की हाइडल पावर सिरोही, भीनमाल और सांचोर होकर सप्लाई करने की योजना है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस लाइन को शीघ्र ही कार्यान्वित कर बिजली की सप्लाई की जाय। परन्तु राज्य सरकार की ओर से निश्चित रूप से कोई जानकारी नहीं मिली है कि इस साल में कहां तक यह लाइन आ जावेगी। हजारों कुओं पर क्रूडआइल से पम्पिंग सेट्स चला कर काश्त की जाती है। यह बिजली उनको मंहगी होती है। ऐसी हालत में इस जिले में रुकोप होते हुए भी राज्य सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया है। यह जिला उत्पादन की दृष्टि से ऐसा जिला है जो कि राजस्थान की खाद्य समस्या को अकेला ही हल कर सकता है। ऐसी हालत में वहां पावर लाइन की राज्य सरकार शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था करे। मुख्य मन्त्रीजी ने पिछले साल भी घोषणा की थी, यह लाइन शीघ्र ही वहां पर लगा दी जायेगी। इसलिये मैं यह मांग करूंगा कि राज्य सरकार इस ओर ध्यान दे और 33 के. वी. की लाइन भीनमाल तक तो इस साल अवश्य ही पहुंचा दे।

जिला जालोर में रूरल कन्स्ट्रक्शन स्कीम के तहत जो एक्स. ई. एन. का हैड क्वार्टर है उसको वहां से हटाया जा रहा है। इससे अध्यक्ष महोदय, वहां के लोगों में काफी असन्तोष है और यह असन्तोष फैलता ही जा रहा है। इसका गत कई सालों से कार्य चल रहा है और जिले में 2 करोड़ की

(श्री रघुनाथ विश्नाई)

स्कीम हैं। ऐसी हालत में यह प्रशासन के भी हित में है कि वहां पर से यह हैड क्वार्टर नहीं हटाया जाये। इसके अलावा पावर का खण्ड, वाटर वर्क्स का खण्ड और एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज, सिरोही और जालोर की जनसंख्या को सहूलियत देने की दृष्टि से शीघ्र ही खोलने की ओर ध्यान दे।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, जो राज्य सरकार की सोशल वैलफेयर स्कीम है उस स्कीम के तहत भी जिला जालोर को उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया है। मैं आपकी मार्फत वित मन्त्री जो का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। लोकल पावर लाइन, ड्रिंकिंग वाटर और इर्रिगेशन वैल्स के लिये मैंने यहाँ पर बार बार मांग की है परन्तु जिला जालोर को अभी तक राज्य सरकार ने उपेक्षा की दृष्टि से देखा है इस लिये इसकी तरफ राज्य सरकार पूर्ण ध्यान दे और इसके अलावा जो दूसरी...

श्री अध्यक्ष : ये छोटी मोटी बातें हैं। आप बात कर लेना।

श्री रघुनाथ विश्नोई : खाद्यान्न खरीफ क्रॉप की समस्या है, जो समस्या इसकी हमारे जिले में उपस्थित हो गई है, मैंने पहले भी आपकी मार्फत सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। हजारों की संख्या में किसान मारे मारे फिर रहे हैं और उधर काश्तकारों से वसूली की जा रही है। फूड कॉरपोरेशन ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है ताकि वह काश्तकारों का बाजरा खरीद कर सके और इससे काश्तकारों में बड़ा भारी असन्तोष है। इस आम असन्तोष की तरफ मैं खाद्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि राज्य सरकार काश्तकारों से बाजरा खरीदे। इस वर्ष पर्याप्त बाजरे का उत्पादन हुआ है लेकिन उसको खरीदने वाला कोई नहीं है। आज बाजरे का भाव 30) रुपये क्विन्टल का हो गया है जब कि राज्य सरकार ने 55) रुपये क्विन्टल का भाव इसके लिए निर्धारित किया था। इस हाउस में इस बारे से बहुत बहस हो चुकी है और उस पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था। पिछले दो सालों के बाद इस साल अच्छी वर्षा हुई है और अनाज अच्छा उत्पन्न हुआ है परन्तु काश्तकारों का अनाज, धान कोड़ी के भाव बिक रहा है और राज्य सरकार ने जो भाव गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से मुकर्रर किये हैं 55) रु० क्विन्टल उसमें भी मैंने कहा है 55) रु० क्विन्टल में खरीद नहीं होगी...

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

लोकल ट्रेडर्स से मिल कर लोगों को लूट रहे हैं इसलिये मैं आपकी मार्फत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं काश्तकार को खरीद-फरोख्त की ओर विशेष ध्यान दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता! कम से कम समय।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का आपके जरिये से, जो इन्होंने 187 करोड़ की मांग की है, उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं क्योंकि कोई भी मांग करे उसमें सच्चाई और नैतिकता नहीं निकलती है। कितना ही काम करे यह सब बेकार है—

बान्ध बन्धा बणवा सड़क,
भली मदरसा खोल।
नैतिकता विन देश को,
नी कोडी रो मोल॥

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

तो नैतिकता जिसमें प्रकट नहीं होती हो बल्कि हालत तो, अध्यक्ष महोदय, यहां तक पहुंच गई है यह वचन भंगी सरकार जो 72 तक पूर्ण नशा बन्दी करने वाली थी उसको उत्तरोत्तर बढ़ा रही है। गरीब परिवारों में तो शराब का प्रचलन है ही लेकिन विधायकों में भी इसका प्रचार बढ़ रहा है। आपने देखा होगा, कल आपने देखा होगा.......

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ! इस प्रश्न की पुनरावृत्ति न करें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : क्या पहले हो गया है, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न को अब ओपिन करने का सवाल नहीं है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं मैं जब जब भी अपने क्षेत्र के लिये कोई मांग करता हूं तो कह देते है पैसे नहीं है। मेरे क्षेत्र के बड़े बडे गांवों में खटवांड़ा, सूरास, धाकड़खेड़ी, सींगोली, गेदल्या, जीत्यां, मानपुरा, धामनियां, थल, सरथला, झंफोला, श्रीनगर, मुणपुरा, गेनोली, सवाईपुर, बड़ला, बीकरण, मांगटला, मालकाखेड़ा आदि आदि बड़े बड़े गांव है जहां कोई सवारी का साधन नहीं है। दवाखाना खुलवाने के लिये कहते है तो जवाब मिलता है पैसे नहीं हैं। मरते हुये लोगों को बचाने के लिये पैसे नहीं हैं फिर किस प्रकार की मांग करते रहे हैं ? मैं कहता हूं इस मांग में 40-50 हजार रुपये और जोड़ देते और गांव गांव में गंगाजल पहुंचा देते। मरते हुये लोगों को कम से कम गंगाजल मिल जाता तो उनको मुक्ति मिल जाती। ऐसा तो कम से कम, अध्यक्ष महोदय, ये कर दें तो अच्छा है क्योंकि इनके पास पैसे नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी ओर पंचायत समितियों ने सारे राजस्थान का सत्यानाश किया है। आज अधिकतर प्रधान और प्रमुख अपने लिये जमीन और मकान बना बना कर बैठे हैं। आप समाजवाद ला रहे हैं या सर्वनाश ला रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को मोटर कार पर कर्ज देते हैं तो उसमें सात पर्सेन्ट का ब्याज लगाया जाता है और गरीब आदमी उत्पादक श्रम करने वालों को 10 प्रतिशत ब्याज पर दिया जाता है। यह कहां का समाजवाद है ? आई. ए. एस. और आई. पी. एस. अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र 58 साल लेकिन आर. ए. एस. और आर. पी. एस. व अन्य छोटे कर्मचारियों को 55 साल में रिटायर करेंगे यह कौनसा समाजवाद है ? बल्कि होना तो यह चाहिये कि जो ज्यादा से ज्यादा वेतन पाते हैं उनको छोटी उम्र में रिटायर करना चाहिये और जिनको कम वेतन मिलता है उनको बड़ी उम्र में रिटायर करना चाहिये लेकिन यहां तो सब काम उल्टे चल रहे है।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के लिये दो करोड़ से अधिक की मांग कर रहे हैं। अरे, मैं पूछना चाहता हूं आप शिक्षा में कर क्या रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में शिक्षा के बारे में अन्याय हुआ है। मिडिल स्कूलों के लिये रकम स्वीकार की गई थी तीन तीन हजार की। फहरिस्त लेकर पहुंचे रकम उठाने के लिये लेकिन ज्यों ही शिक्षा मंत्री जी को मालूम हुआ कि सवाईपुर सरपंच ने राजाधिराज हेमेन्द्रसिंह का चुनाव प्रचार किया है तो तीन हजार की रकम काट दी

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

गई । जब शिक्षा में इस प्रकार का पापाचार चले तो, अध्यक्ष महोदय, इस देश का क्या होगा ? जिस शिक्षा के पढ़ने से काम पर नहीं लगते हैं उस बेकार की शिक्षा में क्यों बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। देश का सत्यानाश हो रहा है। वह दिन दूर नहीं जिस तरह यादव लोगों का विनाश हुआ और तिनके से मूसल बने ठीक इसी तरह जो कॉलेज के निकले हुए बच्चे हैं ये मूसल बन कर हमारे सिर पर पड़ेंगे। आपने एलान किया है बेकारी भत्ता देंगे। कब तक भत्ता देंगे ? भत्ता देकर शिक्षा में और बेकारी बढ़ाते जा रहे हैं। बड़े गौरव से कहते हैं इतने हाई स्कूल खोलेंगे, इतने हायर सेकेन्डरी स्कूल खोलेंगे और कॉलेज खुलेंगे इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि कृपा कर इन मांगों को स्वीकार न करें और ऐसा रास्ता अपनाये जो गान्धी जी ने बताया था।

आजादी में जूझने वाला पूर्वी पाकिस्तान, बंगाल देश जिसे आप देख रहे हैं मुजीब के लड़के को टैंक के नीचे कुचल कर मार दिया गया लेकिन आजादी के सिपाही मुजीब को इसकी कोई परवाह नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ऐसी घटना से सबक लेकर मंत्री लोग जिनका रास्ता ठीक नहीं है उनको अपना रास्ता ठीक करना चाहिये। चारों तरफ पापाचार, भ्रष्टाचार फैल रहा है और इस हद तक बढ़ गया है किसी कागज को बिना पैसे दिये निकाल ही नहीं सकते।

काम सरे नी बात सूं, सरे न करियां रीस।
काम सरे थे दो जदी, बिना रसीदी फीस ।।

अध्यक्ष महोदय, बिना रसीदी फीस दिये तो कचहरी में काम निकलेगा नहीं। मैं कहता हूं वेतन कितना ही बढ़ाये कर्मचारियों का लेकिन वेतन बढ़ाने से कोई काम नहीं होगा। वेतन के साथ कर्तव्य पालन नहीं सीखेंगे तब तक काम नहीं चलने वाला है। मेरा यही निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण दिशा की ओर चलिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री लादूराम सुलानिया : अध्यक्ष महोदय.......

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : दोनों तय कर लें।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी सु.) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज विनियोग विधेयक पर चर्चा चल रही है – इस पर मैं आपके माध्यम से निवेदन कर दूं—आज हम राजस्थान में करोड़ों रुपयों का बजट पास करते है और बजट के पूरा न होने पर विनियोग विधेयक की हमारे माथुर साहब फिर मांग करते हैं। वह भी हम देते हैं, नटते नहीं हैं। जयपुर के बिलकुल पड़ौस के क्षेत्र से मैं चुन कर आता हूं। वहां की जनता को राज्य सरकार से जिन चीजों का फायदा मिलना चाहिये वह वंचित रहती आई है। अभी लोक सभा के चुनाव हुए, अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार में गये और लोगों से यह कहां सड़के बना दें, बिजली लगा दें जो भी सुविधा हो दे दे लेकिन आप कांग्रेस को जिताते नहीं हैं तब हमारे लोगों ने कहा जिता देंगे, आपको

(श्री लादूराम सुलानिया)
वोट दे देंगे। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, वोट से पहले दो-तीन रोज पहले खंभे डाले गये और खंभे डाले क्या गये चिपका दिये गये। एक कड़वी का भरा ट्रक आया और वे सब टूट गये....

श्री मथुरादास माथुर : टेलीफोन के खंभे होंगे।

श्री लादूराम सुलानिया : आपने नहीं डलवाये तो वे दो महीने बाद डल सकते थे, 6 महीने बाद डल सकते थे लेकिन उनको पक्का तो करते और फिर उनको ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य वे टेलीफोन के थे या बिजली के थे। टेलीफोन इनके हाथ में नहीं है। बिजली के होंगे।.

श्री लादूराम सुलानिया : वह है, सब जानते हैं भारत सरकार को भी लिख सकते हैं हमारी ऐजेन्सी तो ये ही है...

श्री अध्यक्ष : अब महत्वपूर्ण मुद्दे पर आ जायें।

श्री लादूराम सुलानिया : तो, अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था उनको वापिस ले गये। बिजली के खंभे 23-24 वर्षों के बाद फागी तहसील में जो जयपुर से कुल 30 मील की दूरी पर पड़ती है नहीं ले गये। मालपुरा की रोड है वहां पर मन्त्री महोदय महीने में 10 बार गुजरते होंगे। हमारे होम मिनिस्टर साहब का क्षेत्र उसी रोड पर है। आप मेरा ख्याल ऐसा है उधर गये नहीं! वित्त मन्त्री महोदय मैं कहता हूं आप पधारें वहां की हालत बहुत खराब है। वहां इतने बड़े बड़े टीले हैं कि एक मील से सड़क दिखाई नहीं देती है। दूसरी बात लिन्करोड सांभर से लालसोट एक बहुत लम्बी चौड़ी रोड है जिसकी ऐसी दुर्दशा है मेरे ख्याल से राजस्थान में किसी और रोड की नहीं है। मोटर कार, बैलगाड़ी, साईकल आदि कुछ भी चल नहीं सकती हैं। उस पर डामर कराना तो दूर है मरम्मत तक नहीं कराते हैं। अध्यक्ष महोदय, दो तीन महीने पहले डामर के ढोल गये थे लेकिन अब उनको वापिस उठा कर ले आये और मन्त्रियों के बंगलों पर डाल दिये गये। यह सौतेला व्यवहार 30 मील की दूर की जनता के साथ किया जा रहा है...

श्री अध्यक्ष : 30 मील से ले आये?

श्री लादूराम सुलानिया : मैं, अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि वहां कि जनता के प्रति जो राज्य सरकार के विचार हैं वह उत्तम नहीं हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बजट में वहां की जनता भी आपको टैक्स देती है, वहां पर चलने वाली मोटरों से भी टैक्स मिलता है और अन्य उपज है उससे भी आपको रेवेन्यू की आमदनी होती है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, उसकी बदौलत वहां की जनता कुछ चाहती है लेकिन वहां की बजाय पैसे अन्य जगह लगाते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि वहां की जनता के साथ आपको न्याय करना चाहिये और जो हमारे टैक्स का पैसा है और रेवेन्यू है उसका हिस्सा हमको मिलना चाहिये......

श्री अध्यक्ष : सड़क का तो हो गया अब आयुर्वेद के ऊपर आ जाओ।

श्री लादूराम सुलानिया : अब मैं स्कूल के बारे में कहूंगा। हमारे यहां फागी में एक हायर सैकेण्डरी स्कूल है और 40 हजार

(श्री लादूराम सुलानिया)
रुपया पब्लिक ने चन्दा करके उसके ऊपर लगाया और सरकार ने पैसा नहीं दिया और हमने सरकार को हैंडप्रोवर कर दिया और उसके बाद में भी वहां पर बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, वह बैठ नहीं सकते हैं और सरकार ने उसको बन्द करने के आदेश निकाल दिये कि बिल्डिंग के अभाव में हम इसको बन्द करते हैं। इसके लिए, अध्यक्ष महोदय, हमने किसी मन्त्री से निवेदन नहीं किया लेकिन जिलाधीश से जरूर निवेदन किया कि इस स्कूल को बन्द करने से यहां के हजारों बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जायेंगे चाहे हम सड़कों के किनारे पेड़ों के नीचे बैठ कर पढ़ायें अगर राज्य सरकार में इतनी अयोग्यता आ गयी की बिल्डिंग नहीं देगी तो हम उसकी परवाह नहीं करेंगे लेकिन स्कूल बन्द नहीं होना चाहिये। लेकिन राज्य सरकार ने उसके ऊपर एक कट्टा सीमेन्ट भी नहीं लगाया। वहां उस बिल्डिंग में सारी दरारें आ गयी हैं, क्रेक आ गये हैं, और बिल्डिंग खतरनाक हो गयी है और वह इनके जुरिस्डिक्शन में है लेकिन वह एक कट्टा सीमेन्ट भी नहीं लगाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमारे यहां 1953-54 में राज्य सरकार ने परिगणित जाति और परिगणित जनजातियों के लिए कुछ आदर्श बस्तियों का निर्माण कराया था। अध्यक्ष महोदय, उस समय प्रावधान था कि 750 रु० का हम अनुदान देंगे और कुछ वह देंगे। अध्यक्ष महोदय, उन बस्तियों के लिए रुपया पास हुआ, सड़कों और स्कूलों के लिए रुपया आया था, पंचायत भवन के लिये रुपया आया था लेकिन वह सारा रुपया उन बस्तियों में नहीं लगा। जिसके 750 रुपये पास हुये थे उनको 250 रुपये की किश्त देने के बाद बाकी की दूसरी किश्त 500 रुपये की नहीं मिली। वह रुपया उनको अब भी मिलना चाहिये। उनको बारबार आश्वासन दिया गया कि इस साल देंगे अगली साल देंगे लेकिन वास्तव में उन बस्तियों का नमूना देखा जाये तो आपको मालूम होगा कि वह खण्डहर पड़ी हैं......

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें आप।

श्री लादूराम सुलानिया : ऐसी हालत में इस जिले की उपेक्षा जिस प्रकार से की जा रही है उसे हम संतोषजनक नहीं कह सकते हैं। हमारे यहां चाकसू के अन्दर नल योजना बनायी गयी और राज्य सरकार ने वहां नल ले जाकर डाल दिये। सर्वे करवा ली, जगह बतादी और जमीन लेवल कर दी गयी और मैं कहूं कि 4½ साल का अर्सा हो गया एक नल भी नहीं लगा और पता नहीं रात रात में ही नल कहां गये....

श्री अध्यक्ष : वापिस गये ?

श्री लादूराम सुलानिया : जयपुर ले आये और इसके बाद किसी मन्त्री के इलाके में जाकर लगा दिये होंगे। जिस समय चुनाव आते हैं चाकसू में नल डाल दिये जाते है, बन्ध की योजना बना दी और चुनाव निकल जाने के बाद, अध्यक्ष महोदय, वह वादा पूरा नहीं करेंगे तो हमें स्पष्ट मालूम होता है कि इनकी आत्मा में इस प्रकार का आवरण छाया हुआ है कि हमारी पार्टी का उम्मीदवार नहीं जीता है इसलिए इस क्षेत्र की जनता को किसी प्रकार का फायदा नहीं दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री लादूराम सुलानिया)

अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि हमारे देश के अन्दर जब संवैधानिक व्यवस्था है, कानून का राज्य है तो आदमी कहीं से भी चुन कर आये मंत्रिमण्डल में बैठने के बाद सारे राजस्थान के ऊपर उसकी एक नजर होनी चाहिये, जनता राजस्थान की है और मंत्रिमण्डल राजस्थान का है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय को निवेदन करूंगा कि यह जो सौतेला व्यवहार है इसको छोड़ देना चाहिये और सारी जनता राजस्थान की है और जनता के अन्दर इस प्रकार की भावनाएं डाल रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, समाप्त करें।

श्री लादूराम सुलानिया : दो मिनट जब कोई सदस्य चुन कर आ जाता है और चुनने के बाद मंत्रिमण्डल में आ जाता है तो सारे राजस्थान पर ध्यान न लगा कर सिर्फ अपने ही क्षेत्र की तरफ ध्यान लगा देता है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज-स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलानिया: मैं एक बात और कह दूं केवल। वह यह है कि हमारे यहां राज्य सरकार की उपेक्षा सबसे ज्यादा यह रही है कि परिगणित जाति और परिगणित जनजाति के लोगों के ऊपर जिस प्रकार के अत्याचार होते हैं उनके बचाव के लिए कुछ नहीं करते हैं। इसके साथ ही साथ राज्य सरकार के ऐसे नियम हैं कि परिगणित जाति और परिगणित जनजाति के लोगों के ऊपर किसी प्रकार के मुकदमे चलते हैं या वह किसी पर मुकदमे चलाना चाहते हैं तो उसके लिए सारा धन या वकील राज्य सरकार दे.....

श्री अध्यक्ष : फौजदारी के मुकदमे ?

श्री लादूराम सुलानिया : फौजदारी के हों या किसी भी प्रकार के हों। अध्यक्ष महोदय, ऐसे रूल्स हैं कि समाज कल्याण विभाग द्वारा परिगणित जाति और परिगणित जनजाति के लोगों के ऊपर कोई दूसरे मुकदमे करें या वो किसी दूसरे लोगों पर करें तो उसके लिए पैरवी करने का खर्चा राज्य सरकार दे लेकिन इससे उनको वंचित रखा है। ऐसी स्थिति में ....

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

दो मिनिट में ही समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब मेरे पास मिनिट है ही नहीं। मैं एक एक मिनिट देने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री लादूराम सुलानिया : अच्छा एक ही मिनिट में करता हूं।

... तो मैं कह रहा था कि परिगणित जाति और परिगणित जनजाति के लोगों को आप सहूलियत नहीं देते हो और उनके ऊपर जो दूसरे लोग अत्याचार करते हैं उनको आप गिरफ्तार नहीं करते हो और उल्टे आक्रमण करने के लिए उनको प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि वे दबे रहें। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो सदन में तीन-चार रोज पहले चर्चा चली थी उसके ऊपर आज तक कार्यवाही नहीं हुई ....

श्री अध्यक्ष : वह तो आज भी प्रश्न आ गया था उसको क्यों दोहराते हैं ? बहस

(श्री अध्यक्ष)
हो चुकी शायद आप नहीं थे। आपसे तो नये प्रश्नों की आशा है, ऊंचे ऊंचे प्रश्नों की...

श्री लादूराम सुलानिया : लेकिन हम कब तक आश्वासन सुनते रहेंगे और राज्य सरकार से हम कब तक कहते रहेंगे ? इससे तो बेहतर यह है कि इसके लिए ज्यादा से ज्यादा कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री भगवानदास शास्त्री !

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, नये वर्ष का जो बजट माननीय वित्त मन्त्री जी ने पेश किया है वह 24 करोड़ के घाटे का है....

श्री अध्यक्ष : आप पहले निश्चित करलें कि दूसरे पर तो नहीं बोल रहे हैं ?

श्री भगवानदास शास्त्री : नहीं, नहीं उसी पर बोल रहा हूं ....

अध्यक्ष महोदय, इस राज्य सरकार के बारे में समय समय पर हम अपने अपने जो विचार हैं जनता के विचार हैं, वह लेकर इस सदन में आते हैं और कहते हैं। मैं आपको दुःखद घटना क्या बताऊं। केन्द्र सहायता देती है और रिकवरी के लिए राज्य सरकार को आदेश देती है। गोल्ड कन्ट्रोल ऑर्डर होने के बाद आपको मालूम है कि कितने सुनार बेकार और बरबाद हो गये। एक का तो हार्ट फेल हो गया, कई सुसाइड करके मर गये और कई हजार स्वर्णकार बन्धु बेकार पड़े हुए हैं। राजस्थान की यह हालत है। मेरे पास नोटिस है। तहसीलदार नोटिस देता है कि हम कुर्की लाकर सामान नीलाम करेंगे। एक जगह कुर्की की तो दो कटोरी और 12 ग्लास मिले। उनको वे वापस पड़ौसी को दे गये कि उसको दे देना।

श्री अध्यक्ष : ग्लास चांदी के तो नहीं थे ?

श्री भगवानदास शास्त्री : बिल्कुल कांच के थे। जो कहावत है कि कुम्हार के यहां मटका फूटा मिलता है वही हालत उस स्वर्णकार की है स्वर्णकार बन्धुओं को आज तक बड़ा बलिदान देना पड़ा। आज उनको कई वर्षों पहले एक-एक हजार रुपयों का गवर्नमेंट आफ इंडिया ने लोन दिया और उस पर ब्याज होता है। करीबन चार वर्ष हो चुके हैं। तो स्वर्णकारों की स्थिति विचारणीय और दयनीय है और प्रति माह 5 रुपये की किश्त देने में समर्थ नहीं हो सकते हैं तो फिर स्थानीय अधिकारियों को प्रार्थना करने पर भी कोई दया नहीं आती है कि सरकार उनके कर्जे को राइट आफ कर दें जैसा कि हमने म्युनिसिपेलिटीज के पानी के बिलों को राइट आफ कर दिया है। ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं। आप कहते हैं कि समाजवाद लाना है तो समाजवाद लाने की नीति यह है कि जो गोल्ड कन्ट्रोल ऑर्डर मुरारजी भाई ने लागू किया है उसके मातहत इन लोगों ने बलिदान किया है वह गवर्नमेंट आफ इंडिया के एक्ट, के मातहत किया है, एक व्यक्ति का नहीं किया हुआ है सम्पूर्ण कांग्रेस सत्ता का किया हुआ है तो आज जिन परिस्थितियों में स्वर्णकार हैं उनमें एक हजार की पूंजी को वापस करने को तैयार हैं लेकिन 10-5 रुपया महीने की किश्त के हिसाब से ताकि उनकी इज्जत रह जाय। समाजवाद का थोथा नारा

(श्री भगवानदास शास्त्री)

दे कर कहें और उनको बेइज्जत करें और जो उनका सामान है, उसको कुर्क करें चाहे उसका मूल्य एक हजार रुपया बने ही नहीं तो भी बेइज्जत करते हैं तो मैं कहता हूं कि समाजवाद का नारा ही नारा रह जायगा। जनता अपनी इज्जत बेचने की सामर्थ्य नहीं रखती है। आज अधिकारियों से जनता बारबार मिलती है। वे किसी राजनैतिक नेता के साथ जाकर नहीं मिलते हैं। स्वर्णकारों का स्वयं का संगठन है। अगर राज्य सरकार इनकी रिकवरी के लिए केन्द्रीय सरकार और

(12.31 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

भारत सरकार से कहें। हमने राजस्व अधिकारियों से बातचीत की है तो उन्होंने कहा है कि हमें राजस्व मंडल कहता है कि रिकवरी पूरी कर लें। तो कम से कम, उपाध्यक्ष महोदय, एक टाइम का भोजन जिसको प्राप्त नहीं हो सकता है उनके लिए तो यह करना चाहिए। ये कहते हैं कि गरीबी मिटाओ और अभी तक केवल नारे में ही कहते हैं और जनता को धोखा देते हैं। सुनारों को रूखी-सूखी रोटी भी नहीं मिलती है और आप अभी तक नारे लगा कर जनता को, सभापति महोदय, बरबाद करना चाहते हैं। आज सुनार की स्थिति बड़ी दयनीय है। आज उनका संगठन है और वे लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। आप सारी स्थिति को बिगाड़ने के लिए लोगों को मजबूर करना चाहते हैं। यह धोखाबाजी है। मैं साफ बता देना चाहता हूं। वे अपने बच्चों और परिवार के लोगों को लाकर राज्य सरकार के दरवाजे पर बैठा देंगे और मुख्य मंत्री जी के घर पर सत्याग्रह करेंगे, केन्द्रीय सरकार के आगे मर मिटने वाले हैं। जिनके पास में पैसा नहीं है वे इज्जत से मरना पसन्द करेंगे।

मैं पुलिस के बारे में निवेदन करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री भगवानदास शास्त्री : पुलिस के बारे में आम धारणा यह बन चुकी है और उसका आम रवैया यह बन चुका है कि दुकानदार कोई बैठा है और पुलिस आकर उसको उठा ले जाती है और तंग करती है। माननीय उपाध्यक्ष, मैंने इसके बारे में एक स्थगन-प्रस्ताव भी दिया था कि एक थानेदार ने विजयनगर में एक दुकानदार को चार दिन तक बन्द रखा और उसके पाशविक तरीके से बिजली के करेन्ट लगाये जबकि कानून यह है कि 24 घन्टे से ज्यादा अपनी कस्टडी में न रखें। इससे ज्यादा की उनको इजाजत नहीं है और उनको मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए। मैं कहता हूं कि राज्य सरकार पुलिस के मामले में बड़ी कमजोर है और वह हर कदम पर पैसा लेता है। किसी का मर्डर कर दो और 10 हजार लाओ तो छोड़े जा सकते हो। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि 6 महीने पहले एक मर्डर हुआ था छत्रसालसिंह का, लेकिन आज तक उसका पता नहीं लगा खूनी का। मैं व्यक्तिगत तौर से किसी के विरुद्ध नहीं

[redacted]

(श्री भगवानदास शास्त्री)

हूं। न तो महाराजा किशनगढ़ का ग्रौर न छत्रमालसिंह जिसकी उम्र 34 वर्ष की थी जो कि डिप्लोमा पास पेन्टर था ग्रौर जिसके मां-बाप ने ग्रपने बच्चे को बड़ी-मुश्किल से पेन्टर बनाया था, के खून का पता लगा है। तो ग्रापका यह पुलिस विभाग पूरा निकम्मा साबित हो चुका है। एक चैन बनी हुई है ऊपर से नीचे तक ग्रौर हजारों की थैलियां पहुंचती है ग्रौर उसका परिणाम यह है कि किसी भी व्यक्ति की उसके प्रति निष्ठा नहीं है।

उदयपुर में जो चोरी हुई थी उसका ग्राज तक पता नहीं लगा। पुष्कर में श्री रंगजी के मन्दिर में जो 5 लाख की चोरी हुई उसका पता नहीं लगा। जब राजस्थान में ग्रकाल होता है तो हम बम्बई जाते हैं ग्रौर लखपतियों से भीख मांगते हैं ग्रकाल सहायता के लिए कुछ दो। वे कैसे देंगे जिनके मन्दिर में चोरी हो गई? उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री जी ने ग्राश्वासन दिया था कि चोरी पकड़ी जायगी। कैसे चोरी होती है कि रात के 11 बजे से लेकर 4 बजे तक एक मोटर साइकल एक एम्बेसेडर कार ग्रौर एक जीप रहती है। चोर कैसे ग्राते हैं कि पीछे के दरवाजे को तोड़ कर ग्रौर 12 ताले लगे हुए थे उनको तोड़ कर ले जाते हैं। हम कहते हैं कि हमारे यहां सभी धर्मों की छूट है। यह जो राजस्थान है उसमें विशेषतौर से धर्म-निरपेक्ष का नारा लगाया जाता है हमारे रंगजी की मूर्ति को खोदकर वह कीमती हीरा निकाल ले गये। उसका ग्राज तक पता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, हम राजस्थान के रहने वाले राजस्थानी पुलिस विभाग से इतने ग्रातंकित हैं क्योंकि लोगों पर झूठे-मूठे जुर्म लगाते हैं ग्रौर लखपतियों तक को तंग करते हैं। उनसे पैसा लेने की कोशिश करते हैं। इस तरह की पुलिस विभाग की परिस्थिति है। ग्राप ब्रिटेन को ले लें या अमेरिका को ले लें विरोधी पक्ष की ग्रावाज सुनी जाती है क्योंकि वे फुटपाथ पर घूमने वाले हैं वे गली गली घूमने वाले हैं ग्रौर जनता के मध्य में हैं, ग्रौर सत्ताधारी दल है वह ग्रपने महलों में ग्राराम करता है। जो लॉ एण्ड ग्रॉर्डर की सिचुएशन है तो राजस्थान में हमारे चार वर्षों के विधायकपन में 10-12 मर्डर तो ग्रपने जिले में देखे हैं कि उनका ग्राज तक पता नहीं है। जिस राज्य में मर्डर करने वाले का पता नहीं लगे तो वहां के पुलिस विभाग को समाप्त कर देना चाहिए ग्रौर जनता को सावधान किया जाय कि वह ग्रपना रक्षा स्वयं करे। इस विभाग पर हम करोड़ों रुपये खर्च कर के भी हम ग्रपनी प्रजा की, हम ग्रपने प्रान्त की ग्रौर साधारण व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो उससे क्या फायदा है? हमने देखा है कि ग्रजमेर में घन्टाघर कोतवाली में पुलिस चौकी पर शराबों का दौर चलता है।

ठेले वाले बहुत ही गरीब हैं, दो वक्त खाने के लिए वह ठेले चलाते हैं, बोझ उठाते हैं लेकिन उनके लात मार कर उनके पेट पर लात मारते हैं। मैं कहता हूं, मां बहिन की गाली देकर उनके चांटा मारते हैं। यह पुलिस का कर्तव्य है? जनता के प्रति इनकी यह दुर्भावना है। मैं ग्रापको विश्वास से कह देना चाहता हूं कि, उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग जितना राजस्थान सरकार का बेकार साबित हुआ है, इतना किसी स्टेट में देखने में नहीं ग्राता है।

(श्री भगवानदास शास्त्री)

पेयजल, यह सरकार पेयजल की व्यवस्था नहीं कर सकी है। इस राज्य सरकार ने पेयजल की व्यवस्था करने के बारे में थोथा नारा लगाया कि सबको पानी पर्याप्त मात्रा में दिया जायगा। अकाल सहायता का जो नारा है, यह बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर आदि क्षेत्रों में अभी जो मध्यावधि चुनाव 1971 में हुए लोक सभा के, तो आपने उनको अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किया...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री भगवानदास शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उस समय ही सोचा था, आज अकाल घोषित होगा तो कल यह दुष्काल की तरफ जायेंगे। जनता को जिस तरफ जाना है, उस तरफ वह न जाकर पीठ की तरफ जावेगी। जनता जो अपने परिवार के पोषण के लिए प्राप्त नहीं कर सकती है, बच्चों के उदर की पूर्ति नहीं कर सकती है तो उस जनता में इतनी चेतना आ सकती है। इसलिए जनता का - इसमें दोष नहीं है। जहां दल-बदल के कारण अपना मोरल डाउन किया है, वहां जनता मोरल डाउन करने के लिए पैसे से वोट लिये गये हैं। इस कांग्रेस सरकार ने तो प्रलोभन दे देकर देश को बरबाद कर दिया है और देश को बरबादी की ओर ले जा रही है।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रजातंत्र की हम रात दिन भावना दिखाते है, वह प्रजातन्त्र यह नहीं है। यह प्रजातन्त्र नहीं है, यह तो डिक्टेटरवाद है, यह डिक्टेटरशिप है। आज मुझे पता लगा है कि इस गवर्नमेंट की सेवा-भावना ही समाप्त हो गई है। बम्बई के नागरिकों के द्वारा वहां शिव सेना को समाप्त कराया गया, इस चुनाव में इस सत्ताधारी शक्ति ने किसी ढंग से उस शिव सेना को समाप्त किया है, जो उस एरिया की सेवा करते थे। मुझे उनकी कार्यवाही में विश्वास नहीं है, न ही मैं उनके प्रति कोई सहानुभूति रखता हूं, किन्तु आपकी नीति से उनकी नीति अच्छी है। इस कांग्रेस दल के एक सदस्य ने एक लाल सेना बनाई है, जिसके द्वारा राजस्थान में एक आग प्रज्वलित होने वाली है। उसका काम होगा, जीप में बैठ कर शस्त्र ले जाकर इस क्षेत्र के अन्दर लोगों के अन्दर आतंक फैलाना, और जो गरीब हैं, जो डरपोक हैं उनकी किसी भी प्रकार से जमीन छीन लेना और उनको दबाये रखने के लिए पांच गुण्डों को वहां रख देना...

श्री रामनारायण चौधरी : कौन हैं ?

श्री भगवानदास शास्त्री : जैसे करणीसिंह जी बीकानेर के महाराजा हैं वैसे ही ज्वालाप्रसाद शर्मा भी महाराजा हैं। मैं कहता हूं उन्होंने पांच सौ बीघा से कम जमीन नहीं ली है आतंक फैला कर, जो कि गैर कानूनी है, लेकिन उस जमीन को 1-1-71 को रेग्युलेराइज किया है। मैं विश्वास से कहता हूं कि जिन लोगों के पास शक्ति नहीं है, जो गरीब हैं उनसे आपके कांग्रेस के लोगों ने शक्ति से उनको दबा कर जमीन और उनकी सम्पत्ति ले ली है और राजस्थान सरकार के बलबूते पर किया है कब्जा, उसको 1-1-71 को रेग्युलेराइज किया है। आप आज राजा-महाराजा की बात करते हैं लेकिन वह राजा-महाराजा तो जो सीमा थी उसके अन्दर रहते थे लेकिन यह तो सीमा के बाहर जा रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री भगवानदास शास्त्री : इतना कह कर मैं राजस्थान सरकार के प्रति विरोध प्रकट करता हूं, इस राजस्थान सरकार के शासन काल में जन-धन की कोई सुरक्षा नहीं है। इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! वित्त मन्त्री !

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर): उपाध्यक्ष महोदय, पहले मुझे कह दिया था पांच मिनिट के लिए।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं केवल पांच मिनिट लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : सम्भव नहीं है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : और थोड़ी ज्यादा देर चल जायगा सदन, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है, माननीय सदस्य, सदन के सामने जो विचारणीय विषय हैं, वह वित्तीय विषय है इसमें समय की सीमा का प्रश्न है जिसमें पास करना लाजिमी हो जाता है। इसके लिए साढ़े बारह बजे तक का समय था लेकिन अब एक बजे तक पारित करना है। इसलिए वित्त मन्त्री जी उत्तर देंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मजबूरी की हालत है वरना आसन हमेशा सहानुभूति से विचार करता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह लक्ष्मण रेखा नहीं है कि समय सीमा में ही किया जाय।

श्री लादूराम सुलानिया : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा इतना बड़ा दल है। कांग्रेस पार्टी के सदस्यों का तो बोल कर पेट भर गया, लेकिन हमारे दल में से कोई नहीं बोला। वकील साहब बोलने लगे तब कहा था कि बाद में बोल लें।

श्री उपाध्यक्ष : सम्भव नहीं है, नहीं तो समय अवश्य देता।

श्री लादूराम सुलानिया : आप इनको थोड़ा टाइम दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! समय का अभाव है, आगे देख लेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : तीन बोले हैं आपके दल के।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विनियोग विधेयक, 1971 के सिलसिले में इस सदन में जो माननीय सदस्यों ने चर्चा की है और जो माननीय सदस्यों ने अपने दौरानेबहस जो बड़े बड़े मुद्दे यहां उठाये हैं मैं उनके बारे में सदन में निवेदन करने से पहले यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे लिये यह मुमकिन नहीं हो सकेगा कि इन्डीविजुअल या व्यक्तिगत किसी इलाके की कोई विभाग से सम्बन्धित तकलीफें हैं, जिनको यहां पर रखा है, इस वक्त तुरन्त उनका समाधान कर सकूं। क्योंकि, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सब जानते हैं कि एप्रोप्रियेशन बिल की स्टेज के ऊपर जब कि कल खास तौर से फेमिन और अकाल की डिमाण्ड

(श्री मथुरादास माथुर)

आई, उसके सिलसिले में इस सदन में काफी लम्बी चर्चा हो चुकी थी और जो कुछ भी मुद्दे माननीय सदस्यों ने उठाये उसका जवाब हमारे अकाल सहायता मन्त्री ने सदन में दिया था। आज फिर इस बहस के दौरान अकाल को लेकर या अकाल के सिलसिले में जो काम हुए उनकी जो कुछ भी खराबियां हैं, या जो कुछ भी भ्रष्टाचार तथाकथित, जो कुछ भी बताई गई है उनके बारे में निराकरण करना मेरे लिए यहां तुरन्त असम्भव होगा। मैं इसलिए माननीय सदस्य, जिन्होंने यह मुद्दे उठाये हैं, उनकी बड़ी इज्जत करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि उन मुद्दों के सिलसिले में आपके जितने भी प्रश्न हैं, जितनी भी आपने सूचनायें इस सदन को दी हैं, जितना आपका इस सिलसिले में ज्ञान है, और उसका आपने जो हमें परिचय दिया है, वह मैं माननीय अकाल सहायता मन्त्री, या पी. डब्ल्यू. डी. मन्त्री, जिनसे वह सम्बन्ध रखते हैं, या इरिगेशन डिपार्टमेंट के मन्त्री, जिनसे वह सम्बन्ध रखते हैं, उनके पास आपके मुद्दे भेज दूंगा। मुझे उम्मीद है वह इनके बारे में आपको तुरन्त उत्तर देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, अगर उनका उत्तर न भी मिले तो भी बजट के दौरान जब डिमाण्ड पर बहस हो, डिमाण्ड पर बहस का मौका होता है उस वक्त इन्डीविजुअल मुद्दे कट मोशन के जरिये रख सकते हैं और उनका उत्तर दिया जा सकता है। इसलिए मुझे खेद है कि व्यक्तिगत इलाके की तकलीफों या जो विभिन्न विभागों के सिलसिले में अनियमितताये रखी गई हैं, या जो राज्य सरकार की नीति या राज्य सरकार के आदेश के विरुद्ध काम किये गये हैं, उन मामलात का जवाब देने में मैं असमर्थ अपने आपको महसूस करता हूं और, उपाध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रियेशन बिल के सम्बन्ध में जो बड़े बड़े मुद्दे उठाये गये हैं उनकी मैं चर्चा करना पसन्द करूंगा।

खास तौर पर एप्रोप्रियेशन बिल को लेकर सदन में कहा गया, राज्य सरकार जब अपने तखमीने बनाती है आयव्यय के, उस वक्त उन लोगों को इतना ख्याल नहीं रहता है कि 187.20 करोड रुपया सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट लेकर सदन के सामने वित्त मन्त्री पेश हुए हैं और एप्रोप्रियेशन बिल को सदन के समक्ष पेश कर राज्यपाल महोदय के लिए रुपया खर्च करने की इजाजत मांग रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा इस तखमीने में जो सप्लीमेन्ट्री डिमाण्ड रखी है उसमें 187.20 करोड़ रुपया तो सिर्फ नाम का है, आप गौर करेंगे कि 187.20 करोड़ रुपया एस्टीमेट से ज्यादा कायम नहीं किया गया है, यह तो अकाउन्ट्स का एक तरीका है और यह चलता आया है। मैंने कई दफा मेरे विभागीय अधिकारियों को कहा कि इस अकाउन्ट्स के तरीके को बदलना चाहिए, तो मुझे कहा गया कि मेगनाकार्टा से लेकर आज तक यही तरीका सब जगह अमेरिका, इंगलैंड और हिन्दुस्तान में चलता आया है। इसलिए मेरे लिए मुश्किल भी है कि इस सम्बन्ध में कुछ कहूं। इसलिए इस मामले पर चर्चा न की जाय। यह जो सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट हम चाहते है 187.25 करोड़ रुपये की, इसमें से 137 करोड़ रुपये ऐसे हैं जो रिजर्व बैंक से, उपाध्यक्ष महोदय, हमारा रोज डीलिंग होता है, रिजर्व बैंक से हमको रुपया मिलता है और हमारे यहां पर जितना रुपया करों के जरिये, जितनी आमदनी होती है वह स्टेट बैंक, ट्रेजरी के

(श्री मथुरादास माथुर)

जरिये से रिजर्व बैंक में जाती है और फिर उसका डिस्बर्समेंट होता है। तो उसके लिए सदन की इजाजत लेना जरूरी हो जाता है। इस प्रकार कुल मिला कर 187.25 करोड़ रुपया हो जाता है। अब यह निकाल दीजिये, फिर फेमिन को लेकर भारत सरकार से रुपया मिला और उसमें जितना खर्चा हुआ, और सेन्ट्रल असिस्टेन्स मिल गई, उसको खर्च करने की भी सदन से इजाजत लेनी पड़ेगी। वह आंकड़े इसमें आये हुए हैं वह करीब 22 करोड़ के होते हैं।

तो वह 137 करोड़ और वह 22 करोड़ और कुछ सैंट्रल असिस्टेन्स जिन सैन्ट्रल स्पोंसर्ड स्कीम्स को पूरा करने के लिए हमको मिलती है, रिसीट्स वहां से मिल जाती हैं लेकिन जब रिसीट्स आजाती हैं। वित्तीय वर्ष में और खर्चा करते हैं तो सदन से एप्रूवल लेनी पड़ती है इसलिए सब मिला कर करीब 176-177 करोड़ टेक्नीकली सदन से एप्रूवल लेने के लिए जो अकाउंटिंग सिस्टम की वजह से सदन के पास आना पड़ता है। बाकी असली माने में करीब करीब 9.1 करोड़ ज्यादा खर्च हुआ है विभागों द्वारा, उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग में करीब 2.97 करोड़ यानी 3 करोड़ खर्चा हो गया, कुछ कम्यूनिटी डेवलपमेंट में 50 लाख, पेन्शन के सिलसिले में ज्यादा रुपया खर्च हुआ, सिंचाई विभाग में ज्यादा 70 लाख खर्चा हुआ। इस तरह से विभिन्न विभागों के द्वारा कुल 7-8 करोड़ बन जाते हैं, तो जो एक्सेस खर्चा हुआ है उसके लिए सदन में सप्लीमेंट्री डिमाण्ड्स के लिए इजाजत के लिए आता हूं। इसलिए मैंने आंकड़ों की व्याख्या सदन के सामने की है। उससे आप महसूस करेंगे कि राजस्थान सरकार और वित्त मंत्री बजट तखमीने सदन में रखता है और बाद में सप्लीमेन्ट्री ग्रांट्स के जरिए समय समय पर आता हूं या तो अन्फोरसीन ऐसा खर्चा हो जाय जो साल के दौरान हमारे सामने न हो तो करना पड़ता है या जो सदन एप्रूवल देता है फिर साल के दौरान कोई विकास का काम हो जाए, 50 स्कूलों के लिए रखते हैं फिर 50 की जगह 75 खोलने पड़ते हैं तो एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है। या ऐसे दूसरे खर्च आते हैं वित्तीय वर्ष में इस लिए मैं आपके सामने आता हूं। इस तरह से 8-10 करोड़ बीच में विभिन्न विभागों द्वारा खर्च हुए हैं उसकी एप्रूवल लेने के लिए हाजिर हुआ हूं।

इधर से और उधर से बैठने वाले माननीय सदस्यों ने कहा था कि आप 187 करोड़ रुपया लेने आए हो। मैं इसका समाधान करना आवश्यक समझता था, वह किया है....

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह जो आपने 137.41 करोड़ बताया है कि रिजर्व बैंक से एडजस्टमेंट हुआ है उसको और थोड़ा क्लीयर कर दें। आप कहना चाहते हैं कि यह केवल एडजस्टमेंट है ?

श्री मथुरादास माथुर : रिजर्व बैंक से पैसों में मिलता है और उसको हम पैसा देते हैं, वापस जमा होता है वह डिस्बर्समेंट है, उसके लिए सदन की सैंक्शन जरूरी है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : रिजर्व बैंक से पैसा आया और वापस डिस्बर्समेंट हुआ है। केवल एडजस्टमेंट है ?

श्री मथुरादास माथुर : ग्योमरलो फ्लोटिंग अकाउन्ट्स हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह 1970-71 में आपका खर्चा नहीं हुआ ?

श्री मथुरादास माथुर : पूरे आंकड़े आपके सामने रखे हैं। इसके अन्दर अकाल के सिलसिले में खर्चा और लोन दोनों मिला कर 22 करोड़ हैं वह भी रिसीट्स सैंटर से आ जायेंगी। एडजेस्ट करना है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ब्रेक अप दें 137 करोड़ का।

श्री मथुरादास माथुर : फ्लोटिंग डेट्स हैं। बजट में पूरे डिटेल्स हैं। रिजर्व बैंक से जो हमारा डीलिंग होता है, उसका यह सिलसिला है। रिजर्व बैंक से हमें लोन मिलता है और रिजर्व बैंक से हमारा रुपया जो वापस डिमान्ड करते हैं वह रिसीट्स में जमा होता है, और टैक्सेज से जो इकट्ठा होता है रिजर्व बैंक में जमा होता है उसका डिस्बर्समेंट होता है। इसलिए डिस्बर्समेंट के लिए एक्सपेंडीचर समझ कर सदन की इजाजत लेना चाहता हूं। 100 करोड़ का प्रोवीजन रखा वह 137 करोड़ हो गया।

मैं दो तीन बातें सदन के सामने रखना चाहता हूं......

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रिएशन बिल जब तक पास न हो जाए तब तक के लिए सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से बैठक का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री रामकिशन : वैसे वित्त मंत्री की हाजिरी दर्ज की और उनकी मन्शा समझ ली।

श्री मथुरादास माथुर : आप चाहें तो जल्दी खत्म करें।

श्री रामकिशन : नहीं, आप ठीक चल रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : जहां तक एप्रोप्रिएशन बिल से संबंधित सवालात आते हैं, उनकी चर्चा कर रहा हूं। माननीय सदस्यों ने कई बातें रखी हैं। किसी ने पुलिस विभाग के खिलाफ, किसी ने राजस्व विभाग के खिलाफ, बहुत से माननीय सदस्यों ने अकाल के बारे में कहा, उसकी चर्चा मैंने शुरू में की।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बिल से संबंधित बातें कहीं उसके लिए निवेदन है कि टैक्स की चोरियां न हो इसका राज्य सरकार पूरा प्रयत्न करती है और राज्य सरकार ने उसके लिए एन्टी इवेजन विंग कायम किए हैं जिसकी वजह से दो साल से जब से हमने ये विंग्स कायम किए हैं, एन्टी इवेजन केसेज पकड़े गये हैं और राज्य सरकार की आय में वृद्धि हुई है। आपने मसला रखा इत्तिफाक से जो इवेजन करने वाली बात कही तथाकथित में मैं एलेज्ड कहूंगा उसमें एक पुराने महाराजा साहब का नाम ले लिया, उसकी वजह से सदन में काफी चर्चा हुई, मैं उसमें नहीं पड़ना चाहता। कोई भी माननीय सदस्य सदन में आकर कोई...

श्री रामचन्द्र आर्य : छोटे छोटे कर्मचारी पकड़े जायेंगे जो बड़ा घपला करते हैं उनको कोई नहीं पकड़ता।

श्री मथुरादास माथुर : ठीक है। माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा, मैं समझ नहीं पाया। इसलिए इसका उत्तर नहीं दे सकता लेकिन जो अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा उस सिलसिले में माननीय सदस्यों और सदन को विश्वास दिलाता हूं कि इस सिलसिले में कितना इवेजन हुआ है, जो कुछ आपने कहा है, उसमें कितनी करेक्टनेस है उसका क्या क्या हो सकता है, उसकी पूरी जांच करा कर सदन के सामने जब कभी भी जांच पूरी हो जाएगी मैं प्रस्तुत कर दूंगा।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे।)

श्री रोशनलाल : इसी सेशन में।

श्री रामकिशन : 12 तारीख को जब सेशन शुरू हो तब···

श्री मथुरादास माथुर : ठीक है। इस सिलसिले में माननीय सदस्यों की दिलचस्पी नजर आती है तो जब फिर सत्र शुरू होगा, मौका ढूंढ कर बजट के बहस के सिलसिले में जो कुछ तथ्य होगा, उसकी जानकारी दूंगा।

श्री जुझारसिंह : आपके महकमे के दूसरे आफिसर्स के बारे में ?

श्री माथुरादास माथुर : उसकी भी जांच करूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : चूंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिये इस बारे में मंत्री महोदय अलग स्टेटमेन्ट दें, पूरे तथ्यों का जानकारी करके 10-11 दिन आपके सामने हैं तो अच्छा होगा कि अलग स्टेटमेंट आप दे दें ताकि अपने को बहस करने का मौका मिल जाए।

श्री मथुरादास माथुर : इसकी जांच करने के बाद में जो तथ्य होंगे, जैसे भी अध्यक्ष महोदय या उपाध्यक्ष महोदय सदन में रखने की इजाजत देगें, उसी प्रक्रिया से मैं रख दूंगा।

कई माननीय सदस्य : ठीक है।

श्री मथुरादास माथुर : एक ओर ऐसी कई व्यक्तिगत बातें कही गई हैं···

श्री रामानन्द अग्रवाल : राजेन्द्र सक्सेना का ?

श्री मथुरादास माथुर : फाइल आ गई है, मैं देख रहा हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सामान्य बात है। जो आदमी पकड़ा जाता है उसको सस्पेन्ड करना चाहिये। नोटिस पूरा है आपको तो इवेड न करें। क्यों निलम्बित नहीं किया गया ?

श्री मथुरादास माथुर : इसका दूसरा पहलू भी हैं। सीधी बात होती तो निलम्बित हो जाता इसलिये फाइल को मैं देख रहा हूं मेरे पास में ऐसे रोप्रेजन्टेशन्स आए हैं कि यह कनकाक्टेड है ऐसे एफिडेविट्स भी आए हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी एन्टी-करप्शन पुलिस ने पकड़ा है।

श्री मथुरादास माथुर : एन्टी-करप्शन पुलिस जिस दिन मुझे लिख देगी कि इसे सस्पेन्ड कर दिया जाए तो मैं सस्पेन्ड कर दूंगा। एन्टी करप्शन ने पकड़ा है,

Page No 123

(श्री मथुरादास माथुर)
वह पूरा केस आया है, मैं देख रहा हूं और जो भी कार्यवाही वाजिब होगी, की जायगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था बजट के सम्बन्ध में नयी नीतियों की घोषणा की कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की अनएम्पलोयमेंट और दीगर बातों के बारे में। उन पर मैं इस वक्त नहीं कहना चाहूंगा और आगे बजट की बहस के वक्त में कहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आप भी सहमत होंगे खास कर चर्चा की गयी मानसिक स्थिति के सम्बन्ध में। जो कुछ कहा है उसको मैं महसूस करता हूं। जो चर्चा की गयी उसका जवाब मैं अभी नहीं देना चाहता हूं और बजट की बहस के दौरान अर्ज करूंगा।

इन लफ्जों के साथ मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि एप्रोप्रियेशन बिल को पास किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृति)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1971 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1971 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(विराम)

राजस्थान साहूकार (संशोधन) विधेयक, 1971 के प्रवर समिति के सदस्यों की घोषणा।

एक आवश्यक सूचना।

राजस्थान साहूकार (संशोधन) विधेयक 1971 में निम्न माननीय सदस्य प्रवर समिति के सदस्य नियुक्त किये गये हैं:—

1. श्री रामकिशोर व्यास — सभापति
2. श्री यशवन्तसिंह नाहर — सदस्य
3. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत — सदस्या
4. श्री रोशनलाल शर्मा — सदस्य
5. श्री रघुनाथ विश्नोई — ,,
6. श्री अमीलाल यादव — ,,
7. श्री सुरेन्द्र व्यास — ,,
8. श्री शंकरसिंह — ,,
9. श्री किशनलाल वर्मा — ,,
10. श्री कल्याणमल — ,,
11. श्री दौलतराम सारण — ,,
12. श्री देवीलाल (सराड़ा) — ,,
13. श्री रतनलाल — ,,
14. श्री सूरजमल — ,,
15. श्री मनफूलाराम — ,,
16. श्री रामकुमार (सपोटरा) — ,,
17. प्रो. केदारनाथ — ,,
18. श्री रामानन्द अग्रवाल — ,,
19. श्री हरिवल्लभ शर्मा — ,,
20. श्री शंभू पटेल — ,,
21. श्री भगवानदास शास्त्री — ,,
22. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता — ,,
23. श्री गंगाराम चौधरी — ,,

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हाउस में एडोप्ट होना चाहिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री से एक स्टेटमेंट माने वाला था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फ्रेन्च लीव पर गये हैं।

श्री मथुरादास माथुर : नहीं। वे इन्तजार ही कर रहे थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : स्कूल में बच्चों को लाने के लिये बूफी होती है उसी प्रकार लाने गये हैं उनको।

श्री रामकिशन : चीफ व्हीप रा काम नाई का सा है।

शासकीय वक्तव्य

राजस्थान वि. वि. के उप कुलपति के त्याग-पत्र दिये जाने संबन्धी

श्री शिवचरण माथुर (शिक्षा मंत्री): माननीय श्री सुरेन्द्र व्यास ने राजस्थान विश्वविद्यालय के उप कुलपति के स्टाफ को लेकर एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। उस सम्बन्ध में निम्न वक्तव्य सरकार की ओर से प्रस्तुत है :

"राजस्थान विश्व विद्यालय के उप कुलपति डॉ. पी. एल. भटनागर दिनांक 14-4-69 को उप कुलपति पद पर मनोनीत हुए। डॉ. भटनागर ने करीब 1 साल काम करने के बाद यह अनुभव किया कि उप कुलपति के साथ भारी प्रशासनिक दायित्व के कारण उनका शोधन एवं अध्ययन कार्य संभव नहीं है। उनका मन शोधन कार्य एवं अध्ययन के लिये निरन्तर चिन्तित रहा और इसी मनोभाव के कारण दिनांक 31-3-70 को अपना त्याग-पत्र कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया। कुलपति महोदय ने उनके पूर्ण कार्यकाल तक इस पद पर बने रहने के लिये आग्रह किया और डॉ. भटनागर ने अपना त्याग-पत्र पिछले वर्ष वापिस ले लिया था। शोध एवं अध्यापन और अध्ययन की चिन्ता डॉ. भटनागर को निरन्तर बनी रही और विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों एवं उनके स्वास्थ्य में निरन्तर गिरावट के कारण डॉ. भटनागर ने दिनांक 30 जनवरी, 1971 को पुनः अपना त्याग-पत्र प्रस्तुत किया। कुलपति महोदय ने डॉ. भटनागर को अपने पद पर बने रहने के लिये पुनः आग्रह किया किन्तु डॉ. भटनागर ने अपनी रुचि अध्यापन अध्ययन की ओर और स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण कुलपति के इस आग्रह को स्वीकार करने में अपनी कठिनाई बताई और अन्त में कुलपति जी ने अपने पत्र दिनांक 26-3-71 के दौरान डॉ. भटनागर को यह सूचित किया कि उनका त्याग-पत्र स्वीकार किया जाता है। चूंकि त्याग-पत्र स्वीकार करने के सिवाय अब उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कुलपति जी ने अपने पत्र में यह भी इच्छा प्रकट की है कि डॉ. भटनागर तब तक इस पद पर कार्य करते रहेंगे जब तक कि उनके उत्तराधिकारी के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता है।

स्थगन प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि त्याग-पत्र से अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उप कुलपति जी के त्याग-पत्र से अनिश्चितता का वातावरण उपस्थित होने का कोई कारण इसलिये उपस्थित नहीं होता कि विश्वविद्यालय अधिनियम तथा

(श्री शिवचरण माथुर)
अध्यादेश के अन्तर्गत विभिन्न समितियों द्वारा नियुक्तियां होती हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया भी प्राय: इन्हीं नियमों के अन्तर्गत संचालित होती है।

स्थगन प्रस्ताव में दल बन्दी, दलगत राजनीति तथा अनियमितताओं का पत्र में जिक्र किया गया है इसके सम्बन्ध में कोई निश्चित मामले का उल्लेख नहीं किया गया है। अत: इस अवसर पर इन सभी बातों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से कोई विशेष मामला सामने नहीं होने की स्थिति में उत्तर देने में कठिनाई है। इसके साथ साथ माननीय सदस्यों की सूचना के लिये यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय विधान सभा के द्वारा पारित एक्ट के अन्तर्गत एक स्वायत्तशासी संस्था है और प्रति दिन के कामों में हस्तक्षेप करना राजस्थान सरकार को वांछनीय भी नहीं है। कोई विशेष मामले राज्य सरकार की जानकारी में आने पर इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के अधिकारियों से जानकारी कर सूचना दिया जाना संभव है।

श्री सुरेन्द्र व्यास (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वायत्तता एक ऐसा शब्द है जो राजस्थान विश्वविद्यालय एक्ट में और अन्य एक्ट्स में प्रोवाइड किया गया है कि राज्य सरकार इस शब्द का इसलिये उपयोग करना चाहती है कि विश्वविद्यालय में कुछ भी कार्य चले और कुछ भी गड़बड़ी हो उसके लिये कोई भी कुछ न कह सके।

Autonomy without democracy becomes autocracy. और यह हालत राजस्थान युनीवर्सिटी की हो गयी है। जैसा माननीय मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया कि प्रो. भटनागर ने त्याग-पत्र स्वास्थ्य के कारण एवं पढ़ने लिखने में अभिरुचि होने के कारण दिया है। या तो शिक्षा मन्त्री महोदय विश्वविद्यालय में जो वर्तमान स्थिति विद्यमान है उससे अवगत नहीं हैं और अनभिज्ञ भी हैं। यदि अवगत हैं तो जानकर अनभिज्ञ होना चाहते हैं। जो कुछ एक्टीविटीज होती हैं उनकी ओर तो उनका ध्यान रहता होगा। एक्ट में यह प्रोवाइडेड है कि शिक्षा मन्त्री सीनेट में मेम्बर होता है। शिक्षा मन्त्री स्वयम् मीटिंग में शामिल नहीं होते हैं। मैं यह जानकारी करना चाहूंगा कि क्या आपने डाइरेक्टर को बुला कर राजस्थान विश्वविद्यालय में जो गड़बड़ियां हैं उनकी जानकारी की है? दलगत राजनीति का यह विश्वविद्यालय शिकार है। वहां पर दो दल हैं। एक प्रो० भटनागर का दल और दूसरा श्री मेहरोत्रा का दल। एक दल कहता है छात्रों को कि तुम हड़ताल कर लो। प्रोफेसर और हैड ऑफ डिपार्टमेंट का ग्रुप है। सीनेट, सिंडिकेट, एकेडेमिक कौंसिल और फेकल्टी सब में उनका पूरा परसनल इन्फलुएन्स है। इसके अलावा सिलेक्शन में खास तौर से गड़बड़ियां हुई हैं।

यह कहा गया है कि कोई स्पेसिफिक एलीगेशन मैंने नहीं लगाया। मैं ऐसे एक नहीं दो नहीं एक सौ एक एग्जाम्पल दे सकता हूं। सदन में देने के लिए तैयार हूं। मन्त्री महोदय चाहेंगे तो लिख कर उनको दे दूंगा। पर क्या आप सदन में यह आश्वासन देने को तैयार हैं कि आप इनकी जांच कराने को तैयार हैं?

आंग्ल भाषा में आर. पी. भटनागर के लैंगवेज में रीडर बनने की बात आई।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)
प्रोफेसर जे. एस. सुन्दरम् को एक्सटेन्शन देने का मामला आया। जिनका लेंगवेज से कोई दूर का भी लगाव नहीं उन आर. पी. भटनागर को रीडर एपॉइन्ट किया।

पोलिटिकल साइन्स में एक छात्रा फर्स्ट क्लास फर्स्ट थी, टीचिंग का उसका 6 वर्ष का अनुभव था। उसका हक मार कर बाहर के एक आदमी को जिसका दो साल का भी टीचिंग एक्सपीरियन्स नहीं था, को लिया गया।

ओमप्रकाश माथुर का मामला है। डाईरेक्टर का सिलेक्शन हो गया। कम्यूनिकेट हो गया आॅर्डर। पर चूंकि वह ए. एस. माथुर को इफेक्ट करेगा उसका आॅर्डर कैंसिल कर दिया। इस प्रकार की अनियमिततायें हैं। माथुरों का बोलबाला है वहां। इस तरह की कई बातें प्रस्तुत करने को तैयार हूं। माथुरवाद चल रहा है। पर सबसे बड़ा दुःख का विषय तो यह है कि विश्वविद्यालय का शैक्षणिक स्तर ऊंचा करने के लिये जहां ऊंचे, अच्छे क्वालिफाइड लोगों को लिया जाना चाहिए वहां निम्न स्तर के टीचर, प्रोफेसर रक्खे जाते है और बाहर के रक्खे जाते हैं। यह पक्षपात का वातावरण वहां है। हां, मैं बाहर के लोगों के खिलाफ नहीं हूं, प्रान्तवाद का हामी नहीं हूं पर बाहर से वे ही लोग आवें जो अधिक विद्वान हों, और जो यहां उपलब्ध न हों। पर इस विद्यालय से निकले हुये फर्स्ट क्लास फर्स्ट और अधिक अनुभवी लोगों को न रख कर बाहर वालों को लाया जाय यह उचित नहीं समझता। गोरखपुर, लखनऊ और दिल्ली से लाकर रखे जाते है। केमिस्ट्री में लेक्चरर को ऐसे को रखा गया बाहर वाले को जो यहां से जो आये उनसे कम क्वालिफाइड था। उसे प्रोमोशन नहीं दिया। इस प्रकार की एक नहीं अनेक बातें हैं।

सोशियोलॉजी की अजीबोगरीब दास्तान सुनाना चाहूंगा। माथुरवाद किस तरह फैला हुआ है। कश्यप नाम व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ। वह राजस्थानी था। उसके सिलेक्शन का मसला सामने आया पर सिलेक्ट नहीं किया गया। और तै कर लिया कि इसको अन्दर नहीं घुसने देना है। उसको लम्बा किया गया ताकि उसकी टर्म एक्सपायर हो जावे। आज इस केमिस्ट्री विभाग में 90 पर्सेन्ट गोरखपुरी, लखनवी और दिल्ली के व्यक्ति भरे पड़े हैं। अगर वास्तव में ये योग्य हों तो हमें कोई शिकायत नहीं। पर जब इस योग्यता से अच्छी योग्यता के व्यक्ति राजस्थान विश्वविद्यालय से निकले हुये मिलते हों तो उनको न रखा जाय इसकी हमारी शिकायत है। डिस्टिंक्ट क्वालिफिकेशन के आदमी भले ही बाहर से आवें ताकि हमारे यहां के विद्यार्थी उनके विशिष्ट ज्ञान का लाभ ले सकें।

श्री विजयसिंह : फिर आपको तकलीफ क्या है। किसको रिकमण्ड करते हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मकराणा साहब, राजस्थान यूनिवर्सिटी की समस्याएं आपके दिमाग में नहीं है। विद्यार्थियों में बहुत असन्तोष है।

मोहनसिंह मेहता के जाने के पश्चात् प्रोफेसर भटनागर आये। उनके कार्यकाल में जो घटनायें हुई और धांधलीबाजी चली, पक्षपात चला उसने आज विश्वविद्यालय में पार्टीबन्दी को जन्म दिया है।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

पर उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि तीस पर्सेन्ट से ज्यादा स्टाफ इस दलबन्दी की राजनीति में फंसा हुआ नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर लम्बी चर्चा न हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : दो चार बातें कह कर समाप्त करूंगा।

श्री विजयसिंह : यह दलबन्दी तो कांग्रेस के अन्दर भी है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय मकराणा साहब, आप इसको बहुत लाइटली ले रहे है। यूनिवर्सिटी वह स्थान है वहां देश के भावी नागरिक गढ़े जाते हैं। यहां दलबन्दी इस तरह से हो तो इसमें हानि होती है। तो मैं निवेदन यह करना चाहता था कि शिक्षक इस लड़ाईबाजी में अधिक नहीं हैं। केवल 30 प्रतिशत ही हैं। पर इन 30 प्रतिशत ने मिल कर 70 की उपेक्षा कर रखी है और विद्यार्थियों के शिक्षण की उपेक्षा करके इस शिक्षण के क्षेत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपनी दलगत राजनीति से इस शिक्षा के क्षेत्र को बदनाम कर रखा है।

कायस्थवाद की बहुत शिकायत है इस यूनिवर्सिटी में। इसे भी मिटाया जाना चाहिये। राजस्थान का एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय यह है इसका बहुत दूर दूर तक नाम है। राजस्थान की सरकार इसको बहुत बड़ा अनुदान देती है। पर यहां दलगत राजनीति के आधार पर टीचर्स और क्लर्क तक बाहर से इम्पोर्ट किये जाते हैं यह है हालत यहां की। क्या जयपुर में, राजस्थान में क्लर्क भी नहीं मिल सकते? डिप्टी रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार की बात होती तो क्षम्य थी। मलहोत्रा वॉइस चान्सलर थे। उन्होंने एक रजिस्ट्रार को जो भ्रष्ट व्यक्ति था दो वर्ष का एक्सटेन्शन दे दिया। प्रोफेसर भटनागर आये। पर इस रजिस्ट्रार के मारे उनकी नाक में दम हो गया। उनके काम होने मुश्किल हो गये।

युनीवर्सिटी का स्टोर है। तीन तीन महीने में इसका चैकिंग होना चाहिये पर आज दो-दो साल निकल जाते हैं। बीस हजार का माल कम मिला। स्टोर कीपर को सस्पेण्ड कर दिया। स्टोर कीपर स्टेटमेन्ट देता है कि यह सारा सामान सिंघल सहाब के प्राइवेट मकान में लगा है। पर ये लोग जांच करने को तैयार नहीं हैं। गवर्नमेंट इस ऑटोनॉमी के नाम की आड़ में अपने को मजबूर पाती है।

इस तरह की गड़बड़ियों और पक्षपात को ठीक करने के लिए अगर सरकार को एक्ट में एमेण्डमेंट करने की जरूरत हो तो वह भी की जानी चाहिये।

30 जनवरी को जब भटनागर साहब ने त्याग-पत्र दे दिया तो उसे छिपाया गया। यह गम्भीर मसला है। जब त्याग-पत्र सबमिट कर देते हैं तो उन्हें मेजर डिसीजन लेने का अधिकार नहीं है। जिससे कि आगे आने वाले वॉइस चान्सलर के रास्ते में कठिनाई पैदा हो सके। जब तक वे ऑफिशियेटिंग रहें इस बात का सरकार को ध्यान रखना चाहिये कि वे कोई मेजर डिसीजन लेकर की पोजीशन पर कुछ आदमियों को बदलना और नये रखने का काम वे न कर बैठे। वरना इससे नये आने वाले वाइस चान्सलर का काम कठिन होगा।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

मन्त्री महोदय ने कहा कि नियुक्तियों का काम कमेटियां करती हैं। यह स्टेचुटरी प्रोवीजन है। मैं मानता हूं। पर इसमें भी यह स्पष्ट है कि इन सब कमेटियों में परसेनलिटी इनको इफेक्ट करती है। ये वॉइस चान्सलर के पूरे पूरे प्रभाव में है।

इस एक्ट में सारे प्रोवीजन्स हैं। वे ठीक हैं। पर जब प्रोफेसर्स और वॉइस चान्सलर में लड़ाई हो तो फिर गड़बड़ी पैदा होती है। पर अगर प्रोफेसर्स हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट वॉइस चान्सलर की कनाइवेन्स में आ जावें तो आम शिक्षक की कोई समस्या हल होने वाली नहीं है इसलिये मेरा निवेदन है कि यह एन्टायर समस्या प्रोफेसर भटनागर के जाने के बाद वॉइस चान्सलरशिप के लिये जी. एस. शर्मा या मलहोत्रा के दावे को लेकर खड़ी होने वाली हैं। ये अपने अपने आदमी को रजिस्ट्रार बनाना चाहते हैं। तो मेरा निवेदन इस बार तो इतना ही है कि वॉइस चान्सलर जब तक नया न आ जावे रजिस्ट्रार जैसे पद पर किसी की भी नियुक्ति अभी न की जावे। फिर इस विश्वविद्यालय की समस्याएं बहुत जटिल हो गई हैं। इन सबको आप ध्यानपूर्वक देखकर पूरी लगन के साथ हल करने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक स्थिति सुधरने वाली नहीं है।

इसके साथ शिक्षित लोगों की बेरोजगारी की समस्या जुड़ी हुई है। इस विश्वविद्यालय से निकलने वाले योग्य और उपयुक्त व्यक्तियों को स्थान नहीं दिया गया तो समस्या और उलझने वाली है मैं प्रान्तीयता की बात नहीं करता हूं, पर साथ ही योग्य व्यक्तियों को योग्य स्थान देने की बात करने से रुकने वाला भी नहीं हूं। अगर इक्वली योग्य हैं अधिक योग्य हैं तो उनको स्थान जरूर मिलना चाहिये। अधिक क्वालिफाइड व्यक्ति देश के किसी भी कोने से लाया जा सकता हैं और उस से यहां के विद्यार्थी लाभ उठा सकते हैं। भटनागर साहब के त्याग-पत्र के कारण तथा उसके बाद वहां होने वाली घटनाओं के कारण विश्वविद्यालय की व्यवस्था ठीक नहीं होने वाली है। दिन दिन जिस प्रकार दूसरे विश्वविद्यालयों में जिस तरह शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, यहां भी वही स्थिति पैदा होने वाली है। स्टूडेन्ट्स में भी दो ग्रुप हो चुके हैं। स्टूडेन्टस के इलेक्शन में प्रोफेसर, वॉइस चान्सलर भाग लेते हैं। इस प्रकार की भावना, स्थिति पैदा हो गई है और प्रोफेसरों में गुटबन्दी भयकर रूप से पड़ी हुई है जिसका असर विद्यार्थियों पर भी पड़ रहा है यह सारा विश्वविद्यालय के अन्दर चल रहा है। चाहे आप इसको आज स्वीकार करें या न करें एक साल बाद जब खराबी आ जायेगी, व्यवस्था ठप्प हो जायेगी तब एक्ट के अन्दर संशोधन करने की आप आवश्यकता समझेंगे। संशोधन की आवश्यकता तो अभी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को बहुत ही कड़े शब्दों में मांग करता हूं कि विश्वविद्यालय में जो अनियमिततायें हो रही हैं, उसके लिए एक जांच समिति इस सदन के सदस्यों की बनाई जानी चाहिये। हो सकता है कि यह सदन के अधिकार की बात न हो। परन्तु इसी सदन ने इस एक्ट को बनाया है और इसी सदन को उसमें संशोधन करने का अधिकार है। तो यह जाँच समिति बनायी जानी चाहिये और इसी वर्तमान

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

सत्र में ही एक्ट में संशोधन लाया जाना चाहिये। जो कमेटी बनायी जाय वह इस विश्वविद्यालय की जांच करे कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार और अनियमितताएं इस विश्वविद्यालय में व्याप्त हैं और किस प्रकार का भ्रष्टाचार, अन्याय हमारे राजस्थान वालों के साथ हो रहा है। आज यह हो रहा है कि एक व्यक्ति की सीनियोरिटी को सुपरसीड कर के दूसरों को लगा दिया जाता है और उसकी कोई अपील नहीं है। राज्य सरकार के नियमों में अपील का प्रॉवीजन है परन्तु यहां पर तो कोई अपील ही नहीं हो सकती। इस प्रकार के कार्य यहां पर हो रहे हैं तो इसके लिये एक जांच समिति सदन के सदस्यों की बनायी जानी चाहिये। यह जांच समिति विश्वविद्यालय के सारे कार्यों की जांच पड़ताल करे और उनके अन्दर क्या सुधार लाये जायं इस पर अपनी रिपोर्ट दे।

दूसरा निवेदन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों के अन्दर जब तक प्रोफेसर भटनागर ऑफिसियेटिंग करेंगे, तो जो भी वॉइस चान्सलर आयेगा वह यहां पर सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा। कोई भी वॉइस चान्सलर जो ऑफिसियेटिंग कर रहा है, वह ऑफिसियेटिंग कैपेसिटी के अन्दर है तो वह कोई भी मेजर डिसीजन पोलिसी डिसीजन नहीं ले सकता और नहीं लेना चाहिये। उनको जो रजिस्ट्रार की पोस्ट खाली पड़ी है उसको भी फिल अप नहीं करना चाहिये और कोई मेजर सिलेक्शन भी नही करना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय की हालातों के बारे में इस सदन में मैंने कई बार चर्चा उठाई है और इस बात का प्रयत्न किया है कि वहां के हालातों के बारे में इस सदन को पूरी जानकारी मिले और उन पर चर्चा की जाये और जो गिरावट आ रही है उसमें सुधार करें। पहले मैंने भी स्थगन प्रस्ताव रखा था और यह मांग की थी कि जो मौजूदा वॉइस चान्सलर श्री बी. एल. भटनागर है, उनको यहां से पद से मुक्त किया जाना चाहिये क्योंकि काफी हद तक जिन समस्याओं का जिक्र माननीय सदस्य ने अभी यहां पर किया है उनकी जिम्मेदारी खुद प्रोफेसर भटनागर की रही है। इसलिये इसका मैं स्वागत करता हूं कि किसी न किसी बहाने सही इस विश्वविद्यालय को उनसे मुक्ति मिल रही है। उनके त्याग-पत्र के पीछे क्या कारण है और क्या नही है यह अलहदा बात है उन्होंने स्वास्थ्य के कारणों को लेकर त्याग-पत्र दिया है किन्तु इसके पीछे और भी कई बातें है, ऐसा मैं समझता हूं। इस समय पूरा वक्त नहीं है उन बातों को कहने का लेकिन एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रोफेसर भटनागर का जो रेजिग्नेशन असेप्ट किया है 26 तारीख को उसमें कानूनी तौर से वह 26 तारीख से अपना काम एज वॉइस चान्सलर करने से मुक्त हो गये और उसके बाद कोई डिसीजन लेने का इस एक्ट के अनुसार भी उनको कोई अधिकार नहीं हैं। अभी शिक्षा मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया हैं उसमें उन्होंने बताया है कि 26 तारीख को यह स्वीकार कर लिया गया। इसमें उन्होंने यह भी बताया है कि 26 तारीख को यह सूचना कर दी है वॉइस चान्सलर महोदय को

Page No 130

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कि उनका इस्तीफा मन्जूर कर लिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि 26 तारीख से और उसके ऑनवर्ड्स उनको कोई भी काम करने का, कोई भी डिसीजन लेने का अधिकार नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जिन बातों का झगडा रहा है और जो बहस तलब मुद्दे रहे हैं उसमें यही वॉइस चान्सलर महोदय एक हद तक जिम्मेवार है। और फिर उनके चले जाने के बाद उनका इस्तीफा मन्जूर हो जाने के बाद भी वह कार्यवाही करते रहे तो मैं समझता हूं कि हमारे विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में हमारी सरकार को अपंग जानकारी मिली है। इन्होंने 3-4-71 को सीनियर लेक्चरार को सिलेक्ट करने के लिये सिलेक्ट कमेटी की मीटिंग बुलाई गई। 6-4-71 को रजिस्ट्रार का अपॉइन्टमेंट करने के लिए सिलेक्ट कमेटी की मीटिंग बुलाई गई। 13-4-71 को पॉलिटिकल साइन्स डिपार्टमेन्ट में रीडर्स और अन्य नियुक्तियों के लिये सिलेक्शन करने के लिये मीटिंग बुलाई गई और 19-4-71 को सिन्डीकेट की मीटिंग बुलाई गई ताकि इन तमाम सिलेक्शन कमेटीज के फैसलों को, उन पर सिन्डीकेट की मुहर लगा दी जाये और उनके फैसले पर निर्णय कर दिया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात, इस तरह का एक्ट करना न केवल अनडिज़ारेबल है बल्कि इस एक्ट के अनुसार इल्लीगल भी है और तमाम जो ट्रेडीशन्स हैं वे उनके खिलाफ हैं। इसलिये इस बात को तुरन्त रोका जाना चाहिये वरना प्रोफेसर बी. एल. भटनागर जितनी मुसीबत को अभी तक सामने खड़ी कर चुके है उससे बाद में हाई कोर्ट के रास्ते इन तमाम यूनिवर्सिटी के लेक्चरार्स के लिये खुल जायेंगे और जितने भी अपॉइन्टमेन्ट हो चुके हैं उनको चैलेन्ज करना पड़ेगा हाई कोर्ट में और जबर्दस्त रूप से विश्वविद्यालय की जगह एक अदालती झगड़े की जगह बन जायेगी, मुकदमेबाजी का अखाड़ा बन जायेगा। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक दम से इस बात को रोका जाना चाहिये, गवर्नमेन्ट को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिये और इन कार्यवाहियों को रोकना चाहिये......

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वॉइस चान्सलर ने 26 तारीख के बाद जो नियुक्तियां की हैं, उनको रद्द किया जाना चाहिये और अब वे कोई नियुक्ति नहीं कर। आपको यह जान कर आश्चर्य होगा उपाध्यक्ष महोदय, कि 26-3-71, जिस दिन को उनके इस्तीफा मन्जूर होने की सूचना यूनिवर्सिटी में आती है उसी दिन यह श्री भटनागर एक अपॉइन्टमेन्ट करते हैं, अडल्ट एजूकेशन डिपार्टमेन्ट के डाईरेक्टर मिस्टर कपूर का अपॉइन्टमेन्ट करते हैं। मिस्टर कपूर इस समय कनाड़ा में हैं और जो स्क्रीनिंग कमेटी थी उस स्क्रीनिंग कमेटी ने यह रिपोर्ट दी है कि जितनी भी एप्लीकेशन आई हैं उनमें से कोई भी एप्लीकेन्ट कम्पीटेन्ट नहीं है। इसके बावजूद प्रोफेसर भटनागर सहाब इन्टरव्यू के लिये लेटर निकालते है मिस्टर कपूर के लिये और उनको इन्टरव्यू के लिये बुलाते हैं जो कनाड़ा में है। कनाड़ा में हैं इसलिये नहीं आ सकते और इन्टरव्यू नहीं हुआ।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

फिर भी 26-3-71 को अपॉइन्टमेन्ट किया था, डॉ. गो भी इसके अध्यक्ष हैं और सिलेक्शन कमेटी की सील लीगली आवश्यक है। मेन्डेटरी रूप से उनको बुलाया जाना आवश्यक है इसके बावजूद उनको सिलेक्शन कमेटी में नहीं बुलाया जाता है, सिलेक्शन में उनकी कोई राय नहीं ली जाती है और प्रोफेसर भटनागर इस तरह से उनको अपॉइन्टमेन्ट कर देते हैं। मेरा यह निवेदन है कि इस तरह की कार्यवाही वहां पर लगातार हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्रोफेसर भटनागर की जो कार्यवाही है वह न केवल इस सदन में बल्कि तमाम नेशनल प्रेस में एक चर्चा का विषय बन गई है। 19-12-70 के ब्लिट्ज में एक आर्टिकिल छपा था जिसके अन्दर प्रोफेसर भटनागर के खिलाफ आरोप लगाये गये थे कि वे सी॰ आई. ए. के ऐजेन्ट के रूप में इस विश्व विद्यालय में काम कर रहे हैं और बहुत सी इस प्रकार की जो अमेरिकी इन्स्टीट्यूशन्स हैं उनसे एड ले रहे हैं जो बाकायदा सी॰ आई. ए. की एजेन्सी है और उनके जरिये काम हो रहा है। प्रोफेस भटनागर के खिलाफ इस आर्टिकल में यह खुला आरोप लगाया गया था कि वे आर. एस. एस. से मिले हुए हैं और उसके ऐजेन्ट के रूप में इस विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं और पूरी तरह से इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं और उपाध्यक्ष महोदय, इस अखबार में जो समाचार प्रकाशित हुए हैं उसका कोई खण्डन नहीं निकला है····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ब्लिट्ज खबार में कोई समाचार निकलता हैं और उसका कोई खण्डन नहीं होता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि समाचार सही है। इस सम्बन्ध में यहां पर जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह खेद का विषय है और जिस भावना के साथ यहां पर यह मामला उठाया जा रहा है उसमें आप यह कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक पोलोटिकल टर्न दे दें इस प्रकार···

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आॅन ए पॉइन्ट आॅफ आॅर्डर सर। मेरी आपत्ति यह है कि एक अखबार का हवाला देकर जो बात यहां पर कही जा रही है, उस अखबार का कोई कोटेशन इनके पास में नहीं है आप उसको यहां पर लाये नहीं है, नोटिस दिया नहीं है इस सिलेसिले में कि आप यह मामला सदन में उठायेंगे। यह व्यवस्था का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हो रहा है माननीय सदस्य।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल इतना सा है····

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय 10 मिनिट के लिए और बढ़ाया जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रिएशन बिल पास करने के लिये समय बढ़ाया था वह पास हो गया। विनियोग विधेयक पास हो गया। मुझे कोई ऐतराज नहीं था लेकिन युनिवर्सिटी इस सम्बन्ध में जो भी अनियमितताय है····

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा भाषण कोई समाप्त नहीं हुआ। यह कोई पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एडजोर्नमेंट मोशन पर मैं एक बात कहना चाहता हूं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह पॉइन्ट ग्रॉफ ऑर्डर है क्या, मैं जानना चाहता हूं। आखिर बीच में इन्टरवेंशन करना, हाउस के रूल्स हैं। माननीय सदस्य कोई पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर उठायें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इस तरह भाषण के बीच में रुकावट डालना ठीक नहीं है।

श्री विजयसिंह : यह जरूरी है कि हर बात में माननीय सदस्य ही बोलें..

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान, अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ग्रॉर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। मैं निवेदन कर दूं....

(व्यवधान, अश्रव्य)

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है। मैं निवेदन कर दूं, कृपया मेरी बात सुन लें। खैर, उन्होंने पॉइन्ट ग्रॉफ ऑर्डर उठाया है लेकिन यह कोई पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है। किसी पेपर से हवाला देना और डिफेमेटरी बात कह देना यह न्यायोचित नहीं होगा। जो कुछ कहा जाय वह व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर ही कहा जाना चाहिये। किसी व्यक्ति ने कोई डिफेमेटरी किताब लिख दी और आपने उसके आधार पर कोई बात कह कर बरी हो जायें यह ठीक नहीं है। व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं वरना किसी पेपर के हवाले से कहना मैं समझता हूं उचित नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में कोई तथ्य....

श्री उपाध्यक्ष : बहुत संक्षेप में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
श्री रामानन्द अग्रवाल } (एक साथ बोलते रहने पर अश्रव्य)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपत्ति है। यह वास्तविक तथ्य है राजस्थान विश्वविद्यालय को यहां की कम्यूनिस्ट पार्टी अपने दिमाग के आधार पर पाइजन करना चाहती हैं। मैं कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, अगर इनके पास तथ्य है इस बात के कि प्रो॰ भटनागर सी.आई.ए.के एजेन्ट हैं, ग्रार.एस. एस. के एजेन्ट हैं तो मैं भी साथ दूंगा लेकिन किसी अखबार का सहारा लेकर कहें यह बहुत ही सीरियस चार्ज है। हमारे वाइस चान्सलर सी.आई.ए. के ऐजेन्ट हैं यह घोर आपत्ति वाली बात है। फर्स्ट मोशन मैं लेकर आया हूं मैं भी चार्ज लगा सकता हूं लेकिन बिना किसी तथ्य के चार्ज लगाना किसी भी हालत में उचित नहीं कहा जा सकता है....

(व्यवधान, अश्रव्य)

आप राजस्थानविश्व विद्यालय को राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहते हैं। हम कभी अखाड़ा नहीं बनने देंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, इस फ्लोर का दुरुपयोग हो रहा है।

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
युनिवर्सिटी के अधिकारियों में कम्युनिस्ट पार्टी जहर फैलाना चाहती है। ये स्वयं रूस और चीन के एजेन्ट हैं। हम भी तुम्हारे खिलाफ इस तरह के आरोप लगायेंगे।

(अश्रव्य, व्यवधान)

श्री देवीदत्त गाड़िया
श्री रामानन्द अग्रवाल
श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
श्री सुरेन्द्रकुमार व्यास
(सभी माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे।)

श्री देवीदत्त गाड़िया : ये भी रूस और चीन के एजेन्ट हैं और युनिवर्सिटी में घुसे हुये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हो रहा है। माननीय सदस्य।

(भयंकर शोरगुल, अश्रव्य)

माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय गाड़िया जी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जो रूस के इशारे पर चलते हैं वे क्या··

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। पहले मैं सदन की अनुमति ले लूं कि समय बढ़ाया जाय या नहीं बढ़ाया जाय।

(अनेक माननीय सदस्यों की असहमति)

सदन की कार्यवाही दिनांक 12 अप्रेल, 1971 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 1.35 म.प. दिनांक 12 अप्रेल, 1971 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई)..

Page No 134

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न 183 की सूची)

नाम ऋणी	ऋण राशि	दिनांक जिसको ऋण दिया गया।		प्रमाण-पत्र देने वाले व्यक्ति का नाम
1. श्री नारायणस्वरूप माथुर, दुर्गापुरा	4000–00. 10000–00	27-6-61 28-10-66	प्लॉट खरीद ने हेतु	श्री महेशनारायण ओवरसीयर
2. श्री सत्येन्द्र कुमार पारीक, ब्रह्मपुरी	4000–00 1500–00 2000–00	6-10-61 31-3-65 19-8-65	प्लॉट खरीदने हेतु	श्री रवीन्द्रनाथ ओवरसीयर
3. श्री राजबहादुर सक्सेना, आमेर रोड	4000–00 8000–00	11-9-61 9-11-63	प्लाट खरीदने हेतु	ऋणी की मृत्यु होगई आगे कार्य नहीं हुआ जमीन पी. डब्ल्यू. डी. ने एक्वायर करली है।
4. श्रीमालीराम कानूनगो, ब्रह्मपुरी	8000–00	12-3-68		श्री महेशनारायण ओवरसीयर

परिशिष्ट 2

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

स्थगित प्रश्न

24-3-71

जोधपुर तथा बाड़मेर जिलों में सड़कों पर कार्य

75. श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या जिला जोधपुर और बाड़मेर में आगोलाई से माडपुरा, शेरगढ़ से पचपदरा और बालोतरा से समदड़ी सड़कों पर कंकरी और डामर बिछाने का काम हाथ में लिया गया था ?

(2) प्रत्येक सड़क पर कितने कितने मील कंकरी और डामर बिछवाया जा चुका है ? इन सड़कों पर पूर्ण डामर बिछाने का काम कब तक पूरा हो जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि ये तीनों सड़कें प्लान रोड्स हैं ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(24-3-71)

सरकारी कार्य में आई भूमि का लगान

81. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बतावे की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अकाल राहत कार्यों में कई काश्तकारों की खुदकाश्त भूमि पर सड़क व सिंचाई विभाग द्वारा कार्य किए गए हैं ?

(2) क्या यह सही है कि काश्तकारों से उस भूमि का भी लगान लिया जा रहा है जिसे सरकार ने अकाल राहत कार्यों में ले ली है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(3) क्या तहसीलदारों द्वारा ऐसी समस्त भूमि का नक्शा बना कर जिलाधीशों को भेज दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या सरकार इस विषय पर ध्यान देते हुए समस्त जिलाधीशों को उचित आदेश प्रदान करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

परिशिष्ट 3

तारांकित प्रश्न 177

(प्रश्न के खण्ड 2 में चाही गई सूची)

नगर परिषद्, जयपुर में विचाराधीन मामलों की सूची।

नाम चौकड़ी	विचाराधीन मामलों की संख्या
तोपखानादेश	524
मोदीखाना	188
विश्वेश्वरजी	241
घाटदरवाजा	337
तोपखाना हजूरी	739
रामचन्द्रजी	524
गंगापोल	348
हवाली शहर सुमाली	239
पुरानीबस्ती	493
सरहद ब्रह्मपुरी	149
हवाली शहर गर्बी	543
हवाली शहर जनूबी	321

नगर विकास न्यास में विचाराधीन मामलों की सूची।

नाम योजना	विचाराधीन मामलों को संख्या
1	2
झोटवाड़ारोड	60
फतेहटीबा	6
आनन्दपुरी	21
नाहरी का नाका पूर्व	9
अमृतपुरी	5
जालूपुरा	2
हसनपुरा	1

1	2
बनीपार्क विस्तार योजना	12
बस्सी सीतारामपुरा	4
मोतीडूंगरी	9
अर्जुनलाल सेठी	7
जनता कालोनी	33
अम्बावाड़ी योजना	16
लक्ष्मीनारायण	45
सिन्धी कॉलोनी	19
लेबर कॉलोनी	4
बजाज नगर	3
बापू नगर	22
अन्य	110

परिशिष्ट 4

(अ. प्र. सं. 161 की सूची)

चित्तौड़गढ़ जिले में चल रही ग्रामीण एवं शहरीय जलप्रदाय योजनाओं की सूची जिन से पानी वितरण किया जा रहा है

शहरीय योजना

1. चितौड़गढ़
2. छोटी सादड़ी
3. प्रतापगढ़
4. निम्बाहेड़ा
5. कपासन
6. बड़ी सादड़ी

ग्रामीण योजना

1. भैंसरोड़गढ़
2. मसी
3. प्रसोब
4. गोसुन्डा
5. बेगूं
6. सावा
7. कमेरा

परिशिष्ट 5

(प्र. प्र. सं. 163 की सूची)

ग्राम फिरवासी, तहसील लाडनूं, जिला नागौर की रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम में निम्न गांव आते है:—

गांव का नाम	जन संख्या सन् 1961 की जन गणना के आधार पर
1. फिरवासी	940
2. लावरी	550
3. मिठंरी	1269
4. हुसैनपुर	563
5. असजी की ढ़ाणी	420
6. सिनवाल	593
7. दहीवा	1530
8. कानवई	428
9. लालसारे	1083
	कुल 7477

जन संख्या जिसके लिये योजना बनाई गई है (11200)

परिशिष्ट 6

(अ. प्र. सं. 177 की सूची)

सूची वास्ते प्रश्न संख्या 96 अ० ता० द्वारा श्री नन्दलाल

क्रम संख्या	नाम तहसील	संख्या मामले धारा 91 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के विचाराधीन	विचाराधीन मामलों की संख्या			जुर्मानों के आंकड़े		विशेष विवरण
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	सवर्णों के	1968-69	1969-70	
(1)	छीपाबड़ौद	873	87	21	765	95150	160217	
(2)	किशनगंज	437	66	197	174	86835	101784	
(3)	अटरू	1025	187	351	467	36631	40177	
(4)	लाड़पुरा	672	61	73	538	21027	12031	
(5)	रामगंजमण्डी	269	40	46	183	1116	179	
(6)	मांगरोल	702	84	112	506	44995	133450	
(7)	बारां	1231	206	194	831	36410	37148	
(8)	छबड़ा	458	256	127	85	173586	11995	
(9)	पीपल्दा	2036	1038	772	326	152237	25238	
(10)	दीगोद	1648	609	369	670	79388	107431	

(11)	इन्द्रगढ़	429	125	189	115	—	6759	सन् 1968-69 में अकाल घोषित होने से फैसला नहीं हुआ
(12)	शाहबाद	1231	207	194	830	36406	37147	
(13)	अन्ता	442	91	178	173	41209	25450	
(14)	सांगोद	1553	261	180	1112	172189	138149	
		13016	3318	3003	6695	977165	837155	

परिशिष्ट 7

(प्र. प्र. सं. 76 की सूची)

1. आबू भोजूजी की बगीची, रेल्वे फाटक के पासः— इस बगीचे में दयालजी मानराज के खेत है। इसमें सार्वजनिक कुआ भी है और गूणी बाहर सड़क की तरफ बनी हुई है जिससे पानी निकाला जाता है। आजकल यह दादू पंथियों के उपयोग मे है।

2. रघुनाथ बालिका विद्यालय, रेल्वे के पास:—यहां बालिकाएं पढ़ती हैं विद्यालय सार्वजनिक उपयोग में लाया जा रहा है।

3. मुख्य प्याऊ रेल्वे फाटक के पासः—यहां पर मुख्य प्याऊ बनी हुई थी। आजकल टूटी फूटी हालत में पड़ी हुई है। आजकल यह प्याऊ तथा प्याऊ की जमीन मय मलवे श्री द्वारकाप्रसाद के कब्जे में है।

4. रेल्वे फाटक के पास श्री गोपालजी, श्री सीतारामजी, श्री हनुमानजी के मन्दिर हैं। ये सार्वजनिक उपयोग में आ रहे हैं।

5. गूलरवा की ढ़ाणी, पंचायत समिति के कार्यालय के पासः—इस ढ़ाणी में एक सार्वजनिक कुआ था जिसको श्री जगनसिंह ने अपने कब्जे में ले लिया। मोटर पम्प लगा लिया एवं निजी उपयोग में ले रहा है।

6. गुड़वालों की धर्मशाला, छोटवाड़ा, पंचायत समिति के कार्यालय के सामने:— गुड़वालों की धर्मशाला गांव के रास्ते में है और सार्वजनिक उपयोग में आ रही है।

7. हनुमान जी का मन्दिर:—पंचायत समिति के कार्यालय के सामने गांव में हनुमान जी का मन्दिर है। यहां सार्वजनिक रूप से सेवा पूजा की जाती है।

8. बच्चों का स्कूल:—पंचायत समिति कार्यालय के पास बच्चों का स्कूल है। यहां सार्वजनिक रूप से बच्चों को शिक्षा दी जाती है।

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक 31 मार्च, 1971)

पृष्ठ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
2	अन्तिम से 11	बाड़ियों	बाड़ियां
2	,, 4	लगान-	लगान की
2	,, 1	f छड़े	पिछड़े
11	8	पालिक	पालिका
11	9	उस-	उसके
11	9	नुसार	अनुसार
11	10	दूस री	'दूसरी
11	11	क	कोई
11	13	तरोके	तरीके
13	अन्तिम से 10	ब ोहरा	बोहरा
15	शीर्ष 1	प्रभ	प्रभा
15	8	क टा	कोटा
15	14	पचायत	पंचायत
15	15	को-	कोटा
15	16	राज ।	राज्य
15	अन्तिम से 10	समझनो	समझती
15	,, 6	के सेज	केसेज़
19	,, 6	आसेटा	आसोटा
22	,, 5	च हता	चाहता
25	11	63	63
25	अन्तिम से 5	कोइ	कोई
28	14	का	की
28	15	क ारण	कारण
31	अन्तिम से 13	घनाभाव	धनाभाव
31	,, 11	ता	तो
32	,, 15	ब नाई	बनाई
32	,, 16	19 1	1961
33	शीर्ष 1	ज म	जम
34	1	मामलों	मामलों

1	2	3	4
35	5	अातूबर	अक्टूबर
36	1	वई	कई
37	अन्तिम से 1	ायम	कायम
38	11	ता	तो
41	अन्तिम से 16	उस मे	उसमें
43	2	कप्म्लीठ	कम्पलीट
44	3	र रहा	कर रहा
45	अन्तिम से 12	के	के
46	2	तहमील	तहसील
50	अन्तिम से 10	स त्य	सत्य
52	,, 5	जवाव	जवाब
54	,, 14	खेतनिह):	खेतसिह):
55	8	खिल ाफ	खिलाफ
57	अन्तिम से 17	अनुधूचित	अनुसूचित
58	,, 9	बलों	बैलों
59	14	माल	मील
59	अन्तिम से 8	अभा	अभी
61	शीर्षक 1	अनुपरियत	अनुपस्थित
64	4	का	को
65	अन्तिम से 4	अनुमार	अनुसार
70	,, 2	सो	तो
71	शीर्ष 1	श्री जयनाराण	श्री जयनारायण
73	13	पुख्ला	पुख्ता
75	शीर्षक 1	माच	मार्च
76	3	उत र	उत्तर
77	अन्तिम से 15	उक्न	उक्त
79	,, 20	टंका	टंकी
81	,, 1	मलता	मिलता
82	अन्तिम से 9	मख्या	संख्या
82	,, 9	19 1	1961
86	12	यातायत	यातायात
86	16	काय	कार्य
87	अन्तिम से 7	गवर्नमेन्ड	गवर्नमेन्ट
87	,, 2	डांग	डींग

Page No 145

1	2		3	4
88	अन्तिम से	14	हीं	हां
88	,,	6	(छावड़ा)	(छबड़ा)
89	,,	3	मूमि	भूमि
90	,,	13	कब्जे	कब्जे
90	,,	2	काफो	काफी
91		2	य'द	यदि
91		4	ए.	एस.
91	अन्तिम से	14	मन्त्री	मंत्री
91	,,	11	ज्वईाट	ज्वाइन्ट
93	,,	2	निरीक को	निरीक्षकों
96		11	काश्त कारी	काश्तकारी
96	अन्तिम से	9	सवाई	सिवाय
97		2	सवाई	सिवाय
101		2	गोठी	गोठ
101		6	गए	गेर
111		3	ेने	देने
113	अन्तिम से	7	उ प	उप
114	,,	3	पूब	पूर्व
117	,,	10	आतंक	आतंक
117	,,	9	वातवरण	वातावरण
119		1	कलगबन्द	कलमबन्द
120		3	ैस	केस
120		12	कान्स्टेबुल	कान्स्टेबल
130	अन्तिम से	3	उपयागिता	उपयोगिता
131		9	घूमघाम	धूमधाम
133	अन्तिम से	1	रजस्थान	राजस्थान
135	,,	14	नस्थासिहं	नत्थीसिंह
135	,,	2	ब-ट	बजट
136	,,	9	सप्लोमेट्री	सप्लीमेन्ट्री
139	शीषक	1	माच	मार्च
139		6	कर्मचारी	कर्मचारी
141	अन्तिम से	1	सर-र	सरकार
145	,,	12	पांच	पांच
145	,,	2	सम जवाद	समाजवाद

1	2	3	4
146	अन्तिम से 4	कभी	कमो
148	7	चाह् ा	चाहता
148	अन्तिम से 3	लोगों	लोगों
150	5	खच	खर्च
157	अन्तिम से 7	टार्गेट्स	टारगेट्स
159	,, 8	मं त्रयों	मंत्रियों
160	,, 9	क्षेत्र	क्षेत्र
161	,, 15	आर	और
164	,, 15	बगलो की	बंगले के
167	7	पोस्ट	पोस्टींग
173	शीर्ष 1	राम रायण	रामनारायण
176	10	तांन	तीन
182	14	सदस्	सदस्य
182	अन्तिम से 4	कान्सटीट्रुएसीज	कान्सटोटुएन्सीज
183	शीर्षक 1	माच	मार्च
183	3	ज ता	जाता
183	16	उनक	उनके
183	16	चाहृत	चाहृते
187	1	दे ॰ भाल	देखभाल
187	5	आठ	आप
187	6	असहृयेग	असहयोग
187	7	पर	—
188	10	f	कि
189	अन्तिम से 11	महादय	महोदय
190	,, 14	अ प	आप
192	3	जा	जो
192	5	विना	खबर
192	6	आन	खास
192	अन्तिम से 12	गल-	गलत
193	8	एवशन	एवशन
193	अन्तिम से 7	स ामने	सामने
194	6	गगा	गंगा
194	अन्तिम से 16	मसर्स	मेसर्स
194	,, 7	ल ख	लाख

1	2		3	4
194	अन्तिम से	3	लाख	हजार
195		11	मई..	—
195		16	अ ानी	अपनी
197		9	‍ नोरंजन	मनोरंजन
197		13	स ल	साल
198	अन्तिम से	1	का	को
199		11	अ पको	आपको
199		15	समता	सकता
200		14	चोरियो	चोरियों की
204	अन्तिम से	16	की	—
208	,,	8	मगर	—
211		11	बा ायदा	बाकायदा
212		3	छो ी	छोटी
212		11	अधिकार	अधिकार
214	अन्तिम से	4	क फी	काफी
216	,,	21	55)a	55)रु.
216	,,	17	भिल	मिल
240	,,	15	रू या	रुपया
247		5	सत शचन्द्र	सतीशचन्द्र
252		3	ग्रकार	प्रकार
252		10	त	तय
256	अन्तिम से	17	सारा	सारे
261		7	सिलेदशन	सिलेक्शन
261	अन्तिम से	11	प्रोफेस	प्रोफेसर
261	,,	1	खबार	अखबार
264		7	सताशचन्द्र	सतीशचन्द्र
275		6	सार्वजनिक	सार्वजनिक